चतुर्दश माला, खंड 37, अंक 4

मंगलवार, 17 फरवरी, 2009
28 माघ, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 26-4
Dated 26.July.2010

(खण्ड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 37, पन्द्रहवां सत्र 2009/1930 (शक)]

अंक 4, मंगलवार, 17 फरवरी, 2009/28 माघ, 1930 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 26	4-37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 27 से 40	28-67
अतारांकित प्रश्न संख्या 53 से 147	67-288
सभा पटल पर रखे गए पत्र	289-304
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
20वां और 21वां प्रतिवेदन	304-305
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
68वां प्रतिवेदन	305
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
39वां प्रतिवेदन	305
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति	
201वां प्रतिवेदन	306
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
148वां प्रतिवेदन	306
कार्य मंत्रणा समिति	
52वां प्रतिवेदन	306
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) (मांग संख्या 57) के बारे में 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	307

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कालम

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह 308

(तीन) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की- गई-कार्यवाही के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 197वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री वायालार रवि 308-310

कैदियों को सुधारने के बारे में दिनांक 21.10.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

डा. शकील अहमद 311-312

अंतरिम बजट (झारखंड), 2009-10

श्री प्रणब मुखर्जी 313

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (झारखंड), 2008-09 313

केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008-वापस लिया गया 313-316

सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित

(एक) केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 317

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 317-318

(तीन) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009 318

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता नियत करने वाली राजपत्रित अधिसूचना को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री एल. राजगोपाल 319-320

विषय कालम

(दो) गुजरात के अमरेली जिले के मोटा लिलिया में महुआ-सूरत रेल गाड़ी का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 320

(तीन) गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 320–321

(चार) झारखंड के पलामू जिले में निजी क्षेत्र की कोयला खानों का आवंटन रद्द किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र शेखर दुबे 321

(पांच) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा 322

(छह) गुजरात के बनासकांठा जिले में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री 322

(सात) पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में उज्जैन-आगर-मालवा-झालावाड़ खण्डों पर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत 323

(आठ) मध्य प्रदेश के सतना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर बाईपास बनाए जाने के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 और 75 को चौड़ा किए जाने और उसकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 323

(नौ) सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के लिए 'एक रैंक-एक-पेंशन' सूत्र लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 323–324

(दस) महाराष्ट्र में इंदिरा सागर गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं. अहीर 324–325

(ग्यारह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर कोल्लम बाईपास के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन 325

(बारह) पश्चिम बंगाल में पानागढ़ बाईपास बनाए जाने के अलावा धनबाद से दान्कुनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर विस्तार कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री बंसगोपाल चौधरी 325-326

(तेरह) उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया और कुशीनगर जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 326

(चौदह) राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाने तथा विद्यमान ग्रामीण बैंकों को समुचित निर्णय लेने की शक्तियां और सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 326-327

(पंद्रह) झारखंड में नक्सलवाद रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

डा. धीरेंद्र अग्रवाल 327-328

(सोलह) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पटना-राजधानी एक्सप्रेस (2309-2310) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश दूबे 328

(सत्रह) तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में बारूगूर में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोले जाने और बैंकिंग सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री ई.जी. सुगावनम 328-329

(अठारह) जी एम खाद्य फसल, बीटी बैंगन, के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए देश में इसके उत्पादन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

डा. आर. सेनथिल 329

विषय	कालम
(उन्नीस) तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई	329-330
(बीस) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं बहाल करने के लिए एक वैकल्पिक सैटलाइट संचार सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री छेवांग थुपस्तन	330
राष्ट्रपति के अभिभषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव	333
श्री मधुसूदन मिस्त्री	341
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	356
मोहंम्मद सलीम	370
श्री मोहन सिंह	384
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	389
श्री ए. कृष्णास्वामी	400
श्री अनंत गंगाराम गीते	407
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	413
श्री तथागत सत्पथी	420
श्री अधीर चौधरी	425
श्री थावरचन्द्र गेहलोत	432
श्री एल. गणेशन	438
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	446-450
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	451-452
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	451-458
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	459-460
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	459-460

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 17 फरवरी, 2009/28 माघ, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, सत्यम कम्प्यूटर लिमिटेड की जांच से संबंधित एजेंसी को रोज ही और लगातार बदला जा रहा है और इसमें संदेह करने के सभी कारण मौजूद हैं कि लीपा-पोती की जा रही है। यह एस.एफ.आई.ओ. से शुरू हुआ था।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मसले को जोरदार तरीके से रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : यह सही है परंतु यह चर्चा के लिए सूचीबद्ध था।...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, आपने इसे नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए स्वीकार किया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके लिए जिम्मेदार न ठहराएं। मैंने इसकी अनुमति दी थी परंतु इसके लिए कोई तैयार नहीं था।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ पर आरोप नहीं लगा रहा। परन्तु इस पर चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। परन्तु माननीय सदस्यों ने आपस में यह निर्णय लिया कि इस पर चर्चा न की जाए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आगे क्या होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे औरों का नाम लेने के लिए न कहें। कृपया बैठ जाएं। मैं आपसे सहमत हूं। जब मैं आपसे सहमत हूं तो *[हिन्दी]* आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक प्रश्न पूछने के लिए श्री हंसराज गं. अहीर को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात नोट कर ली है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि सभा में इस मसले पर कब चर्चा की जाएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब यह सूचीबद्ध था, विभिन्न पक्षों के माननीय सदस्यों ने कहा कि वे इस पर चर्चा नहीं चाहते। मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे यह देखना है कि आप किस प्रकार धन्यवाद प्रस्ताव का उपयोग करते हैं। आप अत्यन्त कड़ी टिप्पणियां कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखने दें। श्री नायडु आप सब कुछ जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न-काल चाहते हैं या नहीं? मुझे बताएं। यदि आप प्रश्न-काल नहीं चाहते, मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, हम प्रश्न-काल में व्यवधान डालना नहीं चाहते परन्तु यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नायडु, इस पर यहां और इस वक्त चर्चा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके राज्य में गया हूं, बहुत अच्छा राज्य है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नायडु गारू, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, हम एक आश्वासन चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नायडु, मैं आपसे सहमत हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम इसका उपाय ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री और सभी नेताओं की इस बारे में सहमति बनवाए यदि आप सभी सहमत हैं तो मैं इसे तुरंत शुरू करूंगा। यदि कोई भी सहमत नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय आप चर्चा आरंभ करें।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा शुरू करूंगा, मुझे चर्चा शुरू करना पसंद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें। आप इस सदन के एक जिम्मेवार और सम्माननीय सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो बोला है, वह मैंने सुन लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी बहुत आने वाला है, इसलिए आप चुपचाप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, इस पर कब चर्चा होगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका हल ढूंढ़ लूंगा। मैं आप और श्री रूपचंद पाल सहित सभी नेताओं से चर्चा करूंगा और हम एक समय निश्चित करेंगे। केवल एक चीज है कि जो दिन मैं तय करूंगा, सभा में उस दिन गणपूर्ति होनी चाहिए।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 21, श्री हंसराज गं. अहीर।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

\+

***21. श्री हंसराज गं. अहीर :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों के विचार प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और उनकी आपत्तियों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन कर लिया गया है और महानिदेशक की नियुक्ति हो गई है और उन्होंने कार्यभार ग्रहण

कर लिया है। शुरुआती तौर पर अपेक्षित अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दे दी गयी है, और उनको भरने की प्रक्रिया, अपेक्षित संरचना स्थापित करने की कार्रवाई के साथ-साथ चल रही है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन विधिवत चर्चा एवं विचार-विमर्श के बाद पारित संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की अनुसूची में सूचीबद्ध अधिनियमों के अन्तर्गत पड़ने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, करारों तथा अभिसमयों को लागू करने के लिए बनाए गए अधिनियमों, दूसरे राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, तथा राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखण्डता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच तथा अभियोजन के लिए है। यह एक समवर्ती क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क में कार्य करेगी तथा चयनित मामलों को हाथ में लेगी। अधिनियम के प्रावधानों पर 6-1-2009 को आन्तरिक सुरक्षा संबंधी मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी चर्चा की गई थी। बैठक के बाद, गृह मंत्री ने 13-1-2009 को समस्त मुख्य मंत्रियों को पत्र भी लिखा है, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के कार्य क्षेत्र विस्तार और अनुप्रयोग का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें यह भी इंगित किया गया है कि यदि कोई प्रश्न या संदेह हो तो उसे स्पष्ट किया जाएगा। मात्र एक राज्य से 13-2-2009 को प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जाएगी और अपेक्षित स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुम्बई में 26 नवम्बर को हुए आतंकी हमले के बाद लोक सभा में 17 दिसम्बर को यह बिल पारित हुआ और एनआईए की स्थापना हुई थी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने 31 दिसम्बर को इसे मंजूरी देकर आगे बढ़ाया, लेकिन पिछले डेढ़-दो महीने में एनआईए से संबंधित कार्यालय, कर्मचारी तथा इसके कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने में विलम्ब हुआ है, इस महत्वकांक्षी और अति महत्वपूर्ण जांच एजेंसी को अमलीजामा पहनाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसे गति देने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कोई विलम्ब नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवादी अपराध से संबंधित क्षेत्राधिकार समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। केवल गम्भीर मामले ही एन.आई.ए. द्वारा लिए जाएंगे और यह काफी संतोष की बात है कि एन.आई.ए. विधेयक पारित होने के बाद उस प्रकार का कोई अवसर नहीं आया है। फिर भी हम एन.आई.ए. के लिए अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया में हैं। एन.आई.ए. प्रमुख की नियुक्ति हो चुकी है। उन्हें ज्यादा योग्यता और क्षमता वाले अधिकारियों को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्होंने अधिकारियों का चयन कर लिया है। आज जब मैं यहां बोल रहा हूं, एक डी.आई.जी., दो पुलिस अधीक्षक, दो पुलिस उपाधीक्षक और दो निरीक्षकों को नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। नीचे के पदों पर उनके द्वारा भर्ती की जा रही है। एक टीम गठित की जा चुकी है ताकि यदि एन.आई.ए. को किसी मामले से निपटना पड़े तो वह कार्यवाही कर सके। लेकिन वास्तव में हमारी इच्छा है कि ऐसी कोई स्थिति ही पैदा न हो।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर : माननीय अध्यक्ष जी, एन.आई.ए. की स्थापना के समय कहा गया था कि राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच तथा अभियोजन के लिए यह एजेंसी बनाई गई है। हाल ही में नक्सलियों के हमलों में महाराष्ट्र में 15 पुलिसकर्मी और बिहार में दस पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की घटनाओं को इसके दायरे में लेकर, नक्सल प्रभावित राज्यों में आतंकी घटनाओं का संज्ञान लेकर, यह एजेंसी उन मामलों की भी जांच करेगी तथा मुंबई में 11 नवम्बर को जो हमला हुआ था, उसकी भी जांच इस एजेंसी को देने के लिए आप कोई विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जहां तक मुंबई हमलों का संबंध है इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब वे आरोप पत्र दाखिल करने वाले हैं। अतः एन.आई.ए. द्वारा इस जांच को अपने हाथ में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जहां तक नक्सली हमलों का संबंध है, मैं सदन का ध्यान एन.आई.ए. अधिनियम की अनुसूची की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अन्तर्गत आठ अधिनियमों को सूचीबद्ध किया गया है। केवल इन्हीं आठ अधिनियमों के अंतर्गत आनेवाले अपराधों की जांच ही एन.आई.ए. द्वारा ही जाएगी। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम ऐसा ही एक अधिनियम है। मैं समझता हूं कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान और नक्सलियों द्वारा अंजाम दी गई घटनाएं इस अधिनियम, एन.आई.ए. अधिनियम के अंतर्गत जांच किए जाने वाले मामलों में शामिल नहीं है। लेकिन मैं किसी विशेष मामले जिसमें नक्सली शामिल हों, की जांच से इंकार नहीं करता हूं। लेकिन, यदि यह इन कार्यों के अन्तर्गत आता है, और मामला पर्याप्त रूप से गम्भीर हो, तब निश्चय ही एन.आई.ए. को उस मामले की जांच के लिए कहा जाएगा।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मुंबई हमले के समय हमारी सुरक्षा एजेंसियों और गुप्तचर एजेंसियों के बीच में तालमेल का जो अभाव पाया गया, उस तालमेल के अभाव को कम करने की दृष्टि से इस प्रकार के कानून एवं एजेंसी की स्थापना की बात आई है, लेकिन क्या यह सही है कि किसी राज्य सरकार द्वारा, कतिपय मुख्यमंत्रियों द्वारा इस बारे में कहा गया है कि और अधिक कठोर कानून बनाए जाने चाहिए ताकि आगे इस प्रकार के हमले न हो सकें? आपने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि हम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक निगरानी समूह का गठन करने वाले हैं, मैं समझता हूं कि इसका अभी तक गठन नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों के बारे में स्पष्ट करें कि क्या निगरानी समूह का गठन हो गया है और मुख्यमंत्रियों के सुझाव के ऊपर आपने विचार-विमर्श जरूर किया था, लेकिन एक राज्य सरकार द्वारा बाद में 13 फरवरी को जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उस पर आप बाद में प्रतिक्रिया भेजेंगे, इसकी अंतिम स्थिति, अद्यतन स्थिति क्या है? क्या गठित एजेंसी का कार्य विधिवत प्रारम्भ हो गया है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : 6 जनवरी को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा हुई उसमें एन.आई.ए. भी एक था। तत्पश्चात् मैंने अधिनियम के क्षेत्र, विस्तार और उपयोग को स्पष्ट करते हुए 13 जनवरी को मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। मुझे केवल एक मुख्यमंत्री का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एन.आई.ए. अधिनियम के बारे में कुछ सवाल उठाए गए हैं। वह पत्र 3 फरवरी का है। मुझे पत्र प्राप्त हुआ है और मैं उस पत्र का उत्तर देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पत्र में उठाए गए संदेहों को दूर करने के बाद उस राज्य के मुख्यमंत्री भी संतुष्ट हो जाएंगे।

समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए ही इस सदन द्वारा एन.आई.ए. अधिनियम पारित किया गया था।

जहां तक उत्तर-पूर्व के निगरानी तंत्र का संबंध है, मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं और प्रश्न के महत्व को नहीं समझ सका हूं। यदि आप उत्तर-पूर्व में भारतीय विद्रोही समूहों के कार्यकलाप की निगरानी की बात कर रहे हैं तो हां, मंत्रालय में उत्तर-पूर्व प्रभाग है। मैंने मणिपुर, नागालैण्ड और असम का दौरा किया है और हम उत्तर-पूर्व में स्थिति पर कड़ाई से निगरानी कर रहे हैं। मैं यह नहीं समझ पाया कि निगरानी तंत्र से आपका क्या तात्पर्य है।

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, राष्ट्रीय जांच एजेन्सी विधेयक के पारित होने के पश्चात्, हमें पता चला है कि भारत के राष्ट्रपति ने तत्काल उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह अधिनियम लागू हो गया है और राष्ट्रीय जांच एजेन्सी भी अस्तित्व में आ गई है। महोदय, अब मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि आज की तारीख तक कितनी आतंकवादी घटनाएं इस एजेन्सी को हस्तांतरित की गई है और विशेष रूप से यह कि क्या मुंबई के आतंकवादी हमले की जांच भी यह एजेन्सी कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मुंबई आतंकवादी हमले के संबंध में उन्होंने अभी उत्तर दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैंने मुंबई आतंकवादी हमले के संबंध में पहले ही उत्तर दे दिया है। उसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है, और आरोप पत्र दाखिल करने वाली है।

अब तक एन.आई.ए. को कोई भी मामला नहीं सौंपा गया है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सौभाग्य से इस अधिनियम के पारित होने के बाद कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, और मेरा पुरजोर निवेदन है कि ऐसी कोई स्थिति ही उत्पन्न न हो।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजेंसी नई बनी है, यह प्रसन्नता की बात है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि सी.बी.आई. और नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजेंसी में क्या अन्तर है और समय-समय पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने सी.बी.आई. के ऊपर जिस तरह से अंगुली उठाई है, इसकी कार्यशैली पर अंगुली उठाई है कि यह निर्भीकता एवं ईमानदारी से कार्य नहीं करती है, इसलिए क्या इसकी मॉनीटरिंग करने का सरकार का कोई इरादा है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न सी.बी.आई. के बारे में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय मेरे विचार से यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं नहीं समझता कि एन.आई.ए. के अनुपूरक प्रश्न के रूप में सी.बी.ई. से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। अन्तर यह है कि इस सदन और राज्य सभा ने यह कानून, एन.आई.ए. अधिनियम, पारित कर दिया है, जो सी.बी.आई. कानून अर्थात् दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, एक विशेष रूप से भौतिक रूप से भिन्न है। सी.बी.आई. के मामले में किसी मामले को जांच के लिए केवल राज्य की सहमति से ही लिया जा सकता है। एन.आई.ए. के अन्तर्गत हम किसी मामले को जांच के लिए राज्य द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर ही लिया जा सकता है और कुछ दुर्लभ मामलों में केन्द्र द्वारा स्वत: ही लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा का स्तर

*22. **श्री रामदास आठवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार द्वारा मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र है, शिक्षा के स्तर के विभिन्न मानदंडों के संबंध में समय-समय पर विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों का मूल्यांकन करती है। उच्चतर शिक्षा के स्तर में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। शामिल न किए गए राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं की स्थापना, विश्वस्तरीय मानकों को पूरा करने वाले राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालयों आदि की स्थापना के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के विस्तार हेतु ग्यारहवीं योजना में योजनागत आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई। मौजूदा संस्थाओं की क्षमता के विस्तार, उच्चतर शिक्षा की नई संस्थाओं की स्थापना, कम सकल नामांकन अनुपात जिलों में मॉडल कॉलेजों की स्थापना तथा देश के सुविधाविहीन तथा अल्प सुविधा वाले जिलों में 600 पॉलीटेक्नीकों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव किया गया है।

केन्द्र सरकार ने अध्यापन व्यवसाय के प्रति प्रतिभावान अभ्यर्थियों को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए अध्यापकों के लिए संशोधित वेतन पैकेज की घोषणा की है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के स्तर के सुधार हेतु कई योजनाएं कार्यान्वित की हैं तथा एक सत्र पद्धति को आरंभ करने, पाठ्यक्रम तथा श्रेयांक आदि को नियमित रूप से अद्यतन बनाने जैसे शैक्षिक सुधारों के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपाय भी शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि क्या देश में उच्च स्तर की शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया गया है या नहीं? इसका उत्तर आया है कि नहीं किया गया है। मेरा मतलब इतना ही था कि उच्च शिक्षा में हम लोगों को अच्छी प्रगति करने की आवश्यकता है। आज उच्च शिक्षा लेने वाले शेड्यूल्ड कास्ट्स के स्टूडेंट्स कितने हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स कितने हैं, गरीब स्टूडेंट्स कितने हैं या और कोई भी जाति के स्टूडेंट्स हों वे कितने हैं, उच्च शिक्षा में हमारी कितनी प्रगति हो रही है और कुल कितने स्टूडेंट्स ऑल इंडिया में हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अन्तर्गत कम से कम 400 यूनिवर्सिटीज आती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्वैश्चन पूछिए।

श्री रामदास आठवले : मेरा प्रश्न इतना ही है कि देश में उच्च शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है और उनमें से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स कितने हैं?

अध्यक्ष महोदय : आपने जो मेन क्वैश्चन पूछा है, उससे आप सप्लीमेंट्री में बिल्कुल अलग हटकर प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल यही प्रश्न है कि देश में कुल कितने स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा ले रहे हैं और उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने स्टूडेंट्स हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया यदि आपके पास विवरण हों तो उन्हें भेजें।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, हम अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों की संख्या यहां एक जगह एकत्रित नहीं रखते हैं। तथापि, महोदय, आज उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जनगणना के अनुसार 11 प्रतिशत है। हमारा प्रयास है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए।

जहां तक अ.जा. एवं अ.ज.जा. समुदायों के छात्रों के बारे में उनकी आशंका का संबंध है, इन बच्चों के लिए बहुतेरे कार्यक्रम हैं और इन्हें लाभ दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों और लाभों के तहत अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप कार्यक्रम, पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप, स्नोकोत्तर फेलोशिप, विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित करना, उपचारी कोचिंग कक्षाएं, अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कमजोर तबकों के लिए भी कोचिंग कक्षाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है श्री आठवले कि आप संतुष्ट होंगे। क्या आपका कोई और अनुपूरक प्रश्न है?

श्री रामदास आठवले : जी हां, *[हिन्दी]* मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि शिक्षा देने की जिम्मेदारी भारत के संविधान के मुताबिक सरकार की है, लेकिन सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को परमीशन देकर कैपीटेशन फी या डोनेशन वगैरह की परिपाटी बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना प्रश्न रखिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : मेरा कहना इतना ही है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को परमीशन नहीं देनी चाहिए। अगर आप देते हैं तो फिर जो गरीब विद्यार्थी हैं या एस.सी. एस.टी. के विद्यार्थी हैं, ऐसे लोगों की डोनेशन और कैपीटेशन फीस देने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, नहीं तो आज शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। इसीलिए गरीब स्टूडेंट्स को शिक्षा नहीं मिल रही है। मैरिट की बात होती है, लेकिन एम.बी.बी.एस. और इंजीनियरिंग के लिए 50 लाख रुपये देकर लोग एडमीशन लेते हैं, मेरा सवाल इतना ही है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन रोकना चाहिए, उसके लिए क्या आप आदेश देंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा के प्रसार में केन्द्र सरकार के प्रयास में वास्तविक रूप में सहायता दी है। तथापि, प्रतिव्यक्ति शुल्क नियम विरुद्ध है और इसे लिया नहीं जाना चाहिए। यदि कोई विशेष उदाहरण हो तो उसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है।

किन्तु, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि गैर-सरकारी संस्थाएं विश्वविद्यालयों के माध्यम से यू.जी.सी. से विकास निधि के अलावा और कोई सहायता नहीं लेती है। इसलिए, इसके अलावा, मैं नहीं सोचती कि हम गैर-सरकारी संस्थाओं के बारे में कुछ कह सकते हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : सर, मूल मसला क्वालिटी एजुकेशन का पैदा हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस से क्वालिटी एजुकेशन बड़ा जोर पकड़ रही है और गवर्नमेंट का जो हाल है, वह बड़ा पीछे जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी क्षमता है कि सरकार एम.पीज., एम.एल.एज., एम.एल.सीज., आई.ए.एस., आई.पी.एस., एजुकेशनिस्ट्स और टीचर्स, इन लोगों के बच्चों के लिए कोई ऐसा कानून बनाये ताकि इन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, जिससे सरकारी स्कूलों का मयार ऊंचा हो सके — क्या सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग है?

अध्यक्ष महोदय : एम.पी. लोगों के लड़के-लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो मैरिट में कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, हम किसी को केवल सरकारी शिक्षा संस्थाओं में ही अध्ययन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। किन्तु, तथापि, मैं इस सदन को बताऊं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया टीका-टिप्पणी नहीं करें।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा में मानक और गुणवत्ता को बढ़ावा देने को अधिदेशित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जोकि जानता है कि गुणवत्ता और उत्कृष्टता एक रात में ही नहीं आ सकती है, ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू किए हैं कि सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनकी टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, उदाहरण के लिए हमारे यहां शैक्षिक कर्मचारी महाविद्यालय है जिनकी संख्या 57 है और जो वास्तव में शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है ताकि पाठन-पठन प्रक्रिया को उन्नत बनाया जा सके। विभिन्न सरकारी संस्थाओं में विशेष सहायक कार्यक्रम भी होते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचनाओं को मजबूत करने के लिए सहायता भी दी जाती है। उत्कृष्ट क्षमता वाले विश्वविद्यालयों की पहचान की जाती है; उत्कृष्ट क्षमता वाले केन्द्रों की पहचान की जाती है; उत्कृष्ट क्षमता वाले महाविद्यालयों की पहचान की जाती है और उन सभी को सहायता दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : किसी पर कोई विशेष अनुग्रह नहीं किया जाता है।

प्रो. बसुदेव बर्मन : महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। माननीय मंत्री महोदया ने केवल एक मुद्दे का उत्तर दिया है, सभी मुद्दों का नहीं।

मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं। अब तक एन.ए.ए.सी. द्वारा कितने विश्वविद्यालयों तथा आई.आई.टी. का मूल्यांकन किया गया है? इनमें से कितने संस्थान एन.ए.ए.सी. के मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं जिसमें उच्च गुणवत्तावाला शोध भी शामिल है?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : यह अनिवार्य नहीं है कि ये संस्थान एन.ए.ए.सी. से अपना मूल्यांकन कराएं। परन्तु, फिर भी, हम यह अच्छी तरह समझते हैं कि अपना मूल्यांकन करवाने से उच्चतर शिक्षा में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में वस्तुतः सुधार होगा। परन्तु जहां तक एन.ए.ए.सी. द्वारा मूल्यांकन किए गए संस्थानों की संख्या का संबंध है मैं सदस्यों को यह आंकड़ा भेज दूंगी।

[हिन्दी]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल : महोदय, मैं लाल सिंह जी की बात को थोड़े अलग तरीके से क्लियर करना चाहता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार काफी कुछ हायर एजुकेशन के लिए कर रही है, ताकि अमीर लोगों के बच्चे और अच्छी तरह से हायर एजुकेशन ले सकें। यह सच है कि सरकार कंपेल नहीं कर सकती कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एमपीज या एमएलएज के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, लेकिन सरकार यह तो कर ही सकती है कि जहां गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां विशेष तौर पर टीचर्स प्रोवाइड किए जा सकें, क्योंकि आज जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जहां न तो टीचर्स हैं और न ही इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसे तो सरकार प्रोवाइड कर सकती है। जहां टीचर नहीं है, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां हायर एजुकेशन की बात तो तब होगी, जब गरीब बाप का बेटा या गरीब बाप अपने बेटे की एजुकेशन के लिए सोच सकेगा। हमारे यहां प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स भी नहीं हैं? क्या केंद्र की सरकार वहां टीचर्स देने के बारे में सोच रही है, ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छी हायर एजुकेशन ले सके?

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। तथापि, उच्च शिक्षा के संबंध में, हम इस लक्ष्य से अवगत हैं कि वहां पर संकाय सदस्यों की कमी है। उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में संकाय सदस्यों की कमी वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत है और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसके लिए हमने संकाय सदस्यों के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 से 65 वर्ष कर दी है। नए वेतन पुनरीक्षा समिति ने भी अपनी सिफारिश दे दी है और यह भी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

अध्यक्ष महोदय : वे प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं। यह राज्य सूची का विषय है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : प्राथमिक शिक्षा राज्य सूची का विषय है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से इसकी जानकारी है और उसने आवश्यक कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीया मंत्री महोदया ने अपने जवाब में कहा है कि *[अनुवाद]* ''...उच्चतर शिक्षा के नए संस्थानों को शुरू करने के लिए निम्न जी.ई.आर. वाले जिलों में आदर्श महाविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए...''

[हिन्दी]

मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या देश के सभी जिलों के अंदर भारत सरकार की ओर से ऐसा एक कालेज खोला जाएगा? आज सभी गांव वाले पढ़ाई के लिए शहर में आते हैं, वहां उन्हें एडमीशन नहीं मिलता है और रहने की सुविधा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। आप 600 कालेज....

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : मैं आपका समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए अच्छे टैलेंटेड टीचर्स, प्रोफेसर रखने की आवश्यकता है। प्राइवेट कालेजों के अंदर अपनी मर्जी से प्रोफेसरों को रखा जाता है, जिससे वहां टैलेंटेड टीचर्स नहीं मिलते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह से स्टेट और सेंटर में जब सर्विस में नियुक्ति की जाती है, क्या हर ऐसे प्राइवेट कालेज में भी भारत सरकार के द्वारा, एग्जामिनेशन लेने के बाद ही, नियुक्ति देने का कोई प्रपोजल है या ऐसी नियुक्ति की जाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुख्य प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछें।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : हमने कम साक्षरता दर वाले 374 जिलों की पहचान की है और हमलोग राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वे आगे आएं और इन सभी क्षेत्रों में कॉलेज स्थापित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का लाभ उठाएं। परन्तु निजी संस्थाओं में संकाय के संबंध में प्रत्येक संस्थान को अपना शैक्षणिक वर्ष शुरू करने से पहले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) से पूर्वानुमति अथवा मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

उन्हें अनुमति दिए जाने की प्रक्रिया में एक निरीक्षण दल होता है जो वहां पर जाता है और बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करता है जिनमें संकाय सदस्य का निरीक्षण भी शामिल हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित किए जाने के बाद ही कि संकाय सदस्य (फैकल्टी) और बुनियादी सुविधाएं वहां पर हैं, इन संस्थानों को अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, जिसमें 13 हजार करोड़ रुपये से ऊपर खर्च कर रही है। दूसरी तरफ हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जो ग्लोबल फिनॉमिना है, उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने की दिशा में जो स्टैप्स लिए जा रहे हैं, उसमें जो वंचित वर्ग या गरीब बच्चे-बच्चियां हैं, महंगी शिक्षा को सस्ता करने की दिशा में या समता मूलक शिक्षा उच्च स्तर पर देने की कोई पहल सरकार कर रही है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, मैंने पहले ही उठाए गए कदमों की सूची प्रस्तुत कर दी है। एक ऋण योजना भी है जिस पर अब विचार किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित है।

अब, श्री एन. जनार्दन रेड्डी आखिरी प्रश्न पूछेंगे। मैंने पहले ही सात अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दी है। इसलिए अब और कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : माननीय मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई स्कीमें चला रहा है परन्तु आम शिकायत यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्कीमों का समुचित तरीके से वितरण और परिचालन नहीं किया जाता है और महाविद्यालयों को इनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है जिससे कि वे इन स्कीमों को कार्यान्वित कर सकें। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी स्कीमों के परिचालन और संस्वीकृति के लिए कौन से तरीके अपना रहा है?...*(व्यवधान)*

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों, शिक्षा मंत्रियों तथा विश्वविद्यालयों के साथ भी लगातार सम्पर्क में है। जो भी नयी स्कीमें चलाई जाती हैं, राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को उन सभी के बारे में बताया जाता है। विश्वविद्यालय अपने प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज सकते हैं और आवश्यक विकास निधि विश्वविद्यालयों के माध्यम से महाविद्यालयों को दी जाती है।

निर्यात लक्ष्य

\+

***23. श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वर्ष 2008-09 के दौरान अपना निर्यात लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा, जैसा कि दिनांक 07 जनवरी, 2009 के "मिंट" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इसका अर्थव्यवस्था पर क्षेत्रवार क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) दिनांक 11 अप्रैल, 2008 को विदेश व्यापार नीति के वार्षिक पूरक अंक की घोषणा करते समय सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए 200 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया था।

परवर्ती वैश्विक वित्तीय संकट और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक मंदी के कारण 200 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना नहीं है। भारत के निर्यातों पर वैश्विक मंदी का प्रभाव रत्न एवं आभूषण, वस्त्र एवं परिधान, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, चर्म एवं चर्म उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा प्लास्टिक एवं लिनोलियम जैसे क्षेत्रों में अधिक देखा गया है; इन क्षेत्रों में रोजगार भी प्रभावित हुआ है।

(ग) सरकार और आरबीआई द्वारा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों, दोनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आरबीआई ने ऋण लागत को कम करने तथा रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर), नकद आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) आदि में कमी कर व्यापार एवं उद्योग हेतु नकदी में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। निर्यात वृद्धि दर में गिरावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछेक कदम संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम

(1) निर्यात हेतु निम्नलिखित श्रम गहन क्षेत्रों को दिनांक 30.09.2009 तक 2% की ब्याज छूट प्रदान की गयी है:—

वस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, चर्म, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा एसएमई;

(2) निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों के लिए 350 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध की गई;

(3) विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) में हस्तशिल्प मदों को शामिल किया गया;

(4) माने गए निर्यातों पर सीएसटी/अंतिम उत्पाद शुल्क/शुल्क प्रतिअदायगी के दावों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए 1100 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए।

(5) शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) स्कीम को 31 दिसम्बर, 2009 तक जारी रखना;

(6) जिन मदों पर नवम्बर, 2008 में डीईपीबी दरें कम की गयी थीं उन समस्त मदों पर डीईपीबी दरों को बहाल करना और 1 सितम्बर, 2008 से कुछेक मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी दरें लागू करना।

(7) ईसीजीसी को 350 करोड़ रु. तक समर्थन गारंटी उपलब्ध कराई गई ताकि वह दुर्गम बाजरों/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटियां प्रदान कर सके;

(8) टीयूएफ के पिछले दावों का निपटान करने के लिए वस्त्र क्षेत्र हेतु 1400 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई;

(9) लौह अयस्क फाइंस पर निर्यात शुल्क समाप्त किया गया और लम्प्स के लिए इसे घटाकर 5% किया गया;

(10) निर्यातों पर सेवाकर वापसी से संबंधित कुछेक लम्बित मुद्दों का निपटान किया गया;

(11) निर्यातकों के लिए विलंब में कमी करने हेतु अनेक प्रक्रियागत मुद्दों के फास्ट ट्रैक समाधान हेतु वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें राजस्व एवं वाणिज्य विभाग के सचिव शामिल हैं।

(12) मुख्यत: महत्वपूर्ण ग्रामीण/अवसंरचना तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए चालू वर्ष में 20,000 करोड़ तक का अतिरिक्त योजनागत व्यय;

(13) पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जिनके संबंध में वर्तमान दर 4% से कम थी सभी उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क में 4% की समान दर से कमी की गयी;

(14) पात्र अवसंरचना परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण हेतु करमुक्त बंधपत्रों के जरिए 40,000 करोड़ रु. जुटाने के लिए आईआईएफसीएल को प्राधिकृत किया गया;

(15) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा गृह ऋण के कर्जदारों हेतु विशेष पैकेज;

(16) अतिलघु एवं लघु उद्यमों के लिए ऋणों पर ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत गारंटी कवर 50% के गारंटी कवर के साथ दोगुना कर 1 करोड़ रु. किया गया। ऋण गारंटी निधि न्यास द्वारा प्रदत्त गारंटी कवर को 5 लाख रु. तक की ऋण सुविधा हेतु बढ़ाकर 85% किया गया। ऐसे सम्पार्श्विक मुक्त ऋणों में अवरुद्ध अवधि में कमी की गयी;

(17) विद्युत क्षेत्र हेतु नैफ्था पर आयात शुल्क समाप्त किया गया;

(18) टीएमटी छड़ों और संरचनाओं तथा सीमेंट पर सीबीडी समाप्त किया गया;

(19) जस्ता एवं फेरो-एलॉय पर मूल सीमाशुल्क से छूट समाप्त की गयी;

(20) जनवरी से मार्च, 09 तक खरीदे जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए 5% का संवर्धित मूल्य ह्रास प्रदान किया गया;

(21) राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषण व्यय हेतु राज्यों को चालू वित्त वर्ष में लगभग 30,000 करोड़ रु. की राशि तक अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% का अतिरिक्त बाजार उधार जुटाने की अनुमति दी जाएगी;

(22) नियमित निगरानी तंत्र:

(क) सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि अपेक्षानुसार आगे और सुधारात्मक उपाय तुरंत किए जा सकें। इस संबंध में सरकार ने दो उच्चस्तरीय समितियां गठित की हैं:

(i) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ दल जिसमें वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उपाध्यक्ष (योजना आयोग), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शामिल हैं;

(ii) वर्तमान वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय संकट के संबंध में व्यापार एवं उद्योग जगत तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करने तथा शीर्षस्थ दल के लिए कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु नियमित रूप से बैठक करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की समिति जिसमें वित्त सचिव, वाणिज्य सचिव, सचिव (डीआईपीपी), सचिव (योजना आयोग) शामिल हैं।

(ख) एमएसएमई के ऋण संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु राज्यस्तरीय बैंककार समिति की मासिक बैठक की बैठकों की प्रगति पर संयुक्त रूप से निगरानी रखने के लिए एमएसएमई विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग।

(ग) केन्द्रीय परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन एवं कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक निगरानी समिति।

श्री मधु गौड यास्खी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में 80 वर्ष में सबसे बड़ी मंदी से सर्वाधिक प्रभावित कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया है। उन्होंने आईटी क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, का उल्लेख नहीं किया है। आईटी क्षेत्र में 80 प्रतिशत से ज्यादा आय निर्यात से होती है और इसमें भी 75 प्रतिशत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। महोदय, आपके माध्यम से, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास बन्द हुए निर्यात इकाइयों की संख्या, इसके कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में, कोई आंकड़ा है। माननीय मंत्री महोदय इससे संबंधित सरकार के पास क्षेत्र-वार उपलब्ध आंकड़ा और निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए पूर्व के कदमों की समीक्षा से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराए।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक-एक कर अनेक अनुपूरक प्रश्नों को मिला दिया है।

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, माननीय सदस्य ने अत्यन्त उपयुक्त प्रश्न पूछा है। हम सभी जानते हैं कि इस सरकार के प्रथम चार वर्षों में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो औसत संचयी आधार पर 23 प्रतिशत की औसत वृद्धि है। वर्ष 2004 में जब हम सत्ता में आए निर्यात का मूल्य 63 अरब डॉलर था। वर्ष 2007-08 में बढ़कर यह 162 लाख डालर हो गया। यह सत्य है कि अप्रैल, 2008 में जब विदेशी व्यापार नीति के वार्षिक अनुपूरक की घोषणा

हुई तब हमारा निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य 200 अरब डॉलर का था। दुर्भाग्य से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी जिसका सभी देशों से होने वाले निर्यात पर वास्तव में नकारात्मक असर पड़ा था। यह भी सत्य है कि हमारा अधिकांश निर्यात विकसित देशों को होता है और मांग में कमी, खपत और खर्च में कमी के कारण स्वभाविक रूप से हमारे निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

कुछ क्षेत्रों को मैंने ज्यादा प्रभावित इसलिए बताया हैं क्योंकि ये क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील है और इनमें रोजगार में कमी आई है। आईटी क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है लेकिन उस सीमा तक प्रभावित नहीं हुआ है जितना ये क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। सरकार के पास एक महत्वपूर्ण नीति है। हमने दिसम्बर और जनवरी में दो उत्प्रेरक प्रदान किया है और हम निरन्तर निगरानी कर रहे हैं कि और क्या किए जाने की आवश्यकता है।

मैंने सूचीबद्ध किया है और मैं माननीय सदस्य को अलग से यह उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए 22 कदमों को दर्शाया गया है।

इसमें कुछ क्षेत्रों के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता, नवम्बर 2008 से डीईपीबी दरों का पुर्नस्थापन; 1 सितम्बर, 2008 से शुल्क ड्यूटी ड्राबैक दरों में वृद्धि; और लघु और मध्यम आकार के उद्यमों, जिन पर ज्यादा असर पड़ा है, के लिए ऋण गारंटी स्कीम, उनमें से कुछ नाम है, शामिल है।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि जहां तक विश्व आर्थिक परिणामों का संबंध है वर्ष 2009 एक कठिन वर्ष होगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कुल मात्रा में गिरावट आएगी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा क्रय की कुल मात्रा में भी कमी आएगी। इस स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है और हमें आशा है कि 2010 के आरम्भ तक स्थिति में सुधार आएगा। इस बीच हमने अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। मूल रूप से अर्थव्यवस्था मनःस्थिति द्वारा चलती है और व्यय और उपभोग में मनःस्थिति वैश्विक मंदी की है। लेकिन इस सरकार ने उपलब्ध साधनों के अंतर्गत हमारे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ आवश्यक था वह किया है।

श्री मधु गौड यास्खी : महोदय, निर्यातक 150 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। मंत्रालय ने एक प्रेस वक्तव्य में स्वीकार किया है कि अगस्त से 1.5 मिलियन रोजगार समाप्त हो गए हैं और यदि इसी प्रकार की मंदी चलती रही तो और 5 लाख लोगों का रोजगार खत्म होने की आशंका है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया दूसरे माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनके सामने चहल कदमी न करें। कृपया ऐसा न करें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। आपको ये बातें सीखनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मधु गौड यास्खी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा। बेरोजगार हुए लोगों के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और उद्योग को सहायता देने के लिए उठाए गए कदमों से रोजगार में और कटौती होगी। उन लोगों के लिए क्या किया गया है जो पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं?

श्री अश्विनी कुमार : महोदय स्थिति की वास्तविकता यह है कि एक बढ़ती अर्थव्यवस्था में हम ज्यादा रोजगार सृजित करते हैं एक मंदी की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था में रोजगार पर अपरिहार्य रूप से असर पड़ता है। आज की सरकार मंदी की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रमाणों को कम कर सकती है और उन उपायों को करते हुए जो हमने किए हैं, हमने ठीक वही करने का प्रयास किया है।

मैंने हथकरघा, कपड़ा, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, चमड़ा इत्यादि उद्योगों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र हैं। इसलिए निर्यात और आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए किए गए 22 उपायों में हमने उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है जो ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं ताकि वे लाभप्रद और प्रतिस्पर्धी बने रहें और हम यह सुनिश्चित कर सके कि घटते रोजगार को न्यूनतम सम्भव सीमा तक सीमित रखे।

अध्यक्ष महोदय : श्री एकनाथ एम गायकवाड — उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि निर्यात का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि विश्व की आर्थिक मंदी का असर हमारे देश में निर्यात के क्षेत्र में बहुत अधिक हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी कम्पनियां, जो निर्यात के काम में लगी थीं, बंद हो गयी हैं, इस कारण कितने हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, कितने लोग बेकार हो गये और क्या बैंकों ने उन कम्पनियों को फाइनेंस...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न इससे नहीं उठता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह इसी से रिलेटेड क्वैश्चन है। बैंकों ने उन निर्यात करने वाली कम्पनियों को फाइनेंस करना ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फिर भी मैं इसे प्रतिबन्धित नहीं किया है क्योंकि माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देने के इच्छुक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आंकड़े मुझसे पूछे हैं, मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज इन आंकड़ों को सैंट्रली टेबुलेट करती हैं, मैं ये आंकड़े लेकर आपको दे दूंगा, मगर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक मोटी बात बताना चाहता हूं कि क्रेडिट स्क्वीज हुआ है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि विश्व की आर्थिक मंदी के चलते हुए बैंकों की स्थिति बहुत कमजोर हो गयी। बहुत से बैंक लिक्विडेट हो गये और उनसे जो क्रेडिट हमें मिलता था, यह प्रभावित हुआ। उसके चलते इंटरेस्ट की दर बढ़ गयी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीमी हो गयीं और हमारी इंडस्ट्रीज नॉन कॉम्पीटिटिव हो गयीं। ये मुख्य कारण हैं। मगर किस क्षेत्र में मंदी का कितना प्रभाव पड़ा, मुख्तलिफ मंत्रालयों ने इसका प्रिलिमनरी सर्वे किया है। वह जानकारी इस सवाल से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं वे आंकड़े लेकर माननीय सदस्य को भेजने की व्यवस्था करूंगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास हमारे निर्यात क्षेत्र पर वैश्विक गिरावट और मंदी के प्रभाव से संबंधित क्षेत्र-वार आंकड़े है? ऐसा बताया गया है कि सूरत और देश के कुछ भागों में हीरातराशों ने आत्महत्या की हैं। सरकार द्वारा प्रभावित लोगों तथा इस प्रभाव के परिणामस्वरूप नौकरी खोने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री अश्विनी कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 200 बिलियन डालर के निर्यात लक्ष्य की तुलना में, चाहे हम किसी भी प्रकार का विश्लेषण करें, तब भी इस स्थिति में हमें विश्वास है कि हम 172 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैंने प्रभाव के क्षेत्र-वार आंकड़ों के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका तत्काल उत्तर देना संभव नहीं है। यह प्रश्न की सीमा से बाहर है।

श्री अश्विनी कुमार : हमें आशा है कि हम लगभग 175 बिलियन डालर का आंकड़ा पार कर लेंगे। महोदय, भारत के लिए यह संतोषजनक है कि हमारी अर्थव्यवस्था मूलतः घरेलू मांग और खपत पर आधारित है। यही कारण है कि जब समग्र विश्व में विकास की दर नीचे जा रही है वही भारत में अभी भी सकल घरेलू उत्पाद की दर लगभग 7 प्रतिशत होने की संभावना है। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए संतोष की बात होनी चाहिए।

श्री रूपचंद पाल : मैंने क्षेत्र-वार आंकड़ों के बारे में पूछा था।

श्री अश्विनी कुमार : मैं उस पर आ रहा हूं। जहां तक नौकरी के खोने के कारण हुई गरीबी और तंगहाली को दूर करने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का संबंध है तो इन सभी कदमों का आशय विभिन्न क्षेत्रों में अधिक कार्यकलापों को बढ़ावा देना है जिससे कि पुनः नौकरियों में बढ़ोतरी होगी। जहां तक विशिष्ट क्षेत्रों उदाहरण के लिए सूरत में हीरा तराश उद्योग जिसका माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया है, का संबंध है तो हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका यथासंभव पुनर्वास किया जा सके, राज्य सरकार के परामर्श से कदम उठाए हैं। मैं पुनः यह दोहराना चाहूंगा कि वास्तव में ये सभी कदम जवाहरातों और आभूषणों और हीरा तथा सोना उद्योग का संवर्धन करने के लिए तैयार किए गए हैं जिनसे अंततः इस क्षेत्र में तैनात लोगों को ही फायदा होगा। यह एक समष्टिगत दृष्टिकोण है। सरकार केवल समष्टिगत दृष्टिकोण ही अपना सकती है। हम उनकी गरीबी से अनजान नहीं हैं। हमेशा से सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता बेहतर नौकरियां और आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना ही रहा है। हमें इस दिशा में निरंतर भरसक प्रयास करते रहने चाहिए।

खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध

+

*24. **श्री किन्जरपु येरननायडु :**

श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खिलौनों में विषैले संदूषण होने के समाचार के कारण चीन से खिलौनों के आयात पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि प्रतिबंध कितनी अवधि के लिए लगाया गया हैं; और

(घ) इस प्रकार के आयात को रोकने और साथ ही घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) दिनांक 23.01.2009 की अधिसूचना सं. 82/(आरई-2008)/2004-09 द्वारा सरकार ने आईटीसी कोड 9501, 9502, 9503 के अंतर्गत वर्गीकृत खिलौनों के चीन से होने वाले आयात को 6 माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। चीन से खिलौनों के आयात पर यह प्रतिबंध चीन के खिलौनों के प्रयोक्ताओं के सम्मुख स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की चिंताओं के प्रत्युत्तर में लगाया गया है। यह प्रतिबंध एक अंतरिम उपाय है जिसके दौरान सरकार का उद्देश्य भारत में खिलौना पर लागू अनिवार्य मानकों की अधिसूचना हेतु मुद्दे की विस्तृत जांच करना है।

अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के साथ संयुक्त रूप से भारतीय खिलौना उद्योग के विकास हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। इस कार्यक्रम में भारत में सुरक्षित खिलौनों के उत्पादन का संवर्धन करने की अपेक्षा की गयी है। इसके अलावा, खिलौनों का निर्यात संवर्धन करने के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत खिलौनों को फोकस बाजार स्कीम में शामिल किया गया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, मैं चीन से आयातित हानिकारक और विषैली सामग्री से बने खिलौनों, जिनकी बिक्री से बने खिलौनों, जिनकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पर आम चिंता का समर्थन करता हूं। ये खिलौने सस्ते और देखने में बेहद आकर्षक हो सकते हैं लेकिन यह पाया गया है कि ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और वयस्कों को भी प्रभावित कर सकते हैं। पूर्व में 29 अगस्त 2007 को मंत्री जी ने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि ये खिलौने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते और वर्ष 2006 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा मुम्बई और दिल्ली में कराए गए सर्वेक्षण ये यह पता चला है कि इन खिलौनों में हानिकारक रसायन अत्यधिक मात्रा में विद्यमान हैं। यद्यपि काफी समय पहले अध्ययन किए गए हैं और इसके हानिकारक प्रभावों की पहचान की गई है, तथापि सरकार द्वारा चीन से आयातित होने वाले खिलौनों को प्रतिबंधित करने का निर्णय नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी दे रहे हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि 23 जनवरी, 2007 की अधिसूचना के अनुसार चीन से आयातित होने वाले खिलौनों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। यह निर्णय लेने में इतने वर्ष क्यों लग गए? यह निर्णय पिछले माह की 23 तारीख को अधिसूचित हुआ है। लेकिन यह जानकारी सभी को है कि हानिकारक खिलौने जिनमें हानिकारक धातुएं जैसे कैडमियम और लेड पाया जाता है, अभी भी बाजार में बेचे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप चीनी खिलौनों न कि अन्य वस्तुओं से संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने बाजार में उपलब्ध इन सभी खिलौनों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

अध्यक्ष महोदय : 'इन सभी नहीं' केवल चीनी खिलौनों को।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मैं चीन से आयातित खिलौनों के बारे में ही बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री अश्विनी कुमार : क्या मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूं क्योंकि माननीय सदस्य अच्छी तरह से वाकिफ है कि मुम्बई उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के अनुसरण में और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में 4 दिसम्बर, 2008 को हमने 3 जनवरी तक के लिए सिद्धान्तः इस कारण से चीन से खिलौनों के आयात

पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इन खिलौनों में मानकों के अनुसार अनुमेय सीमा से अधिक सीसा पेंट है। हमने 71 वस्तुओं हेतु ये कदम उठाए हैं जिनमें से 52 वस्तुओं में सीसा पेंट घटक था और हमने ऐसा करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं।यह सही है कि पहले भी कई समितियों की रिपोर्ट थी और इनमें आईसीएमआर, स्वास्थ्य मंत्रालय, जहरीला पदार्थ जहर से संबंधित पर्यावरण और वन एवं औद्योगिक मंत्रालय विष-विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत/प्रकाशित की गई गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की रिपोर्टें शामिल थी। हम इन सभी रिपोर्टों पर विचार कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जल्द ही हम मानकों से संबधित विशिष्ट कानून और नीति को यथा-स्थान रखने के लिये सिफारिशों के साथ उपस्थित होंगे और उन्हें लागू किया जाएगा। इसलिए, अब तक जो समस्या रही है अच्छे या बुरे कारण से, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। — वह यह कि सीसा के अवयव से जुड़े बीआईएस मानकों को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, ये निर्देशालय ही रहे हैं। इसलिए, इन मानकों को लागू करने में कुछ कठिनाईयां हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद एक समिति बनायी गई है और सचिवों की समिति सिफारिश देंगी। इसलिए हम यह कोशिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम रूप से जो भी मानक स्वीकार किया जाता है, उन्हें लागू किया जाए....।

अध्यक्ष महोदय : चीनी खिलौनों के संबंध में?

श्री अश्विनी कुमार : जी, हां।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, सरकार को घरेलू खिलौना उद्योग को संरक्षित करना है। व्यापक स्तर पर चीन से तस्करी हो रही है। यह सही है कि चीनी खिलौनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए तस्करी कैसे रोकी जाएगी...।

अध्यक्ष महोदय : आप इन तस्करों का नाम मंत्री जी को दें।

श्री अश्विनी कुमार : प्रत्येक दिन मीडिया इस बारे में रिपोर्ट दे रहा है। चीन से भारत में बहुत अधिक तस्करी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं, भारत के खिलौने खूब बिक रहे हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : भारतीय खिलौना उद्योग को बचाने के लिए चीन से तस्करी को कैसे रोका जाए?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सूचना दे सकता हूं — मैं खिलौना निर्माण प्रशिक्षण संस्थान का अध्यक्ष हूं। मैं खिलौना उद्योग के बारे में भली भांति जानता हूं।

श्री अश्विनी कुमार : जहां तक तस्करी का संबंध है, यह प्रर्वतन का मामला है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि घरेलू उद्योग को तस्करी से बचाने के लिए हर कदम उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : खिलौना उद्योग बहुत अच्छा चल रहा है, कृपया उनकी मदद कीजिए।

श्री एस.के. खारवेनथन : मेरा प्रश्न इसी क्षेत्र के देशी उद्योग के बारे में है। देश में लगभग 50 प्रतिशत खिलौने असंगठित और लघु उद्योग क्षेत्र में बनाए जाते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने भारतीय घरेलू उद्योग को अधिक लाभ देने के लिए कोई कदम उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री एस.के. खारवेनथन : मैं विशेष तौर से यह प्रश्न पूछ रहा हूं — (इसका भाग 'घ') — सरकार द्वारा ऐसे आयात को रोकने के लिए और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने इसे ठीक कर दिया।

श्री एस.के. खारवेनथन : देश में लगभग 50 प्रतिशत खिलौनो का निर्माण असंगठित और लघु उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपने खिलौने के सुरक्षित बनाने और समाज के सभी वर्गों को खरीदे जाने योग्य भारतीय खिलौने बनाने हेतु जागृति लाने हेतु भारतीय खिलौना निर्माताओं को अधिक लाभ देने के लिए कदम उठाए हैं?

श्री अश्विनी कुमार : यह एक चुनौती है। यह सही है कि खिलौना निर्माण का अधिकांश कार्य लघु और सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र में होता है और यही एक कारण है कि इस मामले में कतिपय मानकों को लागू नहीं किया जा रहा था। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए खिलौना उत्पाद हेतु लघु उद्योग क्षेत्र के साथ काम करेंगे कि वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो और कि हमारा घरेलू खिलौना उद्योग दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में कुछ सूचना दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अभी चीन

से आयातित टॉयज़ पर पाबंदी लगाई है। मैं कहना चाहती हूं कि भारत में भी बहुत सी ऐसी टॉयज़ कम्पनीज हैं, जिनके टॉयज़ में हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, खासकर जीरो टू वन ईयर के बच्चों के लिए जो टीदर या टॉयज़ होते हैं, जो लोकल टॉयज़ बनाने वाली कम्पनीज हैं, उनके ये खिलौने बड़े हार्मफुल होते हैं, दो-तीन ब्रांडेड कम्पनीज को छोड़ दें, क्योंकि उनके खिलौने बहुत महंगे हैं। जो लोकल-मेड टॉयज़ हैं उनमें कई तरह के हार्मफुल कैमिकल्स पाये जाते हैं, उनकी मान्यता किस तरह से तय की जाती हैं क्योंकि वे सरेआम मिलते हैं। दूसरे, कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं, जिनसे बच्चों में हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। क्या उनके लिए कोई मापदंड तय किये जा रहे हैं?

श्री अश्विनी कुमार : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि जहां तक स्टैंडर्डस का सवाल है चाहे वे विदेशी टॉयज हों या डौमैस्टिक हों, स्टैंडर्डस एक ही तरह लागू किये जाएंगे। हमारी यह ख्वाहिश हैं कि देश में बनने वाले जो खिलौने हैं, जिनका असर बच्चों की सेहत पर पड़ता है, जिनसे बच्चे खेलते हैं, वे हर तरह से ई-स्टैंडर्डस के अनुकूल हों। ई-स्टैंडर्डस बीआईएस ने अभी तय किये हैं जो हमारे डौमैस्टिक खिलौनों की इंडस्ट्री पर लागू होते हैं। इन स्टैंडर्डस को आगे कैसे सुचारू रूप से इंफोर्स किया जाए या और किन्हीं स्टैंडर्डस की जरूरत है तो उन्हें भी हम अधिूसचित करेंगे। इसीलिए इस कमेटी का गठन हुआ है। स्टैंडर्डस के मामले में विदेशी और डौमैस्टिक खिलौनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, इंडियन टॉयज इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए अमरीका के साथ हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन केवल टॉयज इंडस्ट्री अफैक्ट हुई है, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाइना की वजह से बाधित हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर हमारी साईकिलें नम्बर-वन साईकिलें थीं।

अध्यक्ष महोदय : टॉय-साईकिलें..

श्री अनंत गंगाराम गीते : टॉय-साईकिलें नहीं, हम कई मामलों में चाइन के सामान से अफैक्टिड हैं। कामर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से यह बात रिलेटिड है। हमारी जो स्माल स्केल इंडस्ट्री है। टॉय इंडस्ट्री है, वैसे ही साईकिल इंडस्ट्री है, वे सब बंद हो गयीं, पूरी गारमेंट इंडस्ट्री बंद हो गयी, छाता बनाने वाली इंडस्ट्री थी...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। यह प्रासंगिक नहीं है। मुझे खेद है; मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, मैं खाली आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जैसे हम टॉयज इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी तरह से हमारी जो दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वे साईकिल बनाने वाले हों, गारमेंट बनाने वाले हों, छाता बनाने वाले हों, इन्हें बचाने के लिए सरकार क्या इसी प्रकार का कोई प्रोग्राम लाने जा रही है?

श्री अश्विनी कुमार : मैं आपके सवाल से सहमत हूं। मेरा यह मानना है कि लघु उद्योग, मध्यम उद्योग जो सबसे ज्यादा रोजगार हमारे लोगों को उपलब्ध कराता है, उसे हमें सुदृढ़ और सुचारू बनाना है। इसी तरह की स्कीम हम और क्षेत्रों में भी ला रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे लघु उद्योग ने खुद ही यह तय किया है कि अगर हमें बचना है तो हमें कंपीटिटिव होना पड़ेगा, क्वालिटी भी बेहतर बनानी पड़ेगी। आज जो कंजम्पशन पैटर्न है, लाइफ स्टाइल है उसमें लोग सस्ती चीजें नहीं चाहते हैं, वे कहते हैं कि हम पैसा ज्यादा देंगे, लेकिन चीजें हमें अच्छी बनाकर दो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हमने डिपार्टमेंट बनाया है इसका मेन काम ही यह है कि हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री किस तरह सुदृढ़ हो, किस तरह कंपीटिटिव हो, उसके लिए क्या करना है, उसे वे कर रहे हैं। अगर कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए तो मुझे आपको देने में खुशी होगी, उसे मैं आपको अलग से प्रदान कर दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, अब हम युवा सदस्य को मौका दें।

प्रश्न सं. 25, श्री अनुराग सिंह ठाकुर

[हिन्दी]

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

+

*25. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मियों के पास बढ़ती आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए पर्याप्त और प्रभावी हथियार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पुलिस बलों को आधुनिकीकरण बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संविधान की VII अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है। इसलिए अपने पुलिस बलों को आधुनिक हथियार आदि से उपयुक्त ढ़ंग से सज्जित करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

(ख) और (ग) तथापि, केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ स्कीम) के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने पुलिस बलों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के संसाधनों में सहायता प्रदान करती रही है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों को आधुनिक हथियार हासिल करने, आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों का निर्माण करने, आवाजाही, संचार/सुरक्षा/विधि विज्ञान उपकरण, आसूचना शाखाओं को सुदृढ़ करने, प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना और सुविधाओं आदि के लिए सहायता दी जा रही है। एम पी एफ स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं को तैयार करती हैं, जिसपर गृह मंत्रालय द्वारा विचार एवं अनुमोदन किया जाता है और फिर राज्यों को निधियां निर्गत की जाती हैं।

इस केन्द्रीय सहायता से हथियारों की संख्या और मारक दूरी दोनों ही मामले में राज्य पुलिस बलों द्वारा हथियारों को प्राप्ति में दीर्घकालीन सुधार हुआ है। एम पी एफ स्कीम के अंतर्गत 2000-01 से 2006-07 के दौरान राज्य पुलिस बलों द्वारा प्राप्त किए गए उन्नत हथियारों की संख्या निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	हथियार	2000-01 से 2006-07 के दौरान प्राप्त की गई संख्या
1.	आई एन एस ए एस राइफलें	81262
2.	एके-47 राइफलें	33618
3.	9 मि.मी. कार्बाइन	10603
4.	एस एल आर 7.62	65403

राज्य सरकारें अपने ही द्वारा आकलित आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी एम पी एफ कार्रवाई योजनाओं में आधुनिक हथियारों को शामिल करती है।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो विवरण दिया गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि संविधान के अनुसार पुलिस राज्य का विषय है लेकिन केन्द्रीय सरकार पुलिस को राज्य का विषय बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। भारत में पिछले पांच वर्षों में सैंकड़ों आंतकवादी हमलों में हजारों निर्दोष लोगों की जान गयी है। हमने समय-समय पर सरकार को आतंकवाद का नकेल कसने के लिए कठोर कानून लागू करने के साथ-साथ, सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण करने पर भी जोर दिया। जिस गति से आतंकवादी संगठन और उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं, पुलिस बलों पर भी दबाव बढ़ा है, लेकिन उन्हें मिलने वाली सुविधाएं, उन पर पड़ने वाले दबाव के दसवें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं। भारत में पुलिस और नागरिकों का अनुपात 1 के मुकाबले 950 है जो कि दुनिया में सबसे कम अनुपात माना जाता है। रूस में अनुपात 1 के मुकाबले 82 और अमरीका में 1 के मुकाबले 50 है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और राज्य सरकारों को कितना धन उपलब्ध कराया गया है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न के भाग 'ख' और 'ग' के उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भाग 'क' में मैंने कहा है कि यह प्राथमिक तौर पर राज्य की जिम्मेवारी है। भाग 'ख' और 'ग' में मैंने पुलिस बल योजना के आधुनिकीकरण और इसके लिए उठाए गए जो विभिन्न कदमों का ब्यौरा दिया है। जहां तक वर्ष 2001 में इस योजना के आरम्भ से राज्य सरकारों को दी जा रही धनराशि का संबंध है, हमने आठ वर्ष के प्रत्येक वर्ष में धनराशि खर्च किया है, प्रथम वर्ष में 1000 करोड़ रु., दूसरे वर्ष में 1000 करोड़ रुपया, तीसरे वर्ष में 695 करोड़ रु. और चौथे वर्ष 703 करोड़ रुपया। चूंकि संप्रग सरकार वर्ष 2004-05 में सत्ता में आई और इससे आगे 957 करोड़ रु., 1014 करोड़ रु. की धनराशि खर्च हुई तथा वर्ष 2006-07 में हमने 1065 करोड़ रु. की धनराशि जारी की है। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने बाकी है। हमें उपयोगिता प्रमाणपत्रों से पता चलता है कि 949 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं लेकिन शायद ज्यादा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होंगे। वर्ष 2007-08 में हमने 1248 करोड़ रु. जारी किए हैं और वर्ष 2009-2010 में 1645 करोड़ रु. सम्पूर्ण धनराशि है और उपयोग हुई राशि के

आधार पर ही सम्भावित आबंटन की धनराशि 800 करोड़ रु. से कुछ ज्यादा होगी।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस सुधारों हेतु विगत पांच वर्षों में कितने धन की मांग की गई है, कितना धन स्वीकृत किया गया, कितना धन निर्गत किया गया है और शेष धन कब तक दे दिया जाएगा?

इसके साथ-साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बनाने की शुरूआत कर रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरे पास राज्य-वार आबंटन है।

अध्यक्ष महोदय : वे केवल हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : वर्ष 2004-05 में हिमाचल प्रदेश ने 2.57 करोड़ रु. खर्च किया था। वर्ष 2005-06 में खर्च की गई धनराशि 6.78 करोड़ रु. थी, वर्ष 2006-07 में यह 3.56 करोड़ रु. थी और वर्ष 2007-08 में खर्च की गई धनराशि 7.5 करोड़ रु. थी। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें लिखित रूप में भेज सकता हूं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : महोदय, हाल के मुंबई आतंकवादी हमले ने राष्ट्र को एक साथ मिलकर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए जावे। कुछ लोगों का कहना है कि पोटा कानून का पुन: अधिनियमन हो, संघीय जांच एजेन्सी स्थापित की जाए, तथा प्रत्येक राज्य में कमान्डो तैनात किए जाएं। ये सभी सुझाव अच्छे हैं और इनपर विचार किए जाने की जरूरत है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थापित पुलिस स्टेशन, जो कि व्यवस्था की आधारभूत इकाई है, को मजबूत किया जाए। मुंबई आतंकवादी हमलों के साथ पूर्व के सभी विस्फोटों को रोका जा सकता था यदि हमारी आसूचना एकत्रण की गुणवत्ता, प्रतिक्रिया समय संसाधन, कानून, प्रशिक्षण, समन्वय और अन्य बातें अच्छी होती।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने गृह विभाग को पुलिस सुधार के संबंध में निर्देश दिया था लेकिन माननीय मंत्री या सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। यह भाषण देने का समय नहीं है।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस सुधारों पर दिए गए निर्देश की स्थिति के बारे में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : पुलिस सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उच्चतम न्यायालय ने वास्तव में निर्देश दिए थे। अनेक राज्यों ने पुलिस आयोग का गठन नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें पुन: निर्देश जारी किया है। मुझे आज की तारीख में मामले की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। यह मामला इस प्रश्न से नहीं उठता है। पुलिस सुधार एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। अब हमारे पास एक पुलिस मिशन है। पुलिस मिशन ने अपने आपको उप-मिशनों में विभाजित किया है और मेरे विचार से इस माह के अन्त तक या अगले महीने के आरम्भ में उनके द्वारा उप-मिशनों का अलग-अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की आशा है। जब प्रतिवेदन प्राप्त होगा तब मैं उनकी जांच के लिए कदम उठाऊंगा और इन प्रतिवेदनों को कार्यान्वित करूंगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्देश की स्थिति पर एक पृथक प्रश्न की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी इसका उत्तर मेरे पास नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे स्थान पर बैठकर जो आपको आबंटित नहीं किया जाता है, क्यों हर बार अपना हाथ उठाते हैं? आपने पहले ही एक प्रश्न पूछ लिया है और अब तक आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि प्रश्न काल में दूसरा अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

श्री नवीन जिन्दल : महोदय, भारतीय पुलिस बल के वास्तव में आधुनिकीकरण के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। मुख्य रूप से भारतीय पुलिस बल निशस्त्र लोगों से न कि सशस्त्र लोगों और आतंकवादियों से निपटने के लिए अच्छी तरह सुसज्जित है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में आपूर्तित उपकरणों और हथियारों की सूची में 9 एम.एम. के कारबाईन और एस.एल.आर. शामिल हैं। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि ये 9 एम.एम. के कारबाईन दूसरे विश्वयुद्ध के पुराने हथियार है और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जा रहे पिस्टल भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हैं। अत: मैं माननीय

मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या शस्त्रों की गुणवत्ता और भारतीय आयुध फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित गोला-बारूद की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोई योजना है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय माननीय सदस्य बन्दूकों के बारे में मेरे से ज्यादा जानते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार एम.पी.-5 और एम.पी.-9 कारबाईन आधुनिक और अत्याधुनिक कारबाईन माने जाते हैं। मुझे बोर के बारे में जानकारी नहीं है। मैं प्रौद्योगिकी से अवगत नहीं हूं लेकिन एम.पी.-5 और एम.पी.-9 कारबाईन अत्याधुनिक कारबाईन होते हैं।

श्री पी. करुणाकरन : महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा बताया गया पुलिस राज्य का विषय है, लेकिन साथ ही विशेषरूप से हाल के घटनाओं को देखते हुए केन्द्र को ज्यादा सहायता प्रदान करनी चाहिए। पूर्व की चर्चाओं में यह कहा गया था कि तटीय क्षेत्र के समुद्री तट से आक्रमण या खतरों के लिए जिम्मेदारियां है। हमारे यहां 7500 किलोमीटर का तटीय प्रदेश है और केवल केरल में ही 650 किलोमीटर का समुद्र तट है। राज्य के लिए सबों को सुरक्षा प्रदान करना सम्भव नहीं है। मामले की गम्भीरता पर विचार करते हुए क्या सरकार विशेष रूप से तटीय क्षेत्र में तटीय समुद्री गार्डों और पुलिस स्टेशनों के लिए ज्यादा सहायता प्रदान करेगी?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैंने पिछले हफ्ते ही राज्य सरकार के अनुरोध पर केरल के नीनदाकरा में प्रथम तटीय पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है, मैं मलाप्पुरम जिले में एक और पुलिस स्टेशन की स्वीकृति देने के लिए भी सहमत हूं। हम पैसा दे रहे हैं। आपके गृह मंत्री काफी संतुष्ट थे। मुझे आशा है कि आप भी संतुष्ट होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री मोहन सिंह को एक अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए।

[हिन्दी]

मदरसों में शिक्षा

*26. **श्री मोहन सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदरसों का पाठ्यक्रम पुराना पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने तथा अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुदान देकर कुछ मदरसों में अध्यापकों के वेतन के भुगतान की जिम्मेवारी संभालने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा मान्यताप्राप्त मदरसा प्रमाणपत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण-पत्रों के समकक्ष मानने का निदेश भी दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे आधुनिक विषयों के संवर्द्धन की दिशा में भारत सरकार ने नवंबर 2008 में "मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षण प्रदान करने की योजना" नाम से मदरसा आधुनिकीकरण की एक संशोधित योजना तैयार की है ताकि इस योजना का चयन करने वाले मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को औपचारिक शिक्षा के विषयों और व्यावसायिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के समान स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। "मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना" के तहत अधिकतम तीन शिक्षकों के लिए स्नातक शिक्षकों को 6000/- रु. प्रतिमाह और बी. एड. अर्हता प्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षकों को 12,000/- रु. प्रतिमाह का मानदेय अधिसूचित किया गया है।

(च) और (छ) भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्रों को माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के समकक्ष मान्यता, जिन संबद्ध राज्यों में ऐसी समकक्षता पहले से हो, प्रदान करते हुए 30 जनवरी, 2009 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और आधुनिकीकरण करने के संबंध में भारत सरकार ने कुछ खास कदम उठाये हैं और नवम्बर 2008 में भारत सरकार ने परिपत्र जारी करके आधुनिक पढ़ाई-लिखाई करने के लिए मदरसों में जो ट्रेन्ड

ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको 6000 रुपए और 12000 रु. मानदेय देना तय किया, लेकिन इन मदरसों में पिछले 10-12 वर्षों से कुछ अध्यापक पढ़ा रहे हैं, आपकी ओर से योग्यता निर्धारित होने के बाद अब उनके घर जाने की स्थिति आ गई है। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि जो अध्यापक पिछले 5-10 वर्षों से वहां पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी नौकरी सुरक्षित रखते हुए, इस आधुनिकीकरण की योजना को सरकार क्रियान्वित करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उत्तर के लिए भी समय रहने दें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : अध्यक्ष महोदय, जो मदरसों में टीचर्स हैं, वे मदरसा बोर्ड या फिर जो स्टेट मदरसा बोर्ड है, वे उनको देखते हैं। भारत सरकार की तरफ से जो – फार प्रोवाइडिंग क्वॉलिटी एजुकेशन इन मदरसा, एमपीक्यूएम, हमारा प्रोग्राम है, उसके तहत हम सिर्फ क्वॉलिटी एजुकेशन के लिए, जिसमें साइंस, इंग्लिश, मैथमैटिक्स और सोशल-साइंस सब्जैक्ट्स के टीचर्स के लिए ही पैसा उपलब्ध कराते हैं। अब जो रिवाइज स्कीम आई है, उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया है। इसके साथ मदरसों में लाइब्रेरी, लैब और कम्प्यूटर्स का भी इंतजाम किया गया है। हमारी नई स्कीम कॉम्प्रिहेन्सिव स्कीम है। अगर आप चाहते हैं तो हम पूरी स्कीम आपके पास भेज देंगे। इसमें जहां एक तरफ जो ऑनरेरियम पहले 3000 रुपए था, उसे 6000 रुपए किया गया है और मास्टर्स डिग्री के लिए जो पहले 6000 रुपए था, उसे 12000 रुपए किया गया है। इसी तरह से हर मदरसे में टैक्स्ट बुक्स खरीदने के लिए 50,000 रुपए, जितने मदरसे हैं, प्रति मदरसा मॉडर्न सब्जेक्ट की बुक्स के लिए 5000 रुपए, वन टाइम ग्रांट, साइंस किट्स, एसेंशियल इक्विपमेंट्स के लिए 15000 रुपए और प्रति लैब एक लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा मदरसा बोर्ड ठीक तरह से काम करे, इसके लिए जो केरिकुलम और दूसरी चीजें हैं, उनके लिए पांच लाख रुपए प्रति वर्ष दिया गया है। जितना भी मदरसों का मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल है, वह हम करते हैं लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि जो टीचर्स दस साल से वहां काम कर रहे हैं, यह मदरसा बोर्ड के इंतजामिया को देखना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरा पूरक प्रश्न लिखित में भिजवाया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बांग्लादेशियों का अवैध आप्रवासन

*27. **श्री अजय चक्रवर्ती** :
डा. के. धनराजू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाओं पर पूरी निगरानी न होने और अवैध आप्रवासन के कारण असम और पश्चिम बंगाल सहित देश की मूल जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से जनसांख्यिक परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि 12 जनवरी, 2009 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में तेजी लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) भारत बंगलादेश के साथ लम्बी एवं सुभेद्य सीमा, भौगोलिक समीपता, पारिवारिक संबंध एवं नृजातीय समानता तथा भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण बंगलादेश से भारत को अवैध आप्रवासन होता है। हालांकि अवैध आप्रवासन के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है तथापि गतिविधि की गुप्त प्रवृत्ति को देखते हुए कुछ सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

बंगलादेश से अवैध आप्रवासन तथा घुसपैठ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) सीमा पर बाड़ लगाना, सड़कें बनाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(ii) सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा चौबीसों घण्टे निगरानी।

(iii) प्रभावी सीमा प्रभुत्व के लिए अन्तर बी ओ पी दूरी को कम करने के उद्देश्य से भारत-बंगलादेश की सीमा पर 383 अतिरिक्त सीमा बाह्य चौकियों की स्थापना करना।

(iv) नाइट विजन डिवायससे सहित आई-टेक निगरानी उपकरण लगाना।

इसके अतिरिक्त, अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है।

(ग) और (घ) 3436 कि.मी. को अनुमोदित बाड़ में से 2635 कि.मी. लम्बी बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। सरकार भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्राथमिकता और अधिक ध्यान देती है। बाड़ लगाने का शेष मंजूर शुदा कार्य 31 मार्च, 2010 तक पूरा कर लिए जाने के लिए निर्धारित है।

नक्सली गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही

*28. **श्री किसनभाई वी पटेल :**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का असैनिक व्यक्तियों और सुरक्षाकर्मियों सहित हताहत हुए व्यक्तियों, संपत्ति की हुई क्षति और गिरफ्तार किए गए नक्सलियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में बढ़ती नक्सली गतिविधियां कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक नीति बनाने सहित इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान, व्यापक तौर पर नक्सलवादी हिंसा का स्तर कमोबेश रूप से एक समान स्तर पर ही बना रहा। नक्सली हिंसा की वर्ष 2005 में 1608 घटनाएं, 2006 में 1509 घटनाएं, 2007 में 1565 घटनाएं तथा 2008 में 1591 घटनाएं हुईं। तथापि, विभिन्न राज्यों में, उनके द्वारा उठाए गए प्रतिरोधक उपायों के कारण हिंसा का स्तर समय-समय पर घटता-बढ़ता रहा। यह इस संदर्भ में है कि नक्सली समस्या से निपटने के लिए दृष्टिकोण एवं समन्वित कार्रवाई की एकरूपता की जरूरत पर समय समय पर जोर दिया गया है। विगत हाल में नक्सली हिंसा अपेक्षाकृत बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में संकेन्द्रित रही है।

पिछले छह महीनों (अगस्त 2008 से जनवरी 2009 तक) में राज्यवार हुई नक्सली हिंसा की घटनाओं, मारे गए सिविलियन/सुरक्षा बल कार्मिक और गिरफ्तार/मारे गए नक्सलियों का विवरण निम्नलिखित है:—

राज्य	घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	गिरफ्तार किए गए नक्सली	मारे गए नक्सली
आन्ध्र प्रदेश	44	17	—	159	17
बिहार	80	26	13	85	7
छत्तीसगढ़	353	91	47	137	50
झारखंड	263	83	28	161	5
महाराष्ट्र	48	12	4	29	1
मध्य प्रदेश	3	—	—	3	—
उड़ीसा	44	14	1	36	2
उत्तर प्रदेश	4	1	—	15	1
पश्चिम बंगाल	12	9	2	34	—
कुल	851	253	95	659	83

नक्सलवादी न केवल सिविलियनों की मनमाने ढंग से हत्या करने और विस्फोटकों और भू-सुरगों आदि का भारी पैमाने पर प्रयोग करके पुलिस/सुरक्षा बलों पर गुरिल्ला टाइप का हमला करने में संलिप्त हैं बल्कि वे सामाजिक आर्थिक अवस्थापना को भी निशाना बनाते हैं और निम्नतम स्तर के कर्मचारियों और शासनगत ढांचे को डराते धमकाते भी हैं। इस सबको ध्यान में रखते हुए यह एक तथ्य है कि नक्सलियों की गतिविधियां सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है।

सरकार नक्सली समस्या से निपटने के लिए एक समग्र नीति का अनुसरण कर रही है जिसके अंतर्गत सुरक्षा एवं विकास दोनों मोर्चों पर एक साथ प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए राज्यों से कहा गया है कि वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्ययोजनाएं तैयार करें और व्यवस्थित प्रतिरोधक उपाय करें। जहां

तक सुरक्षा पहलुओं का संबंध है राज्यों से इस बात का भी आग्रह किया गया है कि वे राज्य पुलिस बलों का सम्वर्धन करने/रिक्त पदों को भरने, नक्सलियों के युद्धकौशल का मुकाबला करने के उपस्कर तथा दक्षता से युक्त विशेष/कमांडो बलों का गठन करने, पुलिस थाना स्तर तक अवस्थापना का विस्तार करने एवं उसे सुदृढ़ करने के लिए समयबद्ध कार्य करना तथा पड़ोसी राज्यों के साथ दो स्थानों पर मिलने वाले तथा तीन स्थानों पर मिलने वाले क्षेत्रों में संयुक्त एवं समन्वित नक्सलवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करें। केन्द्रीय सरकार, अपनी ओर से, राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है और उन्हें विभिन्न उपायों से सहायता देती है जिनमें शामिल हैं राज्य पुलिस की सहायतार्थ अतिरिक्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती करना, इण्डिया रिजर्व बटालियनों को मंजूरी देना, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य पुलिस बलों का उन्नयन करने के लिए सहायता देना, राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, आसूचना की नियमित आधार पर भागीदारी करना, सुरक्षा संबंधी विभिन्न व्ययों की प्रतिपूर्ति करना और अन्तर-राज्य सहयोग करने को सुलभ बनाना। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की कई योजनाओं के जरिए विकास के मोर्चे पर राज्यों को संकेन्द्रित ध्यान और विशेष सहायता दी जा रही है।

केन्द्रीय सरकार भी जंगल/गुरिल्ला युद्धकौशल क्षमताओं एवं उपकरणों आदि से सज्जित एक विशेषीकृत बटालियन स्थापित करने की प्रक्रिया में है जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रखा जाएगा। मुख्यतः नक्सली हिंसा और विद्रोह द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में 20 आतंकवाद विरोधी एवं विद्रोह रोधी (सी आई ए टी) विद्यालय भी स्थापित करने का निश्चय किया गया है। सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत कवर न होने वाली तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक समझे जाने वाली परियोजनाओं और कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए संवेदनशील अवस्थापना अन्तरालों को पूरा करने के उद्देश्य से एक विशेष अवस्थापना योजना भी शुरू की गई है।

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

*29. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :**
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 11 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के लिए शौचालय नहीं हैं और 20 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 2007-08 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अंतर्गत राज्यों/जिलों से संकलित किए गए वार्षिक आंकड़ों के अनुसार 86.75 प्रतिशत प्रारंभिक स्कूलों में पेयजल सुविधाएं और 62.67 प्रतिशत में शौचालय हैं। वर्ष 2003-04 में यह स्तर क्रमशः 77 प्रतिशत और 41 प्रतिशत था।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक स्कूलों के लिए अब तक 1.93 लाख पेयजल सुविधाएं और 2.64 लाख शौचालय संस्वीकृत किए गए हैं जबकि पेयजल मिशन द्वारा स्कूलों के लिए 8.37 लाख पेयजल सुविधाएं और समग्र स्वच्छता अभियान में 7.40 लाख शौचालय मुहैया कराए गए हैं।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्र

*30. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत कतिपय विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) ने कार्य करना शुरू नहीं किया है अथवा वे बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी स्वीकृत विशेष आर्थिक क्षेत्रों को कार्यशील बनाने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा सहित सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना एसईजेड अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत की जाती है जो फरवरी, 2006 में लागू हुए हैं। आज की तारीख तक एसईजेडों की स्थापना हेतु 560 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिनमें से 283 अधिसूचित किए गए हैं। 87 एसईजेडों ने निर्यात शुरू कर दिए हैं।

(ख) ऐसे विशेष आर्थिक जोनों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है जिन्हें औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है किन्तु अभी अधिसूचित किया जाना है।

(ग) विकासकर्ता को प्रदत्त औपचारिक अनुमोदन तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है जिसके भीतर विकासकर्ता के लिए दस्तावेज प्रस्तुत कर अधिसूचना, संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक पर्यावरणिक एवं अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने एवं अवसंरचना सृजित करने के लिए कारगर कदम उठाना अपेक्षित होता है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकासकर्ता के आवेदन पर आगे और दो वर्ष का समय विस्तार तभी प्रदान किया जाता है यदि वह इस बात के प्रति आश्वस्त हों कि परियोजना पूरी करने के लिए विकासकर्ता द्वारा गंभीर प्रयास किए गए हैं।

विवरण

विशेष आर्थिक जोनों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	औपचारिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड	औपचारिक अनुमोदन जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है
		(क)	(ख)	(क-ख)
1.	आंध्र प्रदेश	100	59	41
2.	चंडीगढ़	2	2	0
3.	छत्तीसगढ़	1	0	1
4.	दादरा और नगर हवेली	4	0	4
5.	दिल्ली	2	1	1
6.	गोवा	7	3	4
7.	गुजरात	49	25	24
8.	हरियाणा	45	25	20
9.	झारखंड	1	1	0
10.	कर्नाटक	50	25	25
11.	केरल	20	8	12
12.	मध्य प्रदेश	14	4	10
13.	महाराष्ट्र	107	44	63
14.	नागालैंड	2	0	2
15.	उड़ीसा	10	4	6
16.	पांडिचेरी	1	0	1
17.	पंजाब	10	2	8
18.	राजस्थान	8	7	1
19.	तमिलनाडु	68	46	22
20.	उत्तरांचल	3	2	1
21.	उत्तर प्रदेश	32	16	16
22.	पश्चिम बंगाल	24	9	15
	कुल	560	283	277

[अनुवाद]

बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र

***31. श्री उदय सिंह :**
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तटवर्ती क्षेत्रों सहित देश के सभी नागरिकों को बहुउद्देशीय पहचान पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये पहचान पत्र नागरिकों को कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि प्राप्त कर लेने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 2011 के जनगणना अभियान के साथ-साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) परियोजना को

अंतिम रूप दे दिया है, जैसा कि 22 जनवरी, 2009 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (च) सरकार ने निर्णय लिया है कि एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) तैयार किया जाएगा जिसके लिए 2011 में अगली दस-वर्षीय जनगणना के समय प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में विशेष प्रकृति के आंकड़े संग्रहीत किए जाएंगे। इस जानकारी में 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले नागरिकों के फोटोग्राफ एवं ऊंगली बायोमैट्रिक्स शामिल होंगे। योजना आयोग के तत्वाधान में गठित यूनिक आइडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यू.आई.डी.ए.आई.) आंकड़ों का प्रबंधन करने के साथ-साथ इसे अद्यतन करती रहेगी।

सरकार ने 2011 की जनगणना से अलग 2009-10 में तटवर्ती गांवों हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया है। परियोजना के प्रथम चरण में 9 तटीय राज्यों एवं 4 संघशासित प्रदेशों के तटवर्ती गांवों को शामिल किया जाएगा। तटवर्ती क्षेत्रों में 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले नागरिकों को पहचान (स्मार्ट) पत्र दिए जाने का प्रस्ताव है।

अवैध बांगलादेशी प्रवासियों को राशन कार्ड, पैन कार्ड, आदि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। जब भी और जैसे ही ऐसे मामलों की जानकारी मिलती है या पता चलता है तो संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा उसे निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है।

मानित विश्वविद्यालय

*32. **श्री के.एस. राव :**
श्री अब्दुल्लाकुट्टी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानित विश्वविद्यालयों के रूप में कार्य करने की अनुमति प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदंडों, निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने मानित विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या समुचित विनियामक तंत्र के अभाव में मानित विश्वविद्यालय छात्रों के शोषण में संलिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मानित विश्वविद्यालय प्रणाली की समीक्षा करने और उन्हें संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में यशपाल समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत "सम विश्वविद्यालय" घोषित किए जाते ही यह उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा और इस अधिनियम की सभी धाराएं ऐसे संस्थान पर लागू होंगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करना होगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

इस "सम विश्वविद्यालय" की चल तथा अचल परिसंपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी इस प्रयोजनार्थ सृजित न्यास अथवा सोसाइटी पर होगी; इसके लेखाओं की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए जाने की छूट होगी; ऐसे संस्थान द्वारा एक अप्रत्यादेय कॉपर्स निधि का अनुरक्षण अपेक्षित होगा; इस 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थान के उद्देश्य शैक्षिक तथा संबंधित सामाजिक एवं धर्मार्थ कार्यकलापों तक ही सीमित होंगे, इस प्रकार का 'सम-विश्वविद्यालय संस्थान' किसी भी शिक्षण संस्थान को संबंधन प्रदान नहीं कर सकता; ऐसे संस्थान केवल प्रासंगिक संविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने वाले अनुमोदित शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं; और ऐसे "सम-विश्वविद्यालय" संस्थानों द्वारा केवल वे डिग्रियां ही प्रदान की जा सकती हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत विनिर्दिष्ट हों।

(ख) दिनांक 12 फरवरी, 2009 तक देश में 125 संस्थानों को "सम-विश्वविद्यालय संस्थान" के रूप में मान्यता दी गई है। "सम-विश्वविद्यालय" संस्थाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 66 "उच्चतर शिक्षा संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक अथवा तकनीकी संस्थाओं में शोध हेतु मानकों का समन्वयन एवं निर्धारण" से संबंधित है। केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत "सम-विश्वविद्यालय" संस्थान घोषित कर सकती है। विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 में उल्लेख है कि "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह एक सामान्य कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालयों अथवा अन्य संबंधित निकायों के परामर्श से ऐसे सभी उपाय करे जो विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रोन्नयन तथा समन्वयन और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा तथा शोध संबंधी मानकों के निर्धारण एवं अनुरक्षण और इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ यह उचित समझे।" इस अधिनियम की धारा 13 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 12 क शुल्कों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करती है। साथ ही, जबकि धारा 24, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धारा 22 अथवा 23 के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में दण्डित करने का अधिकार देती है, वहीं धारा 26 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों में मानकों के अनुरक्षण सहित विनियम तैयार करने का अधिकार प्रदान करती है।

(च) समीक्षा समिति जिसका गठन प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में 28.2.2008 को किया गया था और जिसे बाद में "उच्चतर शिक्षा के नवीकरण एवं कायाकल्प विषय पर सलाहकारी समिति" का नया नाम दिया गया था, को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया था। इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को नहीं सौंपी है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	"समविश्वविद्यालय" संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	5
6.	झारखण्ड	2
7.	कर्नाटक	15
8.	केरल	2
9.	मध्य प्रदेश	2
10.	महाराष्ट्र	21
11.	उड़ीसा	2
12.	पंजाब	3
13.	राजस्थान	7
14.	तमिलनाडु	29
15.	उत्तराखण्ड	4
16.	उत्तर प्रदेश	10
17.	पश्चिम बंगाल	1
18.	नई दिल्ली	11
19.	पुडुचेरी	1
	कुल	125

देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

*33. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित पश्चिमी देशों और एशिया की औद्योगिकृत हुई नई अर्थव्यवस्थाओं से पिछड़ रहा है, जैसाकि 04 जनवरी, 2009 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। जैसाकि संलग्न विवरण में

दिया गया है भारत विकसित और औद्योगिकृत हुई नई अर्थव्यवस्थाओं से पिछड़ रहा है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में अनुसंधान और विकास निवेश प्रतिशत तथा प्रति मिलियन जनसंख्या पर अनुसंधान और विकास मानवशक्ति तुलनात्मक रूप से कम है।

(ग) और (घ) सरकार ने अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक एवं निजी निवेश को बढ़ाने तथा पर्याप्त अनुसंधान और विकास मानवशक्ति की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इन कदमों में शामिल हैं: विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों का निर्माण, उभरते एवं अग्रणी क्षेत्रों में स्वायत्तशासी अनुसंधान संगठनों और सुविधाओं की स्थापना करना, इंस्पायर जैसी नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत, उद्योग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं सहायता हेतु कदम, उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार तथा सार्वजनिक – निजी अनुसंधान और विकास भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वैज्ञानिक विभागों के लिए XI वीं योजना आबंटन को X वीं योजना के 25,301.35 करोड़ रु. से बढ़ाकर 75,304.00 करोड़ रु. कर दिया है।

विवरण

विकसित और विकासशील देशों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक (2004-06)

क्रम सं	देश	जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी व्यय	प्रति मिलियन जनसंख्या पर अनुसंधानकर्ता
1	2	3	4
1.	अर्जेन्टीना	0.49	895
2.	आस्ट्रेलिया	1.78	4053
3.	आस्ट्रिया	2.46	3657
4.	ब्राजील	0.82	461
5.	कनाडा	1.97	3922
6.	चीन	1.42	926
7.	चेक गणराज्य	1.54	2578
8.	डेनमार्क	2.44	5277
9.	फिनलैण्ड	3.43	7681
10.	फ्रांस	2.12	3353
11.	जर्मनी	2.52	3386
12.	हंगरी	1.00	1745
13.	भारत	0.88	140
14.	इजराइल	4.53	उपलब्ध नहीं
15.	इटली	1.10	1407
16.	जापान	3.40	5546
17.	कोरिया गणराज्य	3.23	4162
18.	मैक्सिको	0.50	464
19.	नीदरलैण्ड	1.69	2524
20.	नार्वे	1.49	4668
21.	पाकिस्तान	0.44	80
22.	रूसी परिसंघ	1.08	3255
23.	सिंगापुर	2.39	5713
24.	स्पेन	1.21	2639
25.	श्रीलंका	0.19	141
26.	स्वीडन	3.82	6139
27.	यूनाइटेड किंग्डम	1.80	3033
28.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2.61	4651
29.	वैनेजुएला	0.23	86

स्रोत: यू.आई.एस., यूनेस्को (15 अक्तूबर, 2008 को वेबसाइट से लिया गया) विश्व विकास संकेतक (विभिन्न मुद्दे), विश्व बैंक अनुसंधान और विकास सांख्यिकी एक झलक 2007-08, डी एस टी (भारत सरकार)

नोट: चीन में हांगकांग शामिल नहीं है।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

*34. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में रबड़ का आयात किया गया है;

(ग) क्या प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या रबड़ के मूल्य में इस गिरावट के कारण घरेलू उत्पादक/किसान प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो प्रभावित किसानों की सहायता के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश में प्राकृतिक रबड़ के कुल उत्पादन और उसके कुल निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	उत्पादन (टन)	आयात (टन)
2005–06	802625	45285
2006–07	852895	89799
2007–08	825345	86394
2008–09 (अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2009)	763080[अ]	69326[अ]

अ—अनंतिम

(ग) से (ङ) जी, हां। यद्यपि रबड़ की कीमतों में सितम्बर, 2008 के मध्य से तेजी से गिरावट आई तथापि अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2009 तक की अवधि के दौरान प्राकृतिक रबड़ के रिब्ड स्मोक्ड शीट एस4 (आरएसएस-4) ग्रेड की औसत घरेलू कीमत 106.86 रु./कि.ग्रा. रही थी जो वर्ष 2006-07 में (92.04 रु./कि.ग्रा.) तथा वर्ष 2007-08 (90.85 रु./कि.ग्रा.) में घरेलू बाजार में प्रचलित प्राकृतिक रबड़ की वार्षिक औसत कीमत से अधिक थी। दिनांक 01.12.2008 से वायदा व्यापार के अस्थायी स्थगन को वापस ले लिया गया है। घरेलू एवं वैश्विक रबड़ बाजारों में होने वाले घटनाक्रमों पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।

खादी ग्रामोद्योग उत्पादों को बढ़ावा देना

*35. श्री अबु अयीश मंडल :
श्री एम. अप्पादुरई :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी प्रदर्शनियां आयोजित की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या इन प्रदर्शनियों से खादी उत्पादों की स्वीकार्यता और बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलगन विवरण-I में दिया गया है।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों में किये गये खर्च का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। केवीआई उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए केवीआईसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों से केवीआई उत्पादों की बिक्री एवं स्वीकार्यता को बढ़ावा देने में मदद मिली है। ये प्रदर्शनियां उत्पादों के प्रचार के साथ-साथ

विपणन अवसर सृजित करने में कम लागत में बेहतर परिणाम प्राप्त करने का माध्यम साबित हुई हैं इससे जनता के बीच केवीआई उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में केवीआई उत्पादों की बिक्री में बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई देती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केवीआई उत्पादों के बिक्री के अनुमानित मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	बिक्री मूल्य (करोड़ रु.)
2005–06	15276.02
2006–07	17562.40
2007–08	21543.48
2008–09 (दिसम्बर, 2008 तक)	15730.10

विवरण-I

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (जनवरी, 2009 तक) के दौरान आयोजित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदर्शनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयोजित प्रदर्शनियों की संख्या 2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जनवरी, 2009 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	9	4	4	5
2.	हरियाणा	11	4	4	6
3.	हिमाचल प्रदेश	2	—	—	1
4.	जम्मू एवं कश्मीर	3	3	4	3
5.	पंजाब	12	3	3	4
6.	राजस्थान	20	17	15	10
7.	बिहार	7	6	5	5
8.	झारखंड	3	2	3	1
9.	उड़ीसा	5	3	6	4
10.	पश्चिम बंगाल	3	3	3	3
11.	सिक्किम	2	—	—	—
12.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	1	—
13.	असम	9	5	4	6
14.	मणिपुर	—	1	1	1
15.	मेघालय	—	1	3	2
16.	मिजोरम	—	—	1	2
17.	नागालैंड	—	1	1	1
18.	त्रिपुरा	—	1	1	—
19.	आंध्र प्रदेश	13	6	8	2
20.	कर्नाटक	3	4	4	2
21.	केरल	9	4	4	4
22.	तमिलनाडु	17	5	5	5
23.	गोवा	2	1	1	1
24.	गुजरात	7	9	8	4
25.	महाराष्ट्र	12	8	6	7
26.	छत्तीसगढ़	6	1	3	4
27.	मध्य प्रदेश	11	2	3	3
28.	उत्तराखंड	1	1	2	2
29.	उत्तर प्रदेश	29	13	15	13
	कुल	198	108	118	101

विवरण-II

केवीआईसी द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (जनवरी, 2009 तक) के दौरान आयोजित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदर्शनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदर्शनी आयोजित करने में हुए खर्च का ब्यौरा (लाख रु.) 2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जनवरी, 2009)
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	26.30	17.50	17.50	18.00
2.	हरियाणा	31.50	21.13	17.50	28.00
3.	हिमाचल प्रदेश	5.00	0.00	0.00	2.00
4.	जम्मू एवं कश्मीर	10.00	10.16	10.00	14.00
5.	पंजाब	54.10	17.17	30.00	24.00
6.	राजस्थान	95.34	99.41	90.00	74.00
7.	बिहार	20.90	18.50	20.00	18.00
8.	झारखंड	30.00	5.00	7.50	10.00
9.	उड़ीसा	13.20	5.20	15.00	8.00
10.	पश्चिम बंगाल	5.00	9.37	15.00	14.00
11.	सिक्किम	5.00	0.00	0.00	0.00
12.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	0.00	2.50	0.00
13.	असम	45.90	19.85	40.00	20.00
14.	मणिपुर	0.00	2.50	2.50	2.00
15.	मेघालय	0.00	2.50	7.50	4.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	2.50	12.00
17.	नागालैंड	0.00	2.61	2.50	2.00
18.	त्रिपुरा	0.00	2.61	2.50	0.00
19.	आंध्र प्रदेश	37.50	21.12	27.50	4.00
20.	कर्नाटक	50.00	93.04	62.50	12.00
21.	केरल	23.60	14.54	17.50	16.00
22.	तमिलनाडु	52.25	9.77	12.50	26.00
23.	गोवा	5.00	2.50	2.50	2.00
24.	गुजरात	20.80	39.81	27.50	24.00
25.	महाराष्ट्र	45.00	144.39	22.50	42.00
26.	छत्तीसगढ़	17.50	2.50	7.50	16.00
27.	मध्य प्रदेश	30.00	3.18	7.50	6.00
28.	उत्तराखंड	25.00	2.18	5.00	12.00
29.	उत्तर प्रदेश	80.00	96.70	97.50	110.00
	कुल	733.89	663.24	572.50	520.00

[अनुवाद]

गैर-कार्यशील खानों की स्थिति

*36. श्री सुशील सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-कार्यशील खानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ खानें सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से विकसित नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-कार्यशील खानों के खनन पट्टे को रद्द करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 270 नॉन-रिपोर्टिंग खानें हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान नॉन-रिपोर्टिंग खानों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

राज्य	खानों की संख्या (अनंतिम)
आंध्र प्रदेश	44
छत्तीसगढ़	6
गोवा	12
गुजरात	46
झारखंड	7
कर्नाटक	20
केरल	5
मध्य प्रदेश	53
महाराष्ट्र	10
मेघालय	1
उड़ीसा	18
राजस्थान	26
तमिलनाडु	11
उत्तर प्रदेश	6
उत्तरांचल	4
पश्चिम बंगाल	1

(ख) खान विकास कार्य खनन पट्टाधारक द्वारा किया जाता है, यह कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं और खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार यदि कोई पट्टाधारक लगातार दो वर्षों की अवधि के लिए खनन प्रचालन करने में असमर्थ रहता है तो राज्य सरकार ऐसे खनन पट्टे को रद्द (लैप्स) घोषित कर सकती है। राज्य सरकार के आदेशों द्वारा रद्द की गई ऐसी खानों का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

भारतीय बाजार को सामान से पाटना

*37. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेशी इकाइयों द्वारा सामान के पाटन से घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अर्थात 01.01.2006 से 11.02.2009 तक) के दौरान वाणिज्य विभाग में पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने समीक्षाओं सहित इक्यानवे (91) पाटनरोधी जांचें शुरू की हैं। इनमें से छियालिस (46) मामलों में अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए हैं। तीन (3) मामलों में घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन वापस लिए जाने के बाद समापन अधिसूचनाएं जारी की गयी थीं आठ (8) मामलों में अब तक केवल प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए हैं। शेष चौंतीस (34) मामले अभी जांचाधीन हैं। सरकार को पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हो रही समस्याओं की जानकारी है और जहां कहीं पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि हुई है वहां तदनुसार निवारक उपाय किए गए हैं।

डीजीएडी द्वारा देश में पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटित वस्तु एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग की ओर से पूर्णतः प्रलेखित याचिका प्राप्त होने के बाद पाटनरोधी जांच शुरू की जाती हैं। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार की याचिकाओं पर प्रक्रियाओं के अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर कार्रवाई की जाती है। जांच के बाद डीजीएडी द्वारा, जहां उचित होता है, लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की राशि के बारे में सरकार को अपने जांच परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं। डीजीएडी द्वारा जारी जांच परिणाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं और वे विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं।

पूर्वानुमान प्रणाली का विस्तार

*38. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.) तूफानों के पूर्वानुमान, मछली पकड़ने के समय के इष्टतम उपयोग, भूकंपों, सुनामी आदि से संबंधित अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिए अपनी अवसंरचना का विस्तार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को समुद्र के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए वहां स्थापित किए गए केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इंकॉइस), जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक स्वायतशासी निकाय है, सप्ताह में तीन बार (अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) संभावित मत्स्यिकी क्षेत्र (पी.एफ.जेड) पर परामर्श सूचनाएं, प्रतिदिन समुद्र स्थिति पूर्वानुमान (ओ.एस.एफ.) सूचना तथा सुनामी आने से पूर्व इसके बारे में चेतावनी उपलब्ध कराता है भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.), तूफान की तीव्रता और उसके आगे बढ़ने के मार्ग के बारे में पूर्वानुमान करने का कार्य पहले से ही कर रहा है। आई.एम.डी. भूकंपों के बारे में भी अद्यतन सूचना उपलब्ध करा रहा है। इस समय, इंकॉइस कुछ समुद्री पैरामीटरों यथा-धारा, तापमान और लवणता के संबंध में पूर्वानुमान बताने और उनका प्रसारण करने संबंधी अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है।

क्रम सं.	तटवर्ती राज्य	बोर्ड का स्थान
1	2	3
1.	गुजरात	वेरावल
2.	महाराष्ट्र	रत्नागिरि, मालवन, हर्न, देवगढ़, वर्सोवा
3.	गोवा	पणजी, वास्को
4.	कर्नाटक	माल्पे कारवाड़
5.	केरल	बेपोर, मुनम्बम, थ्रेथिक्रेड, नींदकारा विपिन (कोच्चि), मरियानाडु, अंचुथेंगु
6.	तमिलनाडु	कंगाचिमडम नागापट्टीनम वैंगेथिट्टु वीरमपट्टनम, रोयापुरम, पांडिचेरी, सामियारपेट्टई, परंगिपेट्टई, मुदासालोडाई, चिनंगुडी, अकरेपेट्टई, पनिथिट्टु, पुधुर, नीरोडी, कोवालम
7.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, इंकॉइस
8.	उड़ीसा	गोपालपुर, नया गोलबंडा, बलरामगढ़ी, अष्टरंगा, पारादीप, सना अर्जीपल्ली, पेंटकोट्टा, खारानसी, तलाचुआ, चूड़ामनी, बहावलपुर
9.	पश्चिम बंगाल	डायमंड हार्बर
10.	लक्षद्वीप	अगाती

ई.डी.बी. में प्राथमिक चैनल के रूप में अति आवश्यक मोबाईल कनेक्शन तथा गौण चैनल के रूप में द्वितीय उपग्रह रेडियो के रूप में दो प्रकार के संप्रेषण चैनल लगाए गए हैं। ई.डी.बी. में एक अंतःनिर्मित सिंगल बोर्ड कम्प्यूटर (एस.बी.सी.) है जो वॉइस संदेशों का ऑनलाइन प्रसारण करने तथा रिकॉर्ड किए गए संदेशों को फिर से सुनाने में सक्षम है। ई.डी.बी. पर लगी आवश्यकतानुसार पावर प्रबंधन प्रणाली स्वतः ही पावर इकोनॉमी डिस्पले को चला देती है, जिससे अबाधित सेवा प्राप्त हो सके। ई.डी.बी. का आकार 32" इंडस्ट्रियल लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले (एल.सी.डी.) पैनल के बराबर है जिसमें सूचना के वेब आधारित प्रसारण की सुविधा है। ई.डी.बी. की वॉइस और सायरन प्रणाली में 1 कि.मी. रेंज तक सुनाई देने की क्षमता है। प्रत्येक ई.डी.बी. में बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए सौर पैनलों के साथ एक घंटे के पावर बैक-अप की सुविधा है। मॉनीटरिंग प्रणाली के कार्य करने की स्थिति के बारे में रिपोर्ट इंकॉइस को स्वतः ही मिल जाती है। सभी ई.डी.बी. संबंधी सूचना स्वचालित रूप से तद्नुसार भेजी जा सकती है।

लघु क्षेत्र और इसकी चुनौतियां

*39. श्री वसुदेव आचार्य : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लघु उद्योगों (एसएसआई) को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपर्याप्त भागीदारी, अल्प पूंजी आधार, चीन से प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) रोजगार सृजन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और घरेलू उत्पादन तथा निर्यात आयात में वृद्धि करने के लिए लघु उद्योगों की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विकास में उनके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां मुख्य रूप से अपर्याप्त ऋण उपलब्धता, प्रौद्योगिकी तथा विपणन अवरोधों, आधारभूत संरचना अवरोधों और उदारीकृत व्यापार पद्धति के कारण बढ़ी प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं। चुनौतियों को पूरा करने में एमएसई क्षेत्र की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम हैं: क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, परफॉर्मेंस एवं क्रेडिट रेटिंग योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और बाजार विकास सहायता योजना। इसके अतिरिक्त, एमएसई क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए की गई कुछ पहलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का अधिनियमन, अगस्त, 2005 में घोषित 'लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज' और फरवरी, 2007 में घोषित 'एमएसई के संवर्धन हेतु विस्तृत पैकेज' का कार्यान्वयन।

इसके अतिरिक्त, हाल के वैश्विक आर्थिक मंदी को देखते हुए एमएसई क्षेत्र में रोजगार सृजन, घरेलू उत्पादन और निर्यात अर्जन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:–

(1) **7 दिसम्बर, 2008 और 2 जनवरी, 2009 को घोषित प्रोत्साहन पैकेज**

- शेष वित्तीय वर्ष के लिए सभी उत्पादों पर 4 प्रतिशत की सेनवैट कटौती।
- 31 मार्च, 2009 तक लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के लिए प्री-शिपमेंट तथा पोस्ट-शिपमेंट निर्यात क्रेडिट में 2 प्रतिशत की ब्याज दर संबंधी कटौती।
- 50% गारंटी कवर के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋणों पर गारंटी कवर को 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा दिया जाने वाला गारंटी कवर 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए 85% तक बढ़ाया जाएगा।
- विद्यमान क्रेडिट गारंटी योजना के तहत आने वाले ऋणों के लिए लॉक-इन अवधि को 24 महीनों से घटाकर 18 महीने किया जाएगा।
- सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को एक परामर्शी जारी करेगी और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को एमएसएमई के बिलों का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध करेगी।

(2) **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपाय**

- एमएसई क्षेत्र को ऋणों में वृद्धि के लिए सिडबी हेतु 7,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सीमा।
- बैंकों को सिडबी के एमएसएमई पुनर्वित्त निधि में कुल 2000 करोड़ रुपये की राशि का योगदान देने की सलाह दी गई है।
- एकबारगी उपाय के रूप में, 30 जून, 2009 तक बैंकों द्वारा एक्सपोजरों पर की गई दूसरी पुनः संरचना विशेष विनियामक ट्रीटमेंट के लिए पात्र होगा।
- अपने बड़े कारपोरेट ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए क्रेडिट सीमाओं को संस्वीकृत/नवीकृत करते समय बैंकों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से एमएसई से खरीद के लिए भुगतान दायित्वों को पूरा करने हेतु समूची सीमाओं के भीतर पृथक उप-सीमाएं निर्धारित करें।

(3) **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा घोषित किए गए उपाय**

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 10 करोड़ रुपये तक की संपूर्ण निधि आधारित क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने वाली इकाइयों के लिए मौजूदा निधि आधारित सीमाओं के 20% तक के आवश्यकता आधारित तदर्थ कार्यक्षम पूंजीगत मांग ऋण प्रदान करेंगे।

— सूक्ष्म उद्योगों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए ब्याज दरें 1% तक और एस एम ई के लिए 0.5% तक कम करना।

— जहां मौजूदा हालात मे परियोजना कार्यान्वयन में विलंब हुआ है, वहां एमएसएमई द्वारा प्राप्त ऋणों के लिए अधिस्थगन अवधि बढ़ाई जाएगी।

औद्योगिक अवसंरचना का उन्नयन

*40. **डा. के.एस. मनोज :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.) तथा निर्यात अवसंरचना एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) संबंधी योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी रखने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उद्योगों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.), का लक्ष्य परिवहन, सड़क, बिजली आपूर्ति, बहिस्राव उपचार तथा ठोस अपशिष्ट निपटान, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी तथा इस प्रकार की अन्य भौतिक अवसंरचनाओं तथा सामान्य सुविधाएं प्रदान करने में सामरिक हस्तक्षेप के लिए उच्च विकास संभाव्यता के साथ मौजूदा औद्योगिक क्लस्टरों/स्थापना स्थलों में गुणवत्ता अवसंरचना सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए क्लस्टर एसोसिएशनों द्वारा बनाई गई स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के एकमुश्त सहायता-अनुदान (इक्विटी नहीं) के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता 50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा की शर्त के अध्यधीन कुल परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित है। शेष 25 प्रतिशत राशि की वित्तीय व्यवस्था कुल परियोजना लागत के 15 प्रतिशत के न्यूनतम उद्योग योगदान के साथ संबंधित क्लस्टर/स्थापना स्थल के अन्य पणधारकों द्वारा की जाती है। सरकारी वित्तीयन केवल उत्पादकता वृद्धि से संबंधित परिसंपत्तियों तथा कार्यकलापों के सृजन तक सीमित है और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी आवर्ती व्यय का वित्तपोषण नहीं किया जाता हैं। इस परियोजना में प्रशासनिक खर्चे केन्द्रीय सहायता के 2 प्रतिशत तक सीमित हैं।

वाणिज्य विभाग निर्यातों के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन में राज्यों को शामिल करने के उद्देश्य से ''अवसंरचना एवं सहयोगी गतिविधियों (एएसआईडीई) के विकास के लिए राज्यों को सहायता की योजना'' क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत जिन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कोष आवंटित किए जाते हैं। वे हैं:— (विशेष आर्थिक क्षेत्रों/कृषि-व्यवसाय क्षेत्रों सहित) नए निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्कों (ईपीआईपी)/क्षेत्रों का सृजन तथा मौजूदा क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाना, इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य संबंधित अवसंरचना की स्थापना, अवसंरचना परियोजनाओं में इक्विटी सहभागिता ईपीआईपी/एसईजेड के पूंजीगत परिव्यय की अपेक्षाओं को पूरा करना, अनुपूरक अवसंरचना का विकास (जैसे कि उत्पादन केन्द्र एवं बंदरगाहों के बीच सड़कें, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/माल स्टेशन की स्थापना), विद्युत आपूर्ति की निरंतरता, छोटे बंदरगाहों एवं घाटों का विकास, साझा अपगामी शोधन संयंत्र आदि की स्थापना, आदि। कुल परिव्यय का 80 प्रतिशत (राज्य घटक) राज्यों के निर्यात निष्पादन के आधार उनके बीच आवंटित किया जाता है और 20 प्रतिशत (केन्द्रीय घटक) केंद्रीय एजेंसियों के पूंजीगत खर्चे पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर रखा जाता है। राज्य घटक 50-50 प्रतिशत के दो भागों में राज्यों को आवंटित किए जाते हैं। राज्यों को 50 प्रतिशत के पहले भाग का आवंटन कुल निर्यातों में राज्यों के हिस्से के आधार पर किया जाता है जबकि शेष 50 प्रतिशत पिछले वर्ष के निर्यातों में वृद्धि के आधार पर आवंटित किया जाता है। योजना परिव्यय का न्यूनतम 10 प्रतिशत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में खर्च के लिए आरक्षित होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I तथा II पर हैं।

विवरण-I

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.)

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के ब्यौरे

(रुपये करोड़ में)

		वर्ष-वार जारी की गई राशियों के ब्यौरे			
क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (12.02.2009 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	16.54	0.00	7.80	16.54

1	2	3	4	5	6
2.	छत्तीसगढ़	9.96	11.11	0.00	9.74
3.	गुजरात	37.59	26.78	21.79	12.57
4.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	15.93
5.	कर्नाटक	0.00	43.11	0.00	0.00
6.	मध्य प्रदेश	0.00	16.65	15.98	0.00
7.	महाराष्ट्र	46.88	39.54	24.21	0.90
8.	उड़ीसा	0.00	15.66	0.00	14.27
9.	पंजाब	0.00	4.21	3.89	0.00
10.	राजस्थान	0.00	0.00	9.20	0.00
11.	तमिलनाडु	0.00	52.96	30.12	20.74
12.	उत्तर प्रदेश	1.30	0.00	3.25	0.00
13.	पश्चिम बंगाल	12.02	12.32	0.00	0.00
	कुल योग	124.29	222.34	116.24	90.69

विवरण-II

अवसंरचनात्मक सुविधा तथा संबद्ध कार्यकलापों को विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता करने की योजना (ए.एस.आई.डी.ई.)

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ए.एस.आई.डी.ई. योजना के अंतर्गत दी गई सहायता के ब्यौरे

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (12.02.2009 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,545.00	1,700.00	2,120.00	1,812.00
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0	0	0
3.	बिहार	0.00	0	0	0
4.	चंडीगढ़	320.00	175.00	0	250.00
5.	छत्तीसगढ़	500.00	550.00	435.00	0
6.	दादर और नगर हवेली	0.00	0	0	0
7.	दमन और दीव	0.00	0	0	0
8.	दिल्ली	265.00	145.00	283.51	0
9.	गोवा	609.00	0	670.00	570.00
10.	गुजरात	4,338.00	4,770.00	5,972.50	5,835.50
11.	हरियाणा	1,405.00	772.50	1,545.00	1,545.00
12.	हिमाचल प्रदेश	553.00	600.00	600.00	300.00
13.	जम्मू और कश्मीर	525.00	580.00	580.00	580.00
14.	झारखंड	0.00	275.00	275.00	0
15.	कर्नाटक	3,399.00	3,740.00	4,262.00	4,162.00
16.	केरल	1,069.00	1,175.00	1,175.00	975.00
17.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	0.00	0
18.	मध्य प्रदेश	1,435.00	790.00	1,580.00	1,480.00
19.	महाराष्ट्र	6,552.00	7,210.00	8,200.00	8,000.00
20.	उड़ीसा	693.00	765.00	892.00	792.00
21.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0
22.	पंजाब	1217.00	670.00	670.00	1,326.00
23.	राजस्थान	1320.00	726.50	1,453.00	1,353.00
24.	तमिलनाडु	3919.00	4,312.00	4,988.00	4,788.00
25.	उत्तर प्रदेश	2100.00	1,155.00	2,310.00	1,105.00

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तरांचल	527.00	0	0	2,90.00
27.	पश्चिम बंगाल	2009.00	2,210.00	2,206.00	2,010.00
	कुल योग	34300.00	32,321.00	40,217.04	37,173.00
	पूर्वोत्तर क्षेत्र				
1.	अरुणाचल प्रदेश	251.00	138.00	276.00	0
2.	असम	1257.00	691.50	1,383.00	691.50
3.	मणिपुर	206.00	227.00	227.00	227.00
4.	मिजोरम	324.00	356.00	356.00	356.00
5.	मेघालय	834.00	917.00	299.00	0
6.	नागालैण्ड	200.00	220.00	220.00	110.00
7.	सिक्किम	200.00	220.00	220.00	220.00
8.	त्रिपुरा	728.00	801.00	801.00	400.50
	कुल	4000.00	3,570.50	3,782.00	2,005.00
	कुल योग	38300.00	35,891.50	43,999.01	39,178.00

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए आवंटन

53. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र को कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) इन निधियों से शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) विगत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत महाराष्ट्र को निम्नलिखित अनुदान जारी किए गए हैं:—

1.	2005-06	3314.32 लाख रु.
2.	2006-07	1020.62 लाख रु.
3.	2007-08	861.68 लाख रु.

(ख) और (ग) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया जाता है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त संगठन है। महाराष्ट्र में 35 जिला साक्षरता समितियां हैं। जिला साक्षरता समितियों में जिलाधीश अथवा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति होती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यकारी समिति में शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वैच्छिक एजेंसियों से लिए गए व्यक्ति, अध्यापक, महिलाएं, युवा और अभिज्ञात जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। जिला साक्षरता समितियां प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग करती हैं। सम्प्रति, महाराष्ट्र के 7 जिले उत्तर साक्षरता चरण में और 28 जिले सतत शिक्षा चरण में हैं। जिला साक्षरता समिति स्तर पर जिला स्तरीय मॉनीटरिंग की जाती है और राज्य प्रौढ़/जनसंख्या शिक्षा निदेशालय राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करता है। राज्य स्तर पर पूर्व-निर्धारित तिथियों पर मासिक मॉनीटरिंग बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें मासिक प्रगति रिपोर्टों पर विचार-विमर्श करने के लिए जिला साक्षरता समितियों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय साक्षरता कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग करता है। इसके अतिरिक्त, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय/राष्ट्रीय साक्षरता मिशन राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य शिक्षा सचिवों/प्रौढ़/जन शिक्षा निदेशकों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संबंधी अध्ययन

54. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के कार्यकरण के साथ-साथ इसमें सरकार की भूमिका का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम द्वारा चीन की सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम प्रणाली की सफलता को अपने यहां दोहराने के लिए चीन की प्रणाली के अनुसार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन पर ध्यान दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में राज्य-वार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम प्रणाली के संवर्धन हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन तथा विकास से संबंधित सर्वोत्तम पद्धतियां एवं नीतियां अपनाने की दृष्टि से अन्य देशों (चीन सहित) में एमएसएमई नीतियों का अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए भिन्न-भिन्न आर्थिक मॉडलों को देखते हुए अन्यत्र व्यवहार में लाई गई पद्धतियों को पूरी तरह से दोहराना हमेशा संभव नहीं हो सकता।

(ङ) सरकार द्वारा एमएसएमई के संवर्धन तथा विकास के लिए प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देशभर में किया जाता है। प्रमुख योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं – क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, परफार्मेंस एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा बाजार विकास सहायता योजना। इसके अतिरिक्त खादी एवं ग्राम आयोग एवं कयर बोर्ड की अनेक योजनाएं राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

55. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश से कुल निर्यात में समुद्री उत्पादों के निर्यात का हिस्सा कितना रहा;

(ख) क्या समुद्री उत्पादों के उत्पादकों तथा निर्यातकों के पास उचित अवसंरचना का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो इन अवसंरचनात्मक बाधाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास समुद्री उत्पादों के उत्पादकों तथा निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा प्रयुक्त नई तकनीकों को अपनाये जाने के लिए प्रोत्साहित करते हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के कुल निर्यातों में समुद्री उत्पादों के निर्यात का हिस्सा निम्नानुसार रहा है:–

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

	2005-06	2006-07	2007-08
कुल निर्यात	103090.5	126361.5 (परिवर्तित)	159006.7 (अनंतिम)
समुद्री उत्पाद	1644.21	1852.93	1899.09
प्रतिशत	1.59%	1.47%	1.19%

(ख) और (ग) सरकार द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के परामर्श से अवसंरचनागत अवरोधों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने एक स्कीम अर्थात समुद्री उत्पाद हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम लागू की है। इस स्कीम के अंतर्गत कोई लाभानुभोगी किसी नए प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना अथवा मौजूदा प्रसंस्करण संयंत्र के उन्नयन हेतु पूंजी अथवा ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।

इसके अलावा, समुद्री उत्पादों के लिए अवसंरचना विकास हेतु एम्पीडा द्वारा तटीय क्षेत्र में कोई अन्य स्कीमें चलाई जा रही हैं और उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कर्ताओं/निर्यातकों को लगभग 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की है।

(घ) और (ङ) उत्पादकों/निर्यातकों को शिक्षित करने की दृष्टि से एम्पीडा ने मोनोफिलामेंट लांग लाइन प्रौद्योगिकी के समुचित प्रचालन तथा पोत से मछली पकड़ने में भारतीय कर्मी दल को प्रशिक्षित करने हेतु ऑस्ट्रेलिया के एक टूना मात्स्यिकी विशेषज्ञ की सेवाएं ली हैं। भारत में जैविक श्रिम्प पालन से संबंधित कार्यक्रम शुरू करने के लिए एम्पीडा के स्विस आयात संवर्धन कार्यक्रम (एस आई पी पी ओ) के तकनीकी सहयोग हेतु स्विटजरलैंड की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। केरल, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में जैविक जलकृषि को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एम्पीडा ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सेज कल्चर फार्मिंग की शुरूआत हेतु नार्वे की एक कंपनी इनोवेशन नॉर्वे

(आई एन) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एम्पीडा के अधीन एक सोसाइटी राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र (आर जी सी ए) ने अंडमान स्थित अपनी सुविधा में जी 3 की उत्पत्ति हेतु टाइगर श्रिम्प का विशिष्ट पैथोजन मुक्त ब्रूडस्टॉक तैयार किया है। एम्पीडा द्वारा अन्य देशों में अपनाई गई नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में अपनी जानकारी को अद्यतन करने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं और समुद्री उत्पाद संबंधी सम्मेलनों/प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी भी की जा रही है।

तकनीकी संस्थाओं का स्थापित किया जाना

56. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री सुभाष महरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राजस्थान तथा गुजरात सहित देश में राज्य-वार कितनी संस्थाएं व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही हैं; और

(ख) चालू वर्ष में राज्य-वार तथा स्थान-वार कितनी ऐसी संस्थाएं स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरंदेश्वरी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की राज्य-वार संख्या, राजस्थान और गुजरात सहित, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अकादमिक वर्ष 2009-2010 के दौरान नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

31.8.2008 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंजीनियरिंग और तकनीकी	एमबीए	एमसीए	फार्मेसी	एचएमसीटी	एप्लाइड आर्ट एवं क्राफ्ट	पीजीडीएम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्य प्रदेश	161	56	47	93	4	0	7
2.	छत्तीसगढ़	41	7	7	11	0	0	2
3.	गुजरात	55	51	26	75	1	0	11
4.	मिजोरम	1	0	1	1	0	0	0
5.	सिक्किम	1	1	0	1	0	0	0
6.	उड़ीसा	68	29	37	15	2	0	15
7.	पश्चिम बंगाल	71	27	27	10	4	0	2
8.	त्रिपुरा	3	0	1	1	0	0	0
9.	मेघालय	1	0	1	0	0	0	0
10.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
12.	असम	7	5	3	2	0	0	1
13.	मणिपुर	1	1	0	0	0	0	0
14.	नागालैंड	1	0	0	0	0	0	0
15.	झारखंड	13	4	2	1	0	0	3
16.	बिहार	15	11	6	4	0	0	1
17.	उत्तर प्रदेश	241	125	101	91	10	1	88
18.	उत्तरांचल	19	23	13	14	7	0	2
19.	चंडीगढ़	5	0	2	1	0	1	1
20.	हरियाणा	116	56	29	34	3	0	10
21.	जम्मू और कश्मीर	7	9	3	1	0	0	0
22.	नई दिल्ली	19	13	18	6	1	1	24
23.	पंजाब	70	55	24	38	8	0	4
24.	राजस्थान	81	49	19	54	8	0	15
25.	हिमाचल प्रदेश	9	8	1	11	1	0	0
26.	आंध्र प्रदेश	527	231	385	258	2	0	24
27.	पांडिचेरी	9	1	6	1	0	1	0
28.	तमिलनाडु	352	154	208	43	1	0	4
29.	कर्नाटक	157	109	73	80	20	0	15
30.	केरल	94	37	38	33	4	0	7
31.	महाराष्ट्र	239	168	58	120	10	6	48
32.	गोवा	3	1	1	2	0	1	1
33.	दमन और दीप, दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	2388	1231	1137	1001	86	11	285

विवरण-II

31.12.2008 की स्थिति के अनुसार अकादमिक वर्ष 2009-10 के लिए नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

क्षेत्र	राज्य	इंजीनियरिंग	पीजीडीएम	एमबीए	एमसीए	फार्मेसी	एचएमसीटी	एप्लाईड आर्ट्स	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	50	16	63	7	3	0	0	139
	छत्तीसगढ़	10	2	7	1	4	0	0	24
	गुजरात	43	8	67	18	14	1	0	151
पूर्व	उड़ीसा	53	10	24	6	1	0	0	94
	असम	9	0	5	0	0	0	0	14
	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
	मणिपुर	0	0	0	1	0	0	0	1
	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
	पश्चिम बंगाल	23	3	7	1	1	0	0	35
	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
	झारखंड	2	3	1	0	1	0	0	7
	सिक्किम	1	0	0	1	0	0	0	2
	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	1
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0	0	1
उत्तर	उत्तर प्रदेश	83	84	130	11	11	4	1	324
	उत्तरांचल	13	3	14	3	1	1	0	35
	बिहार	12	2	3	2	0	0	0	19
उत्तर पश्चिम	चंडीगढ़	0	0	1	3	0	0	0	4
	दिल्ली	1	3	2	0	1	0	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हरियाणा	38	11	36	9	1	3	0	98
	हिमाचल प्रदेश	11	0	6	4	0	1	0	22
	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	0	0	0	1
	पंजाब	16	1	30	10	3	1	0	61
	राजस्थान	49	12	65	4	7	6	0	143
दक्षिण	तमिलनाडु	144	3	38	7	3	0	0	195
	पांडिचेरी	4	0	0	0	0	0	0	4
	आंध्र प्रदेश	176	31	178	9	49	2	0	445
दक्षिण पश्चिम	कर्नाटक	32	18	26	4	0	0	0	80
	केरल	29	1	8	1	2	0	0	41
पश्चिम	महाराष्ट्र	85	37	123	17	22	3	0	287
	गोवा	0	2	0	0	0	0	0	2
	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	886	250	834	120	124	22	1	2237

[अनुवाद]

अन्य देशों में कॉफी की मांग

57. श्री एल. राजगोपाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के आदिवासी क्षेत्रों में उपजाई जाने वाली कॉफी की विदेश में बहुत ज्यादा मांग है क्योंकि इस क्षेत्र को 'आर्गेनिक ज़ोन' के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में देश-वार तथा ब्रांड-वार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की कॉफी का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार 11वीं योजना में कॉफी की खेती के लिए भूमि क्षेत्र को बढ़ाकर 60,000 एकड़ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कॉफी उपजाने वाले आदिवासियों की सहायता के लिए तथा इसके निर्यात के संवर्धन के लिए समेकित जनजातीय विकास एजेंसी से इस संबंध में सहायता सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) राज्य में लगभग 4900 मी.टन के कुल उत्पादन की तुलना में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश से लगभग 50 मी.टन प्रमाणित जैविक कॉफी का निर्यात किया गया था। यद्यपि, आमतौर पर वैश्विक बाजार में प्रमाणित जैविक कॉफी की मांग बढ़ी है, तथापि सभी प्रमाणित कॉफी के लिए उच्च प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है और जैविक कॉफी के लिए प्राप्त होने वाले प्रीमियम का मुख्य आधार कॉफी की गुणवत्ता होता है इस प्रकार विशाखापत्तनम के

जन-जातीय क्षेत्रों में उत्पादित कॉफी हेतु मांग उसके केवल जैविक होने के कारण नहीं अपितु उसकी गुणवत्ता पर आधारित है।

(ग) और (घ) XIवीं योजना अवधि के दौरान 10,000/-रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करके आंध्र प्रदेश में कॉफी क्षेत्र में 16000 हेक्टेयर (40,000 एकड़) और उड़ीसा में 1100 हेक्टेयर (2750 एकड़) का विस्तार करने का प्रस्ताव है। रोग के प्रति अतिसंवेदनशील 'कावेरी' किस्म को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है जिसके लिए XIवीं योजना अवधि के लिए 5100 हेक्टेयर (12750 एकड़) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

20,000/-रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) में कॉफी के कृषि क्षेत्र में 850 हे. (2125 एकड़) का विस्तार करने और 15,000/-रुपए प्रति हे. की दर से सहायता प्रदान करके 1,000 हे. (2500 एकड़) के समेकन हेतु भी सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) भारत में उत्पादित कॉफी के बाजार हिस्से में वृद्धि करके अधिकतम निर्यात आयत प्राप्त करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय कॉफी उपजकर्त्ताओं सहित देश के कॉफी निर्यातक समुदाय हेतु XIवीं योजना के लिए कई कार्यकलापों की परिकल्पना की गई हैं। भारतीय ब्रांडों के रूप में मूल्यवर्धित कॉफी के निर्यात हेतु निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा इन कार्यकलापों में व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों एवं (प्रतिनिधिमंडलों के दौरों का आयोजन, निर्यात पुरस्कारों का आयोजन और प्रमुख विदेशी बाजारों में ब्रांड संवर्धन संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं।

XIवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश (जिसके लिए XIवीं योजना अवधि के दौरान 75 लाख रुपए की राशि रखी गई है) सहित राज्यों में उत्पादित कॉफी हेतु बाजार सहायता प्रदान की जा रही है। भारतीय कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी की खरीद, परिवहन, प्रसंस्करण तथा भण्डारण के रूप में प्रचालन लागतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

58. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता की कतिपय धाराओं में इनके अंतर्गत जुर्माने की राशि की अधिकतम सीमा को हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक नई धारा 292 (क) अंतःस्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने दंड संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2008 अग्रेषित किया है जो इसे राज्य विधान सभा में प्रख्यापित किए जाने से पूर्व उस पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए जाने के लिए इस मंत्रालय में दिनांक 08.02.2008 को प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार का प्रस्ताव धारा 279, 304क, 354 और 509 में संशोधन किए जाने जाने का है ताकि इन धाराओं में उल्लिखित दंड में वृद्धि की जा सके, सरकारी परिसरों में अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध मानने के लिए धारा 441 में और धारा 323, 336, 337, 338 और 491 में संशोधन किया जा सके ताकि इन धाराओं में निर्धारित दंड की राशि की अधिकतम सीमा को समाप्त किया जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार का प्रस्ताव एक नई धारा 292क भी शामिल किए जाने का है ताकि अश्लील मामलों या ब्लेकमेल करने के आशय वाले मामलों के प्रकाशन अथवा छपाई के लिए दंड का प्रावधान किया जा सके। राज्य सरकार से कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

औद्योगिक गलियारा

59. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे की अवधारणा तथा उद्देश्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में ऐसे और औद्योगिक गलियारों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्वनी कुमार) : (क) दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एक आदर्श औद्योगिक कोरिडोर के तौर पर, 1483 किमी. लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर (डीएफसी) के साथ-साथ दोनों ओर विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें विनिर्माण व सेवा आधार का विस्तार करने तथा डी.एम.आई. सी. को "वैश्विक विनिर्माण व व्यापार हब" के तौर पर विकसित करने पर जोर दिया गया है। डी.एम.आई.सी. का लक्ष्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक माहौल और आधुनिकतम ढांचागत सुविधाओं के साथ मजबूत आर्थिक आधार का निर्माण करना है, ताकि स्थानीय वाणिज्य को सक्रिय किया जा सके, विदेशी निवेश में वृद्धि की जा सके तथा टिकाऊ विकास हासिल किया जा सके। अवधारणा-पत्र में की गई परिकल्पना के अनुसार इसके उद्देश्य हैं — इस क्षेत्र में अगले पांच वर्षों के भीतर रोजगार संभाव्यता को दुगुना करना, औद्योगिक उत्पादन को तिगुना करना और आयातों का चौगुना करना।

(ख) परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) ने पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययनों के साथ समग्र डी.एम.आई.सी. क्षेत्र के लिए एक विस्तृत संदर्शी योजना तैयार करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता मै. स्कॉट विल्सन को नियुक्त किया है। इसके अलावा, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में चिन्हित किए गए निवेश क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं तैयार करने हेतु तीन अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं क्रमशः मै. हैल्क्रो, मै. ली एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा. लि. और मै. जुरोंग कंसल्टेंट्स इंडिया प्रा. लि. की भी नियुक्ति की गई है। एक बार संदर्शी योजना और विकास योजनाएं तैयार हो जाने पर, परियोजनाएं तैयार की जाएंगी और उनके कार्यान्वयन हेतु एसपीवी की स्थापना की जाएगी।

(ग) और (घ) चेन्नई — बंगलूरू — मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के लिए भी अवधारणा-पत्र आरंभ किया गया है और विभाग द्वारा नियुक्त किए गए परामर्शदाता ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली

60. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत राज्य-वार किन-किन जिलों को शामिल किया गया; और

(ख) देश के सभी जिलों को उक्त प्रणाली में कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) राष्ट्रीय संसाधन आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (एन आर डी एम एस) के अंतर्गत शामिल जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) स्थानीय स्तर आयोजना में सहायता प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर जी आई एस की अवधारणा के अनुसार प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा आधार तैयार करने के लिए कार्यपद्धति का विकास और इसका प्रदर्शन करने हेतु एन आर डी एम एस कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य सरकार की सक्रिय सहायता से कर्नाटक राज्य को संपूर्ण रूप से इसमें शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राज्य सरकार की परस्पर सहायता से प्रारंभ में इसमें चार जिलों को शामिल किया था, किन्तु अब इसमें वृद्धि कर संपूर्ण राज्य को शामिल कर लिया गया है। राज्य में सभी जिलों को शामिल करने के लिए एन आर डी एम एस को बढ़ाना तथा प्रयोगिक स्तर से मॉडल की प्रतिकृति तैयार करना संबंधित राज्य सरकार द्वारा अवधारणा और कार्यपद्धति की स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। एन आर डी एम एस में सभी जिलों को शामिल किरने के लिए ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

विवरण

एन आर डी एम एस के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों को शामिल किया गया है:

I. कर्नाटक राज्य

1. बंगलौर शहरी
2. बंगलौर देहात
3. बेलगाम
4. बीजापुर
5. दक्षिण कन्नड़
6. धारवाड़

7. गुलबर्ग
8. हस्सन
9. कोलार
10. मैसूर
11. शिमोगा
12. रायचुर
13. टुमकुर
14. उत्तर कन्नड़
15. बेल्लारी
16. कोडागु
17. मंड्या
18. बगलकोट
19. चामराजानगर
20. दावणगेरे
21. गडग
22. हवेरी
23. बिदर
24. कोप्पल
25. चिकमगलूर
26. उडुपी
27. चित्रदुर्ग
28. रामनगर
29. चिकबलपुर

II. तमिलनाडु

1. पुद्दुकोट्टोई
2. वेल्लूर
3. तेनी
4. नागपटनम
5. कुड्डोलोर

III. आंध्र प्रदेश

1. कुर्नूल
2. महबूब नगर
3. कडाफा
4. प्रकाशम
5. नेल्लूर
6. विशाखापटनम

IV. उत्तर प्रदेश

1. लखनऊ
2. इलाहबाद
3. वाराणसी
4. सुलतानपुर
5. देवरिया
6. गोरखपुर
7. प्रतापगढ़

V. उत्तराखंड

1. पौड़ी
2. टिहरी
3. अल्मोड़ा
4. बागेश्वर
5. चंपावत
6. नैनीताल

VI. हरियाणा

1. गुड़गांव
2. रोहतक

3. जींद

4. अम्बाला

5. यमुना नगर

6. पंचकुला

VII. राजस्थान

1. चित्तौड़गढ़

2. डूंगरपुर

3. अलवर

VIII. पंजाब

1. मनसा

IX. उड़ीसा

1. कोरापुट (अविभाजित)

X. पश्चिम बंगाल

1. उत्तर 24 परगना

2. बर्दवान

3. जलपाईगुड़ी

4. दक्षिण 24 परगना

5. बांकुरा

6. कूचबिहार

7. हावड़ा

8. पुरुलिया

9. दार्जिलिंग

10. नादिया

11. हुगली

12. मालदा

13. मुर्शिदाबाद

14. पूर्व मेदिनीपुर

15. उत्तर दिनाजपुर

16. पश्चिम मेदिनीपुर

17. दक्षिण दिनाजपुर

18. बीरभूम

XI. जम्मू एवं कश्मीर

1. जम्मू

XII. बिहार

1. मुंगेर

XIII. नागालैंड

1. कोहिमा

2. दीमापुर

XIV. मणिपुर

1. इम्फाल

[हिन्दी]

बच्चों के विरुद्ध हिरासत में अपराध

61. **श्री रामदास आठवले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अ.जा. तथा अ.ज.जा. बच्चों सहित 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की हिरासत में मौत तथा बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और लिंग-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अवयस्कों को निरुद्ध करने के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य अधिकार पैनलों के निर्देशों की राज्य सरकारों द्वारा अनदेखी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, 2005 से 2007 की अवधि के दौरान हिरासत में हुई मौत तथा बलात्कार की घटनाओं के अंतर्गत दर्ज मामलों, आरोपित पुलिसकर्मियों के राज्य/संघशासित प्रदेश वार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I एवं विवरण-II में दिए गए हैं। इस संबंध में लिंगवार तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु अलग से जानकारी नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। प्रत्येक अपराध के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना राज्य सरकार पर निर्भर है। तथापि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए समस्त राज्य सरकारों एवं संघशासित प्रदेशों को परिचालित कर दिया गया है। हालांकि, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बच्चों के प्रति अपराधों को शामिल करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक व्यापक विधान पर विचार कर रहा है।

विवरण-I

2005-07 के दौरान हिरासत में हुई मौत के अन्तर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार दर्ज मामलों (सी.आर.)/ आरोपित पुलिसकर्मी (पी.सी.एस.) तथा सिद्धदोषी पुलिस कर्मी (पी.सी.वी.)

क्रम सं.	राज्य	2005			2006			2007		
		सी आर	पी सी एस	पी सी वी	सी आर	पी सी एस	पी सी वी	सी आर	पी सी एस	पी सी वी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	53	0	0	28	0	0	23	2	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	3	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	2	3	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	2	0	0	2	0	0	2	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	1	0	0	4	4	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	2	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	3	0	0	1	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	0	0	0	5	4	7	6	0
15.	महाराष्ट्र	3	0	0	2	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	1	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20.	उड़ीसा	2	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	1	1	0	3	0	0	1	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	5	0	0	6	0	0	2	0	0
25.	त्रिपुरा	2	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	8	1	3	6	2	7	9	19	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	81	4	3	50	7	11	56	34	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	कुल अखिल भारत	81	4	3	50	7	11	57	35	0

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा दी गई जानकारी में पिछले वर्ष से लंबित मामलों संबंधी जानकारी भी शामिल है।

विवरण-II

2005-07 के दौरान हिरासत में हुए बलात्कार के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार दर्ज मामलों (सी.आर.)/आरोपित मामलों (सी.एस.)/ सिद्ध दोषी मामलों (सी.वी.)/गिरफ्तार पुलिसकर्मी (पी.ए.आर.)/आरोपित पुलिस कर्मी (पी.सी.एस.) तथा सिद्धदोषी पुलिस कर्मी (पी.सी.वी.)

क्रम सं.	राज्य	2005						2006						2007					
		सी आर	सी एस	सी वी	पी ए आर	पी सी एस	पी सी वी	सी आर	सी एस	सी वी	पी ए आर	पी सी एस	पी सी वी	सी आर	सी एस	सी वी	पी ए आर	पी सी एस	पी सी वी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	5	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	7	3	0	3	3	0	2	3	0	3	2	0	1	1	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	7	3	0	3	3	0	2	3	0	3	2	0	1	1	0	0	1	0

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा दी गई जानकारी में पिछले वर्ष से लंबित मामलों संबंधी जानकारी भी शामिल है।

सांस्कृतिक और नैतिक पुलिसिंग

62. श्री मोहन सिंह :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में सांस्कृतिक और नैतिक पुलिसिंग के नाम पर तोड़-फोड़ और उधम मचाने की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान राज्य-वार प्रकाश में आयी ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपियों के विरुद्ध किस कानून के तहत कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर कलाकृतिध्वंसन की रिपोर्टें आती रहती हैं। संविधान के अनुसार कानून एवं व्यवस्था तथा "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है और ऐसी घटनाएं होने की स्थिति में मामलों को दर्ज करना/उनकी जांच-पड़ताल करना, अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तदनुसार, ऐसी घटनाओं का राज्यवार आंकड़ा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की नियमित आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है और इस प्रक्रिया में, राज्यों के साथ सूचना की भागीदारी करने के अतिरिक्त, राज्य सरकारों के साथ सघन समन्वय बनाए रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर, किसी विशिष्ट स्थिति के उत्पन्न होने पर उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती करके उन्हें सहायता भी देती है।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट

63. श्री संजय धोत्रे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पात्रता (नेट) से छूट देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या यूजीसी ने 30 जून, 2009 तक एम.फिल. डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20 (1) के तहत निर्देश जारी किए हैं कि वह रजिस्ट्रेशन, पाठ्यक्रम कार्य तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों का अनुपालन करने वाले किसी भी विश्वविद्यालय से पीएच. डी. डिग्री धारकों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रारंभिक स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा संबंधी योग्यता को अनिवार्य बनाने के लिए नियम बनाए।

[अनुवाद]

आतंकवाद रोधी उपाय

64. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हाल के आतंकी हमलों के मद्देनजर बीस आतंक विरोधी विद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विद्यालयों की किन स्थानों पर स्थापना किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार के पास आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए "विशेष बल कमान" की स्थापना संबंधी संकल्पना पत्र लंबित है;

(घ) यदि हां, तो उक्त पत्र में की गई सिफारिशों पर कब तक कार्रवाई को स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार ने XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 उग्रवाद-रोधी और आतंकवाद-रोधी विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य में राज्य पुलिस कार्मिकों को उग्रवादी/नक्सलवादी खतरे से निपटने का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 4 विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक से सहायता

65. **श्री राकेश सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में तकनीकी संस्थानों में अवसंरचना तथा सुविधाओं में सुधार के लिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों (टीईक्यूआईपी) के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उक्त धनराशि का राज्य-वार किस प्रकार उपयोग करने की योजना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) यह मंत्रालय तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और संस्थाओं की मौजूदा क्षमता में विस्तार करने ताकि ये संस्थान बहुआयामी, मांग-आधारित, गुणवत्ता के प्रति जागरूक, दक्ष एवं प्रगतिशील, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर होने वाले त्वरित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास के प्रति प्रत्युत्तरदायी बन सकें, के प्रयोजनार्थ विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को लागू कर रहा है। यह परियोजना मार्च, 2003 में लागू हुई तथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त होगी। इस परियोजना को 13393 मिलियन रु. की कुल लागत, जिसमें से 65% राशि विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है, केन्द्रीय रूप से समन्वित केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र के तौर पर लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 13 राज्यों में स्थित 109 राज्य संस्थाएं तथा 18 केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाएं शामिल हैं।

(ग) इन निधियों का उपयोग संस्थागत विकास करने और इस कार्यक्रम के तहत चुने गए राज्यों तथा संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा प्रबंधन प्रणाली की दक्षता एवं प्रभाविता में सुधार करने हेतु प्रणाली प्रबंधन क्षमता सुधार करने के प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। चुने गए राज्यों तथा केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाओं और साथ ही राष्ट्रीय परियोजना क्रियान्वयन यूनिटों के लिए 31 दिसम्बर, 2008 तक किए गए आबंटन तथा उपयोग के ब्यौरे समेत इनकी सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	आबंटन (मिलियन रु. में)	उपयोग (मिलियन रु. में)	उपयोग की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1452.834	1403.497	97
2.	गुजरात	503.703	495.733	98
3.	हरियाणा	326.860	314.022	96
4.	हिमाचल प्रदेश	79.953	71.638	90
5.	झारखण्ड	318.700	309.100	97
6.	कर्नाटक	1624.757	1557.038	96
7.	केरल	529.765	519.589	98
8.	मध्य प्रदेश	458.476	435.957	95
9.	महाराष्ट्र	1625.594	1568.608	96
10.	तमिलनाडु	961.630	940.552	98
11.	उत्तराखण्ड	349.951	332.312	95
12.	उत्तर प्रदेश	625.060	606.096	97
13.	पश्चिम बंगाल	1470.970	1408.970	96
	(कुल)(क)	10328.253	9963.112	96
	सीएफआईएस			
1.	एमएनएनआईटी, इलाहाबाद	170.000	169.843	100
2.	एमएएनआईटी, भोपाल	201.200	201.200	100
3.	एनआईटी, कालीकट	211.606	209.189	99
4.	एनआईटी, दुर्गापुर	210.000	206.498	98
5.	एनआईटी, हमीरपुर	183.634	185.209	101

1	2	3	4	5
6.	एमएनआईटी, जयपुर	85.394	79.768	93
7.	डीबीआरएएनआईटी, जालंधर	102.700	102.823	100
8.	एनआईटी, जमशेदपुर	93.729	86.432	92
9.	एनआईटी, कुरूक्षेत्र	187.513	175.296	93
10.	वीएनआईटी, नागपुर	200.000	199.738	100
11.	एनआईएफएफटी, रांची	93.819	90.207	96
12.	एनआईटी, राउरकेला	152.796	152.700	100
13.	एनआईटी, सिल्चर	126.780	129.625	102
14.	एनआईटी, श्रीनगर	79.252	74.789	94
15.	एसवीएनआईटी, सूरत	229.300	229.124	100
16.	एनआईटी, सूरतकल	218.654	221.182	101
17.	एनआईटी, तिरुचिरापल्ली	200.000	200.000	100
18.	एनआईटी, वारंगल	194.100	193.204	100
	(कुल) (ख)	2940.477	2906.828	99
	एनपीआईयू (ग)	125.000	39.443	32
	कुल योग (क+ख+ग)	13393.730	12909.383	96

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता

66. **श्री अधीर चौधरी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एन.आई.ओ.एस. में गुणवत्ता के सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर नामांकन वर्ष 2006-07 में 2.91 लाख से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 3.58 लाख हो गया है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु की गई कुछ मुख्य पहलों में 24 घंटे अध्ययन सहायता केन्द्र स्थापित करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के अनुरूप शिक्षण सामग्री का समय-समय पर संशोधन, अट्रैक्टिव मल्टी-मीडिया कार्यक्रमों का विकास तथा परीक्षा सुधार शामिल है।

आर्थिक मंदी का उत्पादन पर प्रभाव

67. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण कई भारतीय उद्योगों ने अपना उत्पादन घटाना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन उद्योगों को अपना उत्पादन कम करने या रोकने के बजाए अपने उत्पादों की कीमतें कम करने हेतु कोई अनुदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो उद्योगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा अब तक किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियां क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी ने भारत के निर्यातोन्मुख उद्योगों को प्रभावित किया है, जैसे कि वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़ा, रत्न और आभूषण, आदि। आटोमोबाइल और इसके सहायक उद्योगों, सीमेंट, स्टील, आवास क्षेत्र, आदि जैसे उद्योगों की मांग में भी कमी देखी गई है।

औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा उद्योग व व्यापार एसोसिएशनों के साथ निकट तालमेल रखा जाता है और उत्पादन व मूल्यों की निगरानी की जाती है। औद्योगिक उत्पादों के मूल्य तथा उत्पादन के स्तर मुख्यत: बाजार की शक्तियों से निर्धारित होते हैं।

वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव का समाधान करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में मांग को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। दिसम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 में सरकार ने दो पैकेजों की घोषणा की। इन दो पैकेजों में अन्य बातों के साथ-साथ शुरू किए गए उपाय हैं:—

- **सेनवैट/उत्पाद शुल्क में कमी:** अतिरिक्त खर्च की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तत्काल उपाय के तौर पर पेट्रोलियम को छोड़कर मूल्य के अनुसार सेनवेट दर में सभी चीजों पर 4 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की गई।

- **निर्यात सहायता उपाय :** निर्यात में सहायता के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे कि:—

  — वस्त्र, हैंडलूम, हस्तशिल्प, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र जैसे श्रम गहन उद्योगों के लिए शिपमेंट पूर्व एवं पश्चात् निर्यात ऋण हेतु ब्याज में 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता।

  — टर्मिनल उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर का पूरा रिफंड सुनिश्चित करने के लिए 1100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि।

  — निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन।

  — निर्यात ऋण गारंटी कार्पोरेशन (ईसीजीसी) को 350 करोड़ रुपए तक की सरकारी समर्थन गारंटी, ताकि वह कठिन बाजारों/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटी प्रदान कर सके।

  — बुने हुए कपड़ों, साइकिलों, कृषि हस्त औजारों और धागों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों सहित कुछ विशेष मदों पर शुल्क वापसी में वृद्धि।

  — निर्यात-आयात (एग्जिम) बैंक द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर भारतीय निर्यातकों को रुपए या डालर में शिपमेंट-पूर्व ऋण।

आवास:

  — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4000 करोड़ रुपए की पुन: वित्तपोषण सुविधा।

  — आवास क्षेत्र के लिए निधियों की सुलभता में सहायता के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के पात्र अंतिम उपयोग के तौर पर एकीकृत टाउनशिप के विकास की अनुमति दी गई है।

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र :**

  — सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की सहायता हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7000 करोड़ रुपए की पुन: वित्तपोषण सुविधा।

  — ऋण गारंटी योजना के तहत ऋण सीमा का बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना।

  — मौजूदा निधि आधारित सीमाओं के 20 प्रतिशत तक आवश्यकता आधारित तदर्थ कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।

  — ऋण हेतु ब्याज दरों में सूक्ष्म उद्यमों के लिए 1 प्रतिशत की कमी तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 0.5 प्रतिशत की कमी करना।

- **वस्त्र :** प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना में संपूर्ण पिछला बकाया निपटान के लिए 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन।

- **सीमेंट :** घरेलू सीमेंट उद्योग को बचाने का बढ़ावा देने के लिए सीमेंट पर फिर से काउंटरवेलिंग शुल्क लगाना।

- **आटोमोबाइल :**

  — वाणिज्यिक वाहनों के लिए 50 प्रतिशत का तीव्र मूल्यह्रास।

  — शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत राज्यों को सहायता।

- **अन्य:** (क) वर्तमान मितव्ययिता निर्देशों में छूट देते हुए, सरकारी विभागों को अनुमेय बजट के भीतर सरकारी वाहन बदलने की अनुमति दी गई है। (ख) बिजली क्षेत्र में उपयोग के लिए नेफ्था पर आयात शुल्क समाप्त करना। (ग) लौह अयस्क पट्टियों पर निर्यात शुल्क को समाप्त

करना तथा पिंडकों के लिए शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत करना।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दर, स्टेच्युटरी लिक्विडिटी अनुपात (एसएलआर), कैश रिज़र्व अनुपात (सीआरआर) को घटाकर ऋण लागतों को कम करने एवं उद्योगों के लिए तरलता में सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं।

ब्याज दरों में कमी तथा सेनवेट दरों में सभी चीजों के लिए 4 प्रतिशत की कमी के जरिये लागतें घटाने और मांग को प्रेरित करने में मदद मिली है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियम की समीक्षा

68. श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) विनियमों को विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के समतुल्य बनाने के लिए उसकी समीक्षा के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार 26/11 मुम्बई आतंकी हमले के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों तथा रक्षा, उड्डयन और दूरसंचार में प्रत्यक्ष विदेशी विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए घरेलू एयरलाइन्स क्षेत्र सहित उड्डयन क्षेत्र एवं प्रिंटमीडिया में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर एक उदार तथा निवेशक अनुकूल नीति की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। वर्ष 2007 तथा 2008 के लिए अंकटाड की वैश्विक रिपोर्ट ने भारत को दूसरे सबसे ज्यादा निवेश को आकृष्ट करने वाले गंतव्य का दर्जा दिया है।

(ग) से (च) एफडीआई नीति की अन्त: मंत्रालयीय विचार विमर्शों के जरिए सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों अर्थात् रक्षा, विमानन तथा दूरसंचार पर मौजूदा एफडीआई नीति का विवरण संलग्न है।

विवरण

1. **रक्षा उत्पादन**

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 हथियार तथा गोला बारूद के उत्पादन में एफडीआई संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत लाइसेसिंग की शर्त के अध्यधीन रक्षा उत्पादन के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत 26 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

2. **वायु परिवहन सेवा क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति**

सरकार ने निम्नानुसार अनुमति दी है:—

(क) किसी भी विदेशी एयरलाइन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वायु सेवा उपक्रम की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) घरेलू अधिसूचित यात्री एयरलाइन क्षेत्र में सतत: मार्ग पर 49 प्रतिशत तक एफडीआई तथा अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति होगी।

(ग) गैर अधिसूचित एयरलाइनों, चार्टर्ड एयरलाइनों तथा कार्गो एयनलाइनों में स्वत: मार्ग पर 74 प्रतिशत तक एफडीआई तथा अप्रवास भारतीयों (एनआरआई) द्वारा 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति होगी।

(घ) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में स्वत: मार्ग पर 74 प्रतिशत तक एफडीआई तथा एनआरआई द्वारा 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति होगी।

(ङ) रखरखाव व मरम्मत संगठनों, उड़ान प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों तथा हेलीकॉप्टर सेवाओं/समुद्री जहाज सेवाओं में स्वत: मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति होगी।

3. दूरसंचार

क्षेत्र	इक्विटी अधिकतम सीमा	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
(क) बेसिक एंड सेल्युलर, यूनिफाईड एक्सेस सर्विसेस, नेशनल/इंटरनेशनल लांग डिस्टेंट, वी-सेट, पब्लिक मोबाईल रेडिया ट्रंक्ड सर्विसेस (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेस (जीएमपी सीएस) और अन्य वैल्यू एडेड टेलीकॉम सर्विसेस	74 प्रतिशत (जिसमें एफडीआई, एफंआईआई, एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर, जेडीआर, कन्वर्टेबल प्रफरेंस शेयर और भारतीय प्रमोटरों/निवेश करने वाली कम्पनी में अनुपातिक विदेशी इक्विटी शामिल है)	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	प्रेस नोट 3 (2007 श्रृंखला) में अधिसूचित दिशानिर्देशों की शर्त पर
(ख) गेटवेज, रेडियो पेजिंग, एंड-टू-एंड बेंडविथ के साथ आईएसपी	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंस लेने और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं की शर्त पर
(ग) (क) गेटवे के बिना आईएसपी, (ख) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस (टावर श्रेणी-I) (ग) इलेक्ट्रानिक मेल एंड वायस मेल	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वतः 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	यदि ये कम्पनियां विश्व के किसी अन्य भाग में सूचीबद्ध हैं तो इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी कम्पनियां 5 वर्षों में भारतीय जनता के पक्ष में अपनी 26 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश कर देंगी इसके अतिरिक्त जहां कहीं अपेक्षित हो लाइसेंस लेने और सुरक्षा अपेक्षाओं को देखते हुए
(घ) दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100 प्रतिशत	स्वतः	क्षेत्रवार अपेक्षाओं की शर्त पर
4. प्रिंट मीडिया			
(क) अखबार तथा समाचारों और सामयिकी से संबंधित आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अध्यधीन www.mib.nic.in
(ख) वैज्ञानिक/मैगजीनों/विशेष जॉनर्लो/आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अध्यधीन www.mib.nic.in
(ग) विदेशी अखबारों की प्रतिकृति वृद्धि का प्रकाशन	100 प्रतिशत	एफआईपीबी	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिदेशों के अध्यधीन वर्ष 2009 का प्रेस नोट 1
(घ) समाचारों तथा सामयिकी से संबंधित विदेशी मैगजीनों के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एनआरआई/पीआईओज/एफआईआई द्वारा एफडीआई तथा निवेश)	एफआईपीबी	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अध्यधीन वर्ष 2009 का प्रेस नोट 1

शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा

69. **श्री पी. करूणाकरन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया है;

(ख) इस संबंध में राज्य-वार लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे संस्थानों के लिए किये गये वित्तीय आबंटनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग ने 1666 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र जारी किए हैं और आयोग के समक्ष 910 आवेदन लंबित हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिणक संस्था आयोग अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता संस्वीकृत नहीं करता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2006	2007	2008	जारी अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	2	—	5
2.	आंध्र प्रदेश	9	24	6	39
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	2	—	2
4.	असम	2	—	17	19
5.	बिहार	2	20	17	39
6.	चंडीगढ़	2	3	1	6
7.	छत्तीसगढ़	1	4	5	10
8.	दादरा और नगर हवेली	2	2	—	4
9.	दमन	1	—	—	1
10.	दिल्ली	36	8	15	59
11.	गोवा	9	31	28	68
12.	गुजरात	3	3	5	11
13.	हरियाणा	20	12	3	35
14.	हिमाचल प्रदेश	9	3	4	16
15.	झारखण्ड	2	15	15	32
16.	कर्नाटक	4	26	15	45
17.	केरल	9	78	97	184
18.	मध्य प्रदेश	15	19	12	46
19.	महाराष्ट्र	22	28	21	71
20.	मणिपुर	1	—	1	2
21.	मेघालय	1	4	—	5
22.	उड़ीसा	14	16	23	53
23.	पांडिचेरी	2	13	—	15
24.	पंजाब	11	39	4	54
25.	राजस्थान	2	22	37	61
26.	सिक्किम	3	13	—	16
27.	तमिलनाडु	9	19	13	41
28.	त्रिपुरा	—	—	1	1
29.	उत्तर प्रदेश	107	99	48	254
30.	उत्ताराखण्ड	36	17	6	59
31.	पश्चिम बंगाल	85	215	113	413
	कुल	422	737	507	1666

विवरण-II

वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्रों के लिए राज्य-वार लम्बित मामले

क्र. सं.	राज्य	2006	2007	2008	लम्बित अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				0
2.	आंध्र प्रदेश	2		9	11
3.	अरुणाचल प्रदेश				0
4.	असम			62	62
5.	बिहार		2	3	5
6.	चंडीगढ़			1	1
7.	छत्तीसगढ़			22	22
8.	दादरा और नगर हवेली				0
9.	दमन				0
10.	दिल्ली	2		39	41
11.	गोवा			78	78
12.	गुजरात		4	7	11
13.	हरियाणा		1	1	2
14.	हिमाचल प्रदेश				0
15.	झारखंड			1	1
16.	कर्नाटक	3		6	9
17.	केरल	23	23	502	548
18.	मध्य प्रदेश			5	5
19.	महाराष्ट्र	1	1	12	14
20.	मणिपुर		1		1
21.	मेघालय				0
22.	उड़ीसा			27	27
23.	पांडिचेरी				0
24.	पंजाब				0
25.	राजस्थान			17	17
26.	सिक्किम				0
27.	तमिलनाडु	1	1	5	7
28.	त्रिपुरा				0
29.	उत्तर प्रदेश	4		28	32
30.	उत्तराखंड			2	2
31.	पश्चिम बंगाल		8	6	14
	कुल	36	41	833	910

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा

70. श्री पंकज चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में व्याख्याता की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) कतिपय मामलों में छूट के प्रावधान

के अलावा विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रारंभिक स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना, वर्ष 1991 से अनिवार्य योग्यताओं में से एक योग्यता है। केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20 (1) के तहत रजिस्ट्रेशन, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों का अनुपालन करने वाले किसी विश्वविद्यालय से पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के अलावा अन्य सभी के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रारंभिक स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने संबंधी योग्यता को अनिवार्य बनाने हेतु विनियम बनाने के लिए निदेश जारी किया है।

विशेष आर्थिक जोनों द्वारा कम निर्यात

71. श्री सूरज सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों द्वारा निर्यात आशानुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार विभिन्न विशेष आर्थिक जोन द्वारा आयात-निर्यात की मात्रा और मूल्य क्या-क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों को कर रियायत के रूप में राज्य-वार कितनी मात्रा में वित्तीय सहायता दी गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोनों से निर्यात:—

(करोड़ रुपये में)

2006-07	2007-08	2008-09 (सितम्बर, 2008 तक)
34614.56	66637.6821	48838.2

(ग) एस ई जेड अधिनियम तथा नियमों के अनुसार एस ई जेड इकाइयों को निम्नलिखित कर रियायतों की अनुमति दी गई है:—

- एस ई जेड इकाइयों के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद;
- आयकर अधिनियम की धारा 10कक के अंतर्गत एस ई जेड इकाइयों हेतु निर्यात आय पर प्रथम पांच वर्षों के लिए आयकर में 100 प्रतिशत छूट, उसके पश्चात अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की छूट और अगले पांच वर्षों के लिए पुनः प्रयुक्त निर्यात लाभ पर 50 प्रतिशत की छूट;
- आयकर अधिनियम की धारा 115 ज ख के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट;
- एस ई जेड इकाइयों द्वारा परिपक्वता संबंधी किसी शर्त के बिना मान्यता प्राप्त बैंकिंग माध्यमों से एक वर्ष में 500 मिलियन अमरीकी डालर तक बाह्य वाणिज्यिक ऋण लेना;
- केन्द्रीय बिक्री कर से छूट।

[अनुवाद]

एआईसीटीई के विरुद्ध शिकायतें

72. श्री उदय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के विरुद्ध देश में शैक्षणिक संस्थाओं को अनियमित रूप से स्वीकृति देने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं की छानबीन करने के लिए कोई जांच गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) देश की शैक्षिक संस्थाओं को अनियमित अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विरुद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त होती रही हैं। ये शिकायतें मुख्यतः अनुमोदन प्रदान करने में विलंब, अनुमोदन प्रदान करने में मानदंडों एवं स्तरों को लागू करने में एकरूपता के अभाव, न्यूनतम मानदंडों एवं स्तरों को पूरा किए बिना अनुमोदन से संबंधित है। इस प्रकार के अभ्यावेदन उपयुक्त कार्रवाई हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को भेजे जाते हैं।

(ग) से (छ) एकलॉन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, फरीदाबाद के अध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत पर इस मंत्रालय ने हाल ही में जांच की है। इस जांच के निष्कर्ष के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम स्तर की सलाह प्राप्त करने हेतु इस मामले को दिनांक 10.2.2009 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजा गया है। एक अन्य शिकायत में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जांच प्रारंभिक चरणों में हैं इसलिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु निधियों का आवंटन

73. **श्री नरहरि महतो :**
श्री सुब्रत बोस :
श्री हितेन बर्मन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने एनसीईआरटी से देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने हेतु निधियों के आवंटन के संबंध में मूल्यांकन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या योजना पैनल ने शिक्षक संस्थानों का आकलन करने हेतु सरकार से पहले भी अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) अध्यापक शिक्षा की केन्द्र-प्रायोजित योजना को 11वीं योजना में जारी रखने/संशोधित करने संबंधी इस विभाग के प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति द्वारा 13 नवंबर 2007 को विचार किया गया था। व्यय वित्त समिति ने इस योजना के व्यापक मूल्यांकन की सिफारिश की। तदनुसार, इस योजना के मूल्यांकन का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को सौंपा गया है। मूल्यांकन का कार्य जारी है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान (जो अब राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय है) ने नवंबर 1997 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन किया था। इसकी टिप्पणियों के आधार पर जनवरी 2004 में इस योजना के दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किए गए थे।

अंतर्राज्यीय सीमा विवाद

74. **श्री डी. बी. पाटिल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक राज्य अंतर्राज्यीय सीमा विवाद में उलझे हुए है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित राज्यवार कितने प्रदर्शन और आंदोलन हुए हैं;

(घ) देश में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का समाधान करने में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे अंतर्राज्यीय सीमा विवादों का समाधान करने हेतु कोई समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति द्वारा संबंधित रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) **महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल:** कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद महाराष्ट्र में कर्नाटक राज्य से सटे हुए कन्नड भाषी क्षेत्र को कर्नाटक में अन्तरित करने के कर्नाटक के दावे तथा कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में अन्तरित करने के महाराष्ट्र के दावे से संबंधित है। कर्नाटक ने केरल में कसरगढ़ तालुका का भी दावा किया है। यह विवाद 1956 से चल रहा है। केरल ने कर्नाटक के दावे

को स्वीकार नहीं किया। केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा विवाद निपटाने के लिए गठित महाजन आयोग की सिफारिशों पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने विपरीत मत प्रस्तुत किए हैं।

पंजाब-हरियाणा

पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद 1996 से चण्डीगढ़ पंजाब को अन्तरित करने तथा पंजाब की फाजिल्का तहसील का एक भाग हरियाणा को अन्तरित करने के संबंध में है।

असम-नागालैण्ड

असम सरकार ने अपनी भू-सीमा का निर्धारण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मूल वाद दर्ज कर रखा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 25.9.2006 के एक निर्णय में असम-नागालैण्ड सीमाओं की पहचान करने के लिए एक स्थानीय आयोग गठित किया है। स्थानीय आयुक्त इस संबंध में सुनवाई कर रहा है।

असम-अरुणाचल प्रदेश

असम सरकार ने अपनी भू-सीमा का निर्धारण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मूल वाद दर्ज कर रखा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 25.9.2006 के एक निर्णय में असम-नागालैण्ड सीमाओं की पहचान करने के लिए एक स्थानीय आयोग गठित किया है। स्थानीय आयुक्त इस संबंध में सुनवाई कर रहा है।

असम मेघालय

असम और मेघालय के बीच कुछ सीमा विवाद है। केन्द्रीय सरकार ने दोनों राज्य सरकारों को यह मामला आपसी सूझबूझ से निपटाने का समय-समय पर सुझाव दिया है।

असम-मिजोरम

मिजोरम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से असम-मिजोरम सीमा विवाद का हल निकालने के लिए पृथक सीमा आयोग गठित करने का अनुरोध किया है।

आंध्र प्रदेश-उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी

उपलब्ध जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य का उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ सीमा विवाद है। अपना सीमा विवाद निपटाने के लिए किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध नहीं किया है।

उड़ीसा-झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल

उपलब्ध जानकारी के अनुसार-उड़ीसा राज्य का झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा विवाद है। इनमें से किसी भी राज्य सरकार ने अपना सीमा विवाद निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध नहीं किया है।

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश

उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद है। तथापि दोनों राज्य सरकारों में से किसी ने भी अपना सीमा विवाद निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध नहीं किया है।

(ग) इस तरह के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) से (च) केन्द्रीय सरकार का लगातार यही दृष्टिकोण रहा है कि अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद संबंधित राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से हल किया जा सकता है और यह कि केन्द्रीय सरकार पारस्परिक सहायता एवं सूझबूझ की भावना से विवादों का सौहर्दपूर्ण हल निकालने के लिए एक सुसाध्यक के रूप में कार्य करता है। केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद निपटाने के लिए अक्टूबर, 1996 में एक महाजन आयोग का गठन किया है। चण्डीगढ़ के बदले हरियाणा को अन्तरित किए जाने वाले पंजाब के क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए अब तक तीन आयोग गठित किए हैं। भारत सरकार ने असम और नागालैण्ड के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए विगत में प्रयास किए हैं, परन्तु यह प्रयास निरर्थक रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता

75. **श्री सुब्रत बोस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतत् बढ़ती सामाजिक आर्थिक असमानता ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की अवसंरचना और गुणवत्ता को प्रतिकूलतः प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा में समानता के सिद्धांत को क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की अवसंरचना को सुदृढ़ करने और इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (छ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 6 से 14 वष की आयु वर्ग समूह में सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम है। देश में समान प्रारंभिक शिक्षा का संवर्धन करने के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1,72,531 स्कूलों का निर्माण किया गया है, 9,68,237 अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, 2,31,577 शौचालय और 1,73,622 पेयजल सुविधाएं स्थापित की गयी हैं।

कम्प्यूटर विज्ञान में पीएचडी

76. **श्रीमती मेनका गांधी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कम्प्यूटर विज्ञान में पीएचडी को बढ़ावा देने हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पुलिसकर्मियों की भर्ती

77. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में आधारभूत पुलिस इकाइयों (बेसिक पुलिस यूनिट) की भूमिका क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास आतंकवादी हमलों से और अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने हेतु दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और पुलिस बल को सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में काफी संख्या में पुलिसकर्मियों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु कोई अनुदेश दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) विभिन्न राज्यों में बुनियादी पुलिस इकाईयों को पुलिस अधिनियम, 1861 और राज्य विशिष्ट विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कुछ राज्यों ने इस विर्षय को शामिल करने के लिए नया पुलिस अधिनियम सम्पादित किया है।

(ख) और (ग) राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा नए पुलिस थानों का सृजन, पुलिस थानों को दूसरी जगह ले जाना और उनका विलयन, क्षेत्राधिकार आदि तक निरन्तर प्रक्रिया है जो कार्यात्मक एवं अन्य तर्कों पर निर्भर है। चूंकि "पुलिस" और कानून-व्यवस्था" भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय है, इसलिए प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने पुलिस बलों को श्रमशक्ति एवं सहायक अवसंरचना के मामले में उपर्युक्त ढंग से सुसज्जित करें। तथापि, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकीरण योजना (एम पी एफ स्कीम) तथा संघ शासित प्रदेशों संबंधी एक पृथक योजना के अन्तर्गत, आतंकवादी एवं अन्य धमकियों से निपटने के लिए पुलिस थाना बनाने तथा राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने सहित पुलिस ढांचा तैयार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों की निधियां प्रदान की जाती है। दिल्ली से संबंधित विशेष जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) और (ङ) बी पी आर एण्ड डी ने 1.1.2007 तक राज्य पुलिस बलों की स्वीकृत एवं वास्तविक क्षमता पर जानकारी को समेकित किया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) से (ज) चूंकि "पुलिस" और "कानून व्यवस्था" भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं, इसलिए केन्द्र सरकार निरन्तर राज्य सरकारों को अपने पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कहती है।

विवरण

1.1.2007 तक पुलिस बल की स्वीकृत एवं वास्तविक क्षमता तथा रिक्ति का प्रतिशत

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राज्य पुलिस की कुल क्षमता (सिविल एवं सशस्त्र)		
		स्वीकृत	वास्तविक	रिक्ति का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	92,106	एन आर	एन आर
2.	अरुणाचल प्रदेश	6,018	5,239	12.94
3.	असम	55,954	46,541	16.82
4.	बिहार	74,188	52,075	29.81
5.	छत्तीसगढ़	36,987	25,412	31.29
6.	गोवा	4,540	4,178	7.97
7.	गुजरात	72,723	53,451	26.50
8.	हरियाणा	52,109	50,524	3.04
9.	हिमाचल प्रदेश	14,722	12,033	18.27
10.	जम्मू और कश्मीर	68,125	एन आर	एन आर
11.	झारखंड	51,081	40,663	20.40
12.	कर्नाटक	76,997	57,509	25.31
13.	केरल	43,111	39,022	9.48
14.	मध्य प्रदेश	76,365	एन आर	एन आर
15.	महाराष्ट्र	182,195	एन आर	एन आर
16.	मणिपुर	16,771	13,339	20.46
17.	मेघालय	9,347	8,550	8.53
18.	मिजोरम	7,874	7,233	8.14
19.	नागालैंड	31,407	31,305	0.32
20.	उड़ीसा	45,156	38,752	14.18
21.	पंजाब	71,859	63,641	11.44
22.	राजस्थान	71,664	51,051	28.76
23.	सिक्किम	3,552	2,854	19.65
24.	तमिलनाडु*	98,683	एन आर	एन आर
25.	त्रिपुरा	25,504	19,367	24.06
26.	उत्तर प्रदेश	166,126	150,134	9.63
27.	उत्तराखंड	20,896	14,591	30.17
28.	पश्चिम बंगाल	82,593	65,944	20.16
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,901	2,750	5.21
30.	चंडीगढ़	4,628	4,395	5.03
31.	दादर और नगर हवेली	208	185	11.06
32.	दमन और दीव	246	226	8.13
33.	दिल्ली	62,420	66,275	-6.18
34.	लक्षद्वीप	349	302	13.47
35.	पुडुचेरी*	3,246	एन आर	एन आर
	अखिल भारत**	1,632,651	927,541	

*1.1.2006 तक। एन आर : आंकड़े पास नहीं हुए हैं।

**वास्तविक के अखिल भारतीय योग में आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल नहीं है।

मॉडल स्कूल

78. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री हितेन बर्मन :
डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मॉडल स्कूलों की स्थापना में राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों की भागीदारी हेतु तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना को अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में राज्य सरकारों के अंतर्गत 2500 उच्च गुणवत्तापरक मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना का पहला चरण वर्ष 2008-09 में शुरू किया गया है। इन स्कूलों के लिए भूमि अभिनिर्धारित की जाएगी और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी। इन स्कूलों में कक्षा vi से xii अथवा ix से xii तक की कक्षाएं होंगी। शिक्षा का माध्यम और सम्बद्धन बोर्ड का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा। केन्द्र सरकार की 11वीं योजना के दौरान आवर्ती/अनावर्ती व्यय में 75% की हिस्सेदारी होगी परन्तु विशेष श्रेणी वाले राज्यों, जिनके लिए केन्द्र की हिस्सेदारी 90% होगी। शेष 3500 स्कूलों के लिए तौर-तरीकों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है क्योंकि मंत्रालय योजना आयोग के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया में है।

अनुसंधान और विकास पर व्यय

79. श्री एस. अजय कुमार :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री सुभाष महरिया :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर भारत द्वारा किया जा रहा व्यय अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा देश में अनुसंधान और विकास पर कम व्यय किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक क्षेत्रों से अनुसंधान और विकास पर व्यय किए जा रहे सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या भारत में प्रति मिलियन लोगों में वैज्ञानिकों की संख्या अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी कम है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और देश में वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नए आविष्कारों हेतु भारतीय वैज्ञानिकों के कितने पेटेंट को स्वीकृति दी गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की प्रतिशतता के रूप में अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी) पर व्यय 0.88% है जो चीन को छोड़कर, जहां यह 1.42% है, अधिकांश विकासशील देशों से अधिक है। चीन की तुलना में भारत में अनुसंधान तथा विकास में कम निवेश मुख्यतः उद्योग द्वारा अनुसंधान तथा विकास में कम योगदान के कारण है।

देश में वर्धित अनुसंधान तथा विकास की मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने समय-समय पर कई उपाय किए हैं। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों का निरूपण, उभरते तथा अग्रणी क्षेत्रों में स्वायत्त अनुसंधान संगठनों एवं सुविधाओं की स्थापना, उद्योग में अनुसंधान तथा विकास पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता उपाय, उत्कृष्ट अनुसंधान तथा विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और सार्वजनिक — निजी अनुसंधान तथा विकास भागीदारी को प्रोत्साहन देना शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने वैज्ञानिक विभागों के लिए

Xवीं योजना आबंटन को बढ़ा कर 75,304.00 करोड़ रु. कर दिया है जो Xवीं योजना में 25,301.35 करोड़ रु. था।

(ङ) और (च) जी हां, उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चुनिंदा एशियाई देशों के लिए प्रति मिलियन आबादी पर वैज्ञानिकों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

राष्ट्र का नाम	प्रति मिलियन आबादी पर वैज्ञानिकों की संख्या
सिंगापुर	5713
जापान	5546
कोरिया	4162
चीन	926
श्रीलंका	141
भारत	140
पाकिस्तान	80

देश में वैज्ञानिक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें रोके रखने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें (i) अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान अनुशीलन में नवोन्मेष (आई एन एस पी आई आर ई) (ii) ब्वायजकास्ट अध्येतावृत्ति (iii) रामानुजन अध्येतावृत्ति और (iv) उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार हेतु निधि (एफ आई एस टी) शामिल हैं।

(छ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा भारतीयों को नए अन्वेषणों के लिए प्रदान किए गए पेटेंटों की संख्या वर्ष 2006-07 में 1907, 2005-06 में 1396 और 2004-05 में 764 है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

80. श्री के.बे.एस.पी. रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की सर्वाधिक दर कक्षा पांच और कक्षा सात के बीच के विद्यार्थियों में है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बच्चों की विद्यालयों में शिक्षा जारी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) प्राथमिक (कक्षा i-v), प्रारंभिक (कक्षा i-viii) और माध्यमिक (कक्षा i-x) स्तरों पर वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 के दौरान पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर में आई कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर		
	प्राथमिक (i-v)	प्रारंभिक (i-viii)	माध्यमिक (i-x)
2003-04	31.5	52.3	62.7
2004-05	29.0	50.8	61.9
2005-06	25.7	48.8	61.6

(ग) पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर में कमी लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूली बुनियादी सुविधाओं में सुधार करके स्कूलों का सुदृढ़ीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, वार्षिक स्कूल अनुदान का प्रावधान, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, शिक्षकों को नियमित शैक्षिक सहायता आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गए उपायों का लक्ष्य सामुदायिक सहयोग बनाना, दुर्गम स्थानों पर रहने वाले बच्चों के लिए सुगम्य एवं सरल स्कूली व्यवस्था करना, बालिका शिक्षा तथा साथ ही विशेष जरूरतों वाले बच्चों हेतु विशेष प्रावधान को बढ़ावा देना है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर में की लाने संबंधी कार्यनीति को परिपूरित करता है।

[हिन्दी]

बम विस्फोटों के पीड़ितों को राहत

81. श्री महावीर भगोरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर बम विस्फोट के पीड़ितों को उनके लिए राहत पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं तथा यह सहायता कब तक दिए जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जयपुर के जिला कलक्टर ने पीड़ितों/घायल व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी है और दी गयी क्षतिपूर्ति निम्नानुसार है:—

मृत व्यक्तियों की संख्या:	69
अभिनिर्धारित मृत व्यक्तियों की संख्या: (पीड़ित के परिवार के सदस्यों को प्रति 5 लाख रुपए)	63
गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या: (प्रति 1 लाख रुपए)	77
हल्के रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या: (प्रति 25,000/- रुपए)	106
स्थायी रूप से अपाहिज व्यक्तियों की संख्या: (प्रति 2 लाख रुपए)	2

बाईस परिवारों को पुनर्वास पैकेज के लिए अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें जीविका भत्ता, विद्यालय/महाविद्यालय शिक्षा हेतु भत्ता शामिल है। 10 पीड़ितों के परिवार के सदस्यों/को नौकरी भी दी गयी है और अन्य मामलों में जांच की जा रही है।

तथापि, आतंकवाद एवं साम्प्रदायिक दंगों से हताहत पीड़ितों की सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आतंकवादी हिंसा के कारण मरने वाले/स्थायी तौर पर अपाहिज बन जाने वाले निर्दोष व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को 3 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इस मंत्रालय को अब तक इस संबंध में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों को कानूनी सहायता

82. **श्री रनेन बर्मन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को राज्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों हेतु आरोपित विद्यार्थियों को कानूनी सहायता देने से संबंधित लागत का वहन करने का अधिदेश प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की मुकदमेबाजी में होने वाले खर्च की स्वीकृति देने हेतु विश्वविद्यालय/सरकारी स्तर के सक्षम प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा इस प्रकार खर्च की गई धनराशि का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपने संबंधित अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों के तहत अपने सक्षम सांविधिक निकायों के अनुमोदन के अनुसार विद्यार्थियों के कल्याण सहित सभी बजटीय क्रियाकलापों पर खर्च वहन करने का अधिकार प्राप्त है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पाए गए विद्यार्थियों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु उनके द्वारा किसी खर्च का वहन नहीं किया गया है।

निजी महाविद्यालयों को अनुदान

83. **श्री हितेन बर्मन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार कितने सरकारी और निजी महाविद्यालय हैं;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से अनुदान प्राप्त करने वाले निजी महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) निजी महाविद्यालयों को अनुदान संवितरण करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निजी और सरकारी महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त 31.01.2009 तक की सूचना के अनुसार, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों की संख्या 5068 तथा सरकारी महाविद्यालयों की संख्या 2047 है। महाविद्यालयों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31.01.2009 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र निजी महाविद्यालयों की संख्या 3931 है।

(ग) वे निजी महाविद्यालय जो स्थायी रूप से राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं तथा संबद्ध राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान (वेतन शीर्ष के अंतर्गत) प्राप्त करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'उत्कृष्टता संभावित महाविद्यालय' नामक योजना के तहत पात्र कॉलेजों को विकास अनुदान तथा शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए अनुदान दिया जाता है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत सरकारी/गैर सरकारी महाविद्यालयों की 31.01.2009 तक राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या सरकारी	गैर सरकारी सहायता प्राप्त	गैर सरकारी गैर-सहायता प्राप्त	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	189	226	39	454
2.	अरुणाचल प्रदेश	06	–	02	08
3.	असम	27	166	34	227
4.	बिहार	205	91	42	338
5.	छत्तीसगढ़	114	29	02	145
6.	गोवा	08	15	03	26
7.	गुजरात	40	327	17	384
8.	हरियाणा	49	98	03	150
9.	हिमाचल प्रदेश	39	10	–	49
10.	जम्मू व कश्मीर	43	08	57	108
11.	झारखंड	61	25	15	101
12.	कर्नाटक	155	384	57	596
13.	केरल	54	164	09	227
14.	मध्य प्रदेश	297	124	23	444
15.	महाराष्ट्र	75	723	139	937
16.	मणिपुर	36	12	06	54
17.	मेघालय	3	22	08	33
18.	मिजोरम	10	10	01	21
19.	नागालैंड	04	07	03	14
20.	उड़ीसा	119	207	51	377
21.	पंजाब	48	163	07	218
22.	राजस्थान	135	92	24	251
23.	सिक्किम	03	–	01	04
24.	तमिलनाडु	80	203	68	351
25.	त्रिपुरा	13	03	–	16
26.	उत्तर प्रदेश	98	420	511	1029
27.	उत्तरांचल	31	12	03	46
28.	पश्चिम बंगाल	45	342	06	393
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	02	–	–	02
30.	पश्चिम बंगाल	11	07	–	18
31.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	01	–	–	01
33.	दिल्ली	36	40	05	81
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
35.	पुडुचेरी	10	01	01	12
	कुल	2047	3931	1137	7115

सीमा पर 'लाइटनिंग रेड्स' के मामले

84. श्री निखिल कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नियंत्रण रेखा के पार से भूतपूर्व सैनिकों और आतंकवादियों के छोटे समूहों द्वारा 'लाइटनिंग रेड्स' की उन घटनाओं की जानकारी है जिनमें वे गोला-बारुद डिपुओं और ईंधन भंडारों पर आक्रमण करते हैं और फिर लौट जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नियंत्रण रेखा के पार से भूतपूर्व सैनिकों और आतंकवादियों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान गोला-बारुद डिपुओं और ईंधन भंडारों पर आक्रमण किए जाने का कोई दृष्टांत नहीं है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ सम्बद्धता के लिए लंबित प्रस्ताव

85. श्री राम सिंह कस्वां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के नाम क्या हैं जिसके प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ संबद्धता एवं वित्तीय सहायता हेतु लंबित हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान नहीं करता तथापि, आयोग उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत शामिल किए गए हैं तथा धारा 12बी के प्रावधानों के अनुसार पात्र घोषित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत राजस्थान में किसी भी कॉलेज को शामिल किए जाने तथा 12वीं के तहत पात्र घोषित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है, अधिनियम की धारा 12बी के तहत शामिल किए जाने के लिए राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार संकाय पदों के संबंध में उपयुक्त नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

कृषि निर्यात जोन

86. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कृषि निर्यात जोनों के विकास का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां कृषि निर्यात जोन कार्य कर रहे हैं तथा राज्य-वार उनकी गतिविधियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कृषि निर्यात जोनों के कार्यनिष्पादन तथा उनकी उपयोगिता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि निर्यात जोन उन कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों को अवसर प्रदान करता है जहां विकास की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। अब तक भारत सरकार ने देश के 20 राज्यों में 60 कृषि निर्यात जोनों को संस्वीकृति दी है 60 ए ई जेडों की सूची अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ) मौजूदा ए ई जेडों के निष्पादन में कमी के कारणों का पता लगाने और निवारक कार्य योजना का सुझाव देने के मद्देनजर उनका एक परिपूर्ण मूल्यांकन किया गया था। इस समीक्षा

से पता चला कि निम्नलिखित के अभाव में ए ई जेड प्रगति करने में असमर्थ थे:–

(i) उनके संकल्पना डिजाइन में परियोजना अभिमुखीकरण;

(ii) ए ई जेडों की अवधारणा के संबंध में क्षेत्र पदाधिकारियों के बीच जागरूकता;

(iii) अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ तालमेल करने तथा ए ई जेडों के निष्पादन की निगरानी करने के लिए कारगर एजेंसी; और

(iv) प्रभावशाली सार्वजनिक भागीदारी।

निवारक कार्य कार्रवाई योजना के मुख्य घटक हैं, ए ई जेडों के कार्यान्वयन की प्रगति के समन्वयन तथा निगरानी हेतु संस्थागत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना और पुनरुद्धार हेतु विशेष ध्यान देने के लिए कुछेक ए ई जेडों का चयन करना और साथ ही उन्हें आदर्श ए ई जेड बनाना।

(ङ) और (च) ए ई जेडों के राज्य-वार ब्यौरे उनके अंतर्गत शामिल उत्पाद, निवेश तथा इन ए ई जेडों से होने वाले संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	ए ई जेड परियोजना	राज्य एवं जिले	वास्तविक निर्यात	वास्तविक निवेश
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	अनन्नास	दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार तथा जलपाईगुड़ी	0.20	78.69
		लीची	(मुर्शिदाबाद जिला, मालदा, 24 परगना(उ) एवं 24 परगना (द))	3.30	0.93
		आलू	हुगली, वर्दवान, मिदनापुर (प) उदय नारायणपुर तथा हावड़ा	3.72	0.15
		आम	मालदा एवं मुर्शिदाबाद	74.00	3.58
		सब्जियां	नादिया, मुर्शिदाबाद एवं उत्तरी 24 परगना	4.43	0.12
		दार्जिलिंग चाय	दार्जिलिंग	0.00	0.00
			उप योग	85.65	83.47
2.	कर्नाटक	खीरा	तुमकुर, बंगलौर शहरी, बंगलौर, ग्रामीण, हासन, कोलार, चित्रदुर्ग, धारवाड़ तथा बागलकोट	1237.05	87.34
		लाल प्याज	बंगलौर शहरी, बंगलौर (ग्रामीण), कोलार	276.00	0.13
		फूल	बंगलौर (शहरी), बंगलौर (ग्रामीण), कोलार, तुमकुर, कोडगू तथा बेलगांव	31.74	3.57
		वनीला	दक्षिण कन्नड़ उत्तर कन्नड़ उडुपी, शिमोगा, कोडगू, चिकमंगलूर	0.00	0.00
			उप योग	1544.79	91.04

1	2	3	4	5	6
3.	उत्तरांचल	लीची	उधमसिंह नगर, नैनीताल तथा देहरादून	2.45	3.72
		फूल	देहरादून, पंतनगर	0.04	10.19
		बासमती चावल	उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून तथा हरिद्वार	0.00	0.39
		औषधीय एवं सुगंधित पौधे	उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून एवं नैनीताल	1.00	0.00
			उप योग	3.49	14.30
4.	पंजाब	सब्जियां	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, रोपड़ एवं लुधियाना	0.03	35.75
		आलू	सिंहपुरा जीराकपुर (पटियाला), रामपुरा फूल, मुक्तसर, लुधियाना, जालन्धर	2.80	8.46
		बासमती चावल	गुरूदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालन्धर, होशियारपुर एवं नवांशहर	1521.00	5.27
			उप योग	1523.83	49.48
5.	उत्तर प्रदेश	आलू	आगरा, हाथरस, फरूखाबाद, कन्नौज, मेरठ, अलीगढ़ एवं बागपत	7.00	0.97
		आम एवं सब्जियां	लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी	0.47	20.89
		आम	सहारनपुर, मुज्जफरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत एवं बुलंदशहर	12.49	16.99
		बासमती चावल	बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, जे बी फुले नगर, सहारनपुर, मुज्जफरनगर, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद	0.00	0.47
			उप योग	19.96	39.32
6.	महाराष्ट्र	अंगूर तथा शराब	नासिक, सांगली, पुणे, सातारा, अहमदनगर एवं शोलपुर	384.67	110.17
		आम (अल्फांसो)	रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ एवं थाणे	123.00	36.86
		केसर आम	औरंगाबाद, बीड़, जालना, अहमदनगर एवं लातूर	12.17	3.43
		फूल	पुणे, नासिक, कोल्हापुर एवं सांगली	35.50	168.00
		प्याज	नासिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, जलगांव एवं शोलापुर	588.00	38.33

1	2	3	4	5	6
		अनार	शोलापुर, सांगली, अहमदनगर, पुणे, नासिक, उस्मानाबाद एवं लातूर	20.24	1.53
		केले	जलगांव, धुले, नंदुरबार, बुल्डाना, परभणी, हिन्दोली, नांदेड़ एवं वर्धा	0.04	6.99
		संतरे	नागपुर एवं अमरावती	2.72	0.01
			उप योग	1166.34	355.32
7.	आंध्र प्रदेश	आम का गूदा तथा ताजी सब्जियां	चित्तूर	2736.03	91.40
		आम तथा अंगूर	रंगारेड्डी, मेडक एवं महबूबनगर जिले के कुछ भाग	18.29	57.21
		आम	कृष्णा जिला	2.75	17.90
		खीरे	महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, करीमनगर, वारंगल, अनंतपुर एवं नलगोंडा	44.52	20.05
		मिर्च	गुंटूर	51.00	20.32
			उप योग	2852.59	206.88
8.	जम्मू और कश्मीर	सेब	श्रीनगर, बारामूला, अनंतनागा, कुपवाड़ा, बड़गाम, पुलवामा	124.72	6.71
		अखरोट	बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा बड़गाम, कुपवाड़ा, श्रीनगर, डोडा, पुंछ, उधमपुर, राजौरी, कठुआ	552.21	14.14
			उप योग	676.93	20.85
9.	त्रिपुरा	जैविक अनन्नास	कुमारघाट, मानू, मेलाघर, मातावाड़ी एवं ककराबन	0.00	7.62
			उप योग	0.00	7.62
10.	मध्य प्रदेश	आलू प्याज लहसून	मालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर रतलाम, नीमच, मंदसौर	15.99	42.64
		मसालों के बीज	गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर एवं नीमच	38.43	4.55
		गेहूं (दुरूम)	नीमच, रतलाम, मदसौर, उज्जैन, इंदौर, धार, हरदा, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर एवं भोपाल	21.00	4.71

1 2	3	4	5	6
	मसूर एवं चना	शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा	0.00	0.00
	संतरे	छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल	0.00	8.90
		उप योग	75.42	60.80
11. तमिलनाडु	फूल	धर्मपुरी	39.40	22.47
	पुष्प	नीलगिरि जिला	44.56	5.50
	आम	मदुरै, ठेणी, डिंडीगुल, विरुद्धनगर तथा तिरूनेलवेली	0.00	0.81
	काजू	कुड्डालोर, तंजावुर, पुडुकोट्टई एवं शिवगंगा	18.33	0.00
		उप योग	102.29	28.78
12. बिहार	लीची, सब्जियां एवं शहद	मुज्जफरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली, पूर्व तथा पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, सारण, गोपालगंज	5.87	20.10
		उप योग	5.87	20.10
13. गुजरात	आम एवं सब्जियां	अहमदाबाद खड़िया, आनन्द, वड़ोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड़, भरूच, नर्मदा	1.65	16.66
	मूल्यवर्धित प्याज	भावनगर, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़, एवं जामनगर	300.49	13.67
	तिल बीज	अमरेली, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर	0.00	0.00
		उप योग	302.14	30.31
14. सिक्किम	फूल (ऑर्किड) एवं चेरी पेपर	सिक्किम (पूर्वी सिक्किम)	0.00	0.15
	अदरक	सिक्किम (उत्तर, पूर्व दक्षिण तथा पश्चिमी सिक्किम)	0.00	0.00
		उप योग	0.00	0.15
15. हिमाचल प्रदेश	सेब	शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चम्बा एवं किन्नौर	0.00	0.00
		उप योग	0.00	0.00
16. उड़ीसा	अदरक एवं हल्दी	कंधमाल	1.76	0.00
		उप योग	1.76	0.00

1	2	3	4	5	6
17.	झारखंड	सब्जियां	रांची, हजारीबाग, लोहरदगा	0.00	0.00
			उप योग	0.00	0.00
18.	केरल	बागवानी उत्पाद	त्रिशूर, इदुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलपुजा, पथनुमथिट्टा, कोल्लम, तिरूवनंतपुरम, पालक्कड	2277.79	3.10
		औषधीय पौधे	वायनाड, पालक्कड़, इदुक्की, मल्लापुर, त्रिशुर, कोल्लम, एर्नाकुलम, पथनुमथिट्टा, तिरूवनंतपुरम	0.00	0.00
			उप योग	2277.79	3.10
19.	असम	ताजी एवं प्रसंस्कृत अदरक	कामरूप, नलबाड़ी, बरपेटा, दरांग, नगांव, मोरीगांव, कार्बी अंगलौंग, उत्तरी कछार	2.17	3.15
			उप योग	2.17	3.15
20.	राजस्थान	धनिया	कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ एवं चित्तौड़	41.49	89.67
		जीरा	नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली एवं जोधपुर	39.27	47.03
			उप योग	80.76	136.70
			कुल योग	10721.78	1162.37

पुलिस और जनता का अनुपात

87. **श्री विजय कृष्ण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार पुलिस और जनता के मौजूदा अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अनुपात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1.1.2007 की स्थिति के अनुसार पुलिस-जनसंख्या के राज्यवार अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं,

(घ) भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अतः राज्य कानून और व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा की राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं और सम्बद्ध आवश्यकताओं के साथ नफरी के समानुपात पुलिस बल गठित करने में सक्षम हैं।

विवरण

1.1.2007 की स्थिति के अनुसार पुलिस जनसंख्या अनुपात

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पुलिस	
		स्वीकृत	वास्तविक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	113.79	एन आर

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	510.43	444.36
3.	असम	191.12	158.97
4.	बिहार	80.90	56.78
5.	छत्तीसगढ़	160.19	110.06
6.	गोवा	290.65	267.48
7.	गुजरात	131.55	96.69
8.	हरियाणा	224.07	217.25
9.	हिमाचल प्रदेश	227.82	186.21
10.	जम्मू और कश्मीर	576.45	एन आर
11.	झारखंड	173.63	138.22
12.	कर्नाटक	136.26	101.77
13.	केरल	127.69	115.58
14.	मध्य प्रदेश	113.09	एन आर
15.	महाराष्ट्र	173.65	एन आर
16.	मणिपुर	650.04	517.02
17.	मेघालय	375.23	343.24
18.	मिजोरम	818.50	751.87
19.	नागालैंड	1461.47	1456.72
20.	उड़ीसा	114.89	98.60
21.	पंजाब	274.72	243.30
22.	राजस्थान	113.61	80.93
23.	सिक्किम	609.26	489.54
24.	तमिलनाडु	150.44	एन आर
25.	त्रिपुरा	739.89	561.85
26.	उत्तर प्रदेश	89.36	80.76
27.	उत्तराखंड	224.74	156.93
28.	पश्चिम बंगाल	95.60	76.33
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	727.07	689.25
30.	चंडीगढ़	450.63	427.95
31.	दादरा और नगर हवेली	82.54	73.41
32.	दमन और दीव	135.16	एन आर
33.	दिल्ली	381.68	405.25
34.	लक्षद्वीप	520.90	450.75
35.	पुडुचेरी*	308.85	एन आर
		145.25	117.09

*1.1.2006 तक

एन आर — आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत एनजीओ

*88. श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री काशीराम राणा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और एनजीओ-वार कितना आवंटन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम मिले हैं; और

(ङ) समीक्षा से प्राप्त परिणामों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) "जन शिक्षण संस्थान" योजना और "प्रौढ़ शिक्षा एंव विकास हेतु गैर सरकारी-संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता" की योजना के तहत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस योजना के तहत राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों को वर्षवार आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। जन-शिक्षण संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के निष्पादन की आवधिक समीक्षा उनकी वार्षिक कार्ययोजनाओं तथा मध्यावधि मूल्यांकन बैठकों के जरिये की जाती है। यदि कार्यान्वयन में कोई खामियां होती हैं तो सुधारात्मक उपाय करने हेतु उसकी संसूचना संबद्ध जन शिक्षण संस्थान और गैर-सरकारी संगठन को दी जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत एम.जी.ओ.

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या							
		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (13.2.2009 तक)	
		जेएसएस	एनजीओ	जेएसएस	एनजीओ	जेएसएस	एनजीओ	जेएसएस	एनजीओ
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
1.	असम	—	01	—	—	—	—	01	—
2.	आंध्र प्रदेश	01	—	—	—	02	—	01	—
3.	बिहार	—	01	01	—	02	—	03	—
4.	छत्तीसगढ़	—	—	01	01	01	—	02	—
5.	गुजरात	—	01	01	—	01	01	—	—
6.	हरियाणा	—	01	—	—	01	—	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	01	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	01	—	—	—
9.	कर्नाटक	—	04	—	—	—	—	01	—
10.	केरल	01	—	—	—	02	—	02	—
11.	मध्य प्रदेश	03	—	07	02	03	—	04	—
12.	महाराष्ट्र	01	—	01	—	02	—	04	—
13.	मणिपुर	01	—	—	—	—	—	—	—
14.	उड़ीसा	—	—	03	01	03	—	02	—
15.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	01	—

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
16.	तमिलनाडु	01	—	—	01	01	—	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	05	03	07	01	04	—	04	—
18.	उत्तराखंड	01	01	01	—	01	—	—	—
19.	पश्चिम बंगाल	—	—	01	—	01	—	01	—
20.	दिल्ली	—	05	01	02	—	—	01	—
21.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	01	—
	कुल	14	17	24	08	25	01	29	00

[अनुवाद]

खादी-बिक्री केन्द्रों को बंद करना

89. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) देश में खादी बिक्री केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्थापित किए गए नये केन्द्रों/बंद किए गए केन्द्रों का अलग-अलग, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) खादी केन्द्रों को बंद करने के क्या कारण है;

(घ) क्या इन केन्द्रों को बंद करने से पूर्व कोई समीक्षा की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास बंद केन्द्रों को फिर से खोलने हेतु वित्तीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार देश में विद्यमान खादी विक्रय केन्द्रों/निर्गमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कोई नया विभागीय विक्रय केन्द/निर्गम नहीं स्थापित किया गया है। हालांकि वर्तमान वर्ष अर्थात 2008-09 में केवीआईसी के थोक में कारोबार करने वाले दो केन्द्रीय वस्त्रागार बंद कर दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय वस्त्रागार मूल रूप से राज्यों के छोटे खादी संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवीआईसी द्वारा स्थापित किए गए थे। तथापि, कुछ समय बाद यह पाया गया था कि राज्यों में इसके बाद गठित हुए नए खादी संस्थानों ने समान प्रकार का उत्पादन एवं विक्रय संबंधी कार्यकलाप आरंभ कर दिए थे। इस प्रकार छोटे संस्थानों द्वारा केवीआईसी वस्त्रागारों से की जाने वाली खरीद पर्याप्त नहीं थी।

(घ) और (ङ) छोटे/नए खादी संस्थानों द्वारा केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रीय वस्त्रागारों से खादी की घटती खरीद को ध्यान में रखते हुए, केवीआईसी ने इन वस्त्रागारों को जारी रहने देने/बंद कर देने के फायदों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार, केवीआईसी ने इन दो वस्त्रागारों को बंद करने का निर्णय किया।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपरोक्त (ङ) में दिए गए कारणों के परिणामस्वरूप थोक कारोबार के लिए बनाए गए केवीआईसी के बंद कर दिए गए दो केन्द्रीय वस्त्रागारों को पुनः खोलने से उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी जिन्हें पूरा करने के लिए वास्तव में उनकी स्थापना की गई थी। अतः उन्हें पुनः खोलने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

विवरण

31.03.2008 की स्थिति के अनुसार देश में खादी बिक्री केंद्रों/आउटलेटों की राज्य/संघ शासित प्रदेशवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	खादी बिक्री केंद्रों/आउटलेटों की संख्या	
		संस्थान	केवीआईसी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	251	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	—
3.	असम	96	—
4.	बिहार	492	1
5.	दादरा और नगर हवेली	1	—
6.	गोवा	2	1
7.	गुजरात	317	1
8.	हरियाणा	184	—
9.	हिमाचल प्रदेश	124	—
10.	जम्मू और कश्मीर	74	—
11.	झारखंड	139	—
12.	कर्नाटक	346	1
13.	केरल	403	1
14.	मध्य प्रदेश	182	1
15.	महाराष्ट्र	97	1
16.	मणिपुर	9	—
17.	मेघालय	4	—
18.	मिजोरम	2	—
19.	नागालैंड	7	—
20.	दिल्ली	65	2
21.	उड़ीसा	69	1
22.	पुडुचेरी	17	—
23.	पंजाब	252	—
24.	राजस्थान	493	—
25.	सिक्किम	7	—
26.	तमिलनाडु	1159	—
27.	त्रिपुरा	2	1
28.	उत्तर प्रदेश	1839	—
29.	उत्तराखंड	210	—
30.	पश्चिम बंगाल	198	1
	कुल	7050	12

नागरिकों को 'अशोक चक्र' अवार्ड

90. **श्री मोहन रावले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरिकों को अशोक चक्र प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में किन-किन व्यक्तियों को 'अशोक चक्र' प्रदान किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) "अशोक चक्र" शत्रु के समक्ष प्रदर्शित बहादुरी के अतिरिक्त अत्यधिक असाधारण बहादुरी या सर्वोत्कृष्ट वीरता या आत्म बलिदान या साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। इसे मरणोपरान्त भी दिया जा सकता है। रक्षा कार्मिक के अतिरिक्त पुलिस बलों, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों के अतिरिक्त जीवन के सभी क्षेत्रों से महिला या पुरुष सिविलियन नागरिक भी इस अवार्ड के लिए पात्र हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान "अशोक चक्र" प्राप्त व्यक्तियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान "अशोक चक्र" प्राप्त व्यक्तियों के नाम

2006

कोई "अशोक चक्र" नहीं घोषित किया गया।

2007

1. आई.सी.-62541 कैप्टन हरशन आर, 2 पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) (मरणोपरांत)

2. जे.सी.-593527 नायक सूबेदार चुन्नी लाल, वी आर सी, एस एम, 8 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैण्टरी (मरणोपरांत)

3. आई.सी.-48714 कर्नल वसन्त वेनुगोपाल, 9 मराठा लाइट इन्फैण्टरी (मरणोपरांत)

2008

1. आई.सी.-59263 मेजर दिनेश रघु रमन, जाट रेजिमेंट/34 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)

2. श्री आर.पी.डींगडोह, मेघालय पुलिस (मरणोपरांत)

3. सहायक कमाण्डेंट श्री प्रमोद कुमार सत्पथी, विशेष अभियान ग्रुप, उड़ीसा राज्य सशस्त्र पुलिस (मरणोपरांत)

2009

1. आई सी-45618 कर्नलन जोजन थामस, जाट रेजिमेंट/45 राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)

2. श्री मोहन चन्द्र शर्मा, इन्सपेक्टर, दिल्ली पुलिस (मरणोपरांत)

3. 13621503 हवलदार बहादुर सिंह बोहरा, 10 बटालियन, दि पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) (मरणोपरांत)

4. श्री हेमन्त कमलाकर करकरे, संयुक्त पुलिस आयुक्त, महाराष्ट्र पुलिस (मरणोपरांत)

5. श्री अशोक मारुतराव कामते, अपर पुलिस आयुक्त, महाराष्ट्र पुलिस (मरणोपरांत)

6. श्री विजय सहदेव सालासकर, निरीक्षक, अपराध शाखा की एण्टी एक्सटोर्शन सेल, महाराष्ट्र (मरणोपरांत)

7. श्री तुकाराम गोपाल अम्बाले, सहायक पुलिस उप निरीक्षक महाराष्ट्र (मरणोपरांत)

8. आई सी-58660 मेजर संदीप उन्निकृष्णन, बिहार रेजिमेंट/51 विशेष कार्यदल (एन एस जी) (मरणोपरांत)

9. 4073611 हवलदार गजेन्द्र सिंह, पैराशूट रेजिमेंट/51 स्पेशल एक्शन ग्रुप (एन एस जी) (मरणोपरांत)

एसपीटीएफ की प्रगति

91. **श्री अनवर हुसैन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में भारतीय चाय बोर्ड द्वारा विशेष प्रयोजन चाय निधि (एसपीटीएफ) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी राशि आवंटित, स्वीकृत एवं लंबित है;

(ख) क्या एसपीटीएफ का पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में एसपीटीएफ के अंतर्गत राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त एवं स्वीकृत किए गए तथा कितने लंबित हैं; और

(ङ) लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.01.2007 को विशेष प्रयोजन चाय निधि स्कीम अधिसूचित की गई थी। विगत तीन वर्षों में विशेष प्रयोजन चाय निधि स्कीम के अंतर्गत आवंटित/जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:—

खाता वर्ष	सब्सिडी (करोड़ रुपए)			चूक आरक्षित निधि (करोड़ रुपए)		
	स्वीकृत	जारी की गई	लंबित	स्वीकृत	जारी की गई	लंबित
1	2	3	4	5	6	7
2006-07	शून्य	शून्य	शून्य	30.00	30.00	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
2007-08	15.00	15.00	शून्य	15.00	15.00	शून्य
2008-09	25.00	25.00	शून्य	15.00	15.00	शून्य

निधियों को राज्यवार आबंटित/संस्वीकृत नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 2007-08 के दौरान आवंटित सब्सिडी के 96 प्रतिशत का उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान 100 प्रतिशत आवंटित निधि प्रयुक्त किए जाने की आशा है।

(घ) स्कीम वर्ष 2007-08 में ही शुरू हो सकी थी। अतः वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान प्राप्त आवेदनों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

ऋण तथा सब्सिडी हेतु आवेदन

राज्य	2007-08			2008-09		
	संख्या	स्वीकृत	लंबित	संख्या	स्वीकृत	लंबित
असम	126	89	37	82	5	77
परिचम बंगाल	72	49	23	72	17	55
कछार	9	3	6	7	0	7
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
केरल	15	14	1	7	1	6
तमिलनाडु	2	1	1	4	3	1
त्रिपुरा	3	0	3	1	0	1

केवल सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन

राज्य	2007-08			2008-09		
	संख्या	स्वीकृत	लंबित	संख्या	स्वीकृत	लंबित
असम	210	109	101	155	3	152
परिचम बंगाल	134	66	68	62	4	58
कछार	16	3	13	11	0	11
कर्नाटक	3	3	0	1	0	1
केरल	21	17	4	20	4	16
तमिलनाडु	24	21	3	27	0	27
त्रिपुरा	12	2	10	12	0	0

(ङ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(i) प्रक्रियात्मक विलंबों को दूर करने संबंधी उपाय ढूंढने के लिए चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के साथ बैठकें की गईं।

(ii) पश्चिम बंगाल राज्य में बागानों से संबंधित पट्टे के नवीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष रखा गया क्योंकि नवीकरण न होने से बैंकों द्वारा चाय बोर्ड के साथ रेहन संबंधी अधिकारों में भागीदारी हेतु सहमति देना कठिन हो जाता है।

(iii) अधिकार पत्र रखने वाले बैंकों, आवेदक तथा चाय बोर्ड के बीच त्रिपक्षीय करार के विभिन्न खंडों के संबंध में मतभेदों को दूर करने के लिए और एक ऐसा साझा मानक त्रिपक्षीय करार, जो सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा, तैयार करने के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन (आई बी ए) की मध्यस्थता का अनुरोध किया गया है।

(iv) स्कीम के उपबंधों का सरलीकरण और आवेदनों की प्राप्ति तथा प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों की केन्द्रीय रूप से निगरानी।

(v) आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 6 माह के भीतर ऋण/सब्सिडी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्राप्त होने के समय से वित्तीय सहायता के वितरण तक प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमाएं निश्चित की गई हैं।

(vi) स्कीम हेतु एक विशेष वेबसाइट तैयार की जा रही है जिसमें आवेदनों को ऑनलाइन जमा कराने का प्रावधान भी होगा।

[हिन्दी]

संज्ञेय अपराध में वृद्धि

92. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संज्ञेय अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामलों की रिपोर्ट मिली जिनमें अपराधियों की पहचान नहीं की जा सकी;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए कोई नई जांच नीति तैयार की है अथवा फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वार्षिक आधार पर संग्रहित जानकारी के अनुसार देश में वर्ष 2005-2007 के दौरान आई पी सी के कुल क्रमशः 1822602, 1878293 और 1989673 संज्ञेय मामले रिपोर्ट किए गए थे। देश में विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत वर्ष 2005-07 के दौरान क्रमशः कुल 3203735, 3224167 और 3743734 संज्ञेय मामलों की सूचना दी गई थी। राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। उन अपराधों के मामलों, जिनमें अपराधी की पहचान नहीं हो पाती है, की जानकारी नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" एवं "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं अतः अपनी विधि प्रवर्तन तंत्र एजेंसियों के जरिए अपराध का प्रशमन करने, उनका पता लगाने, उनको दर्ज करने और उनकी जांच करने तथा अपराधियों का अभियोजन करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय सरकार अपराध निवारण के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है अतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में सुधार करने पर अधिक ध्यान देने और अपराधों का प्रशमन और नियंत्रण करने के लिए जरूरी उपाय करने का आग्रह करती रहती है। सभी तरह के संज्ञेय अपराधों से निपटने और ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों की पहचान करने के लिए विधि विज्ञान विश्लेषणात्मक हल प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न प्रयोगशालाओं में पर्याप्त संख्या में विधि विज्ञान विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

विवरण-I

वर्ष 2005-2007 के दौरान आई पी सी मामलों के अन्तर्गत कुल दर्ज मामले (सी आर), चार्जशीट किए गए मामले, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पी.ए.आर.), चार्ज शीट किए गए व्यक्तियों (पी.सी.एस.) का विवरण

क्रम सं.	राज्य	2005				2006				2007			
		सी आर	सी एस	पी ए आर	पी सी एस	सी आर	सी एस	पी ए आर	पी सी एस	सी आर	सी एस	पी ए आर	पी सी एस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	157123	125092	216277	214244	173909	124089	227935	200905	175087	148066	236176	232163
2.	अरुणाचल प्रदेश	2304	1463	2488	1627	2294	1281	2849	1629	2286	1382	2478	1821
3.	असम	42006	22710	68674	41281	43673	23460	58943	35003	45282	23335	59402	37358
4.	बिहार	97850	68729	186140	154046	100665	67494	180446	159397	109420	81292	219895	188393
5.	छत्तीसगढ़	43633	33170	56000	55521	45177	36508	58502	57020	45845	35652	60239	58898
6.	गोवा	2119	1097	2588	1809	2204	1238	3225	2249	2479	1153	2619	1786
7.	गुजरात	113414	86877	156597	155170	120972	92019	159810	154703	123195	100655	169444	169728
8.	हरियाणा	42664	28980	58940	58364	50509	34313	66784	65868	51597	35510	70746	69293
9.	हिमाचल प्रदेश	12345	10140	18628	18237	13093	10146	19993	19457	14222	10696	19598	18068
10.	जम्मू और कश्मीर	20115	14375	27616	26877	20787	15803	30778	30670	21443	16792	32936	32932
11.	झारखंड	35175	21107	46914	27176	36364	22192	45674	54716	38489	24568	46489	42457
12.	कर्नाटक	117580	80432	138588	139483	11710	82890	142252	134775	120606	94831	134054	131399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	104350	91625	145609	145835	105255	89790	142301	144118	108530	92771	149117	149406
14.	मध्य प्रदेश	189172	159646	314961	314888	194711	164435	310782	310422	202386	170774	329280	329263
15.	महाराष्ट्र	187027	126514	287114	280432	191788	126941	290546	272770	195707	131761	291313	272888
16.	मणिपुर	2913	128	1390	133	2884	155	934	132	3259	80	1306	93
17.	मेघालय	1880	662	1594	858	1935	905	1699	1169	2079	651	1557	896
18.	मिजोरम	2156	2044	2716	2552	2073	2025	2215	2493	2083	1814	2062	2595
19.	नागालैंड	1049	1049	1226	1242	1103	545	906	792	1180	604	795	689
20.	उड़ीसा	51685	40644	78300	78257	52792	41243	85592	81747	54872	41951	80874	78314
21.	पंजाब	27136	19237	39537	36377	32068	20931	45391	38597	35793	23648	47042	44045
22.	राजस्थान	140917	91615	178811	178877	141992	91826	185350	185453	148870	92544	183814	183575
23.	सिक्किम	552	278	455	292	703	384	737	468	667	319	623	468
24.	तमिलनाडु	162360	145181	194845	204651	148972	131443	177582	168254	172754	141942	201372	192604
25.	त्रिपुरा	3356	2505	4252	3586	3940	2817	5114	3330	4273	3361	4578	3905
26.	उत्तर प्रदेश	122108	86431	211275	199576	127001	91655	217758	212001	150258	96312	246821	210722
27.	उत्तरांचल	8033	4934	13424	11091	8412	5493	13471	11618	9599	6222	14473	12219
28.	पश्चिम बंगाल	66406	51266	102161	82282	68052	49012	110346	83063	81102	57726	109678	93532
	कुल राज्य	1757428	1317931	2557120	2434764	1811038	1331033	2587915	2432819	1923363	1436392	2718781	2559510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	682	474	848	731	676	517	797	834	807	632	1065	956
30.	चंडीगढ़	3133	1625	2989	2368	3126	1817	3381	2995	3643	1224	2846	2058
31.	दादरा और नगर हवेली	434	293	714	681	435	310	596	559	425	239	413	399
32.	दमन और दीव	243	129	290	293	288	108	372	250	260	131	393	354
33.	दिल्ली संघ शासित	56065	42229	53318	44057	57963	37276	54198	47455	56065	32027	50744	41117
34.	लक्षद्वीप	42	22	45	18	80	30	237	124	56	25	26	17
35.	पुडुचेरी	4575	4565	6223	6159	4687	3191	6187	5092	5054	5041	6291	7059
	कुल संघ शासित	65174	49337	64427.0	54307	67255	43249	65768.0	57349	66310	39319	61778.0	51960
	कुल अखिल भारत	1822602	1367268	2621547	2489071	1878293	1374282	2653683	2490168	1989673	1475711	2780559	2611470

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस एवं न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की सूचना में विगत वर्षों के लंबित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

विवरण-II

वर्ष 2005-2007 के दौरान एस एल एल मामलों के अन्तर्गत कुल दर्ज मामले (सी आर), चार्जशीट किए गए मामले, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पी.ए.आर.), चार्ज शीट किए गए व्यक्तियों (पी.सी.एस.) का विवरण

क्रम सं.	राज्य	2005				2006				2007			
		सी आर	सी एस	पी ए आर	पी सी एस	सी आर	सी एस	पी ए आर	पी सी एस	सी आर	सी एस	पी ए आर	पी सी एस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	509090	509922	513671	513824	602146	600350	604042	605621	711946	708732	717089	716727
2.	अरुणाचल प्रदेश	73	48	84	41	69	39	41	30	56	42	52	47
3.	असम	2067	1075	3957	2823	3323	1106	3805	2037	3831	1439	3896	2366
4.	बिहार	9814	7499	14988	13322	9159	6860	14267	12725	9479	7681	16175	14175
5.	छत्तीसगढ़	235802	233922	117331	117549	142073	139228	130102	130075	200889	203247	220684	219328
6.	गोवा	3995	3577	4464	3951	3958	4188	4237	4581	3253	3142	3227	3398
7.	गुजरात	174336	167687	210140	211626	171085	171886	206524	202527	194751	192346	235406	233222
8.	हरियाणा	22600	21290	27470	26715	22221	21447	27447	27131	19526	19608	24898	25451
9.	हिमाचल प्रदेश	4491	4360	5480	5350	5003	4382	5963	5629	3685	4050	4667	5240
10.	जम्मू और कश्मीर	2735	1966	2820	2772	2816	2436	4003	3851	2382	2216	3715	3709
11.	झारखंड	3419	2009	4238	3400	2536	2038	4446	4004	2697	1750	4309	4186
12.	कर्नाटक	17097	14656	40540	38730	15729	14334	40768	39636	16046	14352	40387	39190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	57821	50342	71785	72287	54176	50022	68482	66133	88726	83263	102263	88391
14.	मध्य प्रदेश	227901	227648	266360	266374	183669	175164	230623	230738	196849	188266	232657	232721
15.	महाराष्ट्र	142293	144449	189416	192263	129397	125179	175380	174310	120310	118858	165360	164361
16.	मणिपुर	538	93	618	113	483	40	580	42	753	51	926	68
17.	मेघालय	136	131	197	124	85	102	148	185	123	65	132	73
18.	मिजोरम	1214	744	1707	1620	977	1475	1539	1688	824	818	1154	1189
19.	नागालैंड	414	356	583	574	308	293	458	393	305	274	435	293
20.	उड़ीसा	13344	12193	18633	18359	12760	11790	17886	17912	12162	4839	15417	10546
21.	पंजाब	26592	26882	29904	29830	20730	22095	23931	25212	22612	18765	26169	21745
22.	राजस्थान	31072	30180	43910	43906	35942	33261	47888	47879	37631	34660	48901	48919
23.	सिक्किम	369	226	268	229	143	138	177	170	190	168	230	200
24.	तमिलनाडु	533721	266472	656298	353817	449207	223766	522406	280003	474963	268050	531819	308906
25.	त्रिपुरा	213	183	158	145	206	177	158	162	175	165	206	150
26.	उत्तर प्रदेश	1010654	1004231	1079851	1075577	1189216	1184506	1241677	1241007	1444342	1428508	1501219	1487973
27.	उत्तरांचल	126953	126622	128303	127917	120325	120230	121275	121335	140428	140267	141567	141287
28.	पश्चिम बंगाल	9235	12922	12756	17217	7588	7366	11262	10656	6453	6216	10630	10151
	कुल राज्य	3167989	2871683	3445930	3140455	3185330	2923898	3509515	3255672	3715367	3451843	4053590	3787612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7114	7052	7334	7652	6526	6251	7262	6801	5304	6160	5948	6881
30.	चंडीगढ़	803	714	1104	1001	917	909	1198	1202	853	731	1181	996
31.	दादरा और नगर हवेली	25	23	60	54	9	18	17	39	15	12	34	22
32.	दमन और दीव	5	6	17	20	3	2	6	6	13	0	65	0
33.	दिल्ली संघ शासित	26573	23696	31881	29133	30372	27741	34825	33372	20994	25974	24771	25580
34.	लक्षद्वीप	7	2	7	1	13	10	12	11	10	4	11	5
35.	पुडुचेरी	1219	1188	1566	1539	997	989	1387	1359	1178	1165	1646	1657
	कुल संघ शासित	35746	32681	41969.0	39400	38837	35920	44707.0	42790	28367	34046	33656.0	35141
	कुल अखिल भारत	3203735	2904364	3487899	3179855	3224167	2959818	3554222	3298462	3743734	3485889	4087246	3822753

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस एवं न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की सूचना में विगत वर्षों के लंबित मामलों की जानकारी भी शामिल है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का विलय

93. **श्री वसुभाई धानाभाई बराड :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका तर्काधार क्या है; और

(ग) इस पहल से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूकंप प्रवण क्षेत्र

94. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अग्रणी भूगर्भशास्त्री ने यह चेतावनी दी है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र भूकंप प्रवण है जैसा कि दिनांक 16 नवम्बर, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों का कोई भूकंपीय अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) हिमालय प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले उत्तर प्रदेश के कुछ भाग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए भारतीय भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के भूकंपीय क्षेत्र V में आते हैं तथा ये भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र हैं।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपर्युक्त क्षेत्रों में अनेक भूकंपीय अध्ययन किए गए हैं तथा क्षेत्र में भूकंपों को रिकॉर्ड करने के लिए अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा उपयुक्त भूकंप-विज्ञान और जी.पी.एस. नेटवर्क स्थापित करके ये अध्ययन किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भूकंप की दृष्टि से सक्रिय हिमालय क्षेत्र में अनेक अध्ययन किए जा रहे हैं। परंतु इनमें से किसी भी अध्ययन द्वारा किसी संभावित भूकंप के विशिष्ट स्थान, समय अथवा परिणाम का उल्लेख नहीं किया जा सका है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा भूकंप से होने वाली क्षति से जानमाल की सुरक्षा के लिए आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के लिए भूकंप के खतरे, जोखिम और संवेदनशीलता के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ मिलकर इसका प्रभाव कम करने के लिए समन्वयकारी एवं संस्थागत तंत्र तैयार कर रहा है।

भारतीय हीरा एवं जवाहरात उद्योग पर आर्थिक मंदी का प्रभाव

95. **श्री के.एस. राव :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में देश-वार एवं मद-वार कितने मूल्य और मात्रा के हीरे, रत्नों एवं आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ख) भारतीय हीरा एवं आभूषण उद्योग पर वैश्विक आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) उक्त उद्योग में नियोजित कितने कामगारों का रोजगार छिन गया; और

(घ) श्रम एवं उद्योग के हित की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने तथा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में निर्यातित हीरों, रत्न एवं आभूषणों का मदवार मूल्य निम्नानुसार है:—

मद	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अगस्त, 08 तक)
हीरे	11171.49	10088.10	13685.01	6379.24
स्वर्णाभूषण	3198.44	4459.36	4351.47	1145.78
रंगीन रत्न एवं अन्य	1159.13	1417.06	144947.42	731.20
कुल	15529.06	15964.52	162983.90	9256.22

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में निर्यातित हीरों, रत्न एवं आभूषणों का देश वार मूल्य निम्नानुसार हैं:—

(मिलियन अम.डॉ.)

देश	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अगस्त, 08 तक)
1	2	3	4	5
यूएसए	4371.61	4751.59	4974.69	2983.04
हांगकांग	3330.07	3460.25	5100.82	3399.84
यूएई	2487.98	3297.33	4040.96	2703.95
बेल्जियम	1490.76	1468.10	1964.24	1309.43
सिंगापुर	1241.11	151.46	217.38	186.48
इजरायल	813.75	874.88	1038.24	616.70
जापान	485.50	430.19	450.31	247.05
थाइलैंड	329.50	339.86	390.72	220.04
यूके	225.96	277.89	285.37	216.26
स्विटजरलैंड	143.48	117.52	211.98	97.56
अन्य	609.34	795.45	144309.19	641.78
कुल	15529.06	15964.52	162983.90	12622.33

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

(ख) वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण विश्व भर में उपभोक्ता मांग में कमी आई है, विश्व बाजार में पर्याप्त मांग के अभाव के कारण वस्तु-सूची में वृद्धि हुई है, नकद उपलब्धता छंटनी/रोजगार का नुकसान; इकाइयों का बंद होना आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

(ग) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अगस्त-अक्तूबर, 2008 की अवधि के दौरान रत्न एवं आभूषण उद्योग में कार्यरत 65,000 कामगारों को रोजगार का नुकसान हुआ। गुजरात सरकार ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप सूरत में लगभग 2 लाख हीरा कामगारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी।

(घ) रत्न एवं आभूषण निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछेक उपचारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:—

(i) बेंचमार्क प्रमुख ऋण दर (बीपीएलआर) घटा 2.5 प्रतिशतता बिन्दु की अधितम रियायती ब्याज दर की सीमा पर उपलब्ध लदान पूर्व रुपया निर्यात ऋण की प्रथम किश्त की हकदारी अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 270 दिन कर दिया गया है।

(ii) अधिकतम रियायती ब्याज दर की सीमा (घटा 2.5 प्रतिशतता बिन्दु बीपीएलआर से अनधिक) पर उपलब्ध लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋण की प्रथम किश्त की हकदारी अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है।

(iii) लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋण (घटा 2.5 प्रतिशतता बिन्दु बीपीएलआर से अनधिक) पर यथालागू निर्धारित ब्याज दर अग्रिम की तारीख से 180 दिन तक देय बिलों के लिए भी प्रदान की गई है।

(iv) लदान पूर्व तथा लदान पश्चात निर्यात ऋण पर दिनांक 31/03/2009 तक 2 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान की गई है जो प्रतिवर्ष 7% की न्यूनतम ब्याज दर के अध्यधीन है।

(v) अंतिम उतपाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए 1100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान की गई है।

(vi) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को 350 करोड़ रुपए तक सरकारी बैंक-अप गारंटी उपलब्ध कराई गई है जिससे वह दु:साध्य बाजारों में/उत्पादों के निर्यात हेतु गारंटी प्रदान कर सके।

(vii) निर्यातकों को विदेशी एजेंट को प्रदत्त कमीशनों पर निर्यातों के एफओबी मूल्य के 10 प्रतिशत तक सेवा कर की वापसी और शुल्क प्रतिअदायगी स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के साथ निष्पादन सेवाओं पर सेवा कर की वापसी की अनुमति दी गई है।

(viii) भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर रुपये अथवा डॉलरों में लदान-पूर्व तथा लदान पश्चात ऋण प्रदान करने के लिए आरबीआई ने एक्जिम बैंक को 5,000 करोड़ रुपये के ऋण दिए हैं।

(ix) विदेश मुद्रा में निर्यात ऋण पर अधिकतम दर सीमा को बढ़ाकर एलआईबीओआर + 350 आधार बिन्दु कर दिया गया है बशर्ते बैंक अपनी ओर से किए गए व्ययों की वसूली को छोड़कर अन्य प्रभार अर्थात सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि का उद्ग्रहण नहीं करेंगे।

सी.पी.एम.एफ. का उन्नयन

96. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में आतंकवादियों और नक्सलियों से लड़ने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) की उपकरण और सुरक्षा संबंधी सुविधाओं का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा ऐसी सुविधाओं को कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों से निपटने में ऐसे उपायों में किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) 4148.50 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) संबंधी आधुनिकीकरण की एक योजना चल रही है जो 31.3.2010 को पूरी होगी।

आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत, सी पी एम एफ को बेहतर अस्त्र-शस्त्र, कामयाब यातायात वाहन, संचार और निगरानी उपकरण तथा वस्त्र दिए जाते हैं, जिससे कि सी पी एम एफ की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके और दीर्घकालीन बनाया जा सके। नियमित प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाओं का सृजन कर टुकड़ियों के कौशल को भी निरंतर सुधारा जाता है।

[हिन्दी]

औषधि अनुसंधान एवं विकास

97. **श्री उदय सिंह :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना में कितना समय लगा;

(ख) क्या इस प्रकार की अधिकांश सरकारी वित्तपोषित परियोजनाएं बीच में छोड़ दी जाती हैं तथा अवैध रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आउटसोर्स कर दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस प्रकार की सरकारी वित्तपोषित परियोजनाओं में लघु फार्मा एककों को संबद्ध नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग/एजेंसियां जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एम

आर), वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद (सी एस आई आर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था कर रहे हैं। बाह्य अनुसंधान और विकास पर डी एस टी द्वारा संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चिकित्सा विज्ञान पर विभिन्न वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा 55.56 करोड़ रुपये, 126.60 करोड़ रुपये और 372.84 करोड़ रुपये के निवेश सहित 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान जिन परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था की गयी उनकी संख्या क्रमशः 286,344 और 565 थी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ मलेरिया, फाइलेरिया, कैंसर, अल्सर, ट्यूबरक्लोसिस, काला-जार, ल्यूकोडर्मा, रयूमैटिजम, रयूमैटॉइड, अर्थराइटिस, डायरिया, पैंक्रियाटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, हृदय रोग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एड्स जैसी अनेक बीमारियों के लिए दवाओं और रोटा — वाइरस, कॉलरा, रैबीज, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, एच आई वी, मलेरिया आदि के लिए टीकों का विकास शामिल है। इन परियोजनाओं की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों एवं कालेजों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और उद्योगों सहित छोटे उद्योगों, जहां भी अपेक्षित था, के लिए वित्त व्यवस्था की गयी। इस परियोजना की सामान्यतया अवधि तीन वर्षों तक की है।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरी की गयी। देश में भारतीय फार्मा उद्योगों, छोटे और बड़े दोनों ने, डी एस टी के भेषज और औषधीय अनुसंधान कार्यक्रम (डी पी आर पी), सी एस आई आर की नई सहस्राब्दि भारत प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एन एम आई टी एल आई), डी बी टी की लघु व्यापार नवोन्मेषी अनुसंधान पहल (एस बी आई आर आई), डी एस आई आर के प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम के भेषज अनुसंधान में सक्रियता से सहभागिता की है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए अवसंरचना

98. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार भवन तथा बुनियादी सुविधाओं के बिना चल रहे केंद्रीय विद्यालयों का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कितने केंद्रीय विद्यालय अपने भवन में चल रहे हैं और सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन विद्यालयों जिनके अपने भवन नहीं हैं, के लिए कब तक भवन का निर्माण करने तथा उनमें बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने का विचार है और इस संबंध में क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) देश में 978 केन्द्रीय विद्यालय (के.वि.) कार्य कर रहे हैं। 129 केन्द्रीय विद्यालयों के मामलों में भवन प्रायोजक एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए हैं। शेष 849 केन्द्रीय विद्यालयों में से, 635 स्कूलों के मामले में स्वयं का भवन उपलब्ध है जबकि 214 केन्द्रीय विद्यालय बिना अपने स्वयं के भवन के हैं। कर्नाटक सहित राज्य-वार विवरण संलग्न हैं।

(ग) स्कूल भवनों का निर्माण मुख्यतः प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा उचित भूमि के अंतरण तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होता है।

विवरण

राज्यवार बुनियादी सुविधाओं के साथ प्रायोजकों द्वारा प्रदान किए गए भवनों/अस्थायी कक्षा-कक्षों में कार्य कर रहे 214 केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की कुल सं.	परियोजना/आईएचएल क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्माण किए जाने वाले भवन	भवन सहित केन्द्रीय विद्यालय	भवन निर्माणाधीन	भवन योजना के तहत	चिन्हित की गई भूमि	अभी चिन्हित की जाने वाली भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	02	—	02	02	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	आंध्र प्रदेश	50	05	45	35	05	—	04	01
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	01	12	08	01	—	02	01
4.	असम	50	15	35	25	04	02	02	02
5.	बिहार	40	02	38	20	03	01	07	07
6.	चंडीगढ़	05	—	05	05	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	25	09	16	10	03	01	01	01
8.	दादरा व नगर हवेली	01	—	01	—	01	—	—	—
9.	दमन व दीव	01	—	01	—	01	—	—	—
10.	दिल्ली	41	03	38	32	05	—	01	—
11.	गोवा	05	—	05	05	—	—	—	—
12.	गुजरात	42	10	32	29	01	—	02	—
13.	हरियाणा	27	01	26	21	02	01	01	01
14.	हिमाचल प्रदेश	21	03	18	09	03	—	05	01
15.	जम्मू व कश्मीर	35	03	32	12	03	01	09	07
16.	झारखंड	30	05	25	14	—	01	04	06
17.	कर्नाटक	36	07	29	21	06	—	02	—
18.	केरल	29	02	27	23	01	—	03	—
19.	लक्षद्वीप	01	—	01	—	—	—	—	01
20.	मध्य प्रदेश	81	11	70	56	08	—	03	03
21.	महाराष्ट्र	53	05	48	45	01	—	02	—
22.	मणिपुर	07	01	06	03	—	—	02	01
23.	मेघालय	07	01	06	06	—	—	—	—
24.	मिजोरम	02	—	02	—	01	—	—	01
25.	नागालैंड	05	—	05	02	—	—	02	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	उड़ीसा	36	04	32	23	07	—	02	—
27.	पुडुचेरी	03	01	02	01	—	—	01	—
28.	पंजाब	39	01	38	31	02	—	04	01
29.	राजस्थान	57	05	52	46	02	02	02	—
30.	सिक्किम	02	01	01	01	—	—	—	—
31.	तमिलनाडु	37	05	32	24	03	—	05	—
32.	त्रिपुरा	06	01	05	02	01	01	—	01
33.	उत्तर प्रदेश	97	13	84	66	09	—	07	02
34.	उत्तराखंड	41	07	34	19	02	03	03	07
35.	पश्चिम बंगाल	51	07	44	39	—	—	04	01
	योग	978	129	849	635	75	13	80	46
							214		

[अनुवाद]

भू-जल स्तर में गिरावट के कारण भूकंप

99. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट के कारण देश के कई क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इस संबंध में जन जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुंबई हमला पीड़ितों को राहत

100. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
डा. सत्यनारायण जटिया :
श्री गणेश सिंह :
श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री संजय धोत्रे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2008 में मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमले में सुरक्षा कर्मियों सहित मारे गए एवं घायल हुए अन्य व्यक्तियों के परिवारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सहायता के लिए पात्र कुछ व्यक्तियों को अब तक सहायता प्रदान नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सम्बन्धित व्यक्तियों को उक्त सहायता कब तक संवितरित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने 233 घायल व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 50,000/- रुपए की क्षतिपूर्ति निर्गत की है। 5 मामलों में, व्यक्तियों ने क्षतिपूर्ति लेने से मना कर दिया और एक मामले में घायल व्यक्ति का पता नहीं मिल पाया है। 166 मृत व्यक्तियों में से, 22 मृत व्यक्ति शहीद हैं जिनके कानूनी आश्रितों को प्रति मृतक 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है और शेष बचे 142 मृत व्यक्तियों के प्रत्येक कानूनी आश्रित को 5 लाख (पांच लाख रुपए) का चैक जारी किया गया है। दो मृतकों के शव की अभी भी पहचान नहीं की जा सकी है।

तथापि, 'आतंकवाद एवं साम्प्रदायिक हिंसा से हताहत पीड़ितों की सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना' के अंतर्गत आतंकवादी हिंसा के कारण मरने वाले/या स्थाई तौर पर अपाहिज बन जाने वाले निर्दोष व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदार को 3 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इस मंत्रालय को अब तक इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए विदेशी सहायता

101. **श्री रामदास आठवले :**
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के लिए कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों एवं देशों के नाम क्या हैं;

(ख) अब तक इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा कुल कितनी धनराशि खर्च किया जाना शेष है; और

(ग) इन निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विदेशी सहायता प्राप्त की जाती है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान चरण-I (वर्ष 2004-07 की अवधि) और सर्व शिक्षा अभियान चरण-II (वर्ष 2007-10 की अवधि) के लिए प्राप्त हुई विदेशी सहायता की कुल राशि और निधीयन एजेंसियों के नाम निम्नवत हैं:—

(रुपए करोड़ में)

निधियन एजेंसियों का नाम		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
विश्व बैंक	एसएसए-I	1133.71	477.76	—	—
	एसएसए-II				543.87
यूरोपियन कमीशन	एसएसए-I	704.15	179.35	—	59.44
	एसएसए-II	—	—	—	136.54
डीएफआईडी	एसएसए-I	504.12	434.80	189.89	—
	एसएसए-II	—	—	—	310.00

(ग) सर्व शिक्षा अभियान की मानीटरिंग के लिए एक कड़ी प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कार्यक्रम की समीक्षा के लिए अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष में दो बार एक संयुक्त समीक्षा मिशन सहित विदेशी निधीयन एजेंसियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि

102. श्री किन्जरपु येरननायडू :
श्री सुभाष महरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठे वेतन आयोग रिपोर्ट की सिफारिशें लागू होने के बाद महानगर में स्थित निजी विद्यालयों ने फीस में वृद्धि कर दी है तथा महत्वपूर्ण वित्तीय भार छात्रों के अभिभावकों पर डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते समय तथा फीस में वृद्धि करते समय निजी विद्यालयों द्वारा अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों के बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे दिशा-निर्देश का निजी विद्यालयों द्वारा किस सीमा तक पालन किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अध्यापकों के वेतन भुगतान तथा निजी विद्यालयों द्वारा अत्यधिक फीस वसूली को रोकने के लिए कोई राजसहायता प्रदान करने या किसी वेतन बोर्ड का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण, स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि का अनुवीक्षण संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है। दिल्ली महानगर के मामले में, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद अत्यधिक फीस वृद्धि करने के बारे में दिल्ली के 7 गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 20.1.2009 को सभी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को अगले आदेशों तक ट्यूशन फीस न बढ़ाने के निदेश जारी कर दिए हैं।

(ग) और (घ) दिनांक 11.2.2009 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने फीस वृद्धि करते समय निजी विद्यालयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के निजी विद्यालयों द्वारा इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में सूचनाओं को केन्द्रीय स्तर पर मॉनीटर नहीं किया जाता।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों द्वारा जबरन वसूली

103. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठन सरकारी तथा निजी संस्थानों से जबरन वसूली में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इन गतिविधियों में लिप्त उग्रवादी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेलवी) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक स्थापनाओं, ठेकेदारों, परिवहन संचालकों, अधिकारियों, राजनीतिज्ञों, आदि से जबरन धन वसूली करने में विभिन्न उग्रवादी संगठनों/दलों में शामिल होने की जानकारी मिली है। जब भी ऐसे गतिविधियों के संबंध में विशेष मामले की जानकारी मिलती है, मामलों को दर्ज किया जाता है और आवश्यकतानुसार अन्य निरोधी-उपाय एवं कार्रवाई की जाती है। दर्ज मामलों के ब्यौरे को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) हिंसा एवं वसूली में शामिल दलों तथा भ्रमित तत्वों की गतिविधियों से निपटने और शांतिपूर्ण एवं सामान्य माहौल तैयार करने के लिए प्रदेश में राज्य सरकारों द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार गहन घुसपैठ-रोधी ऑपरेशनों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने तथा धमकी के आकलनों के आधार पर संवेदनशील स्थापनाओं एवं परियोजनाओं हेतु सुरक्षा प्रदान करने; खुफियातंत्र का आदान-प्रदान करने; पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बलों एवं खुफिया एजेन्सियों को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता देने; सुरक्षा आधारित व्यय की प्रतिपूर्ति करते हुए सुरक्षा तंत्र के विभिन्न पहलुओं तथा उग्रवाद-विरोधी ऑपरेशनों के अन्य पहलुओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता देने; इण्डिया रिजर्व बटालियनों के रूप में अतिरिक्त बलों को तैयार करने; आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार, आवश्यकतानुसार, निरन्तर आधार पर स्थिति की सावधिक समीक्षा करने और अगला कदम उठाने के दृष्टिकोण से प्रदेश में राज्य सरकारों के साथ निकट और निरन्तर समन्वय बनाए रखती है।

[अनुवाद]

इग्नू द्वारा दी जा रही शिक्षा का स्तर

104. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा दी जा रही शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ बजटीय आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इग्नू ने मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम सी ए) सहित विभिन्न कोर्सों के पाठ्यक्रमों में सत्र के मध्य में ही परिवर्तन किया है जिससे ऐसे कोर्सों के विद्यार्थियों का शैक्षणिक तथा कैरियर अधर में लटक गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इससे प्रभावित विद्यार्थियों का ब्यौरा क्या है और एमसीए सहित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं प्रभावित छात्रों की सहायता के लिये यथा उपचारात्मक कदम उठाए गए;

(ङ) क्या इग्नू प्रभावित छात्रों के सहायतार्थ पुराने पाठ्यक्रम को लागू करने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) देश के शैक्षिक पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों के संवर्धन तथा इन पद्धतियों में शिक्षा के स्तरों के निर्धारण के लिए संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, वह न केवल अपने द्वारा दी जा रही शिक्षा के स्तरों के लिए उत्तरदायी है अपितु दूरस्थ शिक्षा की अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त शिक्षा के स्तरों के लिए भी जिम्मेदार है। सरकार विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान करती है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बजटीय आबंटन नीचे दिया गया है:—

रुपये करोड़

वर्ष	बजट अनुमान (रुपये)	संशोधित अनुमान (रुपये)
2005-06	60.00	60.00
2006-07	100.00	95.05
2007-08	108.00	108.00
2008-09	120.00	92.44

इग्नू ने सूचित किया है कि वह स्व-शिक्षा पद्धति में सामग्री के विकास के लिए पाठ्यक्रम लेखकों को प्रशिक्षण देने तथा छात्रों को बेहतर सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए शैक्षिक परामर्शकों के प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम प्रदान करता है।

(ग) और (घ) इग्नू ने बताया है कि एमसीए कार्यक्रम के किसी भी पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या में सत्र के बीच कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, इसने जनवरी, 2005 से ऑफर आधार पर अपने एमसीए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को संशोधित किया तथा पूर्व संशोधित एमसीए कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को दिसंबर, 2010 तक पूर्व संशोधित पाठ्यक्रम के साथ अपने कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति दी गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

चाय बागानों का बन्द होना

105. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में चाय बागान बन्द पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार ये बागान कब से बन्द पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन बागानों के बन्द होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य-वार ऐसे कितने बागानों का पुनरुद्धार किया गया/पुनः खोले गए; और

(च) इन बागानों के पुनरुद्धार/पुनः खोले जाने हेतु तथा इनके आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) आज की स्थिति के अनुसार केवल 17 चाय बागान-पश्चिम बंगाल में 12 और केरल में 5 बंद बड़े हैं। उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

राज्यः पश्चिम बंगाल

क्र. सं.	चाय बागान का	बंद होने की तारीख
1.	रामझोरा	10.8.2002
2.	कतलगुड़ी	22.07.2002
3.	चामरूचि	02.04.2004
4.	रायपुर	05.07.2005
5.	समर्सिंग	25.11.2005
6.	बामोनडांगा-टोंडू	18.11.2005
7.	चिंचुला	मध्य दिसम्बर, 2005
8.	शिकारपुर-भंडेरपुर	18.10.2005
9.	रायमातांग	04.03.2006
10.	कलचीनी	04.03.2006
11.	रेड बैंक	2004
12.	ढेकलापारा	11.03.2006

राज्यः केरल

क्र. सं.	चाय बागान का नाम	बंद होने की तारीख
1.	लोन ट्री	दिसम्बर, 2000
2.	पीयरमेड	दिसम्बर, 2000
3.	कोलिकनम	01.01.2004
4.	माउंट	01.04.2003
5.	तुंगमुल्लै	01.12.2003

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल (19 बागान), असम (3 बागान) और त्रिपुरा (3 बागान) राज्यों में बंद पड़े 36 चाय बागानों का गहन अध्ययन करने के लिए जनवरी, 2003 में तीन विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की थीं। समितियों ने रुग्णता/बंद होने के निम्नलिखित कारण प्रकट किए हैं:–

(i) प्रायः सभी बागान प्राइवेट लिमिटेड (गैर-सूचीबद्ध) कम्पनियां या परिवार द्वारा प्रबंधित उद्यम थे और कोई भी बागान किसी बड़े चाय निगम/एजेंसी गृह का नहीं था।

(ii) (क) बागानों एवं फैक्टरियों सहित एस्टेटों की बुरी अवस्था, (ख) कम फसल तथा तत्पश्चात गिरती हुई गुणवत्ता एवं कीमत प्राप्ति, (ग) अस्वाभाविक औद्योगिक संबंध परिदृश्य, (घ) "दूरस्थ नियंत्रण" द्वारा प्रबंधन का तरीका और (ङ) कमजोर वित्तीय स्थिति एवं फैक्टरी/एस्टेट की अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता।

(iii) भारी घाटों का संचय और सांविधिक/ऋण देयताओं के भुगतान में चूक।

(iv) फसलों में सुधार (प्रणालीबद्ध उखाड़ना एवं पुनर्रोपण और/या विस्तार के जरिए) और बागान प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम पर फोकस के साथ बागानों में निवेश की भी आवश्यकता है। बागानों में सुधार हेतु अधिकांश बागानों के लिए 10 वर्ष की अवधि में औसतन प्रति बागान 1.0 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच निवेश अपेक्षित है।

(ङ) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	चाय एस्टेटों के नाम	पुनः शुरू करने की तारीख
राज्यः केरल		
1.	कोट्टमुल्लै	11.06.2007
2.	बॉन एमी	11.06.2007
3.	बागामॉन	11.06.2007
4.	मुंजुमलाई	25.06.2007
5.	थेंगकल	25.06.2007
6.	पम्बनार	25.06.2007
7.	नेल्लीकई	25.06.2007
8.	बोनाकॉर्ड	11.04.2007
9.	मेथानाथू	10.07.2007
10.	वेंगाकोट्टा	03.10.2007
11.	ग्रैंबाई	28.07.2008
12.	पासुमुल्लै	28.07.2008
पश्चिम बंगाल		
1.	सुरेंद्र नगर	17.05.2007
2.	भरनोबाड़ी	28.04.2008
असम		
1 और 2.	हट्टीचेरा एवं सुभांग	28.08.2008

(च) भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2007 की स्थिति के अनुसार बंद पड़े 33 चाय बागानों के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में बकाया बैंक ऋण का 10 वर्षों में भुगतान योग्य नए आवधिक ऋण में पुनर्गठन तथा सरकार संबंधित बैंक एवं कर्जदारों द्वारा एक-तिहाई की दर से संचयी ब्याज की भागीदारी, पांच वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी पर 3% ब्याज सब्सिडी, 10 वर्ष की अवधि में किश्तों में क्षति से संबंधित पीएफ बकायों का भुगतान, चाय बोर्ड के बकाया ऋण को पूरी तरह माफ करना, बोर्ड की चाय विकास स्कीमों का विस्तार आदि का प्रावधान है। चाय बोर्ड की ओर से मानव संसाधन विकास स्कीम से बंद पड़ी चाय बागानों के श्रमिकों के बच्चों को शैक्षणिक सहायता ओर विकलांग व्यक्तियों हेतु सहायता के लिए 10000/- रुपए प्रति श्रमिक के एकमुश्त अनुदान को वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान जारी रखा गया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने मौजूदा बागान स्वामियों द्वारा बागानों को स्वयं शुरू करने या उनके द्वारा अभिज्ञात किसी नए स्वामी द्वारा पुनः शुरू करने को सुकर बनाने के लिए विद्युत बकाया राशि, भूमि राजस्व तथा कृषि उपकर आदि सहित लाभों का एक संपूर्ण पैकेज तैयार करने का निर्णय लिया है।

केरल सरकार ने भी कई सहायताओं का प्रस्ताव किया है अर्थात विद्यालय जाने वलो सभी छात्रों के लिए मुफ्त दिन का भोजन, एसजीआरवाई स्कीम के अंतर्गत दिहाड़ी रोजगार, जिला प्रशासन इडुक्की (जहां अधिकांश बंद पड़े बागान अवस्थित हैं) के पास विद्यालय जाने वाले छात्रों को यूनीफॉर्म तथा आवश्यक पुस्तकें प्रदान करने तथा जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ है, वहां बागान श्रमिकों को औषधियां प्रदान करने क लिए 5.00 करोड़ रुपए की निधि रखना, ओणम पर्व के अवसर पर और बागान श्रमिकों के बच्चों हेतु स्नातक की शिक्षा के लिए शैक्षणिक व्यय हेतु 500.00/-रुपए प्रति श्रमिक की दर से अनुग्रह राशि।

चाय एस्टेटों के आधुनिकीकरण के संबंध में गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण स्कीम नामक एक स्कीम पहले से ही चालू है।

[अनुवाद]

भू-भौतिकी मानचित्रण कार्यक्रम

106. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रेविटी मैग्नैटिक पद्धति का प्रयोग करते हुए भू-भौतिकी मानचित्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष रहे?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) और (ख) जी, हां। खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1:50,000 पैमाने पर देश का गुरुत्वाकर्षण तथा चुम्बकीय नक्शा तैयार करने के लिए गुरुत्वाकर्षण तथा चुम्बकीय तरीकों का प्रयोग करके एक

क्रमबद्ध जमीनी क्षेत्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम आरंभ किया है। क्रमबद्ध भूभौतिकीय मानचित्रण द्वारा 1,02,779 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र को कवर किया गया है। उसका ब्यौरा निम्नवत है:—

राज्य	कवर किया गया क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)
महाराष्ट्र	11200
उड़ीसा	10332
झारखंड	378
पश्चिम बंगाल	4860
मेघालय	1400
असम	5900
हरियाणा	11000
उत्तर प्रदेश	14500
राजस्थान	3459
गुजरात	700
आंध्र प्रदेश	7050
तमिलनाडु	5030
कर्नाटक	26970
कुल	102779

(ग) 1:50,000 पैमाने पर क्रमबद्ध भूभौतिकीय मानचित्रण, सम्पूर्ण शील्ड क्षेत्र भारत-गंगा मैदानों, तटवर्तीय मैदानों सहित पूर्वी तथा पश्चिमी घाट क्षेत्रों तथा दूसरे कवर किए गए क्षेत्रों में 2.5 किलोमीटर के एक स्टेशन के औसत स्टेशन घनत्व पर किया जाता है।

क्षेत्रीय भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किए गए आंकड़े:—

(i) कवर किए गए क्षेत्रों का गुरूत्वाकर्षण तथा चुबकीय नक्शा तैयार करने में प्रयुक्त किए जाएंगे।

(ii) धात्विक/गैर-धात्विक खजिन निक्षेपों के गवेषण के लिए संभावित क्षेत्रों को लक्षित करने तथा गहरे सब-सर्फेस स्ट्रेक्चरों को आरंभ करने के लिए पूर्वाधारण अवधारात्मक माडलों के लिए उपयोग होंगे,

(iii) खनिज गवेषण के संदर्भ में, गहराई में स्थित पिण्डों, जो मजबूत घनत्व विषमता में कमजोर तथा चुम्बकीय तौर पर अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, की पहचान करने में मदद करेंगे।

गुरूत्वाकर्षण तथा चुम्बकीय मानचित्र के तरीके का भूमि जल सर्वेक्षण, बेसमेंट संरूपण आदि में उपयोग किया जा सकता है। यह तरीके, दूसरे भूभौतिकीय तरीकों तथा प्रदर्शन सर्वेक्षणों के साथ-साथ हाइड्रोकार्बन का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

(घ) खनिज गवेषण तथा भूवैज्ञानिक ज्ञान आधार को अद्यतन करने के संबंध में इस मानचित्रण कार्यक्रम द्वारा डाटा सृजन के माध्यम से प्राप्त कुछ उत्साहवर्धक परिणाम निम्न प्रकार से हैं:—

(i) छिपे हुए शिस्ट बेल्ट तथा स्वर्ण खनिजीकरण के अनुकूल जोनों का विस्तार और कर्नाटक के चित्रदुर्गा-गडम तथा रायचूर शिस्ट बेल्ट में किम्बरलाइट क्लेन रॉक्स का अभिस्थापन।

(ii) तमिलनाडु में रामन्द सब-बेसिन में कम गहराई पर लिग्नाइट के लिए लघु सब-बेसिन निर्दिष्ट करते हुए कई निम्न ग्रेविटी।

(iii) कार्बी हरियाणा के इर्द-गिर्द प्रमुख ग्रेविटी की निम्न असामान्यता तथा 15 कि.मी. की लम्बी पट्टी में सबसर्फेस बेसिनल ढांचा दर्शाना।

(iv) पुणे और मुम्बई के पांच स्थानों पर फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशालाओं के लिए वाणिज्यिक आधार पर "जी" मूल्यों का मापन।

(v) उत्तर प्रदेश का भारत-गंगा मैदानों का सब-सर्फेस टेक्टोनिक संरूपण का विनिश्चयन।

(vi) महाराष्ट्र के सकोली बेसिन का बेसिनल आकासिकी का वक्रअनुरेखण।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना के विरुद्ध शिकायतें

107. श्री पंकज चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली स्थित नगर निगम विद्यालयों सहित दूसरे विद्यालयों में तथा देश के नवोदय विद्यालय छात्रावासों में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन को खाने से छात्रों के बीमार पड़ने/मर जाने के संबंध में विभिन्न वर्गों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान छात्रों के बीमार पड़ने या मर जाने की राज्य-वार अलग-अलग कितनी घटनाएं हुई;

(ग) मध्याह्न भोजन तथा विद्यालयों एवं छात्रावासों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) ऐसी घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) मध्याह्न भोजन खाने के उपरांत छात्रों के बीमार होने के कुछ मामले सरकार के नोटिस में आए हैं। ऐसे मामलों का ब्यौरा और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, उल्लिखित अवधि (तीसरी तिमाही के अंत तक) में भोजन विषाक्तता के कारण मृत्यु का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रत्येक पात्र स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में पूर्ण, पके हुए मध्याह्न भोजन को नियमित रूप से परोसने के लिए सभी संभारतंत्रीय और प्रशासनिक प्रबंधों को सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर है। केन्द्र सरकार लगातार राज्य सरकारों को निम्नलिखित कार्य करने का अनुरोध करती रही है:—

– यह सुनिश्चित करना कि खाना स्वच्छ वातावरण में तैयार हो रहा है

– खाने के पदार्थ सूखी और सुरक्षित जगह पर रखे गए हैं

– पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया गया है

– रसोइयों को स्वच्छता संबंधी आदतें अपनाने का समुचित प्रशिक्षण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन पकाने और उसे परोसने का पर्यवेक्षण करने के लिए अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का भी राज्यों से अनुरोध किया गया है। दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि पके भोजन को बच्चों को परोसने से पहले उसका निरीक्षण 2-3 व्यसकों द्वारा किया जाएगा जिसमें कम-से-कम एक शिक्षक शामिल होगा। जैसे ही सरकार के नोटिस में कोई शिकायत लाई जाती है तभी संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन से उत्तरदायी व्यक्ति(यों) के विरुद्ध जांच करने और उचित कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसे मामले न हों, इसके लिए उपचारी कदम उठाने हेतु कहा जाता है।

नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, जाफरपुर कलां, दिल्ली से ऐसे एक मामले की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें 25.1.2009 को लगभग 150 छात्र बीमार पड़ गए थे। तथापि, पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भोजन की विषाक्तता से मृत्यु का कोई मामला जानकारी में नहीं आया। खाने की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विद्यालय स्तर पर एक मेस समिति है। जवाहर नवोदय विद्यालय, जाफरपुर कलां, दिल्ली में अपने कर्त्तव्यों में चूक के कारण छह व्यक्तियों को निलंबित कर दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या	मामलों और की गई कार्रवाई का विवरण
1	2	3	4
1.	बिहार	04	राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि रोहतास जिले के शिवसागर ब्लॉक के एक स्कूल में तथा मानसी ब्लॉक के दो स्कूलों में बच्चों के बीमार पड़ने के मामले उनके नोटिस में आए हैं। बीमार बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल उपचार दिया गया था तथा सामान्य होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। आगे यह भी सूचना मिली है कि विष्णुपुर-राजखंड, जिला वैशाली के प्राथमिक स्कूल में कक्षा-1 के 82 बच्चों, को जिन्होंने भोजन खाया था उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया था तथा यह माना गया

1	2	3	4
			कि उन्होंने मेंढक द्वारा विषाक्त किया गया ऐसा भोजन खाया जिसमें मेंढक पाया गया था। जांच करने के पश्चात सभी सामान्य पाए गए तथा उनमें से 62 अगले दिन स्कूल में उपस्थित थे।
2.	छत्तीसगढ़	01	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 21.11.2007 को लहपात्र ब्लॉक लखनपुर के बालक तथा बालिकाओं के मिडिल स्कूल में 40 छात्र बीमार पड़ गये थे। प्राथमिक उपचार के पश्चात छात्र स्कूल आने के लिए स्वस्थ थे। लखनपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाल मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया था। बालिका स्कूल लहपात्र की हेडमिस्ट्रेस तथा 3 अन्य अध्यापकों की वेतनवृद्धि को एक वर्ष के लिए रोक दिया गया था। दोनों रसोइयों को ड्यूटी से निकाल दिया गया।
3.	हरियाणा	01	राज्य सरकार ने सूचित किया कि 38 बच्चे बीमार पड़े तथा उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया कि अतिरिक्त निदेशक ने जांच की थी जिससे पता चला कि छात्र मध्याह्न भोजन खाने से बीमार नहीं पड़े थे अपितु स्कूल परिसर में उग रहे जटरोफा पौधे को खाने से बीमार पड़े थे। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सभी सरकारी स्कूल परिसरों से इस प्रकार के सभी पौधे उखाड़ने के निर्देश दिए हैं।
4.	झारखंड	02	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी दो घटनाएं हुई थी। धनबाद जिले में तकरीबन 60 छात्र तथा पूर्वी सिंहभूम जिले में करीब 70 छात्र भोजन विषाक्तता से बीमार पड़ गए। जांच करने पर पता चला कि यह पके हुए भोजन में हानिकारक सामग्री गिरने के कारण हुआ जिसके लिए शीघ्र कदम उठाए गए।
5.	कर्नाटक	02	राज्य सरकार ने दो रिपोर्ट दर्ज की है जिसमें प्रयोगशाला परीक्षण के बाद यह पाया गया कि बीमारी मध्याह्न भोजन की वजह से नहीं हुई थी।
6.	राजस्थान	02	राज्य सरकार ने कहा है कि दिनांक 18.01.2008 को सरकारी अपर प्राथमिक स्कूल, धाकड़ खेड़ी ग्राम पंचायत, जिला भीलवाड़ा में 188 बच्चे बीमार पड़ गए। दोषी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे स्कूलों की जांच करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। पुन: कहा कि दिनांक 22.01.2008 को सरकारी अपर प्राथमिक सकूल करेलिया, जिला डूंगरपुर में 8 बच्चे बीमार हो गए थे। इस मामले में मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाले जिम्मेदार गीतांजली चैरिटेबल ट्रस्ट नामक गैर-सरकारी संगठन को बर्खास्त कर दिया गया

1	2	3	4
			और उनके संगम ज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। सभी ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें।
7.	उत्तर प्रदेश	09	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि:—
			(1) प्राथमिक विद्यालय, भाउबाजार, गोपालपुर एवं सतवानपट्टी, जिला बरेली में दिनांक 20.9.2007 को 100 बच्चे बीमार पड़ गए थे। सभी बीमार बच्चों का उचित मेडिकल उपचार किया गया था तथा सामान्य होने के पश्चात उन्हें छोड़ा गया। मुख्याध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, भाउबाजार को निलंबित किया गया है तथा रसोइयों को वहां से हटाया गया और ग्राम प्रधान को ड्यूटी में लापरवाही के लिए नोटिस दिया गया है।
			(2) प्राथमिक स्कूल, उत्तमपुर बहलोलपुर एवं मिलक बहलोलपुर जिला मुरादाबाद में दिनांक 27.09.2007 को 84 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बीमार बच्चों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उनका उचित उपचार किया गया। ग्राम प्रधान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद गांव, पंचायत अधिकारी बहलोलपुर, संबंधित मुख्याध्यापक एवं सहायक शिक्षकों के खिलाफ मजोला थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, लापरवाही और खराब निरीक्षण के लिए उन्हें निलंबित किया गया।
			(3) प्राथमिक स्कूल, मिलक-मंकरा, जिला-मुरादाबाद में दिनांक 05.10.2007 को 16 छात्र बीमार पड़ गए थे। सभी बच्चों का उचित उपचार किया गया और सामान्य होने के पश्चात उन्हें छोड़ा गया। जांच से पता चला कि शिक्षा-मित्र का आचरण संदेहास्पद था। प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके खिलाफ दायर की गई।
			(4) प्राथमिक स्कूल, शाहगढ़, जिला पीलीभीत में दिनांक 08.10.2007 को 99 बच्चे बीमार पड़ गए। जांचोपरांत, यह पाया गया कि घटना का संभावित कारण खाद्य तेल में गड़बड़ी था। सभी छात्रों को मेडिकल उपचार के बाद मुक्त कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट ग्राम प्रधान, स्कूल के रसोइये तथा कोटेदार के खिलाफ दायर की गई। मुख्याध्यापिका को भी ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है।
			(5) प्राथमिक विद्यालय 9 तिलहारी खुर्द, जिला कानपुर नगर में 3 छात्र 22.10.2007 को बीमार पड़ गए। प्राथमिक उपचार के पश्चात वे सामान्य हो गए। मुख्य अध्यापक को उसके कार्य में ढिलाई के लिए निलंबित कर दिया गया और ग्राम प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गयी है।

			(6) प्राथमिक विद्यालय शाह आलमपुर, जिला मुरादाबाद में 72 छात्र 24.10.2007 को बीमार पड़ गए। सभी बीमार छात्रों का जिला अस्पताल में चिकित्सीय उपचार किया गया। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान के पति, शिक्षा मित्र और रसोइए के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। स्कूल के मुख्य अध्यापक को निलंबित कर दिया गया और शिक्षा मित्र की सेवाएं समाप्त कर दी गयी।
			(7) प्राथमिक विद्यालय, चांदपुर, हिलालपुर और जानीपुर, जिला सीतापुर में 205 छात्र 1.11.2007 को बीमार पड़ गए। 161 छात्रों को उपचार के तुरंत बाद छुट्टी दे दी गई और बाकी 44 का जिला अस्पताल में विशेष उपचार किया गया। इस घटना का कारण मिलावटी खाद्य तेल था। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान के पति, रसोइए और सहायक मूल शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जिम्मेदार मुख्य अध्यापकों और अध्यापकों को कार्य में ढिलाई के लिए निलंबित कर दिया गया।
			(8) प्राथमिक विद्यालय-इटवान हुडेला, जिला चित्रकूट में लगभग 55 छात्र 11.12.2007 को बीमार पड़ गए। जांच के पश्चात यह पाया गया कि इस घटना का कारण नजदीकी जंगल में पाए जाने वाले अज्ञात जंगली फल खाना था न कि मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन खाने के पश्चात सभी छात्र सामान्य थे।
			(9) प्राथमिक विद्यालय, खुदागंज, जिला शाहजहांपुर में 4 छात्र और मुख्य अध्यापिका 23.1.2008 को बीमार पड़ गई। चिकित्सा उपचार के पश्चात सामान्य होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। प्रयोगशाला में जांच करने के लिए पके हुए भोजन के नमूने लिए गए। वार्ड सदस्यों और दो रसोइयों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करवाई गई।
8.	दिल्ली	01	दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 16.7.2008 को नगर निगम प्राथमिक विद्यालय मार्जिनल बांध (पुराना)-1, शाहदरा की कुछ छात्राओं ने सरदर्द की शिकायत की थी। 9 छात्राओं को उपचार के लिए नजदीकी नर्सिंगहोम में ले जाया गया और 14 को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। जांच के पश्चात यह पाया गया कि एक दिन पहले स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर किसी बाह्य व्यक्ति ने निःशुल्क चूरण की गोलियां बांटी थी, शायद इससे बच्चे बीमार हुए होंगे। इस जोन के उन 47 अन्य प्राथमिक स्कूलों में कोई समस्या नहीं पाई गई जिनमें इस संगठन अर्थात दलित मानव उत्थान संस्थान द्वारा हलवा-चना बांटा गया था।

[अनुवाद]

लघु और मध्यम उद्यमों पर मंदी का प्रभाव

108. श्री चिन्ता मोहन :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री सुरेश अंगड़ि :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) पर वैश्विक मंदी का प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्यमों की संख्या एवं प्रतिशत कितना है तथा उनके द्वारा किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) मंदी के कारण नौकरियों में हुई छंटनी पर ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन उद्यमों को मंदी से उबारने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त 'बेल आउट' योजना के अंतर्गत कितने उद्यमों को लाभ पहुंचाया गया हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) वैश्विक मंदी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यद्यपि एमएसएमई पर कोई पृथक सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा करवाए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 के दौरान अनुमानित तौर पर लगभग 5 लाख कामगार अपना रोजगार खो चुके हैं। इनमें रत्न और आभूषण, परिवहन एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित थे।

(घ) से (च) एमएसएमई पर आर्थिक मंदी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई की सुरक्षा एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण सीमा को 50 प्रतिशत के गारंटी कवर के साथ 50 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. करना; (ii) क्रेडिट गारंटी योजना के तहत गारंटी कवर को 5 लाख रु. तक की क्रेडिट सुविधा के लिए 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना; (iii) एमएसएमई के बिलों का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक परामर्शी; (iv) लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को 31.3.09 तक प्री और पोस्ट शिपमेंट निर्यात क्रेडिट में 2 प्रतिशत की ब्याज कटौती, (v) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को बढ़ती हुई ऑन-लेंडिंग के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 7,000 करोड़ रु. की पुनर्वित सीमा; (vi) मौजूदा फंड आधारित सीमा के 20 प्रतिशत तक आवश्यकता आधारित अस्थायी कार्यशील पूंजी की मांग संबंधी ऋण; (vii) सूक्ष्म उद्यमों द्वारा उधार लेने के लिए ब्याज दरों में 1 प्रतिशत तथा एसएमई के संदर्भ में 0.5 प्रतिशत की कटौती। आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से उद्यमों (एमएसएमई सहित) के क्रेडिट प्रवाह प्रबंधी ब्यौरे संग्रहित और वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। अतः पैकेज के बाद की अवधि में एमएसएमई को क्रेडिट प्रवाह संबंधी सूचना वर्ष 2008-09 के लिए आरबीआई की रिपोर्ट से पता की जाएगी।

महिला आतंकवादी

109. डा. के. धनराजू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में महिला आतंकवादियों ने घुसपैठ की है और वे आतंकी कार्रवाई में सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में क्षेत्र-वार कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि भारत की सीमा पार करके आई एक पाकिस्तानी महिला का एक मामला नोटिस में आया है।

(ग) सरकार ने सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और घुसपैठ रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:— सीमा पर बाड़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना, सुरक्षा बलों द्वारा चौबीसों घंटे निगरानी किया जाना और गश्त लगाना, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण अतिरिक्त निगरानी/सीमा चौकियां स्थापित करना, आधुनिक और उच्च-तकनीक के निगरानी उपकरण लगाना, आसूचना नेटवर्क का उन्नयन और अन्तर-एजेंसी समन्वय।

विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा

110. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एम.सी.ई.आर.टी.) का विचार देश में सभी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में दिल्ली सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत किए गए और वास्तव में कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई;

(घ) क्या देश में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) शारीरिक शिक्षा प्राथमिक से माध्यमिक स्तर (कक्षा I से X) तक अनिवार्य है और यह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा xi-xii) पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में निर्धारित है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 व्यापक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पाठ्यचर्या पर बल देती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना पर आधारित अपनी स्वयं की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार करें।

(ग) से (ङ) शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की जाती है और केन्द्र सरकार इन शिक्षकों के आंकड़ों का रखरखाव नहीं करती है।

बहुकला संस्थानों की स्थापना

111. श्री एल. राजगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में 1000 बहुकला संस्थानों की स्थापना की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में नए बहुकला संस्थानों की स्थापना के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित देश में एकबारगी केन्द्रीय अनुदान से स्थापित बहुकला संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश सहित सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति/निजी वित्तपोषण के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित बहुकला संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में नए पॉलीटेक्निकों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वे जिले जहां पॉलीटेक्निकों की सुविधा नहीं है/कम है, में 300 पॉलीटेक्निकों की स्थापना हेतु 12.3 करोड़ रु. प्रति पॉलीटेक्निक की दर से एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार सरकारी-निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से 3 करोड़ रु. तक प्रति पॉलीटेक्निक की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर 300 अन्य पॉलीटेक्निकों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र के अंतर्गत 400 पॉलीटेक्निक स्थापित किए जाने हैं। नए पॉलीटेक्निकों की स्थापना का मानदंड प्रति लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत की तुलना में डिप्लोमा सीटों की उपलब्धता पर आधारित होगा, जिसमें कम दाखिला क्षमता वाले जिलों को अधिक दाखिल क्षमता वाले जिलों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित निर्धारित ऐसे 300 जिले जिनमें पॉलीटेक्निकों की सुविधा नहीं है और कम है तथा अब तक प्रदान की गई राज्य-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सुविधाविहीन तथा कम सुविधा वाले जिलों की संख्या	जिलों की संख्या जहां अभी तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	
2.	पुडुचेरी		
3.	तमिलनाडु	7	
4.	केरल		
5.	कर्नाटक		
6.	चंडीगढ़		
7.	दिल्ली	5	
8.	हरियाणा	7	2
9.	हिमाचल प्रदेश	5	1
10.	जम्मू और कश्मीर	18	4
11.	पंजाब	7	
12.	राजस्थान	15	1
13.	उत्तर प्रदेश	41	6
14.	उत्तराखण्ड	1	
15.	अरुणाचल प्रदेश	14	3
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	
17.	असम	21	
18.	बिहार	34	6
19.	झारखंड	17	4
20.	मणिपुर	8	2
21.	मेघालय	4	1
22.	मिजोरम	6	2
23.	नागालैंड	8	2
24.	उड़ीसा	22	4
25.	सिक्किम	2	1
26.	त्रिपुरा	3	1
27.	पश्चिम बंगाल	11	1
28.	छत्तीसगढ़	11	4
29.	दादरा और नगर हवेली		
30.	दमन एवं दीव	1	
31.	गोवा		
32.	गुजरात	5	1
33.	लक्षद्वीप	1	
34.	मध्य प्रदेश	21	5
35.	महाराष्ट्र	2	
	कुल	300	50

प्राकृतिक रबड़ के पुनः पौधरोपण हेतु राजसहायता

112. **श्री पी.सी. थामस :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ के पुनः पौधरोपण हेतु दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ की पुनर्रोपण सब्सिडी में वृद्धि करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करना

113. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री नन्दकुमार साय :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 823 करोड़ रुपए [मार्जिन मनी के लिए 740 करोड़ रुपये (लगभग) तथा पिछड़े-अगड़े संपर्कों के लिए 83 करोड़ रुपये (लगभग) प्रदान किए गए हैं]। इस योजना को 4735 करोड़ रुपये (मार्जिन मनी के लिए 4485 करोड़ रुपये तथा पिछड़े-अगड़े संपर्कों के लिए 250 करोड़ रुपये) के अनुमानित व्यय के साथ वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। भारत सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है तथा उसका कार्यान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एकल नोडल एजेंसी के रूप में किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना का कार्यान्वयन केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों; राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों तथा जिला उद्योग केन्द्रों तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

चार वर्षों अर्थात 2008-09 से 2011-12 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित अस्थाई लक्ष्यों का प्रस्ताव किया गया है:—

वर्ष	रोजगार (लोगों की संख्या)	मार्जिन मनी (सब्सिडी) (करोड़ रुपये)
1	2	3
2008-09	6,16,667	740.00
2009-10	7,40,000	888.00
2010-11	9,62,000	1,354.40
2011-12	14,18,833	1,702.60
कुल	37,37,500	4,485.00

नोट : 1. पिछड़े तथा अगड़े संपर्कों के लिए 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है।

2. प्रारंभ में, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल देना सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी (राज्य केवीआईबी सहित) और राज्य डीआईसी के बीच 60:40 के अनुपात में लक्ष्यों को संवितरित किया गया है। मार्जिन मनी सब्सिडी को भी इसी अनुपात में आबंटित किया गया है। डीआईसी से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आबंटित राशि का कम से कम 50% ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा।

3. कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्यों का वार्षिक आबंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी किया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 740.33 करोड़ रुपये के मार्जिन मनी के लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य/संघ क्षेत्रवार लक्ष्यों के संवितरण के लिए व्यापक मानदंड निम्नवत हैं:—

(i) राज्य के पिछड़ेपन की सीमा;

(ii) बेरोजगारी की सीमा;

(iii) वर्ष 2007-08 में पीएमआरवाई तथा आरईजीपी के तहत लक्ष्य पूर्ति की सीमा;

(iv) वर्ष 2007-08 में पीएमआरवाई तथा आरईजीपी के तहत ऋण वसूली की सीमा;

(v) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या; और

(vi) परंपरागत कौशलों तथा कच्चे माल की उपलब्धता

विवरण

2008-09 के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत मार्जिन मनी लक्ष्यों के आबंटन का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल मार्जिन मनी	कुल आबंटन का प्रतिशत	राज्य डीआईसी		%	केवीआईसी	केवीआईसी
				ग्रामीण	शहरी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चंडीगढ़	59.94	0.08	11.99	11.99	40%	0.00	35.96
2.	दिल्ली	899.10	1.21	179.82	179.82	40%	269.73	269.73
3.	हरियाणा	1431.16	1.93	286.23	286.23	40%	429.35	429.35
4.	हिमाचल प्रदेश	452.14	0.61	90.43	90.43	40%	135.64	135.64
5.	जम्मू व कश्मीर	748.14	1.01	149.63	149.63	40%	134.66	314.22
6.	पंजाब	1608.02	2.17	321.61	321.60	40%	482.41	482.40
7.	राजस्थान	4011.54	5.42	802.31	802.31	40%	1203.46	1203.46
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	19.98	0.03	4.00	3.99	40%	0.00	11.99
9.	बिहार	6440.22	8.70	1288.05	1288.04	40%	1932.07	1932.06
10.	झारखंड	2366.52	3.20	473.31	473.30	40%	709.96	709.95
11.	उड़ीसा	2946.68	3.98	589.34	589.33	40%	884.01	884.00
12.	पश्चिम बंगाल	5513.74	7.45	1102.75	1102.75	40%	992.47	2315.77
13.	आंध्र प्रदेश	5319.86	7.19	1063.97	1063.97	40%	1595.96	1595.96
14.	कर्नाटक	3571.24	4.82	714.25	714.25	40%	1071.37	1071.37
15.	केरल	2123.80	2.87	424.76	424.76	40%	637.14	637.14
16.	लक्षद्वीप	6.66	0.01	1.33	1.33	40%	0.00	4.00
17.	पुदुचेरी	59.94	0.08	11.99	11.99	40%	0.00	35.96
18.	तमिलनाडु	4220.23	5.70	844.05	844.04	40%	1266.07	1266.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	गोवा	86.59	0.12	17.32	17.31	40%	15.60	36.36
20.	गुजरात	3460.98	4.67	692.20	692.19	40%	1038.3	1038.29
21.	दादरा व नगर हवेली	13.32	0.02	2.67	2.66	40%	7.99	0.00
22.	दमन व दीव	13.32	0.02	2.67	2.66	40%	7.99	0.00
23.	महाराष्ट्र	6628.91	8.95	1325.79	1325.78	40%	1988.67	1988.67
24.	छत्तीसगढ़	1736.78	2.35	347.36	347.35	40%	521.04	521.03
25.	मध्य प्रदेश	4619.82	6.24	923.97	923.96	40%	1385.95	1385.94
26.	उत्तराखंड	641.59	0.87	128.32	128.32	40%	192.48	192.47
27.	उत्तर प्रदेश	11768.96	15.90	2353.79	2353.79	40%	3530.69	3530.69
28.	अरुणाचल प्रदेश	102.86	0.14	20.57	20.57	40%	30.86	30.86
29.	असम	2050.54	2.77	410.11	410.11	40%	615.16	615.16
30.	मणिपुर	235.32	0.32	47.07	47.06	40%	70.60	70.59
31.	मेघालय	241.98	0.33	48.40	48.39	40%	72.60	72.59
32.	मिजोरम	119.14	0.16	23.83	23.83	40%	21.44	50.04
33.	नागालैंड	215.34	0.29	43.07	43.07	40%	38.76	90.44
34.	त्रिपुरा	236.06	0.32	47.21	47.21	40%	70.82	70.82
35.	सिक्किम	62.90	0.08	12.58	12.58	40%	18.87	18.87
	कुल	74033.32	100.00	14806.75	4806.60	40%	21372.12	23047.85

आंतरिक सुरक्षा पर मुख्य मंत्रियों की बैठक

114. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री निखिल कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवाद सहित आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए जनवरी, 2009 में मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सुरक्षा बलों को गुरिल्ला प्रशिक्षण प्रदान करने और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पड़ोसी देशों की संलिप्तता के मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) "आन्तरिक सुरक्षा" पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक 6.1.2009 को आयोजित की गई थी जिसमें अत्याधुनिक आतंकवाद की बढ़ती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयारी का स्तर बढ़ाने और आतंकवादी चुनौतियों अथवा आतंकवादी हमलों की जवाबी कार्रवाई की कृत संकल्पता और प्रति संवर्धन के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई थी। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान ध्यान देने के लिए उभर कर आए अपेक्षित विभिन्न क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों में आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच आसूचना भागीदारी और उस पर कार्रवाई के लिए कमाण्डो/विशेष बलों का गठन करना, रणनीतिक और संवेदनशील अवस्थापनाओं एवं प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा व्यवस्था करना, राज्य पुलिस बलों में खाली पड़े पदों को भरना/और उनका संवर्ध करना, बाद वाले के लिए राज्य स्तर पर विशेष बलों की व्यवस्था करना, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, सार्वजनिक जागरूकता सृजित करना, और पुलिस-नागरिक तालमेल विकसित करना; अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क बनाने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करना, मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए पहचान मानदण्डों को व्यापक रूप से कार्यान्वित करना, तटीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना जिसमें मछली पकड़ने वाले पोतों का पंजीयन करना और मछुआरों को पहचान पत्र जारी करना शामिल हैं। नक्सलवाद से प्रभावित आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल नामक सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक 7.1.2009 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में एक आम सहमति यह हुई कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एक समान दृष्टिकोण और समग्र नीति होनी चाहिए जिसमें एक ओर लोगों की जरूरतों और शिकायतों पर ध्यान दिया जाए तथा दूसरी ओर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध दृढ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। बाद में किए गए उल्लेख के संदर्भ में गुरिल्ला/जंगल युद्ध में प्रशिक्षित विशेष बलों का गठन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों के बलों द्वारा समन्वित एवं संयुक्त कार्रवाई करने की जरूरत पर बल दिया गया।

उपरोक्त विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकारों के साथ मिलकर सघन समन्वय से कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

इंटरनेट धोखाधड़ी के मामले

115\. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंटरनेट और क्रेडिट कार्ड संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उक्त मामलों में दोषसिद्धि की दर कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय और राज्य अन्वेषण अभिकरण उक्त मामलों में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है;

(घ) यदि हां, तो अन्वेषण अभिकरणों के पास उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में इस संबंध में कितना बिजटीय आबंटन किया गया;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त मामलों से निपटने में अन्वेषण अभिकरणों को किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उक्त मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केन्द्रीय और राज्य के अन्वेषण अभिकरणों के कार्मिकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या इंटरनेट और क्रेडिट कार्डों संबंधी धोखाधड़ी से संबंधित विद्यमान शास्ति उपबंधों को सुदृढ़ करने की कोई आवश्यकता है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) इण्टरनेट धोखाधड़ी अर्थात पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष में (दिसम्बर, 2008 तक) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को यथासूचित इण्टरनेट/आन लाइन बैंकिंग के जरिए बैंकों से धोखाधड़ी से धन निकालने, के मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। आर बी आई ने सूचित किया है कि बैंक के निर्गम कार्यालय, जो प्रत्येक बैंक के लिए एक शहर में केन्द्रीयकृत है द्वारा क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की सूचना दी जाती है। अत: क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी करने वालों के राज्यवार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं भेजे जाते हैं। तथापि, क्रेडिट कार्ड से सम्बंधित धोखाधड़ी के आर बी आई द्वारा यथा उपलब्ध बैंकवार आंकड़े संलग्न विवरण-II

में दिए गए हैं। इण्टरनेट और क्रेडिट कार्ड दोनों से संबंधित धोखाधड़ी के आंकड़ों से मिलीजुली प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। आर बी आई इन मामलों में दोषसिद्धि से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है। आर बी आई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक इन मामलों की रिपोर्ट सीधे राज्य पुलिस/सीबीआई को करते हैं और जब तक उनका कोई तर्कसंगत परिणाम नहीं निकलता तब तक वे उन मामलों को तत्परता से देखते हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा यथा रिपोर्ट किए गए वर्ष 2005-2007 तक के डिजिटल हस्ताक्षर धोखाधड़ी (आई टी अधिनियम की धारा 74) विश्वसनीयता/गोपनीयता भंग करने (आई टी अधिनियम की धारा 72) भारतीय दण्ड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आंकड़े संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। उपर्युक्त अपराधों के अंतर्गत वर्ष 2006 और 2007 के दौरान गिरफ्तार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या संलग्न विवरण-IV में है। इस तरह की जानकारी वर्ष 2005 के लिए उपलब्ध नहीं है। दोषसिद्धि से सम्बंधित अन्य विवरण एन सी आर बी द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी आई टी) ने सेण्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवान्सड कम्प्यूटिंग (सी-डेक) थिरुअनन्तपुरम में विधि विज्ञान संसाधन केन्द्र स्थापित किया है जिसने स्वदेशी साइबर विधिविज्ञान टूल्स विकसित किए हैं। सी-डाट, थिरुवनन्तपुरम इन टूल्स पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पुलिस अकादमियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), इण्डियन कम्प्यूटर रिसपान्स टीम (सीईआरटी-इन) कण्ट्रोलर आफ सर्टिफाइंग अथारिटी (सीसीए), एसी आरबी रीजनल पुलिस कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेण्टर्स (आरपीसीटीसी), आदि संगठन देश में साईबर अपराध प्रशमन करने के लिए पुलिस कर्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। विधिविज्ञान निदेशालय (डी एफ एस) के अधीन प्रयोगशालाएं भी विधि प्रवत्रन एजेंसियों के लाभार्थ देश में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। और उन्हें डिजिटल साक्ष्य की खोज करने, उसे पकड़ने और उसके हैण्डलिंग में उन्हें प्रशिक्षित करती हैं। डी आई टी ने साइबर अपराधों की जांच करने हेतु साइबर विधिविज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु सी बी आई और केरल पुलिस को अनुदान दिया है और इन प्रयोगशालाओं का उपयोग पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जाएगा। अत: यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय और राज्य अन्वेषण एजेंसियां इन मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त रूप से सज्जित है।

(घ) से (छ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ज) और (झ) मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में इण्टरनेट धोखाधड़ी सहित साइबर अपरोधों का प्रशमन करने के लिए विधायी ढांचा प्रदान कराती है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम फिशिंग, स्पैमिंग, आनलाईन फ्राडस और आइडेन्टिटी थेफ्ट जैसे कम्प्यूटर अपराधों तथा डाटा संरक्षण का निराकरण करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और विधि प्रवर्तन एजेन्सियों को साइबर अपराधों और साईबर कानूनों पर कई जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए है। डी आई टी के अधीन इण्डियन कम्प्यूटर इमरजेन्सी रिसपान्सटीम (सी ई आर टी इन) देश में होने वाली साइबर घटनाओं के लिए रिएक्टिव एवं प्रोएक्टिव सहायता प्रदान करता है। यह पूरे विश्व की समस्या एजेंसियों सरकार, जनता या प्राइवेट सहित देश में साईबर स्पेश प्रयोक्ताओं के साथ लायजन भी करता है और चेतावनियां, परामर्शी एवं सुभेद्यता नोट जारी करता है। इन परामर्शियों को सी ई आर टी-इन की वेबसाइट (http:ewww.cert-in.org.in) पर भी प्रकाशित किया जाता है। सी ई आर टी-इन ऐसी घटनाओं का प्रशमन करने के लिए देश में साइबर प्रयोक्ताओं के साथ अन्योन्यक्रिया भी करता है।

विवरण-I

इण्टरनेट धोखाधड़ी की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि की भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा यथासूचित राज्यवार आंकड़े

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	अप्रैल 2003 – मार्च, 2006		अप्रैल 2006 – मार्च, 2007		अप्रैल 2007 – मार्च, 2008		अप्रैल 2008 से दिसम्बर, 2008	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2	4.32	5	11.50	7	14.77	11	64.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	0	0	0	0	1	5.00	1	1.00
बिहार	0	0	0	0	1	1.00	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	2.65
दिल्ली	1	1.00	6	10.72	18	24.55	8	10.90
गोवा	0	0	0	0	1	2.00	0	0
गुजरात	0	0	1	1.00	3	23.00	4	5.51
हरियाणा	1	30.87	1	1.00	1	1.02	3	4.00
झारखंड	0	0	1	1.50	0	0	0	0
कर्नाटक	1	2.40	5	12.76	5	6.59	6	7.90
केरल	0	0	1	1.06	3	3.67	2	17.60
मध्य प्रदेश	2	4.33	3	3.31	8	11.52	1	1.00
महाराष्ट्र	4	6.03	18	30.04	44	88.57	23	55.54
राजस्थान	0	0	0	0	0	0	2	89.93
उड़ीसा	1	5.55	0	0	2	5.63	1	1.96
तमिलनाडु	2	3.79	2	3.00	16	43.56	7	209.74
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	1	1.00
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	8	19.53	2	4.00
पश्चिम बंगाल	1	2.98	2	3.56	12	28.70	5	35.72
#उन घटनाओं की संख्या जिनमें प्रत्येक में अन्तर्ग्रस्त राशि 1 लाख रुपये से कम है।	198	35.51	102	28.38	244	279.11	46	17.43
कुल	213	96.78	147	107.83				

#उन घटनाओं की संख्या का राज्यवार विवरण जिनमें प्रत्येक में अन्तर्गस्त राशि 1 लाख रुपये से कम है, इस समय आर बी आई के पास उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

इण्टरनेट धोखाधड़ी की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि की भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा यथासूचित राज्यवार आंकड़े

(लाख रुपयों में)

बैंक का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (2008 दिसम्बर तक)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए बी एन एम्रो बैंक	24	10.68	148	71.13	173	103.29	128	120.15
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	–	–	524	262.58	499	266.43	73	604.93
एक्सिस बैंक	–	–			–	–	5	18.27
बैंक आफ बड़ौदा	–	–	–	–	4	2.81	2	0.21
बैंक आफ इंडिया	–	–	2	5.52	1	2.79	1	6.63
बैंक आफ महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	2	2.61
बैंक आफ राजस्थान	–	–	8	1.64	1	1.02	3	2.83
बारकाइलस बैंक	–	–	–	–	33	19.02	17	183.74
कैनरा बैंक	2	0.53	4	3.07	3	11.80	–	–
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	–	–	–	–	–	–	1	0.22
सिटी बैंक	331	106.12	2020	610.40	1586	592.64	817	473.13
ह्यूश बैंक	–	–	–	–	40	81.44	78	209.71
एच डी एफ सी बैंक	9	13.10	60	73.66	114	85.32	114	98.57
एस एस बी सी बैंक	10	72.12	2495	613.21	3721	626.89	2483	490.17
आई सी आई सी आई बैंक	2613	322.45	13954	1863.66	10035	1678.48	8280	1147.09
आई डी बी आई बैंक	–	–	3	13.79	–	–	–	–
आई ओ बी	–	–	–	–	1	0.75	–	–
जे एंड के बैंक लिमिटेड	–	–	–	–	–	–	2	34.90
कोटक महिन्द्रा बैंक	–	–	–	–	–	–	14	5.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	5	7.32	34	50.61	96	108.87	306	239.11
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	–	–	–	–	–	–	1	7.48
विजया बैंक	–	–	–	–	1	1.31	2	9.02
कुल	2994	532.32	19252	3569.27	16308	3582.86	12959	3654.25

विवरण-III

वर्ष-2005 से 2007 की अवधि में आई टी अधिनियम तथा आई पी सी अपराध के अंतर्गत दर्ज धोखाधड़ी की घटना से संबंधित मामले

क्रम सं.	राज्य	2005				2006				2007			
		आई टी अधिनियम		आई पी सी अपराध		आई टी अधिनियम		आई पी सी अपराध		आई टी अधिनियम		आई पी सी अपराध	
		डिजिटल हस्ताक्षर धोखाधड़ी (धारा 74)	विश्वसनीयता/गोपनीयता भंग (धारा 72)	जालसाजी (धारा 463, 465, 466, 468, 469, 471, 474, 476, 477क)	आपराधिक विश्वासभंग/धोखाधड़ी (धारा 405, 406, 408, 409)	डिजिटल हस्ताक्षर धोखाधड़ी (धारा 74)	विश्वसनीयता/गोपनीयता भंग (धारा 72)	जालसाजी (धारा 463, 465, 466, 468, 469, 471, 474, 476,	आपराधिक विश्वासभंग/धोखाधड़ी (धारा 405, 406, 408, 409)	डिजिटल हस्ताक्षर धोखाधड़ी (धारा 74)	विश्वसनीयता/गोपनीयता भंग (धारा 72)	जालसाजी (धारा 463, 465, 466, 468, 469, 471, 474, 476, 477क)	आपराधिक विश्वासभंग/धोखाधड़ी (धारा 405, 406, 408, 409)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	28	20	0	0	31	41	0	0	22	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1	0	4	10	0	0	7	11	3	0	26	12
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7.	गुजरात	0	0	4	118	0	0	1	0	0	0	2	0
8.	हरियाणा	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	108	12	0	0	133	20
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	1	0	0	3	1	0	1	1	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
21.	पंजाब	0	1	12	28	0	0	0	17	0	2	6	17
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1
	संघ शासित												
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	3	7
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	दिल्ली	0	0	10	8	0	0	4	3	0	0	14	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	1	5	48	186	1	3	160	90	3	9	217	73

स्रोतः भारत में अपराध

विवरण-IV

वर्ष 2006-2007 के दौरान आई टी अधिनियम तथा आई पी सी की धाराओं में धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के अन्तर्ग्रस्त गिरफ्तार व्यक्ति।

क्रम सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	2006				2007			
		आई टी अधिनियम		आई पी सी की अपराध		आई टी अधिनियम		आई पी सी की अपराध	
		डिजिटल हस्ताक्षर धोखाधड़ी (धारा 74)	विश्वसनीयता/गोपनीयता भंग (धारा 72)	जालसाजी	आपराधिक विश्वासभंग/धोखाधड़ी	डिजिटल हस्ताक्षर धोखाधड़ी (धारा 74)	विश्वसनीयता/गोपनीयता भंग (धारा 72)	जालसाजी	आपराधिक विश्वासभंग/धोखाधड़ी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	36	88	0	0	46	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	13	6	3	0	52	20
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	7	0
8.	हरियाणा	0	1	0	2	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	132	13	0	0	140	16
15.	महाराष्ट्र	0	0	4	2	0	0	1	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	1	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	6	0	2	10	24
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	1	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	2	0	0	0	0	0
	संघ शासित								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	3	1	0	0	4	12
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	4	3	0	0	4	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	0	2	194	121	3	3	26	85

स्रोत: भारत में अपराध

[अनुवाद]

उच्च शैक्षिक संस्थाओं में रिक्त पद

116. श्रीमती मेनका गांधी :
श्री सुब्रत बोस :

क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शैक्षिक संस्थाओं और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित श्रेणियों सहित बड़ी संख्या में शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्च शैक्षिक संस्था-वार, विश्वविद्यालय-वार तथा श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिक्त पदों को नहीं भरने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उच्च शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण के मद्देनजर निगरानी समिति ने अतिरिक्त शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती हेतु और अधिक वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कुल संस्वीकृत पदों (शिक्षण) में से 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 18.8 प्रतिशत तथा 74 राज्य विश्वविद्यालयों में 33.12 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा 74 राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

	संस्वीकृत	रिक्त पद			
		प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर एवं अन्य	कुल
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	9998	478	603	808	1889 (18.8%)
राज्य विश्वविद्यालय	23527	1598	2273	3922	7793 (33.12%)

गैर-शिक्षण कर्मचारी

	संस्वीकृत पद	रिक्त पद				
		ग्रुप-ए	ग्रुप-बी	ग्रुप-सी	ग्रुप-डी	कुल
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	28987	336	303	2323	2078	5040

(ग) और (घ) ये पद पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता, संकाय सदस्यों की अकादमिक गतिशीलता, सेवानिवृत्ति तथा त्याग पत्र देने की वजह से रिक्त हैं। सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालयों को इन रिक्त पदों को भरने के लिए कह रहे हैं। जहां तक शिक्षण कर्मचारियों की कमी का संबंध है, सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मेधावी नवयुवकों को अपनी अर्थव्यवस्था में नये तथा उभरते हुए क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की तुलना में उच्चतर शिक्षा में शिक्षण में कैरियर बनाने के लिए आकर्षित करने हेतु उठाये गये कदम हैं:-

- सरकार ने उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में अध्यापन व्यवसाय हेतु प्रतिभा को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिये एक बहुत ही प्रगतिशील वेतन समीक्षा पैकेज की घोषणा की है।
- कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की दर में लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी।
- विश्वविद्यालयों में विज्ञान आधारित शिक्षा तथा अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण।

- अंतर्राष्ट्रीय मंचों/संगोष्ठियों में अनुसंधान पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुदान का वितरण।
- अनुसंधान को बढ़ावा देने वाले विश्वविद्यालयों को अनुसंधान सहायता की मात्रा बढ़ाना।
- उच्च संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें पुरस्कार देने के दृष्टिकोण से 250 जाने-माने प्रोफेसरों का उच्चतर ग्रेड में नियुक्ति हेतु चयन।
- अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु ग्रीष्मकालीन स्कूलों का आयोजन।
- अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना तथा साथ ही पुनः नौकरी पर रखे गए अध्यापकों को 70 वर्ष तक बनाए रखना।

(ङ) और (च) निगरानी समिति ने और अधिक शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती करने हेतु वित्तीय सहायता की सिफारिश की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों (गैर-वेतन अनुदान सहित) की भर्ती हेतु 5 वर्षों के लिये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 1943.29 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया है।

पुलिस थानों में कम्प्यूटर की सुविधा

117. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के सभी पुलिस थानों में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना आयोग ने उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि आबंटित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान/उपयोग की गई है; और

(ङ) देश में राज्य-वार कुल कितने पुलिस थानों में कंप्यूटर सुविधा प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। देश में सभी पुलिस स्टेशनों को इंटरनेट सहित कम्प्यूटर सुविधा प्रदान करने हेतु गृह मंत्रालय में एक परियोजना अर्थात अपराध और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली पर विचार किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु 2000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) और (घ) यह परियोजना आवश्यक अनुमोदन हेतु शुरूआती चरण में है तथा इसके लिए परियोजना की रिपोर्ट में प्रावधान वर्ष-वार एवं घटक-वार दिए गए हैं।

(ङ) "राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण" नामक गैर-परियोजना स्कीम के तहत 129 करोड़ रुपये की निधि के साथ अब तक 2760 पुलिस स्टेशनों को कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं। एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम स.	राज्य का नाम	कम्प्यूटर प्रदान किए गए पुलिस स्टेशनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	105
2.	अरुणाचल प्रदेश	29
3.	असम	25
4.	बिहार	80
5.	छत्तीसगढ़	32
6.	गोवा	4
7.	गुजरात	186
8.	हरियाणा	60
9.	हिमाचल प्रदेश	40
10.	जम्मू व कश्मीर	23
11.	झारखंड	38
12.	कर्नाटक	291
13.	केरल	180
14.	मध्य प्रदेश	202

1	2	3
15.	महाराष्ट्र	317
16.	मणिपुर	6
17.	मेघालय	16
18.	मिजोरम	8
19.	नागालैंड	4
20.	उड़ीसा	45
21.	पंजाब	95
22.	राजस्थान	320
23.	सिक्किम	11
24.	तमिलनाडु	137
25.	त्रिपुरा	5
26.	उत्तर प्रदेश	137
27.	उत्तराखंड	41
28.	पश्चिम बंगाल	137
	कुल	2574
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
2.	चंडीगढ़	11
3.	दादर और नगर हवेली	2
4.	दमन और दीव	3
5	दिल्ली	126
6.	लक्षद्वीप	9
7	पुडुचेरी	33
	कुल	186

लघु उद्योगों की स्थापना

118. श्री बसुदेव आचार्य : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने की पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लागू की गई उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार क्रेडिट, आधारभूत संरचनात्मक विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं उद्यमिता विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान इस क्षेत्र (खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और कॅयर बोर्ड सहित) के लिए 1794 करोड़ रु. का आबंटन रखा गया था। स्थायी दिशानिर्देशों के अनुसार सकल बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत आबंटन पूर्वोत्तर प्रदेश (एनईआर) के लिए रखा गया है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर प्रदेश के आठ राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर के विशेष वर्ग के राज्यों में विभिन्न प्रकार से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित सभी उद्योगों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इन प्रोत्साहनों में केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना, केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना, आयकर छूट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट और केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना शामिल है।

[हिन्दी]

दूरस्थ शिक्षा के मानक

119. श्री अधीर चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूरस्थ शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव/योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यह योजना कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इस उद्देश्य से आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, उन्हें बनाए रखने और इनके विनियमन के लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद को सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

[अनुवाद]

तस्करी पर रोकथाम के उपाय

120. श्री निखिल कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत-बांग्लादेश सीमा पर कार्यरत तस्कर गिरोहों को समाप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और बीएसएफ के साथ मिलकर उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी की गतिविधियों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कमी आई है। जब्त की गई निषिद्ध वस्तुओं का रिपोर्ट किया गया मूल्य निम्नलिखित है:—

क्र.सं.	वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1.	2006	107.81
2.	2007	118.79
3.	2008	100.50
4.	2009 (31.10.2009 में)	12.45

(ग) भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं:-

(i) सीमा पर बाड़ लगाना, सड़क बनाना और तेज रोशनी करना।

(ii) सीमा सुरक्षा बल, जो भू एवं नदी तटीय दोनों की गश्त करता है, द्वारा चौबीसों घण्टे निगरानी। सीमा सुरक्षा बल भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी तथा अन्य सीमा-पारीय अपराधों को रोकने के लिए राज्य तथा अन्य आसूचना एजेन्सियों के साथ सघन समन्वय से कार्य कर रहा है।

(iii) भारत-बंगलादेश सीमा पर 1185 सीमा बाह्य चौकियां स्थापित करना जिसमे से 802 बाह्य चौकियां पहले ही स्थापित कर दी गई हैं।

(v) नाइट विजन डिवायसेस सहित आधुनिक निगरानी उपकरण लगाना।

(iv) आसूचना तंत्र का उन्नयन करना।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

121. श्री विजय कृष्ण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने वाले कुल स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं और अन्य पात्र आश्रितों की संख्या का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को देश में पेंशन प्राप्त करने वाले नकली स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में सरकार द्वारा पंजीकृत इस प्रकार के मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के शुरू होने से लेकर 31.01.2009 तक, सरकार ने लगभग 1,70,483 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधवाओं और अन्य पात्र आश्रितों को पेंशन की स्वीकृति दी है। राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी जाली/नकली दावों के आरोप से संबंधित शिकायतें समय-समय प्राप्त होती रहती हैं, ऐसी समस्त शिकायतों की संबद्ध राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर पेंशन योजना के लागू प्रावधानों के संदर्भ में जांच की जाती है। जिन मामलों में आरोपों को सही पाया जाता है, उन मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है और यदि पेंशन स्वीकृत कर दिया गया है तो उसे रोक/ निरस्त कर दिया जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए पेंशन की वसूली का आदेश दिया जाता है।

(घ) योजना में निर्धारित पात्रता मानदण्ड तथा प्रमाण संबंधी अपेक्षाओं और राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र द्वारा उसके विधिवत् सत्यापन के आधार पर केन्द्रीय सम्मान पेंशन के दावों पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	स्वीकृत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14,648
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,438
4. और 5	बिहार और झारखंड	24,874
6.	गोवा	1,470
7.	गुजरात	3,598
8.	हरियाणा	1,686
9.	हिमाचल प्रदेश	624
10.	जम्मू व कश्मीर	1,807
11.	कर्नाटक	10,087
12.	केरल	3,291
13 और 14.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	3,468
15.	महाराष्ट्र	17,810
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	उड़ीसा	4,190
21.	पंजाब	7,016
22.	राजस्थान	811
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4,106
25.	त्रिपुरा	887
26. और 27	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	17,993
28.	पश्चिम बंगाल	22,486
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
30.	छत्तीसगढ़	90
31.	दादर और नगर हवेली	83
32.	दमन और दीव	33
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र	2,044
35.	पुडुचेरी	317
	भारतीय राष्ट्रीय सेना (आई एन ए)	22,468
	कुल जोड़	1,70,483

भारत में चाय बोर्ड द्वारा ई-नीलामी

122. **श्री अनवर हुसैन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने परंपरागत चाय नीलामी प्रणाली को समाप्त करते हुए ई-नीलामी प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली असम के चाय खरीददारों के लिए किस प्रकार से लाभकारी और सहायक होगी; और

(ग) असम में चाय खरीददारों/अधिकारियों को इस संबंध में बताए जा रहे तरीकों और दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) निम्नलिखित केन्द्रों पर मौजूदा हस्तचालित चाय नीलामी प्रणाली के स्थान पर चाय हेतु पुनर्संरचित ई-नीलामी प्रणाली की शुरुआत की गई है:-

नीलामी केन्द्र	शुरुआत की तारीख
1	2
कोलकाता चाय नीलामी केन्द्र	19.11.2008

1	2
गुवाहाटी चाय नीलामी केन्द्र	08.12.2008
सिलिगुडी चाय नीलामी केन्द्र	13.12.2008
कोयम्बतूर चाय नीलामी केन्द्र	20.12.2008
कोचीन चाय नीलामी केन्द्र	20.12.2008
कुन्नूर चाय नीलामी केन्द्र	21.12.2008

(ख) पुनर्संरचित ई-नीलामी प्रणाली निम्नलिखित सुविधाओं के कारण नीलामी के हितबद्ध पक्षकारों, विशेष रूप से असम के नीलामी चाय क्रेताओं सहित नीलामी क्रेताओं के लिए अधिक लाभकारी है:-

1. समानान्तर रूप से बोली लगाने की सुविधा।
2. उचित कीमत प्राप्ति तंत्र के प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए बोली लगो की प्रक्रिया में पात्र क्रेताओं की अधिक भागीदारी।
3. क्रेता न केवल नीलामी कक्ष बल्कि उसके बाहर से भी बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
4. ई-नीलामी पूर्व तंत्र, ई-नीलामी तंत्र और ई-नीलामी पश्चात तंत्र में पारदर्शिता।

(ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) प्रयोक्ता स्वीकृति जांच (यूएटी) हेतु सॉफ्टवेयर को उपभोक्ताओं के अनुरूप बनाना।

(ii) प्रमुख नेटवर्क संपर्क की व्यवस्था अर्थात गुवाहाटी सहित छह नीलामी केन्द्रों को एमपीएलएस वीपीएन नेटवर्क तथा मुम्बई स्थित हार्वर होस्टिंग स्टेशन से जोड़ना।

(iii) चाय नीलामी के हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सॉफ्टवेयर के प्रयोग को चरण-दर-चरण दर्शाते हुए प्रयोक्ता पुस्तिका का गुवाहाटी सहित सभी नीलामी केन्द्रों में परिचालन।

(iv) गुवाहाटी सहित छह नीलामी केंद्रों में छह सहायक अभियंताओं को भेजना।

(v) सितम्बर-अक्तूबर, 2008 के दौरान गुवाहाटी सहित छह नीलामी केन्द्रों के हितबद्ध पक्षकारों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(vi) गुवाहाटी सहित छह नीलामी केन्द्रों में अभ्यास सत्रों हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करना।

चीन-भारत सीमा के समीप सड़कों का निर्माण

123. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन-भारत के समीप कितनी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है;

(ख) वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है;

(ग) कितनी सड़कों का निर्माण कार्य अभी लंबित है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी लंबित सड़कों का निर्माण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान चीन-भारत सीमा के समीप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में 73 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) के परिचालन महत्व की 27 सड़कें शामिल हैं जिसका निष्पादन गृह मंत्रालय कर रहा है। 6 आई टी बी पी सड़कों सहित 49 सड़कों का निर्माण शुरू हो चुका है, लंबित 24 सड़कों के निर्माण का कार्य वन एवं पर्यावरण की मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू हो पाएगा सभी सड़कों का निर्माण 2012-13 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध

124. श्री उदय सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय तंबाकू कंपनियां सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के विरुद्ध लामबंद हो रही हैं जैसाकि दिनांक 15 जनवरी, 2009 के बिजनेस स्टेण्डर्ड में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) मौजूदा नीति के अनुसार, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस एवं उनसे संबंधित शर्तों के अधीन तंबाकू उत्पादों से बने सिगारों एवं सिगरेटों के विनिर्माण हेतु सरकार के पूर्व अनुमोदन से 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। सिगरेट हेतु एफडीआई नीति अंतर-मंत्रालयीय परामर्शों के जरिये समीक्षाधीन है। भारत ने तंबाकू नियंत्रण पर ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, तंबाकू क्षेत्र में नई क्षमता का सृजन करने अथवा क्षमता में वृद्धि संबंधी किसी प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जा रही है। तद्नुसार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा सिगरेट के विनिर्माण हेतु, जहां विनिर्माण घरेलू उपभोग के लिए है, एफडीआई निषिद्ध करने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में विभिन्न कंपनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

अपंजीकृत जॉब ब्यूरो

125. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत/अंपजीकृत जॉब ब्यूरो की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के अंपजीकृत जॉब ब्यूरो पर चिंता व्यक्त की है जो लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनके दुर्व्यापार और देह-व्यापार के कार्यों में लिप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के ब्यूरो के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में जॉब ब्यूरों/प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में किसी संगठन का कोई पंजीकरण नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय जॉब ब्यूरों/प्लेसमेंट एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कुछ वैधानिक नियंत्रण के अधीन लाना चाहता है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त सचिवों की एक समिति ने श्रम विभाग को कहा है कि प्लेसमेंट एजेंसियों के दोबारा पंजीकरण हेतु दिल्ली की दुकानों और स्थापना नियमों में सुधार किया जाए।

(घ) और (ङ) चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसियों का पंजीकरण नहीं होता, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

मध्याह्न भोजन योजना

126. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार मध्याह्न भोजन के अंतर्गत लक्ष्यों को किस सीमा तक पूरा कर पायी है;

(ख) क्या मध्याह्न भोजन योजना के कारण शिक्षक स्टाफ अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक (विद्यालयों में इसी कारण से विद्यालय छोड़ने वाले मामलों की संख्या बढ़ी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय प्रारंभ किए गए है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) देश के सरकारी, सरकारी सहायताप्राप्त तथा स्थानीय निकायों के स्कूलों तथा शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में कक्षा I से VII में अध्ययनरत सभी बच्चों को सभी स्कूल दिवसों पर मध्याह्न भोजन प्रदान करना सरकार का सतत प्रयास रहा है। सभी 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर इस योजना की मानीटरिंग की जाती है।

(ख) और (ग) मध्याह्न भोजन के दिशानिर्देशों में यह उपबंध किया गया है कि अध्यापकों को ऐसे दायित्व न सौंपे जाएं जो अध्यापन अधिगम में व्यवधान पैदा करें। तथापि, अध्यापक यह सुनिश्चित करने में भागीदारी होने चाहिएं कि (i) बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाला संपूर्ण आहार परोसा जाए, और (ii) स्वास्थ्यप्रद स्थितियों में और व्यवस्थित ढंग से साहचर्य की भावना के साथ भोजन परोसा और ग्रहण किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण-कक्षों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया दुष्प्रभावित न हों, राज्यों को सलाह दी गई है कि स्कूल स्तर पर इस कार्यक्रम की दैनंदिन व्यवस्था का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंध एवं विकास समिति अथवा अभिभावक शिक्षक संघों के सुपुर्द कर दिया जाए। इसी प्रकार, भोजन पकाने/पके हुए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसी एक को सौंपी जा सकती है:—

— स्थानीय महिला/मातृ स्वयं सहायता समूह

— नेहरू युवा केन्द्रों से संबद्ध स्थानीय युवा क्लब

— मध्याह्न भोजन के दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई स्वैच्छिक संगठन; और

— वीईसी/एसएमडीसी/पीटीए/ग्राम पंचायत/नगर पालिका द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सहयोजित कार्मिक।

(घ) और (ङ) प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में विगत वर्षों में निरंतर कमी आई है। वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्कूलों (I-V) में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 29.00 थी जो वर्ष 2005-06 में घटकर 25.67 रह गई है। जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध है, पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 2004-05 में 12.06 थी वह घटकर 2005-06 में 9.76 रह गई है।

[अनुवाद]

गोला-बारूद की तस्करी

127. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर गोला-बारूद की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन देशों की पहचान कर ली है जिनसे देश में गोला-बारूद की तस्करी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे राष्ट्रों के साथ इस मामले को उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी, नहीं। श्रीमान।

(ख) से (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होते हैं।

(च) भारत सरकार ने हथियारों और गोला बारूद की तस्करी को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए है:-

(i) राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अवैध हथियारों/गोला बारूद का पता लगाने हेतु सतत् और निरंतर प्रयास करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ii) स्थिति की निगरानी और जायजा लेने हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती है।

(iii) भारत-पाकिस्तान तथा बंगलादेश सीमाओं पर सीमा बाड़ लगाकर, सीमाओं के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती, इंफ्रारेड सैंसर, थर्मल इमेजिंग डिवाइस (नाईट विजन डिवाईस सहित) भूमिगत सैंसर, बाड़ लाइटों को सक्रिय करने हेतु ट्रिप वायर

मेकेनिज्म, बैटलफील्ड निगरानी राडार इत्यादि से सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ किया गया है।

एनएसजी के लिए नए केन्द्र और एयरविंग

128. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आतंकी हमले से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कमांडों की त्वरित तैनाती हेतु नए केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एनएसजी के लिए अलग से एयरविंग बनाने और आपात स्थिति से निपटने के लिए उन्हें देश में विमानपत्तनों के आसपास रखने पर विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वित होने के संभावित समय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पुनः तैयार करने और उनके आतंकरोधी कौशल में सहायता वृद्धि के लिए कमांडो इकाईयों की प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) संकट की परिस्थितियों में सुरक्षा बल की तत्काल तैनाती के लिए चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद तथा मुम्बई महानगरों में एन एस जी केन्द्रों को स्थापित करने के संबंध में सरकार ने सैद्धान्तिक तौर पर निर्णय ले लिया है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान। आवश्यकता पड़ने पर एनएसजी के तत्काल संचलन के लिए दिल्ली में एक एयर क्राफ्ट उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, इण्डियन एयर क्राफ्ट एक्ट, 1934 तथा एनएसजी एक्ट, 1986 के तहत अधिसूचनाएं 22 एवं 23 जनवरी 2009 को जारी कर दी गयी हैं, जिसके अनुसार सरकार और एनएसजी द्वारा आपात स्थिति में सरकारी कार्य के लिए पंजीकृत संचालकों से एयर क्राफ्ट हासिल किए जा सकते हैं। एक एन एस जी कार्य बल को आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर भी तैनात किया गया है।

(ङ) और (च) प्रशिक्षण एन एस जी का एक अभिन्न अंग है और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को संचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय खुदरा व्यापार में विदेशी कम्पनियां

129. डा. चिन्ता मोहन :
श्री सुरव सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 2008 तक खुदरा व्यापार में प्रचालनरत विदेशी कम्पनियों तथा उनके द्वारा अब तक निवेश की गई पूंजी की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कम्पनियों के उत्पाद-वार तथा अवस्थिति-वार खुदरा दुकानों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) एकल ब्रांड रिटेल को छोड़कर जहां सरकार की पूर्वानुमति से 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध है। 31 दिसम्बर, 2008 तक एकल ब्रांड रिटेल के लिए स्वीकृत एफडीआई अनुमोदनों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) खुदरा व्यापार के लिए अनुमोदित उपर्युक्त अनुलग्नक में विनिर्माण की मद कॉलम में दिए गए हैं। रिटेल आउटलेट के स्थानों के संबंध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

विवरण

एकल ब्राण्ड खुदरा व्यापार में एफडीआई अनुमोदनों का विस्तृत विवरण

(मार्च, 2006 से दिसम्बर, 2008 तक)

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	पंजीकरण संख्या और तारीख	भारतीय कम्पनी का नाम और पता	विदेशी सहयोगी का नाम और पता	विदेशी इक्विटी रुपये में	विदेशी इक्विटी अमेरिकी डालर में	विदेशी इक्विटी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
			देश : आस्ट्रेलिया			
1.	18 08 मई, 2007	फॉरएवर न्यू अपरेल्स प्रा. लि. मार्फत आर.पी. मलाहन एण्ड कम्पनी 1, ए एण्ड सी वंदना बिल्डिंग 11, टालस्टय मार्ग, नई दिल्ली-110001	फॉरएवर न्यू क्लौथींग पीटीवाई लिमिटेड आस्ट्रेलिया	0.00	0.00	0.00
	स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 9(30 नवम्बर, 2007)		विनिर्माण की मद: फॉरएवर न्यू ब्रांड नाम के अंतर्गत फैशन वस्त्र, स्विमवीयर, अधोवस्त्र, हैंडबैग, बेल्ट, आभूषण, फुटवीयर और धूप के चश्मों के एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए नए स्टोर स्थापित करना।			
	कुल तकनीकी मामले: 0 कुल वित्तीय मामले 1 कुल विदेशी इक्विटी रुपये मिलियन में: 0.00: मिलियन अमेरिकी डालर: 0.00					
			देश : बेल्जियम			
2.	12 21 नवम्बर, 2006	एस्टामिंट इंटरप्राईजेज, मार्फत मेसर्स जे. सागर एसोसिएट, 84-ई, सी-6 लेन, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062	एस्टामिंट ब्रूसेल्स, 206, चौसी डी एलसमबर्ग बेल्जियम	0.00	0.00	0.00
	स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 12 (31 जनवरी, 2007)		विनिर्माण की मद: महिला फैशन (रेडी टू वेयर, लिंगरी, और एक्सेसरीज) में सिंगल ब्रांड नाम 'ऐटाम' के तहत थोक व्यापार और खुदरा व्यापार।			
3.	14 17 जून, 2008	सिलो इंटरनेशनल, मार्फत ललित माथुर एडवोके ए-18, सेकण्ड फ्लोर, जगपुरा एक्सटेंशन नई दिल्ली-110014	सिलो इंटरनेशनल	120.0	2.63	50.01

1	2	3	4	5	6	7
	स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 13 (30 सितम्बर, 2008)		विनिर्माण की मद: पुरुषों के फैशन में सिलो ब्रांड नाम के अंतर्गत एकल ब्रांड खुदरा व्यापार।			
	कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय : 2 कुल विदेशी इंटिवटी रुपये मिलियन में 120.00: मिलियन अमेरिकी डालर: 2.63					
			देश : कनाडा			
4.	23 06 जुलाई, 2007	त्रिओ स्पोर्ट्स वियर (प्रा.) लिमिटेड मार्फत सेठ दुवा एण्ड एसोसिएट्स सी-56, नीति बाग, नई दिल्ली-110049	त्रिओ सलेक्शन इंक कनाडा	0.00	0.00	0.00
	स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 10(30 नवम्बर, 2007)		विनिर्माण की मद: एकल ब्रांड रिटेलिंग और खेल सामान, परिधान, जीवनशैली उत्पादों, वस्त्र, अन्य व्यापारिक सामानों एवं उपकरणों का उत्पादन।			
	कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी रुपये मिलियन में 0.00: मिलियन अमेरिकी डालर: 0.00					
			देश : चीन			
5.	11 27 फरवरी, 2007	जसबीर सिंह चड्ढा मार्फत अनिल मल्होत्रा, एडवोकेट, सी-1/1026, वंसत कुंज नई दिल्ली-70	वाह लुन इलेक्ट्रोनिक्स टूल्स कम्पनी लिमिटेड 9/एफ ब्लाक 2, ट्रेड बिल्डिंग, नं. 42 हुँग्ये रोड शातो, गुगाडोंग, चीन	0.00	0.00	51.00
	स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 6(31 जुलाई, 2007)		'सीटी ब्रांड' ब्रांड नाम के अंतर्गत वैद्युत/इलेक्ट्रोनिक उपकरण, औद्योगिक मशीनरी तथा उपकरण वैद्युत तथा गैर वैद्युत का आयात तथा एकल ब्रांड खुदरा व्यापार			
	कुल तकनीकी मामले : 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी रुपये मिलियन में: 0.00: मिलियन अमेरिकी डालर: 0.00					
			देश : फ्रांस			
6.	1 03 जनवरी, 2007	सोकोमैक एस ए, मार्फत जे. सागर एसोसिएट, 84-ई, सी-6 लेन, सेंट्रल एवेन्यू के सामने, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062	सोकोमैक एस ए, फ्रांस	0.00	0.00	50.00
	स्थान: तमिलनाडु (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 1(30 अप्रैल, 2007)		विनिर्माण की मद: सोकोमैक ब्रांड के यूपीएस सिस्टम और संबंधित एक्सेसरीज का विपणन और वितरण (सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार सहित)।			
7	2 17 अप्रैल, 2007	लुई विट्टन मैलेटियर, मार्फत ठक्कर एंड ठक्कर, ए-320, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	लुई विट्टन मैलेटियर, 2 रु डू पोंट न्यूफ पेरिस कोडेक्स-1, फ्रांस	38.20	0.82	51.00

1	2	3	4	5	6	7
	स्थानः ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 2(31 अगस्त, 2006)		विनिर्माण की मदः पेन/पेन रिफिल, डायरी रिफिर पेपर, जूते, ट्रंक/ट्रैवेल बैग/पर्स, चमड़े की मदें, धूप के चश्में, घड़िया, प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं, नकली आभूषण, टाईया, वस्त्र आदि सहित एलवीएम ब्रांड के उत्पादों का खुदरा व्यापार।			
8.	4 23 मई, 2006	फैंडी इंटरनेशनल एसए, मार्फत ठक्कर एंड ठक्कर, ए-320, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	फैंडी इंटरनेशनल एसए	0.00	0.00	51.00
	स्थानः ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 4 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मदः फैंडी उत्पादों का खुदरा व्यापार।			
9.	16 19 अप्रैल, 2007	क्रिस्टियन डीयोर कौते, मार्फत ठक्कर एंड ठक्कर, एडवोकेट्स एंड सालिसिटर्स, ए-320 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024	क्रिस्टियन डीयोर कौते, फ्रांस	0.00	0.00	0.00
	स्थानः ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 16 (30 जून, 2007)		विनिर्माण की मदः डीयोर सिंगल ब्रांड नाम के तहत खुदरा व्यापार। बेचे जाने वाले उत्पादों में शामिल है, प्लास्टिक की अन्य वस्तुए, ट्रंक/ट्रैवल बैग/पर्स/चमड़े की अन्य वस्तुएं अथवा कम्पोजिसन लेदर शूज, लिंगरी, रेडी टू वेयर, हैडगेयर, छाते आदि।			
10.	21 23 मई, 2007	खन्ना स्पेशलिटी रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि., मार्फत अमर चन्द एंड मनवीगाल्ड एंड सुरेश ए श्राफ एंड कम्पनी, अमर चन्द टावर्स, 216 ओखला इंड. एस्टेट फेज-3, नई दिल्ली	हरमिस इंटरनेशनल, फ्रांस	0.00	0.00	51.00
	स्थानः दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 5(30 जून, 2007)		विनिर्माण की मदः हरमिस ब्रांड नाम के तहत उत्पादों का खुदरा व्यापार और थोक/कैश एंड कैरी व्यापार, जिनमें शामिल हैं चमड़े की वस्तुएं, रेडी टू वेयर, परफ्यूम और कास्मेटिक, स्टेशनरी और डायरिया, फुट वेयर टेबल जीनसाजी और राइडिंग गीयर, गहने आदि। सोकोमैक ब्रांड के यूपीएस सिस्टम और संबंधित एक्सेसरीज का विपणन और वितरण (सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार सहित)।			
11.	28 21 सितम्बर, 2007	क्रस्टल बाल फैशन प्रा. लिमिटेड सी-49, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया फैस-2, नई दिल्ली	रेने डेरहय, 4, रु दू फौबोरग पिशोननीरे 75010, पैरिस फ्रांस	15.00	0.37	50.00
	स्थानः दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 2(31 मार्च, 2008)		डेरहय एकल ब्रांड के अंतर्गत बने बनाए कपड़ों तथा उपकरणों का खुदरा व्यापार।			

कुल तकनीकी मामले: 0 कुल वित्तीय मामले: 6 कुल विदेशी इक्विटी रुपये मिलियन में 53.25: मिलियन अमरीकी डालर: 1.19

1	2	3	4	5	6	7
			देश : हांगकांग			
12.	24 20 जुलाई, 2007	टोड्स हांगकांग लिमिटेड मार्फत ठक्कर एण्ड ठक्कर ए-320, डिफेंस कलोनी नई दिल्ली-110024	टोड्स हांगकांग लिमिटेड 1, क्वीन रोड इस्ट हांगकांग	0.00	0.00	51.00
		स्थानः ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) **अनुमोदन सं. (तारीख): 7(30 सितम्बर, 2007)**	भारत में एकल ब्रांड टोड्स खुदरा भंडार स्थापित करना। बेचे जाने वाले उत्पादों मर्के चमड़े की वस्तुएं, जूते, पुरुषों, एवं महिलाओं के रैडी टू वियर तथा उपकरण आदि शामिल होंगे।			
		कुल तकनीकी मामले: 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी रुपये मिलियन में: 0.00 मिलियन अमेरिकी डालर: 0.00				
			देश : इटली			
13.	2 09 फरवरी, 2007	ग्रोटो एसपीए मार्फत फाक्स मंडल एंड कम्पनी एफएम हाऊस ए-9, सेक्टर-9, नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश।	ग्रोटो एसपीए, आई-36010 चुपानो (विसेंजा), इटली शुरू में स्वयं और बाद में सिमसेट एसपीए के साथ साझेदारी से	0.00	0.00	50.00
		स्थानः चेन्नई (तमिल नाडु) **अनुमोदन सं. (तारीख): 2(31 मई, 2007)**	विनिर्माण की मदः कैश एंड कैरी थोक व्यापार। भारत में गैस ब्रांड के प्रीमियम कैजुअल कपड़ों और एक्ससेरी की खरीद, विपणन तथा, उनका खुदरा व्यापार।			
14.	9 11 अगस्त, 2007	राइनो ग्रेगियों अर्जेंटरीज एसपीए मार्फत मे. के आर चावला एंड कम्पनी सातवां तल कैलाश बिल्डिंग, 26 के जी मार्ग, नई दिल्ली 110001	राइनो ग्रेगियो अर्जेंटरीज एसपीए, वाया टेगलियार्मेटो 5-35030 सेल्वजेनो, इटली	0.00	0.00	0.00
		स्थानः राज्य का उल्लेख नहीं (राज्य का उल्लेख नहीं) **अनुमोदन सं. (तारीख): 9(31 अक्टूबर, 2006)**	विनिर्माण की मदः तैयार उत्पादों सहित सभी प्रकार के सिल्वर वेयर और दूसरे संबद्ध उत्पादों का बिक्री के लिए खुदरा व्यापार			
15.	10 12 मई, 2008	पिक्यूड्रो एस.पी.ए., मार्फत टाइट्स एंड कंपनी आर-77ए ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली-110048	पिक्यूड्रो एस.पी.ए. लोक सासुरैनो, 246, 40041 सिला दी गागो मॉनटनो बोलोग्ना इटली	15.30	0.36	51.00
		स्थानः राज्य का उल्लेख नहीं (राज्य का उल्लेख नहीं) **अनुमोदन सं. (तारीख): 10(31 अगस्त, 2008)**	विनिर्माण की मदः एकल ब्रांड खुदरा स्टोरो के जरिये एकल ब्रांड पिक्यूड्रो के तहत भारत में पिक्यूड्रो उत्पादों की मौजूदा श्रेणियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात, विपणन आपूर्ति, बिक्री या किसी और प्रकार से कारोबार करना।			

1	2	3	4	5	6	7
16.	11 11 अक्तूबर, 2008	एरमेनगिल्डो जेग्ना होल्डी टेला स्पा 135 मैरीनड्राईव, मुंबई 400020	एरमेनेगिल्डो जेग्ना होल्डी टेला स्पा, इटली	57.54	1.29	51.00
	स्थानः राज्य का उल्लेख नहीं (राज्य का उल्लेख नहीं) अनुमोदन सं. (तारीख): 11 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मदः विपणन हेतु भारत में एकल ब्रांड जेग्ना खुदरा स्टोर			
17.	12 23 मई, 2008	अरन किचनवर्ल्ड पी. लिमिटेड 37 कॉरोन स्मिथ रोड गोपाल पुरम चेन्नई-600 086	अरन वर्ल्ड एसआरएल जोना इंडस्ट्रीले कासोली डी अत्री इटली	24.50	0.54	49.00
	स्थानः चेन्नई (तमिल नाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 12(30 सितम्बर, 2008)		विनिर्माण की मदः अरन ब्रा नाम के अंतर्गत भारत में मॉडयूलर फर्नीचर, किचन्स तथा उपकरणों के एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए भंडार स्थापित करना।			
18.	26 30 जुलाई, 2008	डीलसे एण्ड गबाना एसआरएल मार्फत प्राईसवाटर हाऊस कूपर्स प्रा. लि. 11ए सूचेता भवन दूसरा तल विष्णु दिग्मबर मार्ग नई दिल्ली	डोलसे एण्ड गबाना एसआरएल तथा/अथवा इसके सहायक सम्बद्ध या इससे जुड़े हुई कम्पनिया वाया गुल्डोनी 10, मिलान, इटली 20129	365.00	9.25	51.00
	स्थानः राज्य का उल्लेख नहीं (राज्य का उल्लेख नहीं) अनुमोदन सं. (तारीख): 13 (31 दिसम्बर, 2007)		विनिर्माण की मदः डोलसे एण्ड गबाना आदि ब्रांडों के अंतर्गत वस्त्र, फुटवीयर, चमड़े की वस्तुओं, बैगों, आईवीयर परफ्यूम आभूषण आदि सहित सभी के फैशन एवं जीवनशैली उत्पादों के एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के व्यवसाय को हाथ में लेना।			

कुल तकनीकी मामलेः 0 कुल वित्तीय मामलेः 6 कुल विदेशी इक्विटी रुपये मिलियन में 462.34 : मिलियन अमेरिकी डालरः 11.44

देश : मलेशिया

19.	13 9 अप्रैल, 2007	सिग्नेचर किचन (आई) प्रा. लि., मार्फत दरियानी नरेश एण्ड एसोसिएट, 309 ए कॉरनर प्वाइंट होटल एक्सप्रेस के पीछे अलकापुर बडौदा 390007	केबरियन एसडीएन बीएचडी, एसओटी 24 जलान टेकनोलोजी तमनसंस शालागर-1 कोटा दमन सारा 47810 पेटालिंग जया क्वालम्पूर मलेशिया	3.84	0.10	32.00

1	2	3	4	5	6	7
	स्थानः बंगलौर (शहरी) (कर्नाटक) अनुमोदन सं. (तारीख): 1(31 मार्च, 2008)		एकल ब्रांड सिग्नेचर किचन के अंतर्गत खुदरा व्यापार बेचे जाने वाले उत्पादों में इनबिल्ट उपकरणों सहित मॉडयूलर किचन तथा इनाबिल्ट उपकरणों सहित मॉडयूलर वार्डरोब शामिल है।			
कुल तकनीकी मामले: 0 कुल वित्तीय मामले: 1 कुल विदेशी इक्विटी रुपये मिलियन में: 3.84: मिलियन अमेरिकी डालर: 0.10						
		देश : मारीशस				
20.	1 22 अप्रैल, 2007	मोजा शूज प्रा.लि., मार्फत बीएमआर एंड एसोसिएट्स, प्रथम तल, दि ग्रेड ईस्टर्न सेंटर, 70 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	टैनो इंडिया पी इक्विटी फंड-1/अथवा इसकी सहायक कम्पनियां तीसरा तल, ली कैस्केड्स एडिथ केवल स्ट्रीट, मारीशस	55	1.20	40.00
	स्थानः सोनीपत (हरियाणा) अनुमोदन सं. (तारीख): 1(31 मई, 2006)		विनिर्माण की मदः नाइके उत्पादों के लिए एक अनन्य रिटेल आउटलेट स्थापित करना जिसमें फुटवेयर, स्पोर्ट्स वेयर, बूट, स्लीपर, सैंडल, एथलेटिक शूज और परिधानों को शामिल किया जाएगा।			
21.	1 21 जनवरी, 2008	गोल्डनो फैशनस (इंडिया) प्रा. लि. सं. 85/17, श्रीरिंग एएम एवन्यू पेनथोन रोड, एगमोर, चेन्नई 600008 तमिलनाडु	गोल्डनो मारीशस लिमिटेड मारीशस	50.90	1.19	50.09
	स्थानः चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 6(31 जुलाई, 2008)		विनिर्माण की मद विदेशी सहयोग के लिए गोल्डनो ब्रांड नाम के तहत सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार वस्तु की एक चेन की स्थापना			
22.	2 24 जनवरी, 2008	पावर प्लेट (आई) प्रा. लि. मार्फत वैश एसोसिएट्स ए-803, सिगनेचर्स टावर्स साउथ सिटी-1 एचएच-8, गुड़गांव हरियाणा	पावर प्लेट (आई) होल्डीग लि.	5.00	0.12	50.00
	स्थानः दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 4(30 अप्रैल, 3008)		विनिर्माण की मदः एक ही सिंगल ब्रांड नाम पावर प्लेट के तहत पीपीआई और इसके सहयोगियों द्वारा विनिर्मात हेल्थ और फिटनेस उपकरणों का खुदरा व्यापार, डीलरों, तकनीशियनों और ग्राहकों को प्रशिक्षण देना, उत्पादों के संबंध में बिक्री पश्चात् सेवा, आदि।			
कुल तकनीकी मामले: 0 कुल वित्तीय मामले: 4 कुल विदेशी इक्विटी रुपये मिलियन में 1.79 मिलियन अमेरिकी डालर: 2.51						

1	2	3	4	5	6	7
		देश : एनआरआई				
23.	15 27 दिसम्बर, 2006	फैब इंडिया ओवरसीज प्रा.लि. 14 एन ब्लाक मार्केट, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110048	डब्लयूसीपी मारीशस होल्डिंग	0.00	0.00	51.00
	स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 15(31 मार्च, 2007)		विनिर्माण की मद: शिल्प और वस्त्र, परिधान और सहायक सामग्रियों होम फर्निशिंग फर्नीचर जीव खाद्य, बांडी केयर उत्पादन और अन्य समान उत्पादों में ब्रांड नाम फैब इंडिया के तहत सिंगल ब्रांड का खुदरा व्यापार।			
	कुल तकनीकी मामले: 0 कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी रुपये मिलियन में 0.00: मिलियन अमेरिकी डालर: 0.00					
		देश : नीदरलैंड				
24.	4 15 फरवरी, 2008	जार्जियो अर्मानी होल्डिंग बीवी मार्फत मै. ट्राइलीगल, एफ-2 ब्लाक-बी-1, मोहन कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली	जार्जियो अर्मानी होल्डिंग बीवी नीदरलैंड	10.20	0.25	51.00
	स्थान दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 5(30 अप्रैल, 2008)		विनिर्माण की मद: पावर प्लेट एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं फिटनेस उपकरणों का खुदरा व्यापार, पीपीआई तथा इसके सहयोगियों द्वारा निर्मित, डीलरों, तकनीशियनों तथा ग्राहकों को प्रशिक्षण देना, उत्पादों आदि के संबंध में बिक्री पश्चात् की सेवाएं।			
25.	6 25 मार्च, 2008	पीयर्ले यूरोप बीवी मार्फत अमरचंद एण्ड मंगलदास सुरेश ए श्रॉफ एण्ड के अमरचंद टावर्स 216 ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस-2, नई दिल्ली-20	पीयर्ले यूरोप बीवी नीदरलैंड	0.00	0.00	50.00
	स्थान: ग्रेटर मुंबई (मुंबई) महाराष्ट्र अनुमोदन सं. (तारीख): 7(31 जुलाई, 2008)		विनिर्माण की मद: विजन एक्सप्रेस ब्रांड के तहत भारत में नेत्रीय उत्पादों का खुदरा व्यापार। उत्पादों में शामिल हैं सोएक्टेकल फ्रेम, चश्मे के लैंस, कांटैक्ट लैंस।			
26.	10 18 अगस्त, 2006	मित्सुई आटोमाटिव इंवेस्टमेंट बी-वी मार्फत मयूर बत्रा एंड कं., 7, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001	मित्सुई आटोमोटिव इवेस्टमैंट बी-वी	0.00	0.00	51.00
	स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 10(30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: भारनत में टौयोटा कार आदि का खुदरा व्यापार करना।			

1	2	3	4	5	6	7
27.	11 16 मई, 2008	फेरागामो इंटरनेशनल बी.वी मार्फत जे. सागर एसोसिएट्स, सैडस्टोन क्रेस्ट (पार्क प्लाजा होटल के सामने), कॉमर्शियल कापलैक्स, सुशांत लोक पी-1, गुड़गांव हरियाणा	फेरागामो इंटरनेशनल बी.वी सीधे ही अथवा एफीलिटर्स के माध्यम से	30.00	6.99	51.00
	स्थानः दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 11 (31 अगस्त, 2008)		विनिर्माण की मद: भारत में प्रीमियम कपड़ों और एक्सेसरी के सलवेटोर फेरागामों ब्रांड के रिटेल और कार्पोरेट वितरण का व्यापार करना ख सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर खोलना			

[अनुवाद]

आतंकवाद में बांग्लादेशियों की संलिप्तता

130. डा. के. धनराजू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में बांग्लादेशियों की संलिप्तता का कोई सबूत प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार सरकार की क्या प्रतिकिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मुम्बई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में बंग्लादेश नागरिकों की संलिप्तता के बारे में अभी तक कोई साक्ष्य नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होते।

कैम्पस नियुक्तियों में कमी

131. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण इस वर्ष प्रबंधन संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में बहुत ही कम नियुक्तियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति का आयजा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो युवकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कुछ शैक्षिक संस्थाओं ने सूचित किया है कि इस वर्ष कुछ हद तक परिसर चयन में कमी आई है। मंत्रालय इस स्थिति की गहन मानीटरिंग कर रहा है।

इन शैक्षिक संस्थाओं द्वारा निम्नानुसार कई कदम उठाए गए हैं:-

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैरियर परामर्श केन्द्रों की स्थापना करने के लिए पात्र विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान कर रहा है। 70 कैरियर परामर्श केन्द्र पहले ही संचालनरत हैं। इसके अतिरिक्त, कई विश्वविद्यालयों के स्वयं के कैरियर परामर्श केन्द्र भी है।

(ii) विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न उद्योगों से नई कम्पनियों को कैम्पस भर्तियों में हिस्सा लेने हेतु आमंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(iii) कुछ संस्थान अपने छात्रों को उन कम्पनियों में भेजने के प्रबंध भी कर रहे हैं जो भर्ती हेतु कैम्पस नहीं आ सकती।

लापता पाकिस्तानी नागरिक

132. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक जो चिकित्सीय वीजा पर भारत आते हैं, लापता हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में लापता पाकिस्तानियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिक जो चिकित्सा वीजा सहित अन्य विविध प्रकार के वीजा पर भारत आए, परंतु वीजा समाप्त होने के पश्चात् अभी तक अपने देश वापस नहीं गए हैं। विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत किसी विदेशी राष्ट्रिक को निर्वासित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिक की पहचान करने और उसे निर्वासित करने की ये शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों सहित अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का संसूचन एवं निर्वासन करना एक सतत् प्रक्रिया है। जैसे ही और जहां कहीं बिना वैध वीजा के रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का पता लगता है उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निर्वासित किया जाता है।

दिल्ली में अपराध संबंधी सर्वे

133. श्री अधीर चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में अपराध की बढ़ती दर के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं तथा दिल्ली में बढ़ते अपराध से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) जी नहीं। तथापि, जहां तक अपराध के मामलों में वृद्धि का संबंध है, वर्ष 2007 के दौरान सूचित आई पी सी मामलों की तुलना में वर्ष 2008 में सूचित किए गए आई पी सी मामलों के संबंध में 11.97% की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2008 के दौरान दर्ज किए गए जघन्य अपराधों में भी वर्ष 2007 में दर्ज किए मामलों की तुलना में 11.01% कमी हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होते।

के.वी.आई.सी. द्वारा रोजगार सृजन

134. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्राम उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) का मौजूदा वर्ष में एक करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन करने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ आरंभ की गई योजनाएं कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कौन-सी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव से कर्नाटक सहित कौन से राज्यों को लाभ पहुंचने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

135. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को उठाने के उद्देश्य से राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का गठन किए जाने हेतु राज्य सरकारों को निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा गठित उच्च शिक्षा परिषदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने उक्त निदेशों के अनुसार विश्वविद्यालयों को उनके निष्पादन

के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) में यह प्रावधान है कि "उच्चतर शिक्षा का राज्य स्तरीय योजना तथा समन्वयन उच्चतर शिक्षा परिषदों के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा ये परिषदें मानकों की निगरानी हेतु समन्वय प्रणाली विकसित करेंगे।"

राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें स्थापित करने हेतु दिशानिर्देशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया गया था तथा राज्य सरकारों को भेजा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद गठित कर दी है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों ने उच्चतर शिक्षा हेतु अपने-अपने राज्य सलाहकार बोर्ड गठित किए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

आईसीपी की विस्तृत अभियांत्रिक रिपोर्ट

136. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी 13 इंटिग्रेटेड चेक पोस्टों की विस्तृत अभियांत्रिकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त विस्तृत अभियांत्रिकी रिपोर्ट कब तक तैयार होगी; और

(घ) सरकार द्वारा आईसीपी की स्थापना हेतु भू-सीमा पर प्रवेश बिन्दुओं की पहचान हेतु निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। रक्सौल (बिहार) आई सी पी के संबंध में विस्तृत इंजीनियरी रिपोर्ट (डी ई आर) पूरी हो गई है। 12 अन्य आई पी सी के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) इस अवस्था में तैयार कर ली गई है और स्थल चयन/भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके पश्चात् डी आई आर तैयार करने का कार्य चरणबद्ध प्राथमिकता के अनुरूप किया जाएगा।

(घ) इन 13 आई सी पी का चयन व्यवसाय, सुरक्षा चुनौती और सामरिक विचार की मात्रा के आधार पर किया जाएगा।

गुवाहाटी बम धमाके

137. **श्री विजय कृष्ण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 2009 को गुवाहाटी में हुए बम धमाकों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धमाकों में बांग्लादेशियों की संलिप्तता की भी सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) गुवाहाटी शहर के अलग-अलग भागों में 1 जनवरी, 2009 को तीन बम विस्फोट हुए जिसमें 7 व्यक्तियों की मौत तथा 69 व्यक्ति घायल हुए। इस संबंध में, तीन मामले दर्ज किए गए है और जांचाधीन है। जांच के दौरान, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) उग्रवादियों की संलिप्तता पाई गई है।

(ग) असम राज्य सरकार ने कहा है कि अब तक कि जांच के दौरान, इन विस्फोटों में बंगलादेशियों की संलिप्तता नहीं पाई गई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न पैदा नहीं होते हैं।

छोटे और मध्यम प्रतिष्ठानों के विकास में अवरोध

138. श्री के.एस. राव :

श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम प्रतिष्ठानों के विकास को प्रभावित करने वाले किन मुद्दों और अवरोधों की पहचान की गई है;

(ख) उत्तरदायी कारकों और प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी सहित संस्थागत वित्त की अनुपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए असंगठित क्षेत्रों में उक्त प्रतिष्ठानों के लिए विशेष निधियों का सृजन करने तथा राजसहायता प्राप्त लागत पर उदार ऋण तथा नकदी ऋण की सीमाओं को बढ़ाने हेतु प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान आबंटित/व्यय की गई तथा अव्ययित निधियों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उत्तम (एमएसएमई) क्षेत्र, उद्यमों के आकार और उसकी क्षेत्रीय बनावट, दोनों के अर्थों में एक विविध क्षेत्र है। अतः क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याएं विभिन्न प्रकार की हैं। तथापि, क्षेत्र के सामने आने वाले कुछ सामान्य समस्याएं समय पर और पर्याप्त ऋण के अभाव, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना संबंधी अवरोधों, विपणन की समस्याओं, बड़ी इकाइयों द्वारा उनके बकायों के विलंबित भुगतानों, उदारीकृत व्यापार पद्धति की वजह से बढ़ी प्रतिस्पर्धा, आदि से संबंधित हैं।

(ख) संस्थागत स्रोतों से अपेक्षित ऋण सुविधाएं प्राप्त करने एमएसएमई को जिन अवरोधों का सामना करना पड़ता है, वे हैं बैंकों/वित्तीय संस्थानों के बारे में अपर्याप्त जानकारी, विस्तृत प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं, ऋण की लागत, उच्च जोखिम अवधारणा, आदि। लीड बैंक योजना के अंतर्गत, हर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को एक जिला सौंपा जाता है और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिले में नोडल अधिकारी होता है।

(ग) से (ङ) असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए कोई पृथक निधि नहीं है। अपनी एक रिपोर्ट में, असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उद्यम आयोग ने असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए एक पृथक निधि बनाने की सिफारिश की है। इस उद्देश्य के लिए, कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, पिछले 3 सालों और वर्तमान वर्ष (सितंबर 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया ऋण निम्नलिखित हैं:-

की समाप्ति पर	बकाया ऋण (करोड़ रु. में)
मार्च, 2006	82,434
मार्च, 2007	1,02,550
मार्च, 2008	1,48,651 (अनंतिम)
सितंबर, 2008	1,56,748 (अनंतिम)

व्यापार समझौतों पर आर्थिक मंदी का प्रभाव

139. श्री रमेश दूबे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों, विशेषकर चीन के साथ हुए व्यापारिक समझौतों पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) अन्य देशों, खासकर चीन के साथ निष्पादित व्यापार समझौतों पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। एपीटीए (एशिया प्रशांत व्यापार करार), जिसका चीन एक सदस्य है, को छोड़कर चीन के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं है। भारत की काली चाय के चीन को होने वाली निर्यातों में मामूली कमी आई

है लेकिन इसे अनिवार्यत: वैश्विक आर्थिक मंदी से नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा, केवल एक ऐसा एफटीए है जिसमें भारत प्राकृतिक रबड़ हेतु टैरिफ रियायत की पेशकश करता है, वह है—एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए)। एपीटीए के हस्ताक्षर कर्ताओं में प्राकृतिक रबड़ का एक मात्र निर्यातक देश श्रीलंका है। वर्ष 2006-07 और 2007-08 में श्रीलंका से प्राकृतिक रबड़ का आयात कुल 7644 और 7277 टन का हुआ था, जो कुल आयात का क्रमश: 8.5 तथा 8.4 प्रतिशत था। अप्रैल-दिसम्बर, 2008 के दौरान श्रीलंका से प्राकृतिक रबड़ का आयात 3520 टन का हुआ था जो कुल आयात का केवल 5.4 प्रतिशत था। एपीटीए के अंतर्गत रबड़ के आयात पर नियमित निगरानी रखी जाती है।

शुल्क जब्त करना

140. श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री रघुबीर सिंह कौशल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा स्वीकृत तकनीकी-संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों से नाम वापस लेने वाले अभ्यर्थियों के शुल्क को लौटाए जाने के संबंध में (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बड़ी संख्या में कॉलेज, उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों से छात्रों द्वारा नाम वापस लेने पर शुल्क वापस करने से मना कर, शुल्क जब्त कर लेते हैं;

(ग) अगर हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया और प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संस्थानों/कॉलेजों द्वारा शुल्क वापस किए जाने संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक उदाहरण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है तथा शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से नाम वापस लेने वाले विद्यार्थियों के मामले में शुल्क राशि वापस करने तथा मूल प्रमाणपत्र लौटाने के बावत तकनीकी संस्थाओं, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले सम-विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों को 'सार्वजनिक सूचना' के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं। इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अक्तूबर, 2007 से आज तक की अवधि के दौरान माता-पिता/विद्यार्थियों से उनके दाखिला वापस लेने के बाद भी संस्थान द्वारा शुल्क-राशि वापस न करने के संबंध में 1134 शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 660 शिकायतें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबंधित हैं। 474 शिकायतो तथा अभ्यावेदनों जो विश्वविद्यालयों तथा सम-विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं, पर उचित कार्रवाई करने हेतु इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया गया है। 459 शिकायतों को सार्वजनिक सूचना के अनुसार निपटाया गया। 65 मामलों में अनुस्मारक भेजे गए हैं। दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने से संबंधित 136 मामलों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् सार्वजनिक सूचना के अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाली है।

विवरण

सार्वजनिक सूचना

विज्ञापन सं. अ.भा.त.शि.प्र./विधिक/04(01)/2007

विषय:- **तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थानों, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों के लिए शुल्क प्रभारित करने, शुल्क की वापसी तथा विद्यार्थियों से जुड़े अन्य मुद्दों से संबंधित अनुदेश।**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) को अभातशिप अधिनियम की धारा 10(एन) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ यह शक्ति प्राप्त है कि वह "तकनीकी शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।" अभातशिप अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अनुपालन तथा भारत सरकार द्वारा अभातशिप अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत पत्र संख्या [यू.1(ए) अनुभाग] द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के आलोक में यह निर्णय लिया गया

है कि तकनीकी संस्थानों तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले मानित विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों में अनुदेश जारी किए जाएं।

यद्यपि अभातशिप को यह ज्ञात हुआ है कि तकनीकी संस्थान तथा विश्वविद्यालय जिनमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, शैक्षिक सत्र वास्तव में प्रारंभ होने से बहुत पहले ही तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश कर लेते हैं; प्रविष्टि विद्यार्थियों से पूरा शुल्क एकत्र कर लेते हैं तथा उनके विद्यालय/संस्थान छोड़ने के मूल प्रमाणपत्रों को रख लेते हैं।

और यद्यपि संस्थान तथा विश्वविद्यालय भी दिया गया शुल्क जब्त कर लेते हैं, यदि कोई विद्यार्थी निश्चित तिथि तक आने में असमर्थ हो;

और यद्यपि संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा मूल प्रमाण-पत्र रख दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थी प्रवेश जारी रखने के लिए मजबूर हो जाएं;

तथा यद्यपि कुछ मामलों में अनावश्यक रूप से किसी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आने के लिए समयसीमा को बहुत पहले कर दिया जाता है ताकि विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार संस्थान को चुनने के विकल्प को अपनाने से पहले ही अधिकृत हो जाएं।

पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व यदि कोई विद्यार्थी/अभ्यर्थी प्रवेश छोड़ देता है तो उस मामले में प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी को खाली सीट की जगह प्रवेश दिया जाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी/अभ्यर्थी जो कार्यक्रम छोड़ना चाहते हों उन्हें संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा अधिकतम रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) का प्रक्रमण शुल्क काट कर सम्पूर्ण एकत्रित शुल्क की राशि वापिस लौटाई जाए। संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को यह अनुमति नहीं है कि वे विद्यार्थी का विद्यालय/संस्थान छोड़ने का मूल प्रमाणपत्र रोककर रखें। यदि कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के बाद छोड़ देता है और उसके परिणामस्वरूप सीट खाली होती है तथा प्रवेश की अंतिम तिथि तक खाली सीट किसी अन्य अभ्यर्थी से भर ली जाती है तो संस्थान एकत्रित शुल्क में आनुपातिक आधार पर मासिक शुल्क तथा अनुपातिक होस्टल किराया, जहां लागू हो, की कटौती करके शेष राशि वापिस लौटाएगा।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें उल्लंघन करने वाले संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के अनुमोदन एवं उनकी मान्यता वापस लेना शामिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्वयं अपनी ओर से अथवा प्रभावित पक्षों से विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर इन निर्देशों को लागू करने के बावत ऐसे सभी उपाय करेगी जो अपेक्षित हों।

ह./-
(डा. के. नारायण राव)
सदस्य सचिव

[हिन्दी]

एन.डी.एम.सी. स्कूलों में एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों हेतु आरक्षण

141. **श्री रामदास आठवले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एन.डी.एम.सी.) ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अपने कर्मचारियों के लिए आरक्षण और पदोन्नति से संबंधित सरकारी नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इससे लाभान्वित हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) एन.डी.एम.सी. स्कूलों और नवयुग स्कूलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु श्रेणीवार रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसे रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) : जी हां, श्रीमान। नई दिल्ली नगर पालिकापरिषद (एन.डी.एम.सी.) और नवयुग विद्यालय शिक्षा समिति (एन.एस.ई.एस.) द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के संबद्ध, आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति से लाभभोगी कर्मचारियों का ब्यौरा विगत तीन वर्षों के अन्त में और चालू वर्ष के दौरान निम्नवत है:-

(i) एन डी एम सी विद्यालय

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या					
	ग्रुप ए		ग्रुप बी		ग्रुप सी	
	एस सी	एस टी	एस सी	एस टी	एस सी	एस टी
2005-06	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	1	1
2007-08	0	1	1	1	1	2
2008-09	0	0	0	0	0	0

(ii) नवयुग विद्यालय

विगत तीन वर्षों के दौरान, एन एस ई एस द्वारा कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है। तथापि, वर्ष 2005-06 के दौरान एस सी श्रेणी के दो विभागीय उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया था।

(घ) एन डी एम सी विद्यालयों और नवयुग विद्यालयों में एस सी/एस टी के लिए रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या निम्नवत है:—

एन डी एम सी विद्यालय

	सी सी	एस टी
ग्रुप-ए	शून्य	शून्य
ग्रुप-बी	02	01
ग्रुप-सी	14	06
कुल	16	07

नवयुग विद्यालय

	सी सी	एस टी
पी जी जी	8	4
टी जी टी	15	9
प्राथमिक (एकेडमी)	6	5
प्राथमिक (कार्यकलाप)	4	1

(ङ) रिक्त पदों को भरा जाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि, एन डी एम सी ने रिक्त पदों को भरने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:— एन डी एम सी विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में मामले को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डी एस एस एस बी) के समक्ष प्रस्तुत करना, नवयुग विद्यालयों में सीधी भर्ती कोटा के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करना और विभागीय उम्मीदवारों से संबंधित रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करना।

[अनुवाद]

पशु उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

142. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री सुरेश अंगड़ि :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश-वार तथा मद-वार कितनी मात्रा और मूल्य के पशु उत्पादों का आयात और निर्यात किया गया है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पशु उत्पादों के व्यापार में भारत का हिस्सा नगण्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पशु उत्पादों के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पशु धन उत्पादों में भारत के हिस्से को बढ़ाने के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (अप्रैल-जून) के दौरान इन उत्पादों के मात्रा एवं मूल्य के रूप में निर्यात एवं आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

	2006-07		2007-08		2008-09 (अप्रैल-जून)	
	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (हजार किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (हजार किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मात्रा (हजार किग्रा.)
आयात	306.01	30803.68	280.39	23861.55	68.51	5646.91
निर्यात	11354.30	18162.18	11317.28	4596890.8	2767.18	414188.78

पशु उत्पादों (एच एस कोड के अध्याय 02 से 05 के अधीन) के प्रमुख गंतव्य जापान, चीन, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई आदि हैं जबकि भारत इन उत्पादों का आयात बांग्लादेश, चीन, यूएसए, यूरोपीय देशों, सिंगापुर आदि से करता है।

(ख) और (ग) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पशु पालन एवं डेयरी, योजना आयोग संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार डेयरी उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा केवल 0.25 प्रतिशत है और मांस तथा कुक्कुट के मामले में यह 0.5 प्रतिशत है। पशु धन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के इस कम हिस्से के मुख्य कारण हैं—विकसित देशों द्वारा व्यापार विकृतिकारी सब्सिडियां, विकसित देशों द्वारा मानव एवं पशु स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु अपेक्षित स्वच्छता संबंधी उपायों से अधिक की शर्त तथा भारत में एफएमडी एवं एवियन इंफ्लूएंजा जैसे कुछेक रोगों का बना रहना और उनका समय-समय पर प्रकोप।

(घ) से (च) पशु धन उत्पादों के भारत के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), निर्यात संवर्धन परिषद (ईआईसी) आदि जैसी निर्यात संवर्धन एजेंसियों के साथ भारतीय पशु धन उत्पादों की बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी निविष्टियां एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर समन्वय किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एपीडा द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:-

(मूल्य लाख रुपए)

	2006-07	2007-08	2008-09
अवसंरचना विकास	54.50	32.50	शून्य
बाजार विकास	14.77	19.73	19.77
गुणवत्ता विकास	24.67	22.21	6.78
परिवहन सहायता	369.14	611.75	120.63

प्रौढ़ साक्षरता पर फिल्म

143. श्री उदय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कइ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के पश्चात् प्रौढ़ साक्षरता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए फिल्म बनाने हेतु फिल्म निर्माण की चयन प्रक्रिया की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम पर फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं का चयन नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार फिल्म निर्माताओं के चयन में पारदर्शिता बरतने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मीडिया एंजेसियों के पैनल बनाने की चयन प्रक्रिया में पैनल बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी करना शामिल हैं। विभाग की मीडिया नीति के अनुसार गठित जांच समिति, जिसमें दूरदर्शन, आकाशवाणी के प्रतिनिधि और मीडिया विशेषज्ञ शामिल हैं, ने विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन किया। यह मूल्यांकन इन आधारों पर किया गया था: (i) कार्यक्रम निर्माण की मात्रा (ii) शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में अनुभव (iii) प्राप्त पुरस्कार (iv) व्यावसायिक डिग्रियां (v) समिति के समक्ष प्रस्तुती (vi) शो रील में प्रस्तुत कार्यक्रमों की गुणवत्ता

सभी आवेदकों को जांच समिति के समक्ष उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों, पूर्ववृत्त शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने से संबंधित उनके अनुभव की प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया जिसके आधार पर जांच समिति ने अपनी सिफारिशें दीं। यह प्रक्रिया मुक्त और पारदर्शी थी। जांच समिति की सिफारिशों को तत्पश्चात् सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में गठित "संचार योजना और लागत समिति" के समक्ष रखा गया। संचार, योजना और लागत समिति ने इन सिफारिशों को अनुसमर्थित करने से पूर्व जांच समिति द्वारा अपनाए गए पैरामीटरों/शर्तों पर व्यापक विचार-विमर्श किया।

कुछ आवेदकों ने इस पैनल में अपने नाम शामिल न करने के बारे में अभ्यावेदन दिए हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के मामले में समीक्षा का प्रश्न केवल तभी उठेगा यदि संचार, योजना और लागत समिति यह पाती है कि उस मामले में उचित महत्व नहीं दिया गया है।

उच्च शिक्षा में सरकारी-निजी भागीदारी

144. श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के संवर्धन हेतु सरकारी-निजी भागीदारी की विभिन्न पद्धतियों का पता लगाने के लिए एक कार्य-योजना तैयार करने हेतु प्रोफेसर के.बी. पवार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार आयोग द्वारा प्रो. के.बी. पवार की अध्यक्षता में "उच्चतर शिक्षा में सरकारी-निजी भागीदारी" पर कार्रवाई योजना तैयार करने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि इस समय विचाराधीन है।

बांगलादेशियों द्वारा वीजा संबंधी धोखाधड़ी

145. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में बांगलादेशी नागरिक जाली भारतीय पासपोर्ट और वीजा प्राप्त करके भारतीय हवाई अड्डों से विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों का हवाई अड्डा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में दर्ज किए गए मामलों तथा की गई गिरफ्तारियों सहित क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऐसे कुछ मामलों का पता लगा है जिनमें बंग्लादेशी नागरिक जाली भारतीय पासपोर्ट और वीजा का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। विगत तीन वर्षों के दौरान मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पता लगाए गए ऐसे मामलों के आंकड़े निम्नवत् हैं:-

हवाई अड्डा	वर्ष 2006	वर्ष 2007	वर्ष 2008
दिल्ली	03	शून्य	05
मुम्बई	शून्य	शून्य	01
चैन्नई	04	शून्य	09
कोलकाता	शून्य	01	शून्य
अमृतसर	शून्य	शून्य	शून्य

वीजा सहित यात्रा दस्तावेजों की उपयुक्तता अभिज्ञात करने और जालसाजी का पता लगाने के लिए देश में सभी आव्रजन जांच चौकियों (आई सी पी) पर तैनात आव्रजन अधिकारियों को मिलान करने के लिए यात्रा दस्तावेजों की नमूना प्रतियां उपलब्ध कराई जाती है। उन्हें संभावित छेड़छाड़ का पता लगाने के लिए वीजा सहित यात्रा दस्तावेजों की जांच करने के लिए अल्ट्रा वायलट लैंप/मेग्नीफाइंग ग्लास भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा मुख्य आई पी सी पर पासपोर्ट रीडिंग मशीनें और प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षक मशीनें भी स्थापित की

गई हैं। इन सभी उपस्करों के परिणामस्वरूप सुरक्षा जांच में वृद्धि हुई है और यात्री सुविधा भी बेहतर हुई है। इस सब के अलावा, सभी आई सी पी पर आव्रजन काउन्टरों पर तैनात अधिकारियों को जाली/नकली यात्रा दस्तावेजों का पता लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उक्त सारणी में उल्लिखित सभी बंगलादेशी नागरिकों को संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। इस संबंध में कानून के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

सीमा सुरक्षा बल कर्मियों की संख्या

146. **श्री विजय कृष्ण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की लिंग-वार तथा संवर्ग-वार आवंटित तथा वास्तविक संख्या क्या है;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा बल में कार्मिकों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि बल में कार्मिकों तथा उपस्करों की कमी न हो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) आज की तारीख तक देश में सीमा सुरक्षा बल की स्वीकृति और वास्तविक संख्या 1.01.2009 को लिंग-वार और संवर्ग-वार निम्नानुसार थी:-

क्र.सं.	संवर्ग	स्वीकृत सं.	वास्तविक संख्या		
			पुरुष	महिला	जोड़
1.	कार्यपालक संवर्ग (जनरल ड्यूटी, मोटर-परिवहन, विधिक, जल विंग एयर विंग और इंजीनियरी)	1,95,361	1,90,703	645	1,91,348
2.	अनुसचिवीय संवर्ग	3,550	2,859	239	3,098
3.	संचार	9,744	9,242	—	9,242
4.	चिकित्सा स्टाफ	1,178	635	158	793
5.	सिविल स्टाफ (वेतन और लेखानिदेशालय)	468	280	84	364
		2,10,301	2,03,719	1,126	2,04,845

इस समय सुरक्षा बल में 5456 रिक्तियां हैं। यह कमी सेवा निवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र मृत्यु आदि के कारण है, जो कि बल की कुल संख्या के 3 प्रतिशत से कम है।

प्रत्येक रिक्ति वर्ष के लिए रिक्त पदों की प्रत्याशा अग्रिम रूप में कर ली जाती है और उन्हें सीधी भर्ती, पदोन्नित, प्रतिनियुक्ति, संविलयन, पुन: नियोजन आदि के माध्यम से संगत भर्ती नियमों के अनुरूप सुसंगत तरीके से भरा जाता है। फील्ड यूनिटों को उपस्करों की आपूर्ति प्राधिकार के अनुरूप नियमित रूप से की जा रही है।

राज्यों से औद्योगिक लाइसेंस आवेदन

147. **श्री जी.एस. सिद्देश्वर :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित विभिन्न राज्यों के औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं के संबंध में राज्य-सरकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं/आवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) किसी राज्य सरकार को लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई आवेदन इस मंत्रालय/ विभाग में अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है। तथापि, पांच लाइसेंस योग्य उद्योगों के बारे में उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों को उद्योग विकास विनियम (आई डी एंड आर) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं। दिनांक 14 अगस्त, 2008 से उद्योगों को स्थापित करने के लिए स्थापना स्थल संबंधी प्रतिबंधों को वापिस लेने के फलस्वरूप राज्य सरकार से कोई स्वीकृति नहीं मांगी जाती है। राज्य-वार लंबित औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। ये मामले प्रशासनिक मंत्रालयों से टिप्पणियां/सिफारिशें तथा कुछ मामलों में कंपनियों से स्पष्टीकरण न मिलने के कारण लंबित हैं। औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों का निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। प्रशासनिक मंत्रालयों आदि से टिप्पणियों की प्राप्ति पर इन मामलों पर लाइसेंसिग समिति द्वारा अपनी बैठक में विचार किया जाता है और इन्हें निपटाया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	कंपनियों के नाम	राज्य	लागत (लाख रुपये में)	राज्य सरकारों को भेजा गया	प्रतिक्रिया
1	2	3	4	5	6
1.	मै. बटलर टेक्नीकल सर्विस इंडिया प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश	408.42	-नहीं-	लागू नहीं
2.	मै. अनन्त टेक्नोलोजीस लि.	आंध्र प्रदेश	3059.53*	-नहीं-	लागू नहीं
3.	मै. स्पेक सिस्टम लि.	आंध्र प्रदेश	7591.93*	-नहीं-	लागू नहीं
4.	मै. एफएलआईसी माइक्रोवेव्स प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश	504.85*	-नहीं-	लागू नहीं
5.	मै. ए.पी. एक्सप्लोकैम प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश	4450.00	-नहीं-	लागू नहीं
6.	मै. विजय एक्सप्लोसिव्स प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश	4650.00	-नहीं-	लागू नहीं
7.	मै. साल्वो एक्सप्लोसिव्स एंड कैमिकलस प्रा.लि.	आंध्र प्रदेश	700.00	-नहीं-	लागू नहीं
8.	मै. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	आंध्र प्रदेश	1000.00	-नहीं-	लागू नहीं
9.	मै. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	आंध्र प्रदेश	195.58	-नहीं-	लागू नहीं
10.	मै. जिंदल स्पोर्टिंग आर्मस प्रा.लि.	छत्तीसगढ़	10000.00	-नहीं-	लागू नहीं
11.	मै. सुवा एक्सप्लोसिव्स एंड ऐसेसरीज लि.	छत्तीसगढ़	540.00	-नहीं-	लागू नहीं
12.	मै. इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि.	छत्तीसगढ़	1330.00	-नहीं-	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
13.	मै. माइक्रोन इन्सट्रूमेंट्स प्रा.लि.	छत्तीसगढ़	1223.45	-नहीं-	लागू नहीं
14.	मै. ए.एम. डिजाइन्स प्रा.लि.	गुजरात	90.00	-नहीं-	लागू नहीं
15.	मै. टी.एस. किसान एंड कं. प्रा.लि.		37500.00	-नहीं-	लागू नहीं
16.	मै. टी.एस. किसान एंड के. प्रा.लि.	हरियाणा	10000.00	-नहीं-	लागू नहीं
17.	मै. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	हरियाणा	380256.00	-नहीं-	लागू नहीं
18.	मै. एडवांस स्पोर्टिंग आर्मस प्रा.लि.	हरियाणा	10000.00	-नहीं-	लागू नहीं
19.	मै. डैन्टल हाइड्रोलिक्स प्रा.लि.	हरियाणा	675.00	-नहीं-	लागू नहीं
20.	मै. अल्फा डिजाइन टेक्नोलोजीज लि.	कर्नाटक	1270.00	-नहीं-	लागू नहीं
21.	मै. डाइनोमैटिक टेक्नोलोजीज लि.	कर्नाटक	54231.92	-नहीं-	लागू नहीं
22.	मै. वैरीसिस एडवान्सड इंजिनियरिंग एंड साफ्टवेयर टेक्नोलोजी इंडिया प्रा.लि.	कर्नाटक	800.00	-नहीं-	लागू नहीं
23.	मै. अल्फा सोफेमा इंजिनियरिंग एंड सर्विसिस प्रा.लि.	कर्नाटक	100.00	-नहीं-	लागू नहीं
24.	मै. डाइनामैटिक टेक्नोलोजीज लि.	कर्नाटक	52481.92	-नहीं-	लागू नहीं
25.	मै. डाइनामैटिक टेक्नोलोजीज लि.	कर्नाटक	52481.92	-नहीं-	लागू नहीं
26.	मै. हालविट एवीअनिक्स प्रा.लि.	कर्नाटक	125.00	-नहीं-	लागू नहीं
27.	मै. हालविट एवीअनिक्स प्रा.लि.	कर्नाटक	125.00	-नहीं-	लागू नहीं
28.	मै. अरोरा इंटीग्रेटेड सिस्टमस् प्रा.लि.	कर्नाटक	240.00	-नहीं-	लागू नहीं
29.	मै. रेडल एडवांस्ड टेक्नोलोजी प्रा.लि.	कर्नाटक	25.00	-नहीं-	लागू नहीं
30.	मै. भारत फ्रिट्ज वर्नर लि.	कर्नाटक	8033.77*	-नहीं-	लागू नहीं
31.	मै. नवभारत एक्सप्लोकेम प्रा.लि.	मध्य प्रदेश	960.00	-नहीं-	लागू नहीं
32.	मै. भारत एक्सप्लोकेम प्रा.लि.	मध्य प्रदेश	799.00	-नहीं-	लागू नहीं
33.	मै. आईबीपी कं. लि.	मध्य प्रदेश	540.28*	-नहीं-	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
34.	मै. एल्डियर इंडिया प्रा.लि.	महाराष्ट्र	9000.00	-नहीं-	लागू नहीं
35.	मै. रोल्टा इंडिया लि.	महाराष्ट्र	55620.44	-नहीं-	लागू नहीं
36.	मै. बी.एफ. यूटिलिटिज लि.	महाराष्ट्र	6200.00	-नहीं-	लागू नहीं
37.	मै. अमीन एक्प्लोसिवस प्रा.लि.	महाराष्ट्र	350.00	-नहीं-	लागू नहीं
38.	मै. किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लि.	महाराष्ट्र	42957.38*	-नहीं-	लागू नहीं
39.	मै. क्रिर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लि.	महाराष्ट्र	42957.38*	-नहीं-	लागू नहीं
40.	मै. किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लि.	महाराष्ट्र	42957.38*	-नहीं-	लागू नहीं
41.	मै. किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लि.	महाराष्ट्र	42957.38*	-नहीं-	लागू नहीं
42.	मै. किर्लोस्कर पेन्युमेटिक लि.	महाराष्ट्र	2615.81*	-नहीं-	लागू नहीं
43.	मै. किर्लोस्कर ब्रदर्स लि.	महाराष्ट्र	13641.11*	-नहीं-	लागू नहीं
44.	मै. अमीन एक्सप्लोसिब्स प्रा.लि.	महाराष्ट्र	350.00	-नहीं-	लागू नहीं
45.	मै. ब्लास्टैक (इं) प्रा.लि.	महाराष्ट्र	709.35	-नहीं-	लागू नहीं
46.	आईबीपी क. लि.	उड़ीसा	86.00	-नहीं-	लागू नहीं
47.	मै. आईबीपी. क.लि.	उड़ीसा	130.00	-नहीं-	लागू नहीं
48.	मै. मसन्त फ्यूनिचर इं.लि.	राजस्थान	100.00	-नहीं-	लागू नहीं
49.	मै. हरियाणा एक्सप्लोसिव्स प्रा.लि.	राजस्थान	1982.05	-नहीं-	लागू नहीं
50.	मै. सुपर शिव शक्ति कैमिकल्स प्रा.लि.	राजस्थान	950.00	-नहीं-	लागू नहीं
51.	मै. शिवा एक्सप्लोसिव्स इं. प्रा.लि.	राजस्थान	595.00	-नहीं-	लागू नहीं
52.	मै. डीजे डाइनामिक्स एक्सप्लोसिव्स प्रा.लि.	राजस्थान	380.00	-नहीं-	लागू नहीं
53.	मै. आई.बी.पी. के. लि.	राजस्थान	273.60*	-नहीं-	लागू नहीं
54.	मै. इन्दूज टैक्साइट प्रा.लि.	तमिलनाडु	2000.00	-नहीं-	लागू नहीं
55.	मै. इन्दूज टैक्साइट प्रा.लि.	तमिलनाडु	2000.00	-नहीं-	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
56.	मै. तनेजा ऐरोस्पेस एंड एविएशन लि.	तमिलनाडु	1964.00	-नहीं-	लागू नहीं
57.	मै. सुआ एक्सप्लोसिव्स एंड एसेसरीज लि.	तमिलनाडु	660.00	-नहीं-	लागू नहीं
58.	मै. पी.एम.आई. इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रा.लि.	तमिलनाडु	9754.00	-नहीं-	लागू नहीं
59.	मै. शिवा शक्ति इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स प्रा.लि.	तमिलनाडु	375.00	-नहीं-	लागू नहीं
60.	मै. शिव शक्ति इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स प्रा.लि.	तमिलनाडु	675.00	-नहीं-	लागू नहीं
61.	मै. एमईएल सिस्टम्स एंड सर्विसेस लि.	तमिलनाडु	894.00	-नहीं-	लागू नहीं
62.	मै. पुंज लायड लि.	तमिलनाडु	35000.00	-नहीं-	लागू नहीं
63.	मै. यूनिक फायर प्रोटैक्शन एंड फैबिरिकेशन कन्सलटैन्ट्स	उत्तर प्रदेश	353.00	-नहीं-	लागू नहीं
64.	मै. अंजनी एक्सपोर्ट प्रा.लि.	उत्तर प्रदेश	3399.99	-नहीं-	लागू नहीं
65.	मै. एम.के.यू. प्रा.लि.	उत्तर प्रदेश	423.83*	-नहीं-	लागू नहीं
66.	मै. एम.के.यू. प्रा.लि.	उत्तर प्रदेश	423.83*	-नहीं-	लागू नहीं
67.	मै. एम.के.यू. प्रा.लि.	उत्तर प्रदेश	1158.06*	-नहीं-	लागू नहीं
68.	मै. अप्लाइड इलेक्ट्रो मैगनेटिक्स प्रा.लि.	उत्तर प्रदेश	400.00	-नहीं-	लागू नहीं
69.	मै. मैगनम एविएशन प्रा.लि.	उत्तर प्रदेश	1820.00	-नहीं-	लागू नहीं
70.	मै आरमेट आरमेड व्हेहिकिल्स (इ) लि.	उत्तर प्रदेश	2385.75	-नहीं-	लागू नहीं
71.	डिनेक्स इं. प्रा.लि.	उत्तराखंड	100.00	-नहीं-	लागू नहीं
72.	मै. टैक्सप्लांस इं. प्रा.लि.	उत्तराखंड	697.54	-नहीं-	लागू नहीं
73.	मै. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि.	उत्तराखंड	800.00	-नहीं-	लागू नहीं
74.	मै. आलस्टीन फर्निचर्स प्रा.लि.	पश्चिम बंगाल	25.00	-नहीं-	लागू नहीं
75.	मै. मिश्राटैक प्रा.लि.	पश्चिम बंगाल	450.00	-नहीं-	लागू नहीं
76.	मै. ब्लैक डायमण्ड प्रा.लि.	पश्चिम बंगाल	2450.59	-नहीं-	लागू नहीं

*मौजूदा

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (गठन की रीति) नियम, 2008, जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3015(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 10464/09]

(2) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (अभियोजन की सिफारिश और स्वीकृति) नियम, 2008, जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3014(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10465/09]

अध्यक्ष महोदय : श्री वायालार रवि

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कपिल सिब्बल की ओर से पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : महोदय, मैं श्री कपिल सिब्बल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10467/09]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10468/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जिसके द्वारा राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-II के **'यात्रा व्यय'** के अंतर्गत अतिरिक्त व्ययों के लिए गोवा के राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10469/09]

(2) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[डा. शकील अहमद]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10470/09]

(4) राज्यपाल (उलपब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जिनके द्वारा राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-II के 'सत्कार व्यय' 'संविदा भत्ते' और 'यात्रा व्यय' के अंतर्गत अतिरिक्त व्ययों के लिए हरियाणा के राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10471/09]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं की निम्नलिखित एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):--

(एक) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद, नान-कॉम्बेटाइज्ड भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 6 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 208 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल (तैनाती और प्रतिनियुक्ति की अवधि) (संशोधन) नियम, 2007, जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 255 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (दो) में टल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10472/09]

(3) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पुश परिवहन संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती दूसरा संशोधन नियम, 2009, जो 14 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 10473/09]

(4) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2008, जो 11 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10474/09]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10475/09]

(3) (एक) प्राइमरी एजुकेशन डैवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल (सर्व शिक्षा अभियान) तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ केरल (सर्व शिक्षा अभियान) तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10476/09]

(5) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10477/09]

(7) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण, मेघालय के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण, मेघालय के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10478/09]

(9) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10479/09]

(11) (एक) तमिलनाडु राज्य मिशन ऑफ एजुकेशन फार ऑल, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु राज्य मिशन ऑफ एजुकेशन फार ऑल, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10480/09]

(13) (एक) राज्य मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिक्किम वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिक्किम वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10481/09]

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

(15) (एक) राज्य मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिक्किम वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राज्य मिशन प्राधिकरण (सर्व शिक्षा अभियान), सिक्किम वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10482/09]

(17) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी, सिकन्दराबाद वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी, सिकन्दराबाद वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10483/09]

(19) (एक) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड महिला समाख्या सोसाइटी, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10484/09]

(21) (एक) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10485/09]

(23) (एक) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम महिला समता सोसाइटी, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10486/09]

(25) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10487/09]

(27) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10488/09]

(29) (एक) असम सर्व शिक्षा अभिजन मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) असम सर्व शिक्षा अभिजन मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10489/09]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती वी. राधिका सेल्वी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं, ... की ओर से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जायसवाल, श्रीमती वी. राधिका सेल्वी की ओर से पत्र प्रस्तुत करने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10491/09]

(3) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 10492/09]

(5) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में

[श्री अश्विनी कुमार]

अधिसूचना संख्या का.आ. 115(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 116(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 117(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 118(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) का.आ. 114 (अ) जो 12 जनवरी, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 1105(अ) में कतिपय संशोधन करने का आदेश दिया हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10493/09]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:–

(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10494/09]

(3) (i) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10495/09]

(ii) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10496/09]

(iii) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजॉल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10497/09]

(4) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10498/09]

(5) इलाहबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एयू/कॉम. सेक./यूनि.कॉल./1140/2008 जो 13 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के परिनियमों में कतिपय संशोधन/लोप किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 10499/09]

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10500/09]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10501/09]

(8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10502/09]

(9) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10503/09]

(11) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिस ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिस ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10504/09]

(12) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10505/09]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10506/09]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10507/09]

(15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10508/09]

(16) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10509/09]

(18) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10510/09]

(20) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10511/09]

(21) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 10512/09]

अपराह्न 12.02 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

20वां और 21वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : महोदय, मैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:—

(एक) 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड द्वारा महिलाओं के लिए ऋण सुविधाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन।

(दो) 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

68वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का अड़सठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

---

अपराह्न 12.03 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

39वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कोलकाता, उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं शहरी विकास मंत्रालय के 'भारत सरकार लेखन-सामग्री कार्यालय, (जीआईएसओ) कोलकाता' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति

201वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : महोदय, मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी समिति के 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 201वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

148वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : महोदय, मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 148वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

52वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का 52वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) (मांग संख्या 57) के बारे में 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के अनुसरण में मैं अर्जुन सिंह की ओर से मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के 202वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं जो कि उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की मांग संख्या (57) वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर मंत्रालय की कार्रवाई प्रतिवेदन से संबंधित थी।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2007-08 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (मांग सं. 57) की जांच की थी और 27 अप्रैल, 2007 को लोक सभा में अपना 193वें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगों 2007-08 (मांग संख्या 57) संबंधी 193वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 202वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। लोक सभा को यह प्रतिवेदन 5 दिसम्बर, 2007 को प्रस्तुत किया गया था। 202वें प्रतिवेदन के चार अध्यायों में से प्रतिवेदन के अध्याय-III में वे सिफारिशें/टिप्पणियां दी गई हैं जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं तथा इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की और टिप्पणियां/कार्रवाई नोट अपेक्षित है।

मैं इसके साथ सदन के सभापटल पर 202वें प्रतिवेदन के अध्याय-III में की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन/की गई कार्रवाई की स्थिति प्रस्तुत कर रहा हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10513/09]

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं श्री शरद पवार जी की ओर से 1 सितम्बर, 2006 को लोक सभा बुलेटिन भाग-II के द्वारा जारी किए गए लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति (उपभोक्ता मामले विभाग) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

एक विवरण संलग्न है जिसमें खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति दर्शाई गई है। प्रतिवेदन में 27 सिफारिशें दी गई हैं। समिति की इन सिफारिशों की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई है। 27 सिफारिशों में से 26 को स्वीकार कर लिया गया है और एक सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है जो की गई कार्रवाई विवरण में दर्शाई गई है।

की गई कार्रवाई के संबंध में उत्तर समिति को अंग्रेजी में 3.12.2008 को और हिंदी में 22.12.2008 को भेज दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10514/09]

अपराह्न 12.06½ बजे

(तीन) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 197वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : श्री कपिल

सिब्बल की ओर से मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II द्वारा जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं. 73ए के अनुसरण में दे रहा हूं ताकि वर्ष 2008-09 हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की अनुदानों की मांगों के एक सौ छियासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से संबंधित एक सौ सतानवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सम्मानित सदन को अवगत करा सकूं।

इस समिति ने डीएसआईआर की कार्यप्रणाली की समीक्षा और विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों ओर उपलब्धियों के संदर्भ में इन अनुदानों की मांगों का विश्लेषण किया और तत्संबंधी 186वां प्रतिवेदन दिनांक 29 अप्रैल, 2008 को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इस समिति के 186वें प्रतिवेदन में परामर्श पूर्ण एवं प्रशंसात्मक उन्नीस सिफारिशें सम्मिलित थीं विभाग ने इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई विषयक विस्तृत नोट जुलाई, 2008 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। समिति ने की गई कार्रवाई विषयक नोट (एटीएन) पर विचार किया है और एक सौ सतानवेवां प्रतिवेदन दिनांक 23 अक्तूबर, 2008 को सदन के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 197वें प्रतिवेदन के माध्यम से समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विभाग में निम्नवत महत्वपूर्ण विश्लेषण किया गया:—

— समिति ने महसूस किया कि *"निधियों के आबंटन में किसी प्रकार की अनुचित कमी नहीं होनी चाहिए देश का भविष्य इसकी प्रौद्योगिकीय दक्षता पर निर्भर करता है और विभाग की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।"* समिति ने पुन: दोहराया है कि *"विभाग को अधिकतम आबंटन हेतु अपनी मांग को संशोधित प्राक्कलन (आरई) स्तर पर योजना आयोग के साथ उठाना चाहिए"*;

— समिति आशा करती है कि *"प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम लघु व्यापार को 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सफलता मिलेगी और इससे लघु और मझौली औद्योगिक इकाइयों को अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेगा"*;

— समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि *"विभाग समयबद्ध योजना को अंतिम रूप देगा और प्रयोगशालाओं में अर्जित ज्ञान को ग्रामीणों के साथ बांटने के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना करेगा"*;

— समिति सिफारिश करती है कि *"सौर ऊर्जा चालित सस्ते फोटोवोल्टेइक सेलों के निर्माण से संबंधित अनुसंधान एवं विकास को अत्यधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को सस्ते दामों पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके"*;

— समिति सिफारिश करती है कि *"देश भर में किसानों को कम दामों पर और अधिक सौर ऊर्जा चालित वाटर पम्प्स की आपूर्ति की जाए"*;

— समिति सिफारिश करती है कि *"विभाग को संपूर्ण देश में विलवणीकरण संयंत्रों का विकास करने के लिए सतत् प्रयास करने चाहिए"*;

— समिति सिफारिश करती है कि *"मलेरिया, पोलिया, क्षय रोग आदि जैसे आम आदमी के रोगों के लिए पूर्ण समाधान खोजने हेतु अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए"*;

— समिति आशा करती है कि *"विभाग हैदराबाद और कोलकाता शहरों में सीएसआईआर को भूमि आबंटित किए जाने से जुड़े मुद्दे पर कार्रवाई करेगा"*;

— समिति का विचार है कि *"मानव संसाधन विकास योजना सिर्फ कागजों पर चलने वाली योजना बन कर न रह जाए, अपितु इस योजना को पूर्णरुपेण कार्यान्वित किया जाना चाहिए"*;

— समिति का विचार है कि *"जहां तक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के वर्धन, वैज्ञानिक जनशक्ति और अन्य संबंधित उत्तरदायित्वों को उपलब्ध कराने का संबंध है विभाग देश की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है"*;

197वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई विषयक नोट दिनांक 03.02.09 को राज्य सभा सचिवालय को अग्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10515/09]

अपराह्न 12.07½ बजे

कैदियों को सुधारने के बारे में दिनांक 21.10.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, मैं लोक सभा के दिनांक 21.10.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के उत्तर के अंतिम पैरा में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं। उत्तर में इस विसंगति का तब पता चला जब संसदीय कार्य मंत्रालय से इस आशय की सूचना मिली कि वे उक्त प्रश्न के उत्तर को आश्वासन के रूप में मान रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय से इस आशय का संदर्भ प्राप्त होने के तुरंत बाद दिनांक 21.10.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के अन्तर्गत पहले दिए गए उत्तर में सुधार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी।

मैं कैदियों को सुधारने के संबंध में दिनांक 21.10.2008 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के उत्तर के अंतिम पैरा में निम्नलिखित सुधार करना चाहता हूं:—

प्रश्न के उत्तर का भाग	अशुद्ध	शुद्ध
उत्तर का अंतिम पैरा	(क) से (ग) जी नहीं, जेल कर्मियां को प्रशिक्षण देना और इससे भी अधिक कैदियों में सुधार प्रक्रिया करना जेल प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। चूंकि जेल "राज्य" का विषय है इसलिए कैदियों के पुनर्वास और पुनरुद्धार के उपायों के कार्यान्वयन सहित जेल प्रबंधन में सक्रिय कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने निम्न स्तर के जेल कर्मियों को अपेक्षित प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं।	(क) से (ग) जी नहीं, जेल कर्मियां को प्रशिक्षण देना और इससे भी अधिक कैदियों में सुधार प्रक्रिया करना जेल प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। चूंकि जेल "राज्य" का विषय है इसलिए कैदियों के पुनर्वास और पुनरुद्धार के उपायों के कार्यान्वयन सहित जेल प्रबंधन में सक्रिय कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने निम्न स्तर के जेल कर्मियों को अपेक्षित प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं।
	वेल्लूर, तमिलनाडु में एक सुधारात्मक प्रशासन संस्थान है जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक नामक दक्षिणी राज्यों के जेल कर्मियों को प्रशिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ का प्रबंधन कर रही है जो समग्र देश के विभिन्न जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। यह संस्थान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर के जेल कार्मिकों को नियमित/आवधिक प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करता है।	वेल्लूर, तमिलनाडु में एक सुधारात्मक प्रशासन संस्थान है जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक नामक दक्षिणी राज्यों के जेल कर्मियों को प्रशिक्षण देता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ का प्रबंधन कर रही है जो समग्र देश के विभिन्न जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। यह संस्थान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर के जेल कार्मिकों को नियमित/आवधिक प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करता है।
	सुधारात्मक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ पूरी तरह से भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त है।	सुधारात्मक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ पूरी तरह से भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त है।
	यह योजना वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।	

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10516/09

अपराह्न 12.08 बजे

अंतरिम बजट (झारखंड) 2009-10

[अनुवाद]

विदेश मंत्री और वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं वर्ष 2009-10 के लिए झारखण्ड राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10517/09]

अपराह्न 12.08½ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (झारखंड) — 2008-09

[अनुवाद]

विदेश मंत्री और वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं वर्ष 2008-09 के लिए झारखंड राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 10518/09]

अपराह्न 12.09 बजे

केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 — *वापस लिया गया*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि विभिन्न राज्यों में अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनका निगमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—

"कि विभिन्न राज्यों में अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनका निगमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने गलत नियम उद्धृत किया है। यह विधेयक के पुरःस्थापन से संबंधित है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) **:** मैं इस प्रस्ताव का एक सामान्य कारण से विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के तहत?

श्री वरकला राधाकृष्णन : नियम 72 के तहत।

अध्यक्ष महोदय : नियम 72 विधेयक के पुरःस्थापन से संबंधित है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह प्रस्ताव से संबंधित है। प्रस्ताव का आशय पुरःस्थापन तथा वापस लेना दोनों है। इस सेक्शन में दोनों ही शामिल हैं। मैं प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : परंतु एक और नियम है। मैं इसे नियम 111 के तहत मानूंगा। सामान्यतया आप अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुनते हैं। यह आपके साथ समस्या है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं प्रस्ताव का विरोध एक सामान्य कारण से कर रहा हूं। हमें इस महीने की 12 तारीख को 'मंत्री द्वारा वक्तव्य' की प्रति दी गयी है जो कि अंतिम कार्यदिवस था। यह विधानमंडल की शक्तियों का अतिक्रमण है।

यदि मान्यवर मुझे इसकी अनुमति दें तो अब मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : "मान्यवर" क्यों? आज आपको क्या हो गया है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : केन्द्रीय विश्वविद्यालय राज्यों में कई वर्षों से चल रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष कभी भी आरंभ हो सकता है। अब, इन परिस्थितियों में इस समय अध्यादेश जारी किए जाने की क्या आवश्यकता थी? यह विधेयक लोक सभा में 23.10.2008 को पुरःस्थापित किया गया था। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की सहमति से राज्य सभा के सभापति ने इस विधेयक को संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा। स्थायी समिति ने तत्परतापूर्वक कार्य करके 17.12.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। विधानमंडल की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ। यदि कोई आपातस्थिति थी भी तो वह कार्यपालिका द्वारा सृजित की गयी थी, जो कि अभूतपूर्व और अप्रत्याशित नहीं है।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

विधायी मामलों में संबंधित स्थायी समिति से प्रतिवेदन मिलने में महीनों लग जाते हैं। परंतु इस मामले में स्थायी समिति ने तत्परतापूर्वक कार्य कर दो महीने के भीतर प्रतिवेदन सौंप दिया था।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था। सरकार को यह पहले ही करना चाहिए था। अब, जबकि यह मामला सभा के विचाराधीन है, इस आधार पर सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। हमारे पास यह विधेयक है। हमने इस पर काफी कार्य किया है। हमने इस मामले की जांच की है। हमने 15 सिफारिशें की थीं जिनमें से सरकार द्वारा 7 सिफारिशें स्वीकार की गईं। तत्पश्चात् विधेयक में संशोधन भी किए गए। लेकिन सरकार ने एकाएक अध्यादेश जारी कर दिया।

कार्यपालिका की यह आदत हो गयी है कि वह विधानमंडल को एक रबर स्टाम्प की तरह प्रयोग करता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, आपने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मेरे पास एक वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : संभवतः आपने उन्हें उसकी प्रति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन सभी को नए विधेयक में अन्तर्विष्ट कर लिया गया है, जो कि कार्य-सूची का अगला विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बीते हुए कल पर निर्भर रहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री महोदय की बात सुनें। उनकी बात पर ध्यान दें। वे एक वक्तव्य दे रही हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह वक्तव्य पढ़ना चाहती हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा वक्तव्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : चूंकि ऐसे प्रत्येक राज्य में जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं है एक-एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव काफी लम्बे समय से विचाराधीन था और इस संबंध में विभिन्न मंचों पर की गयी घोषणाओं के फलस्वरूप संबंधित राज्य आतुरता से यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस बारे में केन्द्र सरकार शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करे और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र से समय पर चालू किए जाने के लिए तैयारी संबंधी कई कदम उठाए जाने अपेक्षित थे। इसलिए सरकार का यह विचार था कि इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए तत्काल कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 के उपबंधों को विभागीय संसदीय स्थायी समिति की उपर्युक्त सात सिफारिशों को अंतर्विष्ट करते हुए तत्काल लागू किया जाना था, इसलिए 15 जनवरी, 2009 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2009 प्रख्यापित किया गया।

तथापि मैं यह वक्तव्य सभा-पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह आपने पहले ही परिचालित कर दिया है।

प्रश्न यह है:

"कि विभिन्न राज्यों में अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनका निगमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : महोदय, मैं विधेयक वापस लेती हूं।

अपराह्न 12.13 बजे

केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 22 पर विचार करेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि विभिन्न राज्यों में अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनका निगमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विभिन्न राज्यों में अध्यापन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनका निगमन तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 12.15 बजे

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 12.16 बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2009 तक की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसम्बर, 2009 तक की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 25 मंत्री महोदय ने विधेयक पुरःस्थापित न किए जाने के लिए मेरी अनुमति मांगी है और मैंने अनुमति दे दी है।

सभी विशेष उल्लेख, जो महत्वपूर्ण हैं, उन पर दिन के आखिर में विचार किया जाएगा।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 17.02.2009 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 17.02.2009 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.17 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सोमवार के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे गए हैं।

(एक) ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता नियत करने वाली राजपत्रित अधिसूचना को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : भारत विश्व का एक प्रमुख देश है जहां वाहनों की संख्या बहुत अधिक है, निरक्षरता का प्रतिशत काफी अधिक है और यह उन कुछ देशों में से एक है जहां लोगों तथा सामान की आवाजाही के लिए परिवहन के विभिन्न माध्यम हैं।

मोटर वाहन अधिनियम में अधिविष्ट है कि कोई भी वाहन, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक या माल-परिवहन, को चलाने के लिए हरेक व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है जो व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी, हल्के वाहन, ट्रक आदि चलाते हैं उन्हें भी एसटीए से ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। उन्हें ड्राइविंग में निपुणता और ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी आवश्यक होती है। वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम में किसी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है। परंतु राजपत्र अधिसूचना सं. 296 (क) दिनांक 10.04.2007 में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हरेक ड्राइवर के पास 8वीं कक्षा की शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। ड्राइवर गरीब और अशिक्षित होते हैं तथा अपने परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने के लिए वे परिवहन/निजी वाहन चलाते हैं। नई अधिसूचना के आने से, अब परिवहन अधिकारी उनसे ड्राइविंग लइसेंस के लिए 8वीं कक्षा पास के शैक्षणिक अर्हता प्रमाण-पत्र की मांग कर रहे हैं। चूंकि कई लाइसेंस चाहने वाले गरीब और अशिक्षित होते हैं, उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस से वंचित किया जा रहा है। अब वे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 8वीं कक्षा तक अध्ययन करने हेतु विद्यालय नहीं जा सकते। इसलिए वे जाली प्रमाण-पत्र जमा कर रहे हैं। मैं शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किए जाने के उद्देश्य और तर्क को समझ नहीं पा रहा हूं। इस अधिसूचना से वे अपने परिवार के लिए कुछ रुपए अर्जित करने के अवसर से वंचित हो रहे हैं।

इसलिए, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस अधिसूचना को तत्काल वापस लिया जाए क्योंकि इससे कोई खास उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

(दो) गुजरात के अमरेली जिले के मोटा लिलिया में महुआ-सूरत रेल गाड़ी का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, महुआ-सूरत रेल सेवा का उद्घाटन 20 अक्तूबर, 2008 को किया गया था तो उस समय लोगों ने इस रेल सेवा का मोटा लिलिया में ठहराव दिए जाने हेतु अनुरोध किया था एवं इस संबंध में हमने भी कई बार पत्र भी लिखे। चार माह बीत जाने के बाद भी अभी तक ठहराव नहीं दिया गया है जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली को विशेष फायदा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ यहां के लोगों ने इस रेल सेवा को सप्ताह में तीन बार चलाने हेतु अनुरोध किया है एवं सूरत से महुआ के बीच इस रेल सेवा को इस तरह से चलाया जाये जिससे यह रेल सेवा दिन के समय महुआ पहुंचे क्योंकि इस रेल सेवा के महुआ रात्रि में पहुंचने पर लोगों को अपने गांवों में पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि महुआ-सूरत रेल सेवा का स्टॉपिज मोटा लिलिया में दिया जाये एवं इसके समय में इस तरह से परिवर्तन किया जाये जिससे यह महुआ दिन के समय ही पहुंचे।

(तीन) गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन. एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : गन्ना प्रमुख नकदी फसलों में से एक है जिसका उत्पादन पूरे देश में और तमिलनाडु में विशेष रूप से होता है। अन्य फसलों के उत्पादकों के विपरीत गन्ने की खेती करने वालों को फसल से नकदी प्राप्त करने के लिए लगभग एक वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। आदानों की लागत और फसल की बुआई, खर पतवार साफ करने, सिंचाई और कटाई के दौरान मजदूरी संबंधी खर्चे दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। प्रति एकड़ खेती की औसत लागत 25,000 रु. से 30,000 रु. तक है। भारत सरकार ने गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 812 रुपये प्रति टन निर्धारित किया है। तमिलनाडु सरकार ने स्टेट एडवाइजरी प्राईस 238.70 रु. प्रति टन घोषित किया है। आजकल जलाने की लकड़ी जिसका उत्पादन

*सभा-पटल पर रखे माने गए।

बिना किसी देख-रेख और जल के होता है वह भी 1500 रुपये से 1700 रु. प्रति टन बिकती है। गन्ने का उपयोग औद्योगिक एल्कोहल उत्पादन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिया किया जाता है और कुछ चीनी मिलें इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी करती हैं। अत: गन्ने का उपयोग चीनी बनाने के अलावा अनेक मूल्य संवर्धित उत्पादों को तैयार करने में भी होता है।

गन्ना उत्पादकों को महाजनों और ग्रामीण ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए मैं केन्द्र सरकार से सांविधिक न्यूनतम मूल्य 2000 रु. प्रति टन निर्धारित करने का आग्रह करता हूं।

(चार) झारखंड के पलामू जिले में निजी क्षेत्र को कोयला खानों का आबंटन रद्द किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दुबे (धनबाद) : महोदय, केवल मंत्रालय एवं कोल इंडिया द्वारा अभी तक 269 कोल ब्लॉक को प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। कोल श्रमिकों की दयनीय स्थिति एवं प्राइवेट मालिकों के शोषण से निजात दिलाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था जिससे एक तरफ तो कोयला श्रमिकों के हित को ध्यान में रखा गया था, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सम्पत्ति का दोहन गैर नियंत्रित एवं असुरक्षित ढंग से न हो इसका ध्यान रखा गया था और सच्चाई यह भी है कि कोल इंडिया ने अपने कुशल कर्मचारियों के जरिये दुर्घटना रहित गुणवत्ता पूर्ण कोयले की निकासी की है और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है।

अभी पता चला है कि झारखंड राज्य के सीसीएल के राजहरा क्षेत्र के राजहरा कोलियरी का उत्तरी पूर्वी भाग "मुकुन्द लिमिटेड" एवं "विम्नी आयरन एवं स्टील उद्योग लिमिटेड" एवं होरिलॉग परियोजना रुंगटा को दे दिया गया है।

झारखण्ड राज्य का पलामू प्रमण्डल बहुत ही पिछड़ा एवं गरीब इलाका है जिसमें 80 प्रतिशत गरीब आदिवासी एवं अति पिछड़ा वर्ग निवास करते हैं। इस कोलियरी के प्राइवेट में चले जाने से हजारों नियमित मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे, जैसा कि सीसीएल के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशक तकनीकी संचालन ने अपने पत्रांक सीसीएल/सीएपी/माइन/2087-2089 दिनांक 29.11.07 एवं डीटपीएनपी/2008/18/10 दिनांक 10.11.2008 के द्वारा उसे सत्यापित किया है। अत: हम यह मांग करते हैं कि उपरोक्त का आबंटन शीघ्र रद्द किया जाये।

(पांच) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में जो छोटे-छोटे शहर हैं वहां पर शहरी विकास की योजनायें लागू नहीं की जा रही हैं जिसके कारण कई शहरों में गंदगी का माहौल है और सीवरों के आव में गंदगी काफी फैली हुई है। शहरों में जो गरीब आबादी है उनके लिए आवास की बहुत कमी है। गार्मियों के दिनों में इन शहरों में लोगों को पेयजल नहीं मिल पाता है और महिलाओं को कई किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता है। शहरों की सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। यहां पर जो नगर निगम कार्यरत है उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में नगर निगम को शहरी सुविधाएं दिलाये जाने हेतु केन्द्र स्तर पर एक वित्तीय सहायता पैकेज उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर गहनता से विचार किया जाये।

(छह) गुजरात के साबरकंठा जिले में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : गुजरात में साबरकंठा एक पिछड़ा क्षेत्र है। कृषि वहां का मुख्य व्यवसाय है। तथापि किसान मुख्य रूप से मानसून फसलों पर ही निर्भर रहते हैं। सिंचाई सुविधाएं बहुत कम है। यद्यपि जिले में लगभग छ: से सात मध्यम और बड़े आकार के डैम हैं, लेकिन इन डैमों से सिंचाई के लिए इसे बहुत कम जल प्राप्त होता है। ऊपर का क्षेत्र कमोबेश सूखा क्षेत्र है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने सिंचाई विभाग के माध्यम से गुजरात राज्य सरकार पर इस जिले में सिंचाई हेतु एक सिंचाई योजना तैयार करने के लिए जोर डालें। गुजरात राज्य सरकार को ऊंचे बांध वाली नहर तैयार कर कदना डैम से पानी लेने के लिए एक सिंचाई योजना तैयार करनी चाहिए और साबरकंठा जिले तक पानी ले जाना चाहिए ताकि जिले का सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्र के साथ-साथ मैदानी क्षेत्र को भी सिंचित किया जा सके।

(सात) पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में उज्जैन-आगर-मालवा-झालावाड़ खण्डों पर रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, पश्चिम रेलवे मण्डल रतलाम के अंतर्गत आगे वाले क्षेत्र में सन् 1976 तक उज्जैन से आगर-मालवा तक मीटर गेज रेल लाइन थी, जिस पर सन् 1976 तक यात्री गाड़ियां और माल गाड़ियां चलती थीं इस रेल लाइन को सन् 1976 में बिना किसी कारण के उखाड़ दिया गया। क्षेत्र की जनता इसको नहीं उखाड़ने की मांग करती रही किन्तु नहीं सुना गया। रेल लाइन उखाड़ने के बाद से अभी तक जनता, जनप्रतिनिधिगण उज्जैन से आगर-मालवा-झालावाड़ रेल लाइन डालने की मांग करते आ रहे हैं। रेल मंत्रालय ने इसके लिए सर्वे भी कराया है और फिर इसके अद्यतन सर्वे कराने की घोषणा भी पिछले रेल बजट के भाषण में रेल मंत्री जी द्वारा की गई, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं कारणवश क्षेत्र की जनता में भारी अंसतोष और आक्रोश व्याप्त है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि उज्जैन-आगर-मालवा-झालावाड़ रोड़ के बीच रेल लाइन डालने हेतु स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें।

(आठ) मध्य प्रदेश के सतना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर बाईपास बनाए जाने के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 और 75 को चौड़ा किए जाने उसकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 75 जो कि सतना शहर से होकर निकलता है, उसमें बाईपास बनाये जाने की लम्बे समय से मार्ग की जा रही है। इसी तरह सतना से सेमरिया-इलाहाबाद मार्ग जिनके प्रस्ताव राज्य सरकार ने सैंट्रल रोड़ फंड से बनाये जाने के लिए भेजे हैं, उनकी स्वीकृति कराया जाना आवश्यक है। इसके साथ-साथ एन.एच. 7 एवं 75 का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कराया जाना आवश्यक है, जिससे उक्त सड़कों पर दिनों दिन हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

(नौ) सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के लिए 'एक रैंक-एक-पेंशन' सूत्र लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सेना से पूर्व में रिटायर हुए और वर्तमान में रिटायर हो रहे सेनाकर्मियों की पेंशन में बहुत विसंगति है, जिससे सैनिकों में असंतोष पनए रहा है। विगत अनेक वर्षों से भूतपूर्व सैनिक इस विसंगति को दूर करने के लिए एक रैंक एक पेंशन के सिद्धान्त को लागू करने का निवेदन करते रहे हैं।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक बहुतायत में हैं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें के उपरांत रक्षा मंत्री ने इस बारे में एक विशेष समिति गठित की थी, जिसे इस समस्या के समाधान हेतु अपनी अनुशंसाएं देनी थीं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इससे देश में विभिन्न रैकों के सेवानिवृत्त सैनिकों में काफी रोष एवं क्षोभ है। अब छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू की जा चुकी हैं, लेकिन वन रैंक वन पेंशन के सिद्धान्त को अभी तक लागू नहीं किया गया है अत: मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री से आग्रह है कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में विसंगति को दूर करने के लिए तत्काल "वन रैंक वन पेंशन" के सिद्धांत को लागू किया जाये।

(दस) महाराष्ट्र में इंदिरा सागर गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, देश के अधिकतर किसान वर्षा जल पर आधारित कृषि कार्य करते हैं। देश में असिंचित भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सिंचाई हेतु परियोजनाएं लागू न हो पाने से स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। देश के जनजातीय और वनक्षेत्रों में रहने वाले किसानों की स्थिति बदतर हो गई है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए वन संवर्धन कानून, 1980 तथा संशोधन 1982 के कारण इन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को परियोजना के कुल लागत मूल्य की राशि के साथ वनक्षेत्रों के कटाई के एवज में केन्द्र सरकार के पास निवल वर्तमान मूल्य (एन पी वी) भरना पड़ता है। ऐसा देखने में आया है कि कभी कभी तो सिंचाई परियोजना की कुल लागत मूल्य से चार गुणा अधिक निवल वर्तमान मूल्य केन्द्र सरकार के पास जमा कराना पड़ता है। राज्य सरकार अपनी वित्तीय क्षमता को देखते हुए वन क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना का निर्माण नहीं करा पा रही है। इस कारण इन क्षेत्रों के लोगों को सिंचाई का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। फलस्वरूप यहां के किसानों में कुपोषण, भुखमरी, दिखाई दे रही है।

हमारे यहां पिछले 23-24 वर्षों से इंदिरा सागर, गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसका संज्ञान लेकर हमने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया, परन्तु सरकार ने इसे स्वीकृति देकर इसका राष्ट्रीय

नदी जोड़ो परियोजना में समावेश किया लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय साहयता नहीं दी गई। उक्त परियोजना का तत्काल निर्माण सुनिश्चित कर इससे किसानों को सिंचाई का लाभ दिलाने के लिए केन्द्र सरकार को तत्काल भारी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वनक्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना के लिए निवल वर्तमान मूल्य (एन वी पी) में रियायत दे तथा विदर्भ के वनक्षेत्र की गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना का अविलंब निर्माण करने के लिए लगातार वित्तीय सहायता उपलब्ध करायें।

(ग्यारह) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर कोल्लम बाईपास के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : एन.एच. 47 के एक भाग के रूप में कोल्लम बाईपास के निर्माण का आदेश केन्द्र सरकार द्वारा 1978 में दिया गया था। केन्द्र सरकार के कहने पर राज्य सरकार द्वारा चार-लेन वाली सड़क के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि भी अधिग्रहित की गई थी। लेकिन चार में से केवल दो चरण ही वर्ष 2003 में पूरे हुए। गत पांच वर्षों से दो चरणों का बाकी काम केन्द्र सरकार के समक्ष लम्बित है। कोल्लम शहर में ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए बाईपास का पूरा होना आवश्यक है। जन प्रतिनिधियों और स्वयं केरल सरकार ने भी कई बार इस मामले को उठाया है, लेकिन इसका परिणाम नहीं निकला। मैं केन्द्र सरकार से बाकी भाग अर्थात् कोल्लम बाईपास के तीसरे और चौथे चरण के जल्द से जल्द निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) पश्चिम बंगाल में पानागढ़ बाईपास बनाए जाने के अलावा धनबाद से दानकुनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर विस्तार कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल) : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले ही धनबाद से दानकुनी तक एन.एच.-2 पर विस्तार कार्य आरम्भ करने के लिए सहमत हो गया है। लेकिन कार्य में तेजी लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

खराब ट्रैफिक सिगनल प्रणाली के कारण आसनसोल से दुर्गापुर के बीच दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई हैं बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए उचित नियोजन की आवश्यकता है।

पानागढ़ बाईपास के कार्य को आरम्भ करने में आवश्यक विलम्ब से स्थिति और बदत्तर हो गई है। सरकार को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया और कुशीनगर, जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया और कुशीनगर जनपदों में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दूसरी किस्त का प्राक्कलित धन निर्गत न किये जाने के कारण इन जनपदों में विद्युतीकरण का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े एवं बाढ़ प्रभावित इन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने का शासन ने लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अंतर्गत देवरिया जिले में 237 और बलिया जिले में 455 गांवों का प्रथम चक्र में विद्युतीकरण हुआ, जो आधा-अधूरा रह गया। दूसरे चक्र में देवरिया जिले में 54,00 पुरवों तथा बलिया जिले में 13,00 पुरवों का विद्युतीकरण मार्च, 2007 तक पूरा हो जाना था, लेकिन केन्द्र द्वारा पैसा नहीं भेजे जाने के कारण काम लगभग दो वर्षों से रुका पड़ा है। इस संबंध में मेरे द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में गत 15 दिसम्बर को माननीय ऊर्जा मंत्री ने बताया था कि पिछड़े जिलों के विद्युतीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जायेगा जिसके लिए अलग से धन की व्यवस्था की जायेगी। मैंने कई बार पत्र लिखकर तथा स्वयं माननीय मंत्री जी से मिलकर धन निर्गत कराने का अनुरोध किया, परन्तु खेद है कि अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया।

मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जनहित की इस महत्वपूर्ण परियोजना को उपरोक्त पिछड़े जिलों में पूरा करने हेतु दूसरी किस्त का धन तत्काल निर्गत करावें।

(चौदह) राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाने तथा विद्यमान ग्रामीण बैंकों को समुचित निर्णय लेने की शक्तियां और सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, देश में ग्रामीण बैंकों ने किसानों के विकास व उनके हितों में जो भूमिका निभाई है, उसके मुकाबले राष्ट्रीयकृत बैंक काफी पीछे हैं। परन्तु आजादी

[श्री रामजीलाल सुमन]

के 60 वर्ष बाद भी ग्रामीण बैंकों को अपने प्रायोजक बैंक के निर्णयों के अंतर्गत ही किसानों के हितों के संबंध में कोई निर्णय लेना होता है। इतना ही नहीं सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले पेंशन, भत्ते व अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती जिससे ग्रामीण बैंक कर्मचारी अपने को उत्पीड़ित समझते हैं। इसका उनके कार्यों पर भी असर पड़ता है।

आज देश में भूख, कुपोषण, बेरोजगारी, साहूकारों के कर्ज से दबे किसानों द्वारा खुदकुशी निरंतर बढ़ रही है, जिससे सरकार चिंतित तो है पर कोई संतोषजनक और ठोस निर्णय, जो किसान हितैषी हो और जिससे किसानों की समस्या को दूर किया जा सके, नहीं ले पाती। सबसे ज्यादा कर्ज किसानों को ग्रामीण बैंक ही उपलब्ध करवाते हैं, वह भी किसानों की सुविधाओं के अनुसार और ब्याज दर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले कम दर पर। परंतु, अत्यधिक चिंता की बात है कि आज ग्रामीण बैंकों की शाखाएं बढ़ने की बजाय कम हो रही हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी ग्रामीण बैंकों को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया जाये। ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंक के नियंत्रण से मुक्त कर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया जाये। और उनकी पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें प्रायोजन बैंकों के कर्मचारियों के बराबर की जाएं। नयी भर्ती व्यवस्था व पदोन्नति की व्यवस्था की जाये और नाबार्ड की भूमिका ग्रामीण बैंक के वित्त पोषक प्रबंधन में तेज की जाये।

(पंद्रह) झारखंड में नक्सलवाद रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

डा. धीरेंद्र अग्रवाल (चतरा) : महोदय, मैं नियम 377 के माध्यम से सदन की जानकारी से लाना चाहता हूं कि मेरे गृह राज्य झारखंड में नक्सलवादी गतिविधियां चल रही हैं। नक्सलवादी क्षेत्रों के विकास के लिए पैकेज उपलब्ध करवाने के लिए सदन में मांग उठाई गयी थी, परंतु उस पर अमल नहीं किया गया है। सरकार ने 2500 करोड़ की लागत से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की योजना बनायी थी। परंतु इस योजना से इन नक्सलवाद क्षेत्रों में विकास नहीं के बराबर हुआ है। यहां पर फैली बेरोजगारी के चलते लोग नक्सलवाद का रास्ता अपना रहे हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह नक्सलवाद पर शीघ्र नियंत्रण करने एवं नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों के औद्योगिक विकास एवं रोजगार के विशेष अवसर सृजित करने के लिए सकारात्मक कार्य करे एवं विशेष पैकेज दें तथा समय-समय पर इस संबंध में अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए।

(सोलह) उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पटना-राजधानी एक्सप्रेस (2309-2310) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश दूबे (मिर्ज़ापुर) : महोदय, पटना राजधानी एक्सप्रेस (2309/2310) मिर्ज़ापुर स्टेशन पर नहीं रुकती है जबकि 'मिर्ज़ापुर' मुगलसराय व इलाहाबाद के मध्य का व्यस्त स्टेशन है।

मिर्ज़ापुर व्यापारिक नगरी है, देश विदेश में कॉरपेट मिर्ज़ापुर-भदोही से निर्यात होता है। जिससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। वाराणसी धार्मिक स्थान है, जहां देश-विदेश के लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। किसी भी राजधानी या शताब्दी का ठहराव मिर्ज़ापुर में नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। मिर्ज़ापुर में पटना-राजधानी के ठहराव से मिर्ज़ापुर, जौनपुर, राबर्टगंज, वाराणसी आदि के लोगों व व्यापारी वर्ग को सुविधा होगी। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पटना-राजधानी का मिर्ज़ापुर में ठहराव करवा सकेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

(सत्रह) तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में बारुगुर में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोले जाने और बैंकिंग सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि) : मेरे कृष्णागिरि संसदीय क्षेत्र में एक छोटा कपड़ा बाजार बारुगुर स्थित है जिसमें लगभग 1,000 कपड़ों की दुकानें हैं और इसे सूरत बाजार के बाद दूसरा बड़ा बाजार माना जाता है। यहां बड़ी मात्रा में नारियल और आम का उत्पादन होता है। 100 से ज्यादा ग्रेनाइट पालिश इकाइयां यहां कार्य कर रही हैं।

बारुगुर की जनसंख्या 25,000 से ज्यादा है और यहां ऐसे लोगों की जनसंख्या भी बहुत अधिक है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं यह बड़ी संख्या में गांवों से घिरा हुआ है और लोग खरीदारी के लिए यहां अक्सर आते रहते हैं क्योंकि बारुगुर उनके निकट का एक मात्र बड़ा बाजार है।

फिर भी बारुगुर में अच्छी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। व्यापारियों, व्यवसायियों, छात्रों और आम जनता को इसके कारण काफी

कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बारुगूर में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खोलने की मांग काफी समय से लम्बित है।

अत: मैं सरकार से बारुगूर में यथाशीघ्र ज्यादा बैंक शाखाएं खोलने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) जी एम खाद्य फसल, बी टी बैंगन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए देश में इसके उत्पादन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी) : मैं भारत में बी टी बैंगन, एक जी एम खाद्य फसल के प्रवेश पर चिंता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह आनुवांशिक रूप से रूपांतरित बैंगन भारत में पहली जी एम खाद्य फसल है और साथ ही विश्व भर में वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल होने वाला पहला जी एम बैंगन है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का विनियामक तंत्र प्रजनन स्वास्थ्य, कैंसरजन्य मूल्यांकन इत्यादि पर दीर्घकालिक प्रभावों सहित व्यापक जैव-सुरक्षा मूल्यांकन पर जोर नहीं देता। यह और भी चिंतनीय है कि हमारी विनियामक निर्णयन प्रक्रिया के मार्गनिर्देशन के लिए स्वतंत्र रूप से कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। अब सभी निर्णय फसल विकासकों द्वारा दिए जा रहे आंकड़ों के आधार पर लिए जा रहे हैं जिनका स्पष्ट रूप से मामले से अपना लाभ जुड़ा हुआ है।

हाल ही में हुए सरकारी आस्ट्रियाई अध्ययन से पता चला है कि जी एम खाद्य पदार्थों से बांझपन सहित प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। पिछले माह हुए एक इतालवी अध्ययन से पता चला है कि जी एम खाद्य पदार्थ देने से बूढ़े और जवान चूहों का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हुआ है।

देश भर में किसान और उपभोक्ता बी टी बैंगन जैसे जी एम फसलों/खाद्य पदार्थों का विरोध कर रहे हैं।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इन आम नागरिकों की चिन्ताओं पर ध्यान दें और उनके सुरक्षित खाद्य तथा पसंदीदा खाद्य के अधिकार को बनाए रखे और देश में जीएम खाद्य पदार्थों के प्रवेश को रोकें।

(उन्नीस) तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी) : विरुधुनगर का स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से अच्छा प्रदर्शन रहा है। साथ ही विरुधुनगर जिला मुख्यालय में केन्द्र सरकार के विभिन्न संगठनों में 10,000 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, मदुरै और तिरुनेलवेली में केन्द्रीय विद्यालय है जो कि विरुधुनगर से क्रमश: लगभग 50 कि.मी. और 70 कि.मी. की दूरी पर हैं।

इस संबंध में, मैं इस ओर इंगित करना चाहता हूं कि विरुधुनगर जिले में केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने के लिए जनता तथा जिला प्राधिकारियों दोनों से ही अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। एक निजी दाता द्वारा स्कूल के लिए पहले ही अवसंरचना और भूमि उपलब्ध करा दी गई है।

अत:, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वर्ष 2009-10 में ही विरुधुनगर में एक केन्द्रीय विद्यालय आरंभ किया जाए।

(बीस) जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं बहाल करने के लिए एक वैकल्पिक सैटेलाइट संचार सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री थुपस्तन छेवांग (लद्दाख) : जोजिला-दर्रा और द्रास के बीच ऑप्टिक फाइबर केबल को हुई क्षति के कारण समग्र लद्दाख क्षेत्र में बीएसएनएल की सेवाएं जैसे मोबाइल, डब्ल्यू एल एल, ब्राडबैंड और लीज्ड लाइनें गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। बी एस एन एल कम से कम दो महीने से ओ एफ ए सी माध्यम को चालू करने में सफल नहीं हो पाया है क्योंकि क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई है और लेह-श्रीनगर राजमार्ग के खुलने से पहले वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है और वे मांग कर रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए तत्काल सेवाएं चालू की जाएं। अत: अनुरोध है कि लद्दाख में दूरसंचार सेवाओं को पुन: चालू करने के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में समुचित सैटेलाइट माध्यम उपलब्ध कराया जाए। ऐसा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कराया जाना चाहिए, ताकि ब्राडबैंड, डब्ल्यू एल एल और मोबाइल जैसी सेवाओं को पुन: चालू किया जा सके। मेरी यह भी मांग है कि लेह के लिए डेडिकेटेड मोबाइल एम एस सी की स्वीकृति दी जाए और इसे उच्च प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लद्दाख एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है और दूरसंचार सेवाओं में खराबी के कारण रक्षा सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

अपराह्न 12.17½ बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

'कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 12 फरवरी 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यंत आभारी हैं।"

महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में आरंभ में जो कहा है, उसे मैं उद्धृत करता हूं:—

"हमारे क्रियाशील लोकतंत्र ने हमारी सरकार के समक्ष अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कड़े मानक निर्धारित किए हैं। जनता सरकार का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करती कि वह क्या कहती है, बल्कि इस आधार पर करती है कि वह क्या करती है। लोकतंत्र में सरकार के मूल्यांकन का साधारण सा सिद्धांत है — आम आदमी को क्या मिला?"

आम आदमी को क्या मिला है? इसी आधार पर संप्रग की स्थापना हुई। इसलिए जब हमारी नेता, श्रीमती सोनिया गांधी जिन्होंने सरकार के कार्यकरण में सहायता प्रदान की, के नेतृत्व में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील ताकतें एकजुट हुईं तो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) तैयार किया गया।

महोदय, मेरा विश्वास है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार ने अपने अधिकांश वायदों को पूरा करते हुए कार्य किया है जो हमने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए थे।

महोदय, जैसे-जैसे हम 14वीं लोकसभा के अवसान की ओर जा रहे हैं — चूंकि 14वीं लोक सभा समाप्त होने वाली है और जनता के समक्ष पुन: जाने के लिए कुछ ही सप्ताह शेष हैं — मुझे लगता है कि यही समय है जब हमें यह समीक्षा भी करनी चाहिए कि पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने क्या किया है?

माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में इस सरकार द्वारा किए गए वायदों की तुलना में सरकार की उपलब्धियों का सार प्रस्तुत किया है।

महोदय, हमारी सरकार ने जो पहला वचन दिया था वह था कि प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाएगी और संसद में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होगी। महोदय, इस दिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया और अधिनियमित किया गया। यह एक ऐतिहासिक विधान था जिसने उस शासकीय गोपनीयता अधिनियम को समाप्त कर दिया जिसने वास्तव में औपनिवेशिक शासकों को उनके शासनकाल के दौरान मदद की थी।

यह सुस्पष्ट बदलाव था जिससे जनता के प्रति एक अलग प्रकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना आयी। इसके तत्काल बाद हमारी संप्रग सरकार ने संप्रग की अध्यक्ष के पहल से अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम पुर:स्थापित किया और अधिनियमित किया। यह परम्परागत वन निवासियों के लिए लगभग एक शताब्दी से लंबित था। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित करते समय स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस क्षेत्र में रहने वाले परम्परागत वन निवासियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इन अधिकारों का वचन दिया था। साढ़े तीन दशक से भी अधिक समय के बाद — अब हमारी सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के आरंभ में वन निवासियों, अनुसूचित जनजातियों को दिए गए वचन को पूरा किया है।

अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारे संविधान के संघीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जैसी कि व्यवस्था है, इनमें से कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां राज्य सरकारों के ऊपर भारी जिम्मेवारी है। परंतु केन्द्र ने पहल कर दी है। हमने कानून अधिनियमित कर दिया है, नियम बना दिए हैं। मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि इन असहाय लोगों को इस नए विधान से मदद मिलती रहे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो अब पूरे भारत में लागू है, पूरे विश्व में इस तरह का अभिनव प्रयास है। यह पूरे ब्रह्माण्ड में पहला प्रयास है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार किसी भी श्रेणी के नागरिकों के लिए निश्चित कार्य-दिवसों के रोजगार की गारंटी देती है। यह सर्वव्यापी गारंटी वस्तुत: इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान 3.4 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया गया है। इनमें से 55 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचति जनजाति और अनूसूचित जाति के हैं और 49 प्रतिशत

लाभार्थी महिलाएं हैं। इसलिए इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत अधिक राहत मिली है, विशेषकर इन दिनों जब हमें आर्थिक संकट और मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इससे अधिकांश राज्यों में जहां यह योजना लागू की जा रही है, अत्यन्त गरीब लोगों को मदद मिली है। अब यह योजना पूरे देश में लागू कर दी गयी है। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के 20 से अधिक राज्यों में यह कार्यक्रम अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है। निःसन्देह, कई राज्य इसे अपने कार्यक्रम की तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। परंतु मेरे विचार में देश के लोगों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि यह केन्द्र सरकार की पहल और धनराशि जो हम यहां से दे रहे हैं की वजह से ही यह संभव हो पाया है। मेरी जानकारी के अनुसार, केवल वर्ष 2008-09 के दौरान ही नरेगा (एन आई ई जी ए) के लिए 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गयी थी। इसलिए हम नरेगा के लिए शुभकामनाएं करते हैं कि यह जहां भी लागू हो, सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जाए। हम राज्य सरकारों को भी शुभकामनाएं देते हैं। परंतु, मेरे विचार से इस समय लोगों के लिए यह भी अनिवार्य और जरूरी है कि वे यह जानें कि इस प्रकार का कार्यक्रम कभी भी संभव नहीं होता, यदि केन्द्र सरकार ने इस विधान को अधिनियमित नहीं किया होता और केन्द्रीय संसाधन से निधियां नहीं दी गई होती।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ग्रामीण जनता को सुविधा प्रदान किए जाने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा ढांचे की स्थापना की गयी है। संशोधित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और कई अन्य बीमा योजनाओं से जनता की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया गया, जो इस योजना के अधीन कार्य कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* अब भी हमारी दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारी जनसंख्या का 60 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका चलाता है। इसलिए कृषि क्षेत्र के ऋण में तीन गुणा, 300 प्रतिशत वृद्धि की गयी है।

कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन को वर्ष 2003-04 के 87,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2007-08 में 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अल्पावधि ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराए गए हैं और कृषि क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी से 3.7 करोड़ किसानों को काफी राहत मिली है जो खराब समय और प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित रहे हैं। दुर्भाग्य से इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न वर्षों के दौरान कृषकों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और मेरे विचार में, इस पहल से उनमें फिर से विश्वास पैदा किया गया है और इन वर्षों के दौरान उन्हें जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उनसे बाहर आने का एक अवसर दिया गया है।

महोदय, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि डब्ल्यू टी ओ समझौते पर हस्ताक्षर करते समय किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाए। हमारी सरकार और अन्य सरकार के अधिकारियों के बीच लंबे समय तक चली चर्चा के दौरान और डब्ल्यू टी ओ के विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत में सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि डब्ल्यू टी ओ के सभी पहलुओं में कृषि को नुकसान नहीं पहुंचे।

कृषि क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत से वृद्धि हुई है। पहले जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि केवल 2.7 प्रतिशत ही बनी हुई थी अब बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई है। जहां तक तिहलन का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, सोयाबीन एक अच्छा तेल है और सोयाबीन तेल का उत्पादन 2004 में 60 लाख टन से बढ़कर 2008 में 99 टन हो गया है। लगभग सभी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2007-08 के दौरान 230.67 मिलियन टन अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ। जहां तक सप्रंग सरकार का संबंध है, कृषि प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना रहा। मेरे विचार में पिछले दो से तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं तथा विभिन्न परियोजनाओं के लिए कृषि क्षेत्र को अधिक आवंटन दिया है।

महोदय, इस सरकार द्वारा स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रमुखता दी गयी। ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता योजना को अभूतपूर्व सफलता मिली है।

सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को वर्ष 2004 में 27 प्रतिशत से बढ़ाकर जनवरी, 2009 के अन्त तक 60 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से देश के विभिन्न मार्गों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य देख-रेख की ओर बढ़ावा मिला है।

महोदय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबन्धन संस्थान इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्टता वाले संस्थान देश के विभिन्न भागों में खोले गए हैं। अभी हमने देखा कि मंत्री महोदय ने देश के विभिन्न भागों में कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसे उम्मीद है कि हम इसी सत्र में पारित करेंगे। यह सब कुछ हमारे शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। मेरे विचार से यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सुविधा उत्तरपूर्वी भाग में भी उपलब्ध हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं।

महोदय, सर्व शिक्षा अभियान से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मदद मिली है और बच्चों का नामांकन वर्ष 2004 में 15.6 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2008 में 18.5 करोड़ हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित मध्याह्न भोजन योजना से विद्यालय स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों पर रोक लगाने में बल मिला है और आज

[श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव]

हमारे विद्यालयों में 15 करोड़ बच्चे हैं। पूरे देश में लगभग 6000 मॉडल विद्यालय स्थापित किए गए हैं और इस सरकार ने बच्चों के अधिकारों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी स्थापित किया है ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

सप्रंग सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष निधि आबंटित की है जिसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कहा जाता है। इन निधियों का उपयोग जिला आयोजना को संस्थागत रूप देने में किया गया है।

गत चार से पांच वर्षों के दौरान समग्र विकास के साथ-साथ सेवाओं के प्रदान किए जाने में सुधार लाने के लिए पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम उत्तरोत्तर कार्यान्वित किए गए हैं। मेरे विचार से धीरे-धीरे वे इस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां हमारे देश के गांव अब इस स्थिति में हैं कि वे केन्द्र से प्राप्त विशेष निधि और विकेन्द्रीकरण के माध्यम से उन तक पहुंचने वाली अन्य सुविधाओं से किए जाने वाले कार्यों के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं।

शहरी क्षेत्रों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। 40,000 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजनाओं के साथ शहरी क्षेत्रों के नवीकरण हेतु नेहरू शहरी नवीकरण मिशन से शहरी क्षेत्रों विशेषकर देश के इन भागों में मलित बस्तियों और संकुलित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिला है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इन सभी मामलों में सामाजिक-आर्थिक विकास के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विशेष पहल की गई हैं।

जहां तक आवास का संबंध है, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 60 लाख मकान आबंटित किए गए हैं। केवल वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत ही 2.39 लाख मकान, आवास इकाइयां अल्पसंख्यकों को आबंटित की गई हैं। गत बजट के दौरान इन प्रत्येक आवास इकाइयों के लिए धनराशि में भी वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर इन आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं।

जहां तक औद्योगिकी विकास और वृद्धि का संबंध है, एसईजेड से 90,000 करोड़ रु. का वृद्धिशील निवेश सुगम बन पाया है। लेकिन संप्रग सरकार इस पहलू पर दृढ़ और स्पष्ट है कि एसईजेड की स्थापना केवल संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से ही की जाएगी और भूमि अधिग्रहण संबंधित लोगों और राज्य सरकारों की सहमति से ही किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और विस्थापित लोगों के पुनर्वास से संबंधित एक विशेष विधेयक तैयार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही यह अधिनियम बन जाएगा।

संप्रग सरकार के शासन के दौरान देश के विभिन्न भागों में निजी क्षेत्र से संबंधित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना संप्रग सरकार की एक और उपलब्धि है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण और हमारे देश और लोगों के ज्ञान के विकास और इसका आदान प्रदान न केवल अपने देश के अन्दर बल्कि विश्व के अन्य भागों में करने के लिए की गई है।

जहां तक इस्पात उद्योग का प्रश्न है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं या किए जाने वाले हैं। वर्ष 2015 तक भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक होगा।

वास्तव में हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ही थे जिन्होंने उन अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान हमारे उद्योग को विकास हेतु सक्षम बनाया जिससे आधारभूत संरचना के विकास में मदद मिली। वास्तव में यह पंडित नेहरू की दूरदर्शिता ही थी जिससे हमें यहां तक पहुंचने में मदद मिली। आज सरकारी क्षेत्र की अनेक इकाइयों को संप्रग सरकार द्वारा सुदृढ़ किया गया है और निश्चय ही आज वे पांच वर्ष से पूर्व की स्थिति की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं। इस आधारभूत संरचना के कारण ही हम पूरे विश्व में आई मंदी से निपटने में और आर्थिक संकट से उबरने में सक्षम हुए हैं।

सड़कों के विकास और निर्माण और संचार सुविधाओं पर विशेष महत्व दिया गया।

महोदय, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो एनडीए शासन के दौरान आरम्भ की गई थी, अब लगभग पूरा होने पर है। इसके अलावा भीतरी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में केन्द्रीय अनुदान भी प्रदान किया गया है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। मेरे विचार से उत्तर-पूर्वी में 1840 किलोमीटर सड़क के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है।

महोदय, ट्रांस अरुणाचल एक्सप्रेस वे का अनुमोदन किया गया हैं। सिक्किम के लिए वैकल्पिक राजमार्ग का भी प्रस्ताव है और कलादेन परियोजना संपूर्ण उत्तर-पूर्व में मिजोरम को समुद्र से जोड़ेगी। ये अत्यन्त महत्वपूर्ण आवगमन सम्पर्क हैं जो उत्तर-पूर्व के लिए आवश्यक हैं। मेरे विचार से हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोग न केवल मुख्यधारा में शामिल हों, बल्कि उनको वे सुविधाएं भी मिलें जो देश के अन्य भागों के लोगों को मिल रही है।

महोदय, भारतीय रेलवे ने दक्षता और सेवा स्तर में सुधार के

साथ-साथ लाभ भी अर्जित किया है। मैं रेलवे के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि रेलवे पर अलग से चर्चा होगी लेकिन मैं फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसकी स्थापना की गई है।

एक फ्रेट कारीडोर का निर्माण मुंबई और दादरी के बीच तथा दूसरे का कोलकाता और लुधियाना के बीच 2700 किमी. क्षेत्र पर 2,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे औद्योगिक उत्पादन में काफी सुधार होगा और इन रूटों पर मालभाड़ा हेतु मालभाड़ा संचार सुविधाएं प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी।

महोदय, आज दूरसंचार परियोजनाएं नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी हैं। यह सब स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा तब आरंभ किया गया था जब वह भारत के प्रधानमंत्री थे। यह 'सी-डाट' के साथ उस समय आरंभ किया गया, जब कई लोगों को यह संशय था कि सी-डाट और दूरसंचार का क्या होगा। आज मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारे देश में लगभग सभी क्षेत्रों तक संपर्क सुविधाएं हैं। आज हमारे पास 53 लाख ब्राडबैंड कनेक्शन हैं और देश के लगभग प्रत्येक भाग में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

महोदय, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले चार वर्षों में हमने परमाणु मुद्दे पर बहुत चर्चा की है और वाद-विवाद किया है। इस मुद्दे पर सभा में कई बार वाद-विवाद हो चुका है और कई प्रकार की राय व्यक्त की गई हैं। भारत विशेष सुरक्षा करार, आई ए ई ए का निर्णय, जो बाद में लिया गया था और एन एस जी के निर्णय के परिणामस्वरूप वास्तव में वह परमाणु पृथकता समाप्त हुई जिसके कारण हम 30 वर्षों से अलग-थलग थे। पोखरण-I जो स्वर्गीया इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था के पश्चात हम किसी भी प्रकार के परमाणु विश्व से बिल्कुल अलग थे और इससे इस क्षेत्र में शोध और विकास कार्य बाधित हुआ। महोदय, मुझे लगता है कि आज हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम परमाणु पृथकता से बाहर हैं और हम अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

महोदय, हमारी सरकार संयुक्त राज्य के नए प्रशासन के साथ मिलकर परस्पर लाभों और दोनों देशों के समक्ष आ रही प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के लिए कार्य करने का प्रयास कर रही है और प्रयास करेगी।

इस नए युग से हमें यूएसएसआर के साथ रणनीतिगत साझेदारी का निर्माण करने में भी सहायता मिली है। सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध स्व. पंडित जी के कार्यकाल के दौरान बने थे। लंबे समय से चले आ रहे स्थायी और कसौटी पर परखे हुए संबंध इस परमाणु पृथकता अथवा अलगाव जो कि कुछ देशों द्वारा हम पर थोपा गया था, के कारण बाधित हुए। इसे समाप्त किए जाने पर हमें यूएसएसआर के साथ अपने रणनीतिगत संबंधों को नया रूप देने और सुदृढ़ बनाने का अवसर मिला है ताकि इसका अन्य देशों तक भी विस्तार किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : अब यूएसएसआर नहीं है।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : माफ कीजिए महोदय, आप सही कह रहे हैं। मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं और पुराने जमाने का हूं। आप सही कह रहे हैं मेरे कहने का तात्पर्य है रूस।

मुझे लगता है कि अब हम फ्रांस और अन्य देशों जो भारत के साथ संबंध रखने के उत्सुक हैं, के साथ भी ऐसे करार कर सकते हैं।

महोदय, यहां तक इस पहलू का संबंध है, एक नए अध्याय की शुरूआत हुई है। संप्रग सरकार के शासन के दौरान और पहली बार भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन हुआ है। अफ्रीकी महाद्वीप के साथ नए संबंध स्थापित करने और लेटिन अमेरिकी तथा कैरिबीयाई देशों के साथ हमारे संबंधों में छिपी अपार संभावनाओं का पता लगाने के लिए कुछ नई रणनीतियां बनाई गई हैं। भविष्य में हमें इन देशों के साथ कार्य करना होगा। इन देशों के साथ भारी संभावनाएं हैं, अनेक समानताएं और सांस्कृतिक संबंध हैं। मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमारी संप्रग सरकार को जाता है जिसने इस ओर ध्यान दिया कि ये संबंध बनें।

महोदय, आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। सिमटते हुए विश्व में हम भी इससे अछूते नहीं रह सकते। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि पिछले चार वर्षों में हमने निरंतर आर्थिक विकास-नौ प्रतिशत की जीडीपी विकास दर दर्ज की है और आर्थिक मंदी के बावजूद हम सात प्रतिशत की विकास दर को बनाए रखे हुए हैं। मुद्रास्फीति दर कम हो गई है। मुझे लगता है कि आज हमने इंदिरा गांधीजी के बुद्धि और विवेक को महसूस कर लिया है जिससे उन्होंने 1969-70 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 60 के दशक के अंतिम वर्षों और 70 के दशक प्रारंभिक वर्षों में केवल उन्हीं के प्रयासों से ही भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों का विश्व के कई अन्य वैश्विक बैंकों जैसा हश्र नहीं हुआ। मुझे इस संबंध में और अधिक विस्तारपूर्वक चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है और मुझे खुशी है कि संप्रग सरकार ने भी इन बैंकों को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम आदमी प्रभावित न हो और तंत्र में आगे कोई चूक न हो।

महोदय, हमारी सरकार द्वारा सुनियोजित और विवेकपूर्ण आर्थिक सुधार किए गए हैं जिन्होंने हमारी इन घोर प्रतिकूल स्थितियों से पार पाने में सहायता की है। मुझे विश्वास है आज हम माकूल तरीके

[श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव]

से इनका सामना करने को तैयार हैं। चूंकि अन्य संबंधित पहलुओं पर बजट चर्चा के दौरान चर्चा की जाएगी इसलिए मैं उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा करके सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

महोदय, चंद्रयान भेजने का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को है। मुझे गर्व है कि संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचा। अब हमारे लिए पर्यावरण को मॉनीटर करना और प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करना और अधिक आसान हो जाएगा तथा हमें इस संबंध में अन्य देशों अथवा अन्य स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

महोदय, जहां तक विद्युत का संबंध है मैं विशेष रूप से पर्यावरण-अनुकूल मेगापावर परियोजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा जो मुख्यत: तीन राज्यों — मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है जिनसे कि 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा।

महोदय मैं आंध्र प्रदेश में कृष्णानामपेट परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए हमारी सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। यह एक पर्यावरण-अनुकूल परियोजना है और इससे हमारे राष्ट्र के लिए उक्त के समान 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से हमारी घरेलू राजनीति में काफी उथल-पुथल हो रही है। हमारे समक्ष आतंकवाद सबसे बड़ी-चुनौती है। आतंकवादी किसी जाति अथवा क्षेत्र अथवा धर्म से संबंध नहीं रखते। एक आतंकवादी तो बस आतंकवादी है चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुस्लिम अथवा ईसाई हो। आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंच रहा है। मेरे अनुसार यह एक राष्ट्रीय समस्या है और हमें मिलजुलकर इसका समाधान करना होगा। मैंने देखा है कि सभा मुंबई बमकांड के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा के दौरान किस प्रकार से पूरी तरह से एकजुट थी।

किन्तु जहां तक आतंकवाद का संबंध है, मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, विपक्ष के माननीय नेता यहां बैठे हुए हैं। जब हमने इस मुद्दे पर चर्चा की, विपक्ष के माननीय नेता ने बड़े जोरदार तरीके से कहा — आप जानते हैं, यह तब हुआ जब कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे थे — कि कांग्रेस को दिल्ली में अथवा यूपीए को दिल्ली में जो मत प्राप्त हुआ उससे यह नहीं माना जाए कि यह आतंकवाद के पक्ष में मत पड़े हैं। मैं नहीं मानता कि किसी ने भी यह दावा किया था कि जो मत हमें प्राप्त हुआ वह आतंकवाद के लिए मिला है। ऐसा निश्चित तौर पर नहीं है। यह हमारा दावा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, केवल बीमार और कुंठित मानसिकता वाले लोग ही ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जो मत प्राप्त हुए वे आतंकवाद के लिए थे। ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर यह सदन एकमत है। हम लोग आतंकवाद के मुद्दे के विरुद्ध हैं।

महोदय, लेकिन हमें जनता के शासनादेश से दो संदेश प्राप्त हुए हैं। एक, यह कि लोगों ने आपके शासन के आधार पर, आप उन्हें जो कुछ दे पाए हैं, उसी के आधार पर मत दिए गए हैं और दूसरा यह कि मैं मानता हूं कि लोगों ने स्पष्ट संदेश, स्पष्ट बहुमत और संतुलित संदेश दिया कि मारे गए लोगों की लाश पर मत हासिल नहीं किया जा सकता है। मत प्राप्ति के लिए आतंकवादी अथवा आंतकवाद मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है और मैं मानता हूं कि हम सभी को यह याद रखना चाहिए क्योंकि मैं किसी भी सदस्य की देशभक्ति पर संदेह नहीं करता हूं। किन्तु यह वह समय था जब राष्ट्र को खंडित नहीं होना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह प्रतीत हुआ कि कुछ ऐसे पहलु थे जो देश को दो हिस्से में बांट रहे थे। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं मानता कि ऐसा जानबूझकर किया गया। मैं कामना करता हूं कि ऐसा न हो। किन्तु इसकी पुनरावृत्ति कभी न हो और मुझे विश्वास है कि इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी।

महोदय, सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लेकर आयी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंतकी कार्रवाइयों में शामिल लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हो। उसके पश्चात् हमारी सरकार के लगातार प्रयास के कारण ही कूटनीतिक उपाय शुरू हुए और जांच एजेंसियां बनी जिससे हम दोषी को पकड़ सके और आज हम उस स्थिति में है जहां पाकिस्तान के लिए इससे इंकार करना बड़ा मुश्किल है कि उनके लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया गया है अथवा यहां हुए आतंकवादी कार्रवाईयों में उनके लोग शामिल नहीं है।

यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे कई अन्य देश भी चिन्तित हैं। आज मैं सोचता हूं कि संपूर्ण विश्व के लोग, अलग-अलग राष्ट्रों के लोग, राष्ट्रमंडल के लोग इसे स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद ऐसा मुद्दा है जिसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है। यह कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। यह किसी प्रकार का भावनात्मक मुद्दा नहीं है। मैं इस सम्मानीय सभा और यहां उपस्थित सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि आतंकवाद को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखे जिससे हमें एक होकर निपटना है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर में चुनाव ने इस लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारे लोगों के विश्वास को प्रदर्शित किया है। यह प्रासंगिक नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आई अथवा कौन सी पार्टी सत्ता में नहीं भाई है। मैं इस तथ्य पर प्रसन्न नहीं हो रहा हूं कि हम

वहां सत्ताधारी दल का एक हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्य यह है कि कश्मीर में 60 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। मैं मानता हूं कि यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का समर्थन है।

महोदय, मैं मानता हूं कि दिल्ली मात्र राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं है दिल्ली में देश के विभिन्न हिस्सों के लोग हैं जो भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे देश को आज़ादी मिले अब 60 वर्ष बीत चुके हैं, यहां देश की उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं से लोग एकत्रित होते हैं। यह सर्वदेशीय शहर है। दिल्ली का शासनादेश देश के लिए शासनादेश जैसा ही है।...*(व्यवधान)* दोस्तों मेरी बातें श्री तोपदार को पसंद नहीं आ रही है। उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है। किन्तु दिल्ली में हमें जो शासनादेश मिला है वह भारत के लोगों द्वारा दिया गया शासनादेश था। यह हमारी शासन के प्रति समर्थन मात्र नहीं था, बल्कि यह आतंकवाद, हिंसा घृणास्पद प्रतिशोध की राजनीति का बहिष्कार भी था। यह एक पंथनिरपेक्ष शासनादेश था जो हमें मिला। हमें विश्वास है कि यूपीए सरकार ने कोशिश की है और आगे भी अपना प्रयास जारी रखेगी। आशा करता हूं कि हम यह देखने के लिए पुनः आएंगे कि इन प्रयासों को जारी रखा जाए जो प्रयास हमने गत चार वर्षों से जारी रखा है।

महोदय, यूपीए शासन का अंतिम वर्ष परीक्षा का वर्ष रहा। राष्ट्रपति जी ने जो कुछ कहा मैं इसे उद्धृत करता हूं।

"एक ऐसा वर्ष जिसने सामुदायिक सद्भावना, सहनशीलता, सहृदयता, न्याय और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के हमारे शाश्वत सिद्धांतों की अग्निपरीक्षा ली।"

अतः, इन सभी पहलुओं के लिए खतरा था और हम लोगों ने इन्हें पराभूत किया। अध्यक्ष महोदय, हम किसी भी परिस्थिति को पराभूत कर सकते हैं। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसाकि हम लोगों को 2009 में पुनः लोगों के पास मतदान के लिए जाना है, मैं सदन के समक्ष आदरपूर्वक कहना चाहूंगा कि हम कुछ आश्वासनों के साथ उनके पास नहीं जा रहे हैं वरन् हम लोगों के बीच इन पांच वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को लेकर जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण दिया है और मेरे कलीग श्री किशोरचंद देव ने जो मोशन ऑफ थैंक्स इनिशिएट किया है, मैं उसका सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमें यह स्पीच दी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार पांच साल पूरे कर रही है। जब से हम सत्ता में आए, तब से हमारे सामने वाले दोस्त बोल रहे थे कि एक साल चलेगी, दो साल चलेगी, ज्यादा से ज्यादा तीन साल चलेगी। एक परिस्थिति तो ऐसी हुई जिसमें शायद हमारे साथियों को ऐसा लगा कि जैसे यह सरकार कल ही जा रही है और उन्होंने अपने कैंडीडेट्स के नाम भी एडवांस में डिक्लेयर कर दिए कि इलेक्शन आ रहा है। लेकिन यह सरकार चली, पूरे पांच साल चली, यूपीए की चेयरपर्सन की लीडरशिप में, मनमोहन सिंह जी की लीडेरशिप में और इसके लिए मैं पूरे यूपीए को धन्यवाद देता हूं। थोड़ी देर तक हमारे साथ रहने वाले हमारे लेफ्ट के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थोड़ी-बहुत देर तक हमारा साथ दिया, लेकिन बाद में वे उसमें से निकाल गए। पूरे पांच साल के अंदर यूपीए सरकार ने जो कार्यक्रम रखे, उसको अगर मैं सम-अप करूं और अगर अपनी पूरी स्ट्रैट्जी के हिसाब से देखें।

मुझे गांधी के कहे वह शब्द याद आ रहे हैं, जो उन्होंने 13-7-1945 को कहे थे। मैं उसे कोट करना चाहता हूं:—

"अगर देहात में हिन्दुस्तान है तो एक देहात सम्पूर्ण बने, तो हम जान सकते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए।"

यूपीए सरकार के जो सारे कार्यक्रम रहे और पिछले पांच सालों के अंदर जो चुनौतियां हमारे सामने आई, मैं उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिसकी फारवर्ड हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी हैं, के एक कथन को यहां कोट करना चाहूंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनौतियों के बारे में कहा था:—

[अनुवाद]

"हमारे समक्ष चुनौतियां खड़ी हैं हमें पहाड़ों पर नहीं चढ़ना है अथवा समुद्रों को नहीं लांघना है। हमारे गांवों में गरीबी है और प्रत्येक घर में जातिप्रथा है। इन्हीं समस्याओं से हमें जूझना है, इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढना है।"

[हिन्दी]

पूरे विजन को देखते हुए, अगर हम गांव का सीनेरियो देखें तो उसके अंदर किसान हमारे सामने आता है। मुझे जहां तक याद है, इस सरकार

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी मूल्य दिया है। मैं विपक्ष के नेता को याद दिलाना चाहता हूं कि जब इसी सदन में किसानों के कर्ज माफ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि किसानों के कर्ज माफ करने में बैंक आदि संस्थाओं को तकलीफ होगी। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि किसानों को उनकी उपज का सबसे ज्यादा लाभकारी मूल्य इस सरकार ने ही दिया है। मैं कल उनका भाषण पढ़ रहा था, तब मुझे इसका पता चला और इसीलिए मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं। जब आपकी सरकार थी तब गेहूं के लाभकारी मूल्य 630 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि आज हमारी सरकार के समय उसकी कीमत 1080 रुपए प्रति क्विंटल है। इस साल पूरे देश में किसानों ने कपास की काफी उपज की है। इसलिए इसकी कीमत गिरने की स्थिति आ गई थी। कपास की जो कीमत 400-500 रुपए के बीच थी, इतनी उपज होने के बाद भी हमारे टैक्सटाइल मिनिस्टर और कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 550 रुपए से लेकर 570 रुपए के बीच में कपास किसानों से खरीदी। इससे किसानों को ज्यादा पैसा मिला। हमारी सरकार की नीति किसानों के घर में ज्यादा पैसा जाए रही है। उसके लिए प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट कम हो, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

आप आज फर्टिलाइजर में देखें, डीपीए के एक थैले की कीमत पर हमारी सरकार 2800 रुपए से लेकर 2900 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इस तरह कुल 1,24,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी होती है, जो कि कम नहीं है। यूरिया के एक थैले पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मैंने फर्टिलाइजर मिनिस्टर राम विलास पासवान जी से कहा कि आप इसके हर बैग पर यह छापें की डीपीए की कीमत 3300 रुपए प्रति बैग है, इनमें से 2800-2900 रुपए माइनस किए जाते हैं, जो कि सब्सिडी के रूप में हैं और किसानों को बाद में वही बैग 490-500 रुपए में मिलता है। लेकिन इतनी सब्सिडी देने के बावजूद भी हमारे गुजरात की सरकार उस पर वैट लगाकर किसानों से टैक्स वसूल करती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में 2,80,000 करोड़ रुपए की योजना बनाकर किसानों को उंसके पैरों पर खड़ा करने की स्ट्रेटजी एडाप्ट की गई। गांवों में किसानों की जो दयनीय हालत थी, उन्हें उससे उबारने के लिए 65,000 करोड़ रुपए लोन वेव के रूप में दिए गए। कल के बजट भाषण में फिर उनके लिए राहत की घोषणा की गई है। मुझे खुशी है कि किसान अपने पैरों पर खड़ा होकर यूपीए के शासन में अपनी स्थिति सुधार रहे हैं।

इसी तरह से फार्म मजदूर, जो खेतों में काम करते हैं, मेरे साथी ने अभी उनके बारे में बताया कि उन्हें वर्ष में कम से कम 100 दिन काम देने के लिए हमने एक स्कीम शुरू की है। इतना ही नहीं, उन्हें अच्छी तरह से पैसा मिले, पैसे की लीकेज न हो, इसके लिए उनके एकाउंट पोस्ट ऑफिसेज़ और बैंकों में खोले गए। एक वक्त पूरे देश में यह परिस्थिति पैदा हो रही थी कि देश में जो एबल-हैंडेड लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, उन्हें सरकार काम नहीं दे सकती, ऐसी स्थिति आ गई थी, लेकिन इस सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाया, पैसा इकट्ठा किया और नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम को कानून बनाकर शुरू में देश के कुछ जिलों और बाद में सभी जिलों में लागू किया। इस काम के लिए पहले 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और इस साल 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात कही गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यूपीए सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनके लिए भी एक कानून बनाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। मैं गांव की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि गांवों में रहने वाले किसानों के लिए इस सरकार ने क्या किया जिसकी वजह से आज पूरा देश इकट्ठा होकर इस सरकार की सराहना कर रहा है।

सर, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलेप हुआ है। पहली बार विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर भारत निर्माण के कार्यक्रम में गया है। मुझे फख्र है कि आज से 6 या 7 साल पहले जब मैं इस हाउस के अंदर आया मेरे खुद के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोकि बहुत ही रिमोट एरिया है, जहां टेलीफोन बहुत मुश्किल से लगता था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 95 प्रतिशत से ज्यादा बीएसएनएल की कवरेज है। एक गांव के अंदर जब मुझे दिल्ली से फोन आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस गांव में फोन की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, उस गांव से मैं दिल्ली से बात कर सकता हूं और देश के किसी भी इलाके से बात कर सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मधुसूदन जी, आप मध्याह्न भोजन के बाद अपनी बात जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 1.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.50 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 1.50 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब सभा स्थगित हुई थी, श्री मधुसूदन मिस्त्री अपनी बात कह रहे थे। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : महोदय, मैं इस सीट से ही बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं यह बता रहा था कि यूपीए सरकार के पांच साल के जो प्रोग्राम रहे हैं, वे बिल्कुल गांवों के विकास को टारगेट करते हुए हैं और जैसा कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर जो हिन्दुस्तान देहात में बसता है तो एक देहात ऐसा बना दो जिसके अंदर एक मॉडल हो और उसमें कैसा किया जाए और कैसे किये जाए, ये सब उसी के अंदर शामिल हो। मैंने अभी तक जो बताया कि गांवों के अंदर अगर एक किसान रहता है और उसको अगर एक रिम्युनीरेटिव प्राइस दी गई है, फर्टिलाइजर्स के अंदर सबसिडी दी गई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो व्यवस्था दी गई है और लोन वेवर स्कीम तो सबसे बड़ी चलाई गई है। मैं अपने दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं और वैसे तो लोन वेवर को ये लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे और सीसीआई की प्राइस जब 570 रुपया थी तो मैंने गुजरात की सरकार को कहा था कि 570 रुपये का आंकड़ा अच्छा नहीं है। 570 रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है तो 30 रुपया अपनी जेब से भी दो तो पता लगे कि किसानों के बारे में आपको चिंता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी तरह फॉर्म वर्कर्स की स्कीम लाने के लिए मिनिमम वेज निर्धारित करना और अनआरगेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर स्कीम चलाना और इसी तरह से गांवों को और आगे ले जाने के लिए, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम चला, उसके अंदर गांवों में सबसे पहले जो टेलीफोन की सुविधा चली, उसके इतने सारे यूज हुए कि अगर पटवारी नहीं आता है तो तुरंत ही आप टेलीफोन से आगे कह सकते हैं और गांवों के अंदर स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंचता है तो टेलीफोन से आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह सकते हैं और इसी तरह से गांवों में अगर फेयर प्राइस शॉप में अनाज नहीं आता है तो भी आप फोन से आगे कह सकते हैं। चूंकि कम्युनिकेशन की इतनी बड़ी सुविधा जो पहले नहीं थी और इस सरकार ने गांवों में बीएसएनएल इत्यादि सेवा प्रदान करने का प्रयत्न किया है। रोड लिंकिंग बारहमास जो है, हालांकि इसमें कितनी समस्या है और ट्राईबल एरिया के अंदर जहां रोड जाती है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की वजह से कितनी जगह पर परमिशन नहीं दी गई है और इसकी वजह से बारहमास को जो रोड से लिंक करना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। इसी तरह से हाउसिंग की जो सुविधा है, ड्रिंकिंग वॉटर फैसिलिटीज है, यह सब देने का काम भारत निर्माण कार्यक्रम के अंदर हुआ। मुझे यह जानकर हैरानी थी और मैं अपने राज्य की बात करूंगा कि इतने सालों में वहां जो शासन है, 400 मेगावॉट इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई जबकि हमारी डिमांड 11400 मेगावॉट की है और हम करीब 7800 मेगावॉट बिजली प्रोड्यूस करते हैं और बाकी की बिजली हम खरीदते हैं। करीब 9000 करोड़ रुपये की बिजली हर साल खरीदी जाती है। ऐसी परिस्थिति हमारे यहां है और फिर भी मुझे इस बात की हैरानी है कि अटॉमिक एनर्जी एग्रीमेंट का क्यों विरोध किया जाता है? मैं यह समझ नहीं सका। एक ओर हम बिजली दे नहीं सकते और दूसरी ओर बिजली देने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसके बारे में मेन अपोजीशन की ओर से विरोध किया जाता है।

सर, गांवों में जो महिलाएं रहती हैं, उनके लिए विडो पेंशन स्कीम है, गांवों और शहरों में जहां महिलाओं पर जुल्म होते हैं जिसे डॉमैस्टिक वॉयलेंस कहा जाता है, उसका कानून भी यह सरकार लेकर आई। पंचायत को और भी ज्यादा पॉवर्स दी गईं। महिलाओं को ज्यादा शक्ति दी गई और इसी तरह से स्कूलों में एजुकेशन के संबंध में स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई, कई योजनाएं चलाई गईं, मिड-डे-मील की योजना चलाई गई और उसमें ज्यादा राशि बढ़ाई गई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले मार्च में फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेअर किया कि आंगनवाड़ी की टीचर को 500 रुपया हर महीने और जो हैल्पर हैं, उनको 250 रुपया हर महीने देंगे। यह पैसा मुहैया कराया गया। मेरे क्षेत्र में तो किया गया है। 17 करोड़ 50 लाख रुपये के करीब यह रुपया है और यह वहां दिसम्बर में हुआ। लेकिन आज के दिन तक हमारी राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी की टीचर्स और हैल्पर्स को जो एरियर दिया जाना चाहिए, वह नहीं दिया है। यह पैसा कॉमन एकाउंट में जाता है और उस पैसे से सब जगह खर्चा होता है, जब मैंने सैक्रेट्री से बातचीत की तब कहा गया जब पैसे आएंगे तब पैसा देंगे। अब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जबकि उनका अधिकार है और

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

सैंटर गवर्नमेंट ने पैसा दिया हुआ है। यह बहुत हैरानी की बात है कि उनको पैसा क्यों नहीं दिया जाता है?

इस देश में आठ परसेंट पापुलेशन ट्राइबल है। वहां ट्राइबल और ट्रेडीशनल फॉरेस्ट डवैलर्स सालों से रह रहे हैं, 1951-52 में काका कालेलकर कमीशन आया था तब इसी कम्युनिटी ने ट्राइबल होने के बावजूद ऐसा लिखाया था कि हम ट्राइबल नहीं, इस वजह से ट्रेडीशनल फॉरेस्ट डवैलर्स बने। जब सरकार ने कानून पास किया था तब ऐसा लिखा गया था – हमने आज पूरी कम्युनिटी के साथ हिस्टॉरिकल इनजस्टिस किया है और इस हिस्टॉरिकल इनजस्टिस को जस्टिस में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इस कारण पूरे देश में जो लोग 2005 से जंगल की जमीन जोत रहे हैं, उन जमीनों का जब तक विवाद सैटल न हो, उन्हें उन जमीनों से न हटाया जाए। उनको पट्टे दिए जाएं। पट्टे नहीं दिए जाने पर उनको कल्टीवेट करने के राइट्स के सर्टिफिकेट दिए जाएं इसलिए पूरे गांव को कम्युनिटी राइट, जिसमें महुआ, तेंदु पत्ता, लाख, गुंदर, चिरौंजी, साल सीड को इकट्ठा करने के बाद ले जाने और बेचने का अधिकार दिया गया है। फॉरेस्ट ऑफिस न हो इसके लिए इस कानून में सावधानी बरती गई। लेकिन इसमें मुझे बहुत खेद है कि राज्य सरकारों द्वारा इस कानून का जिस तरह से इम्पलीमेंट होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

मैं आज यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सिस्टम में सैंटर में जितने भी मैक्सिमम स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनके अंतर्गत पैसा देना होता है, अगर वे चाहें तो उनकी मदद करनी होती है। *[अनुवाद]* अंततोगत्वा, राज्य सरकार को ही इन सभी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना होता है। राज्य सरकारें इन विभिन्न अधिनियमों का कार्यान्वियन करने में पीछे हैं, चाहे वह एनआरईजीवाई हो, घरेलू हिंसा अधिनियम हो या पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक हो। *[हिन्दी]* मैं कहना चाहता हूं कि अब तक जितने प्रो पुअर कानून बने हैं, भारत निर्माण कार्यक्रम में गांव को एक सैंटर में रखते हुए ये सब कानून लाए गए थे ताकि गांव में जो लोग बैठे हैं, वे इससे पैरों के ऊपर चलें। इसके तहत इरीगेशन फैसिलिटी देने की बात हुई, उनके लिए पूरा पैसा मुहैया कराने की बात हुई ताकि उनको काम मिले, पैसा मिले, उनके घर में पैसा जाए। इस परिस्थिति का निर्माण यूपीए सरकार ने किया। गांधी जी का विज़न था – मेरे साथ जो कोई भी हो, हर गांव में एक छोटी सी तकली लेकर सूत कातो और पैसा लो। उस जमाने में गांव में एक घर में एक रुपए की आय होती थी। उन्होंने ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने को कहा था और हम आज उसी को दूसरे स्वरूप में देखते हैं। आज हम इसे खास तौर से एम्प्लाएमेंट गारंटी प्रोग्राम में देखते हैं कि गांव में हर घर में पैसा जाना चाहिए अगर पैसा नहीं जाता है तो गरीबी की बहुत बड़ी समस्या होती है और इस समस्या का हल नहीं निकल सकता है। मॉडर्न स्टेट को गांधी जी के सिद्धांत, हिंद स्वराज के मुताबिक बनाने का प्रयत्न किया गया है।

महोदय, यूपीए सरकार ने नेशनल रूरल और हैल्थ मिशन के तहत आशा प्रोग्राम के अंतर्गत गांव में इन्सेन्टिव देते हुए हैल्थ सर्विस देने का काम भी किया है। ओवरऑल पिक्चर इमर्ज होता है कि गांव और शहरों में कच्ची बस्तियों को एम्पावर किया जाए, उन्हें स्ट्रेटजी स्ट्रैंथन किया जाए ताकि उनके घर में इनकम हो। यह सैंटर गवर्नमेंट ने अपनाई है। मुझे पढ़ते हुए हैरानी हुई कि नागपुर सैशन में जनरल सैक्रेट्री ने एक बार नेहरू के विज़न के बारे में स्टेटमेंट दिया था नेहरू का विज़न सही था – ऐसा मेरे राइट में बैठे हुए लेफ्ट दोस्त कह रहे हैं जबकि सामने वाले गांधी जी और हिंद स्वराज में अपने आपको देख रहे हैं। गांधी जी के सिद्धांतों में सत्य और अहिंसा थी लेकिन इसमें कम्युनल वोएलेंस के बाद कम्युनल एकता, हिन्दू मुसलमानों की एकता, माइनोरिटी और मेजोरिटी की एकता को छोड़ दिया जाए।

अपराह्न 2.00 बजे

लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इतने सालों के बाद मेजर पोलिटीकल अपोजीशन पार्टी अगर हिंद स्वराज की बात करती है तो *[अनुवाद]* क्या उनकी अपनी विचारधारा के साथ कुछ गड़बड़ है? क्या वे इसे छोड़ने जा रहे हैं? क्या वे महात्मा गांधी की विचारधारा में लौटना चाहते हैं? वे इस बात को जानते हैं कि वे उस विचारधारा का पालन कर रहे हैं जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। *[हिन्दी]* हिन्दू-मुसलमान की एकता के बारे में जिनके बहुत स्ट्रांग विचार थे, ऐसी उनकी विचारधारा थी और उस विचारधारा ने उनकी जान ली। उसे फॉलो करते हुए हम उनसे कहना चाहते हैं कि...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, हाई कोर्ट का निर्णय आ गया...*(व्यवधान)* गांधी जी...*(व्यवधान)* *के सिद्धांतों की हत्या करने वाले ये खुद हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा और यदि मुझे कुछ भी आपत्तिजनक लगा तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सारी दुनिया जानती है, सारा हिन्दुस्तान जानता है कि हत्या किसने की है।

उपाध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मैंने उनको नहीं कहा। मैं उन्हें यह कह रहा हूं कि जिस विचार...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि उस विचारधारा ने उन्हें मारा है। इन्होंने मारा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। पता नहीं, ये क्यों अपने आप ही एजिटेट होकर खड़े हो जाते हैं, यह सहन नहीं कर सकते हैं। वही आज हिन्द स्वराज के अपने आपमें सोलेस और शैल्टर ढूंढ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम अगर गांधी के सिद्धांत और हिन्द स्वराज को वे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके साथ में कौमी एकता की चीज भी आप ले लीजिए। इस देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और वह चैलेंज आतंकवाद का चैलेंज है और जब आतंकवाद की बात आती है तो मुझे... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मधुसूदन मिस्त्री : सर, मैं यह रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि गांधी जी ने इस देश के अंदर जो लोग गांधी जी के स्वतंत्रता मूवमैन्ट से जुड़े थे, उन्हें कहा कि आप खादी पहनो और खादी इसलिए पहनो कि खादी पहनने वाले के लिए उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स और नियम लागू कर दिये। जो खादी पहनेगा, वह शराब नहीं पीयेगा, जो खादी पहनेगा, वह सत्य बोलेगा, जो खादी पहनेगा, वह अहिंसा की बात करेगा, जो खादी पहनेगा, वह कम्युनल वायलेंस नहीं करेगा, वह कौमी एकता की बात करेगा।...*(व्यवधान)* हम तो पहनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम क्या करते हैं। लेकिन जो नहीं पहनते हैं, वे क्या करते हैं, यह पता नहीं चलता है। उन्हें पता नहीं है, आप खादी पहनकर देखो...*(व्यवधान)* आप खादी पहनकर देखो तो पता चले कि लोग किस तरह से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी को व्यक्तिगत रूप से सम्बोधित न करें। आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को ही संबोधित कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वे उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के कितने पहलू हैं, उन्हें इस देश के एक-एक आदमी के सामने इस देश के राष्ट्रपिता ने रखा कि इस आइडियोलोजी के ऊपर चलने वाले ये-ये आदमी हैं और उस आइडियोलोजी के मुताबिक आज हमारा इम्तिहान रोज हजारों आकर करते हैं और उसमें से पास होना पड़ता है। जो लोग नहीं पहनते हैं, उनका क्या है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जो हिन्दू और मुसलमान की एकता की बात इन्होंने कही थी, यदि आप हिन्द स्वराज की बात कर रहे हो तो उसे आप क्यों छोड़ रहे हो। गांवों के अंदर सभी रहते हैं। इस देश के एक-एक आदमी को नतमस्तक खड़ा करके जो इस देश को आगे ले जा सके। गरीब आदमी तक स्वराज पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय : थैंक यू, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मैं अभी आ रहा हूं। मैंने अभी तो शुरू किया है, अभी मेरा बोलना बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी पार्टियों के बोलने वाले बहुत लोग हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, आतंकवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मालेगांव का जो आतंकवाद हुआ, उसे छिपाने की कोशिश क्यों की गई। उसके अंदर जो लोग इनवैस्टिगेशन कर रहे थे, उन इनवैस्टिगेशन करने वाले अधिकारियों के बारे में ऐसा कहा गया कि अगर हम सत्ता में आयेंगे तो इन्हें जेल भेजेंगे और जब वे मुम्बई की आतंकवादी घटना में मारे गये तो मार्टायर हो गये। हमारे एक चीफ मिनिस्टर एक करोड़ रुपये का चैक लेकर घूम रहे थे, जब वहां गोलियां चल रही थीं। वह अपने आपको पूरे देश के अंदर प्रोजैक्ट

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

कर रहे थे कि मैं आगे जाने वाला हूं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूं। वैसे भी हमारे सामने वाली पार्टी के अंदर बहुत लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आतुर हैं।

खुद अपने आप पर अहमदाबाद के अंदर जिन लोगों ने आतंकवादी हमले किए उनको अरेस्ट किया गया। मालेगांव पर भी हमला हुआ और मेरी खुद की कांस्टीच्युएंसी के अंदर नौ आदमी घायल हुए और एक मुसलमान मारा गया। वे दस के दस मुसलमान थे। उस हमले के आतंकवादियों और उस आदमी को आज तक अरेस्ट नहीं किया। अहमदाबाद के आतंकवादियों को पैसा दिया गया, मुआवजा दिया गया और मोड़ासा के आतंकवादियों को पांच लाख रुपये डिक्लेयर करने के बाद आज चार महीने के बाद भी एक पैसा क्यों नहीं दिया गया है?

महोदय, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं और ये वही लोग हैं जो एक बार सेक्युलरिज्म की बातचीत करते थे और यह कहा करते थे कि हम सेक्युलरिज्म के अंदर रहते हैं। महोदय, इन्हीं को कोट करूंगा। महोदय, श्री आडवाणी जी ने ही कोट किया था, यह यूपीए सरकार का है। एनडीए सरकार के पांच वर्ष पर उन्होंने कहा था। महोदय, यह आडवाणी जी का है:—

[अनुवाद]

"हमने शांतिपूर्ण, सद्भावपूर्ण, समावेशी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के आदर्श का दृढ़ता से पालन किया है जो विविधता के बावजूद हर कीमत पर अपनी एकता को बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। यह इस सहस्राब्दि के लिए भारत की राष्ट्रीय नीति रही है और यह हमेशा नीति बनी रहेगी।"

[हिन्दी]

महोदय, फिर राम जन्म भूमि की बात कहां से आ गयी, मंदिर बनाने की बात कहां से आ गयी, उसको नेशनल एजेंडा के अंदर कहां से एडॉप्ट कर लिया। हमारे डिवीजिव फोर्सेज के सामने उसको क्यों लाया जा रहा है? मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपने विचार सारणी के ऊपर हैं तो लोगों के सामने इसे क्लियर कीजिए। अब इलेक्शन आ रहा है।

प्रो. रासा सिंह रावत : गांधी जी भी तो राम जी का नाम लेते थे। वे तो राम हैं ऐसी क्या बात है?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : हमने कब मना किया है, आप भी राम जी का नाम लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी जो मेरी अनुमति के बगैर बोलता है, उसके वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं उनको जितना बोलना है वे बोल सकते हैं जब उनका चांस आयेगा तब वह खुद बोलें। यह मेरी बात है और मैं कह रहा हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं तो मैं यह कहता हूं कि आप मुखौटा की बात जाने दीजिए। आप दो चेहरे की बात जाने दीजिए। जो कहते हैं उसको फ्रीज करो और जिसे कहते हैं उसको लगाओ।

महोदय, आतंकवाद के सामने पोटा की बात आयी थी। इन्होंने यह बोला था कि हमने पोटा बनाया है और हम पोटा से आतंकवाद को नापेंगे। गोधरा कांड के अंदर जिन लोगों को पकड़ा गया वैसे आज 15-20 आदमियों को गुजरात हाईकोर्ट ने पोटा के तहत, इन आदमियों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता ऐसा जजमेंट देकर उनको छोड़ दिया। वे लोग बार-बार, पांच-पांच साल तक जेल के अंदर रहे। इसका मतलब यह माना जाए कि पोटा का गलत इस्तेमाल किया गया। इसे क्यों इनवोक किया गया? हमारे गुजरात के अंदर आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा हमेशा हमारे मुख्यमंत्री को होता था। वहां एक डीएसपी था, आईजी था, वह जब तक रहा वहां पर हर तीन महीने के अंदर आतंकवाद के नाम पर आदमियों को मारा गया। 56 आदमियों को मारा गया। जब से वह जेल में है तब से कोई भी आतंकवादी हमारे मुख्यमंत्री को मारने के लिए नहीं आया। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस राज्य के अंदर यह क्या चल रहा है।

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : आप यह सब भूल जाइए। हमें गुजरात की जनता ने बार-बार बहुमत दिया है और नरेन्द्र मोदी जी को बार-बार मुख्यमंत्री बनाया है। नरेन्द्र मोदी जी और गुजरात का भूत अपने सिर से उतार दीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आपके बोलने से बात सही नहीं हो जाती है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : गुजरात की घटना आपके ऊपर कलंक है। मैं इस हाउस के अंदर यह कहना चाहता हूं कि अगर आप छह बार भी आओगे तब भी वह कलंक आपके ऊपर से जाने वाला नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लीजिए...*(व्यवधान)* यह आपके प्रधानमंत्री ने कहा है इसे मैं नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री मिस्त्री के वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मेरा इनसे झगड़ा बस यही है कि आप मेरी बात सुनिए। आप यह चाहते हैं कि हमारी सब सुने, हम किसी की न सुनें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री के अतिरिक्त किसी की भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने अपने पांच साल के शासन में समाज के किसी तबके को नहीं छोड़ा, समाज के सभी तबकों को साथ में लेकर आगे बढ़ी है। वह चाहे सरकारी कर्मचारी हों अथवा व्यापारी हों।

उपाध्यक्ष महोदय, 6 हजार के स्तर पर इंडिया शाइनिंग हो रहा था। मेरे राज्य से सबसे ज्यादा लोग कैपिटल मार्किट में निवेश करते हैं और आज भी वे यह आशा कर रहे हैं कि हमारी इकोनमी आगे जा रही है। सैंसेक्स 21 हजार तक गया और अब 9 हजार से नीचे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो ऐटमोसफियर तैयार किया है, पांच साल में जो स्टैबीलिटी दी है, इन पांच सालों में जो प्रोग्राम किए हैं, जो एग्रीमेंट किए हैं, जो स्कीम्स लांच की हैं, इससे भविष्य की ओर आम आदमी की आशा जगी है। उस आशा का रिज़ल्ट हमें राजस्थान और दिल्ली में देखने को मिला है।...*(व्यवधान)* जब इलैक्शन चल रहे थे, उसी समय मुम्बई में आतंकी हमला हुआ था, तब सभी खुश हो रहे थे कि परमात्मा ने हमें अवसर दिया है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता है और आज ये लोग हमसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिलेशन तोड़ो। ये लोग पाकिस्तान के प्रेसीडेंट के पास गए थे। यह उनके पास गए थे, जो कि पाकिस्तान के प्रेज़ीडेंट नहीं थे, उन्हें बुलाने के लिए गए थे, जिसके लिए उन्हें प्रेजीडेंट या स्टेट्स लेना पड़ा और यहां आ कर उन्होंने रोड़ लिंक और बस लिंक चालू की थी। उसके लिए ये गर्व महसूस करते थे, आज भी कर रहे हैं। मेरे दिमाग से यह पिक्चर कभी नहीं जाएगी, जब इनकी सरकार की एक महिला मंत्री मुशर्रफ साहब के साथ आदाब कर रही थी। उनकी बातचीत करते हुए की फोटो छपी थी, वह फोटो मेरे दिमाग से कभी जाने वाला नहीं है। आज ये हमसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन तोड़ दो। क्या आपके समय आतंकवादी हमला नहीं हुआ था? कारगिल में क्या वे लोग नहीं गए थे? जिन शहीदों की लाश लेकर आप पूरे देश के अंदर घूमे थे, जिन शहीदों की लाश पर आपने इलेक्शन जीतने का प्रयत्न किया था, ऐसा करने के बावजूद आपके मन में पाकिस्तान के साथ रिलेशन जोड़ने और तोड़ने की बात अब कैसे आई है? मेरे संसदीय क्षेत्र से चार जवान शहीद हुए थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अपमान आपने किया था, जब उनकी लाशों को ले कर गांव में गए थे।...*(व्यवधान)* महोदय, ऐसी कितनी चीजें हैं, मैं उन्हें उजागर करना चाहता हूं। चाहे आप राम जन्म भूमि पर मंदिर दोबारा बनाने की बात कीजिए, आप इस मुद्दे को कितना भी भुनाइए। इस देश की जनता आपको उसी तरफ रखने वाली है, वहां से इधर नहीं भेजेगी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देश में और दुनिया के अंदर भारत देश का नाम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश के सर को ऊंचा रखने का काम किया है, चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा है, इससे पूरे देश का सिर गर्व से ऊपर हुआ है। इस तरह के कितने ही आयाम यूपीए सरकार ने कायम किए हैं, जिसकी वजह से देश तरक्की की ओर जा रहा है। यह कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। यह आगे भी जारी रहेगा क्योंकि आने वाले चुनावों में मैं आशा रखता हूं इस देश की जनता से कि यूपीए सरकार के कार्यों को देखते हुए उसे वापस सत्ता में लाए। राइट में जो मेरे साथी बैठे हैं। उन्होंने ढाई-तीन साल तक इसे साथ में चलाया और अभी भी वे हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमारी उनसे इतनी दूरी नहीं है और ये दूरी ज्यादा बनाए भी न रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगा कि यूपीए सरकार के ये पांच साल हार्दिक ग्लोरियस हैं। मैं बजट का एनालसिस करता हूं। पूरे देश और दुनिया के अंदर बजट के बारे में एनजीओज़ को बताता हूं। ये चार-पांच साल के अंदर जितने मेजर्स यूपीए की सरकार के लिए, पिछली किसी सरकार ने उतने नहीं लिए। इसके साथ ही मेरे साथी किशोर देव जी ने जो राष्ट्रपति जी का धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, इनिशिएट किया है, उसका मैं सपोर्ट करता हूं और आशा रखता हूं कि इस देश के अंदर वापस कांग्रेस की लीडरशिप में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। देश के अंदर यह सिलसिला और आगे चलता रहेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 12 फरवरी, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।'"

इससे पहले कि मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बुलाऊं, मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

माननीय सदस्य, जिनके धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहे तो जिस संशोधन को वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनकी क्रम संख्या इंगित करते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेजें। केवल उन संशोधनों को प्रस्तुत हुआ माना जाएगा।

उसके थोड़ी देर बाद, प्रस्तुत हुए माने गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली एक सूची नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी। कोई सदस्य इस सूची में यदि कोई विसंगति पाता है तो वे कृपया इसके बारे में तत्काल सभा-पटल पर मौजूद अधिकारी को जानकारी दें।

अब, श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस, इस 14वीं लोक सभा में यह अंतिम ही होगी। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक अनोखा प्रस्ताव है, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण से आप सहमत न भी हों तो भी पूरा सदन एक स्वर से धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता है। कभी कोई धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध नहीं होता, विरोध करने का एक ही तरीका है कि आप संशोधन प्रस्तुत करें और उन संशोधनों में कहें कि आपके इस व्याख्यान में अमुक-अमुक बात नहीं कही गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अंतिम इस प्रकार की बहस है और इसीलिए मैं समझता हूं कि कुछ औपचारिकताएं भी ठीक रहेंगी। यह पहला प्रस्ताव है कि जिसमें प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हो सके, पहली बार यह हुआ है। मैं सदन के बाकी सब साथियों से मिल करके कामना करता हूं कि वे शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ्य होकर संसद की कार्यवाही में भाग ले सकें। मेरे अपने नेता, पूर्व प्रधानमंत्री भी अस्वस्थ हैं और मैं समझता हूं कि आप सभी को भी यही कामना होगी कि वे शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस लोक सभा में अध्यक्ष जी और आपके लिए भी इस प्रकार की बहस पर सदन का संचालन करने का यह आखिरी अवसर होगा। मैं आपके प्रति भी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जब आएंगे तो तब भी मैं कह दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने भी सदन की अपने हिसाब से सेवा की है।

मैं उनका भी अभिनन्दन करता हूं। मैं अपने सदन के नेता को भूल नहीं सकता। वे संसद में मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं वर्ष 1970 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुआ था और वे 1969 में निर्वाचित हुए थे, यानी मुझसे एक साल पहले। इसलिए वे मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं कभी-कभी यह जरूर सोचता हूं कि यदि प्रणब मुखर्जी नहीं होते,

तो यह यू.पी.ए. सरकार क्या करती? हर संकट के समय कोई दूसरा सुझे न सूझे, प्रणब जी तो हैं ही। 25 साल पहले इन्होंने बजट रखा था और कल फिर से बजट रखा। संकट की स्थिति थी। मैं मतभेद भले ही रखता हूं, लेकिन जब से राज्य सभा में मेरा परिचय प्रणब दा से हुआ, तब से मैं सदैव उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और उनके कंधों में कोई भी बोझ उठाने की जो क्षमता है, उसे देखकर मैं हमेशा उनका प्रशंसक रहा हूं।

उपाध्यक्ष जी, इस सरकार के अब दो-तीन महीने ही बाकी रहे हैं और यह जो दस्तावेज है, इसे राष्ट्रपति नहीं लिखते। इसे सरकार लिखती है। यह दस्तावेज इतना लम्बा क्यों हुआ, ये मेरी समझ में नहीं आया। मुझे स्मरण नहीं कि इससे पहले कभी किसी राष्ट्रपति का अभिभाषण इतना लम्बा चला हो, यानी 1 घंटा 20 मिनट तक चला हो। चूंकि पिछले कुछ सालों से हमने परम्परा में एक संशोधन किया है और वह अच्छा है कि भाषान्तर जिनको सुनना है, यदि भाषण हिन्दी में है और किसी को अंग्रेजी में सुनना है, तो वह भी सुन सकते हैं, अंग्रेजी में भाषण हैं और हिन्दी में भाषान्तर है, तो वे भी ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन सिस्टम से सुन सकते हैं, लेकिन 1 घंटा और 20 मिनट अगर भाषण हो और उसका भाषान्तर भी 1 घंटा 20 मिनट चलता, तो संसद के सदस्यों पर कितना बोझ रहता, इसकी कोई कल्पना कर सकता है!

महोदय, कुछ सालों से हमने अभिभाषण में इतना संशोधन किया कि जो भाषान्तर है उसका पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ लो और बात खत्म हुई। कल जब राष्ट्रपति-अभिभाषण हुआ था, तब भी यही हुआ था। लेकिन साथ-साथ यह भी लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी है, उसकी उत्तर पुस्तिका है, उसे जब लगता है कि बहुत कुछ कहने को मेरे पास नहीं है और ठीक प्रकार से मुझे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, तो जितना विस्तार से लिख सको, उतने विस्तार से लिखो और लिखते जाओ, लिखते जाओ। ऐसा भी इस अभिभाषण के लम्बे समय को देखकर लगता है। इसमें मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जो भी टिप्पणी इसके तथ्यों के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि यह तकरीर कैबिनेट ने लिखी है, इसलिए मैं सरकार के बारे में टिप्पणी कर रहा हूं। इस अभिभाषण पर मेरी टिप्पणी का राष्ट्रपति जी की व्यक्तिगत शिष्टता से कोई सम्बन्ध नहीं है। टिप्पणी तो, मैं सरकार पर कर रहा हूं।

महोदय, इतना लम्बा भाषण लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वास्तव में कुछ उपलब्धियां गिनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब कभी कोई इतिहासकार या कोई विश्लेषक बैठकर के यू.पी.ए. के पांच सालों का मूल्यांकन करेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे कहना पड़ेगा कि यह एक विफल सरकार का कार्यकाल है। मैं इससे तीखा शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, हालांकि कर सकता हूं। हमारे बाईं तरफ बैठे सदस्य देख रहे थे, वे भी कुछ समय तक हमारे साथ थे, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? वे सबसे प्रमुख दो अलाइज इस पार्टनरशिप के थे, लेकिन छोड़ गए। अनेक बार मैं कहा करता हूं कि कॉमन मिनीमम प्रोग्राम पर एग्रीमेंट हो, वही एलाइंस का आधार हो सकता है और अगर मूल दृष्टिकोण में, चाहे वह विदेश नीति के बारे में हो, चाहे आर्थिक नीति के बारे में हो, उसमें ही मेल न हो तो फिर उस एलायंस में बहुत दिक्कत आएगी। और दिक्कत आई, कितना समय था, जब पता ही नहीं लगता था कि सरकार कितने दिन और चलेगी, कितने दिन और चलेगी और जाते-जाते, जैसा मैंने बताया, वह तो एक काण्ड है, जिसका उल्लेख मैं आगे करूंगा। सरकार जाने वाली थी, लेकिन बच गई।

पिछला सत्र जब हुआ था तो आरम्भ की सारी चर्चा स्वाभाविक रूप से मुम्बई पर केन्द्रित थी, क्योंकि मुम्बई की घटना तब घटी ही थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि सरकार ने अचानक मुम्बई के बाद देश को कहा कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशेष कानून लाएंगे। मुम्बई के बाद क्यों, उससे पूर्व के पांच सालों में लगातार ऐसी घटनाएं होती रहीं। यह जो मुम्बई की अन्तिम घटना थी, उसमें और पूर्व की घटनाओं में शायद एक अन्तर था कि यह तीन दिन चली, जबकि पहले की घटनाएं एक दिन चलती थीं। यह तीन दिन जो चली, उसके कारण हिन्दुस्तान भर के मतदाताओं ने, हिन्दुस्तान भर के नागरिकों ने टेलीविज़न पर बैठकर इस सारे घटनाक्रम को उसी प्रकार से देखा, जैसे वे साधारणतया बॉल बाय बॉल क्रिकेट कमेंट्री देखते हैं और उसने मन पर एक गहरा आतंक बैठा दिया। टेलीविज़न और तीन दिन, इन दोनों बातों ने मिलाकर इस घटना को सचमुच इस प्रकार से जनता के सामने उजागर किया कि मानो हम युद्ध में से निकल रहे हैं, यह कोई एक घटना नहीं है।

यह स्वाभाविक है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन इसमें और 1993 में जो घटना हुई या उसके बाद मुम्बई में दो साल पहले जो घटना हुई, जब सात ट्रेनों पर एक साथ बम विस्फोट हुए थे, मूलतः कोई फर्क नहीं था। आतंकवादी थे, फिदायीन थे, खुद मरकर आतंकवाद फैलाना और सारे देश में एक ऐसा भाव पैदा करना कि आप कुछ नहीं कर सकते, चुनौती देना कि देखो, तुम क्या कर सकते हो, हमने कर डाला। यह लगातार होता रहा, लगातार होता रहा और हम जब कहते थे कि कुछ करो, कम से कम लीगल फ्रेमवर्क तो ऐसा हो कि इनको दंडित किया जा सके, पकड़ भी नहीं पाते हो, दंडित तो किया जा सके। तब कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है, *[अनुवाद]* ''वहां पर विद्यमान कानून ही पर्याप्त हैं।'' *[हिन्दी]* हर एक ऐसा कहता था, जबकि दुनिया में किसी ने इसे नहीं माना। जिन देशों

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

ने आतंकवाद का अनुभव भी नहीं किया था, उन्होंने भी यूनाइटिड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह मानकर कहा कि नोर्मल कानून इस आतंकवाद की विभीषिका का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कानून बनने चाहिए, सब ने बनाये, हमने ही नहीं बनाये। न केवल नहीं बनाये, लेकिन हमने जो एन.डी.ए. का कानून बनाया था, उसको खत्म करने पर गर्व किया। *[अनुवाद]* "हमने पोटा को समाप्त कर दिया।" *[हिन्दी]* इस पर गर्व किया।

मैं समझता हूं कि पिछली बार उसका उल्लेख मैंने ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा उल्लेख किया था, क्योंकि यह बात सही थी, लेकिन मैं बहुत चिन्तित था। एक चिन्ता थी कि इस समय तो कम से कम विपक्ष और सरकार सभी एक साथ खड़े हों कि इसका मुकाबला करेंगे तो मैंने पहला भाषण अपना किया था तो इसी आधार पर किया था, महाभारत के उस ज्ञान को भी धारण किया कि आपस में पांडव कौरव होंगे तो पांच और 100 होंगे, लेकिन जब कोई दुश्मन मुकाबला करता है तो हम 105 हैं। "वयम् पंचाधिकम् शतम्।" यह बात भी मैंने कही और इसी कारण मैंने कहा कि मैं आपके इस प्रस्तावित एंटी टैरर लॉ से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं तो भी मैं समर्थन करूंगा और पूरे एन.डी.ए. ने इसका समर्थन किया। बतायें, दोष क्या है? हमने कहा कि हम इस कानून के कारण कसाब के कन्फैशन का भी उपयोग नहीं कर सकते।

कसाब ने कन्फेस किया — हां, मैं पाकिस्तान से आया। उनके पिता जी ने कहा — हां, वह मेरा बेटा है। पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वह हमारा है, यही कहा है, उसके गांव में मैंने देखा है, उसका घर भी देखा है। लेकिन हम उनके कन्फेशन का, उनकी स्वीकृति का उपयोग नहीं कर सकते, यह कानून अनुमति नहीं देता है। मैं नहीं जानता हूं, आप इसे बता सकते हैं। मुझे बताया गया है कि क्योंकि न्यू टेरर लॉ उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम मकोका के अधीन उसको पकड़ रहे हैं, उसको प्रोसीक्यूट कर रहे हैं, *[अनुवाद]* क्योंकि संगठित अपराध के विरुद्ध महाराष्ट्र का कानून उसकी स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य साक्ष्य बनाता है। यदि ऐसा है तो यह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि पिछले सत्र के दौरान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम में जो हमने संशोधन अधिनियमित किए हैं, वे कितने अपर्याप्त हैं। इसलिए हम क्यों नहीं यह साफ-साफ कहते हैं कि आतंकवाद के मामले में यह विशेष संशोधन अनिवार्य है और इसलिए हम इसे शामिल करेंगे? *[हिन्दी]* मुझे याद है कि उस समय उसकी बहस में मैंने कहा था और उनके सदस्यों ने जो-जो कमियां दिखायी थीं और उसके आधार पर मैंने सजेस्ट किया था। *[अनुवाद]* हम इसे स्थायी समिति को क्यों नहीं भेज देते हैं, क्योंकि जनवरी या फरवरी से हम एक बार पुनः बैठक करेंगे? *[हिन्दी]* तब होम मिनिस्टर ने कहा कि हम करेक्शंस करेंगे, जो कमियां होंगी, उन्हें दूर करेंगे। इस बार वे लॉ नहीं लाए, कोई अमेंडमेंट करने के लिए नहीं लाया गया।

मैं इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि मुंबई की घटना सामान्य घटना नहीं थी। हममें से बहुत लोगों को पूर्व सूचना नहीं थी, सरकार यह नहीं कह सकती। सरकार कुछ-कुछ मात्रा में परिचित थी कि कुछ होने वाला है। कितने मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, तीनों ने यह कहा था कि अगला आतंकवादी हमला समुद्र के रास्ते से हो सकता है, इसकी आशंका है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि रामपुर में जब फरवरी, 2008 में, यह घटना नवंबर 2008 की है, लगभग 10 महीने पहले, फरवरी, 2008 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था और उस हमले के बाद फहीम अंसारी नाम का एक आतंकवादी उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुआ। फहीम गोरेगांव से है। वह गोरेगांव का आदिवासी है। उसने जो इंट्रोगेशन में बताया, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इस प्रकार का हमला होने वाला है, यहां तक कि फहीम के बारे में जानकारी मिली कि उसने महाराष्ट्र में उन सब एरियाज की रेकी की, स्वयं जाकर देखभाल की कि कहां-कहां क्या हो सकता है और इतना ही नहीं उनके पास उन एरियाज के स्कैचेज भी मिले, उन्होंने स्कैचेज बनाए। यह गंभीर बात है। इन दिनों मुझे जानकारी मिली कि इस प्रकार से फहीम अंसारी ने ऐसा-ऐसा किया। उनका एक साथी था, जिसका नाम शाहबुद्दीन अहमद है, वह भी अप्रैल, 2008 में गिरफ्तार किया गया। हो सकता है कि उसके ही इंटेरोगेशन में से उसका नाम निकला हो, उसको भी गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल साफ दिखता है कि साल भर उसकी तैयारी चलती रही और साल भर की तैयारी में उन इलाकों में सब जगह गए, जहां पर अभी 26 नवंबर को इन सारे लोगों ने आतंकी हमला किया। यह असंभव है कि स्थानीय लोग कुछ न कुछ उनके साथ मिले हुए न हों, इतनी बड़ी तैयारी है। तो भी मुझे आश्चर्य हुआ, जब एक स्टेटमेंट देखा, अभी तक इन्वेस्टीगेशन पूरी नहीं हुई, आज भी चल रही है। पुलिस कमिश्नर, मुंबई का एक स्टेटमेंट है।

[अनुवाद]

"मुम्बई के पुलिस आयुक्त" *[हिन्दी]* उनका एक स्टेटमैंट है *[अनुवाद]* "...कि इस नरसंहार के लिए जिम्मेवार सभी लोगों की जांच-पड़ताल की गई।" *[हिन्दी]* या तो मर गए या एक आदमी गिरफ्तार हुआ है। इसमें और कोई स्थानीय इन्वॉल्वमैंट नहीं है। यह सर्टिफिकेट कैसे दिया, क्यों दिया? खासकर मुझे जब फहीम अंसारी की जानकारी मिली या शाहबुद्दीन अहमद के बारे में जानकारी मिली

तो मुझे लगा कि जरूर सरकार से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि इसके बारे में तथ्य क्या हैं। फहीम अंसारी की एक ऐवीडैंस थी? उनके साथी शाहबुद्दीन अहमद का इंटैरोगेशन हुआ, उसमें से क्या निकला? मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा कांड हो जाए, जैसा मुम्बई में हुआ, और उसके बाद उसकी कोई बिल्कुल थॉरो ज्यूडीशियल इन्वैस्टीगेशन न हो। अमरीका में सन् 2001 में 9/11 हुआ। उसके बाद पूरी ज्यूडीशियल इंक्वारी हुई जिसकी काफी लम्बी रिपोर्ट मैंने देखी है, जिसके आधार पर सारी राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए सीआईए के फंक्शनल में। मैंने वह रिपोर्ट पढ़ी है। मैं यह नहीं कह सकता कि इन परिवर्तनों के कारण ही सही, लेकिन यह बात उल्लेखनीय है कि 9/11 के बाद अमरीका में आतंकवाद की कोई दूसरी घटना नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री लाल कृष्ण आडवाणी का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा, और कुछ भी नहीं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इतना कहना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि 26/11 के कांड पर थॉरो इन्वैस्टीगेशन होनी चाहिए और उसमें रामपुर के सीआरपीएफ का अटैक भी आना चाहिए, उसके साथियों का भी आना चाहिए। स्थानीय उनके कोई समर्थक थे, कौन-कौन थे, उनकी भी जानकारी पूरी करनी चाहिए। आपने एक नाम लिया है तो मैं दूसरा नाम लूं। यह सवाल कोई कांग्रेस और बीजेपी का, सरकार और विपक्ष का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अफज़ल गुरू के बारे में अगर कोई फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है बंगलादेशी इनफिलट्रेशन के बारे में, तो कोई कारण नहीं कि सरकार आदर न करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाएं।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट ने इनफिलट्रेशन को, इल्लीगत इमिग्रेशन को, जो बंगलादेश से बहुत सालों से चल रहा है, हमारे यहां होता रहा है, इस प्रकार की संज्ञा नहीं दी कि *[अनुवाद]* यह बाहरी आक्रमण से कुछ कम नहीं है और इस बाहरी आक्रमण में *[हिन्दी]* जो वर्डिक्ट है, वह यह है कि सरकार उसे रोक नहीं पाती। इतना ही नहीं, *[अनुवाद]* सरकार की इसमें सांठ-गांठ है। यह संप्रग सरकार पर गंभीर अभ्यारोपण है; और यह कि उसके बाद जो उन्होंने किया वह आश्चर्यजनक है। यह आईएमडीटी अधिनियम पर दिया गया निर्णय है। *[हिन्दी]* आईएमडीटी को अनकान्स्टीट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। उसके बाद *[अनुवाद]* इस अभ्यारोपण को गंभीरता से लेने और इसमें सुधार करने की कोशिश करने की बजाय *[हिन्दी]* जिस कारण आईएमडीटी एक्ट को अनकान्सटीट्यूशनल कहा गया था, उसी प्रावधान को उन्होंने फॉरेनर्स एक्ट में अमैंडमैंट के रूप में लाकर एक प्रकार से पीछे करने की कोशिश की। *[अनुवाद]* और परिणाम यह रहा कि एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने विदेशी अधिनियम में इस संशोधन को भी अस्वीकार कर दिया। *[हिन्दी]* दो-दो बार भारत सरकार की इस प्रकार की कड़ी भर्त्सना करने के बाद भी अगर सरकार बंगलादेश से हो रहे लगातार इनफिलट्रेशन को रोकने के लिए कदम न उठाए, तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं देश भी समझेगा पौल्यूट कर रहे हैं, उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं।

उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं अच्छी बात है कि इस बीच में वहां अब एक दूसरी सरकार आयी है। जिस सरकार का रवैया सामान्यतः भारत के प्रति वैसा विरोध का नहीं रहा, वैसा दुश्मनी का रहा, जैसा पूर्व की सरकार का रहा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अब बंगलादेश में, क्योंकि नयी सरकार आयी है, यह सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को सीरियसली लेकर लगातार जो इल्लीगल इमीग्रेशन होता रहा है, इनफिलट्रेशन होता रहा है, उससे किस पार्टी को फायदा होता है और किस पार्टी को फायदा नहीं होता, इसमें मैं नहीं जाता। मैं यह मानता हूं कि एक बहुत बड़ा नुकसान हिन्दुस्तान को होता है। अगर सिक्योरिटी के इश्यू को भी पोलिटिकल कंसीडरेशन से देखा जाये, तो बहुत बड़ा नुकसान है और देश के लिए बहुत घातक है। मैं मानता हूं कि सरकार के भीतर भी सब लोग इससे सहमत नहीं होंगे। सरकार में भी ऐसे लोग होंगे, मुझे मिले हैं, मुझे पश्चिम बंगाल में भी अलग-अलग मंत्री मिले, कभी-कभी ऐसा है कि इस मामले में मेरे साथ पूरा सहयोग देने वाले भी मिले। यहां हमारे लेफ्ट के लोग बैठे हैं। मैं उनको कह सकता हूं कि *[अनुवाद]* यहां तक कि मेरा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ अलग अनुभव रहा है। *[हिन्दी]* अच्छी बात है। मैं उनको काम्पलीमैंट कर रहा हूं...*(व्यवधान)* आप

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

तो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी नहीं बदलते। यह दुख की बात है। इनको सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना पड़ा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसका एक दूरगामी परिणाम जो हो सकता है, उसे भी आप सोचिए। शुरू-शुरू में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस मामले में एक गलती, जो आक्रमण था, उस कश्मीर के सवाल को हम यूएन में ले गये जिसका परिणाम हमें 60 साल तक भुगतना पड़ रहा है। वह गलती थी और उस गलती को रोकने के लिए उस समय के गृह मंत्री ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसे नहीं रोक सके। वह सारा वर्णन है। यहां तक कि जब वे ऑल इंडिया में भाषण करने गये थे, तो वी. शंकर उनको रोकने के लिए वहां गये कि आप यह भाषण मत करिए, लेकिन वह नहीं हो सका। आज मैं कहना चाहता हूं कि असम में, पूर्वी भारत में जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन, इल्लीगल इमीग्रेशन हो रहा है, उसके कारण देश विभाजन का एक दूसरा खतरा पैदा हो रहा है। उस देश विभाजन के खतरे को जब हम प्रत्यक्ष देखेंगे, तो फिर हम यह कहेंगे कि हमने तब यह किया होता, तो कितना अच्छा होता। यह गलती आप मत करिए। कोई सरकार और देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। कश्मीर में हुआ, हुआ, वह समय बीत गया और आज इसके कारण लोग फायदा उठा रहे हैं। मुम्बई में आतंकवाद की घटना के बाद जब कोई विदेशी यहां पर वक्तव्य दे जाये कि यह इसलिए है क्योंकि कश्मीर की समस्या हल नहीं की, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, इसको फार्मली प्रौटेस्ट किया या नहीं। जो बात कही गयी, वह गलत थी कि आतंकवाद की घटना इसलिए होती है, क्योंकि कश्मीर की समस्या हल नहीं होती। कश्मीर की समस्या का इससे कोई लेना-देना नहीं है। कश्मीर की समस्या कोई है, तो वह आक्रमण है। उन्होंने 1947 में आक्रमण किया और कश्मीर के बारे में भारत का जो दृष्टिकोण है, वह इस सदन में सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा पारित हुआ है और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि जो हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में आक्रमण करके लिया, वह हिस्सा वास्तव में भारत का अभिन्न अंग है। केवल मात्र आज जो हमारे कब्जे में है, वह ही नहीं, लेकिन जो हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वह भी भारत का अभिन्न अंग है। इसे नहीं भूलना चाहिए। यह हमारा यहां का प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या आपको दम चाहिए? ...*(व्यवधान)* हम नहीं ले सके, तो भी हम कम्प्रोमाइज नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं जानता हूं। मैं इनसे अपरिचित नहीं हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी के जितने प्रमुख लोग मिलते हैं, वे मेरी बात से डिसएग्री नहीं करते हैं। इनको इतना कहने का तो अधिकार है ही।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लालकृष्ण आडवाणी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में आत्मप्रशंसा बहुत की गयी है कि हमारा काम इतना अच्छा रहा, यह प्रगति की, वह प्रगति की, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि इस समय हम एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इसे मना करने से कोई फायदा नहीं है। हम उसको इन्कार करते रहेंगे तो बच नहीं सकेंगे। आम आदमी का नाम लेकर हम चुनकर यहां आए हैं। कल बजट प्रस्तुत करते हुए सदन के नेता

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ने यह बात कही थी कि आम आदमी का हम भला करेंगे, आश्वासन के आधार पर हम जीतकर आए। उस आम आदमी को महंगाई के कारण पिछले कई वर्षों में इतनी परेशानी हुई है और वह परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इन्फ्लेशन कहते हैं कि खत्म हो गयी, कंट्रोल हो गयी, लेकिन इन्फ्लेशन कम हुई है तेल और कुछ अन्य चीजों के दामों में कमी आने के कारण। जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो आम आदमी को चाहिए विशेषकर खाद्य पदार्थ, उनकी कीमतें लगातार बढ़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता मामलों के मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री तस्लीमुद्दीन जी ने जवाब दिया कि बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने सब जानकारी दी है।

[अनुवाद]

इसके अनुसार:

"वर्ष 2008 के उत्तरार्द्ध में प्याज, धुलाई के साबुन, साड़ियां सहित 23 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"

[हिन्दी]

यह ऑफिशियल इनफार्मेशन है कि वर्ष 2008 के दूसरे भाग में अर्थात् अभी-अभी यह सब महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ना एक चीज है, लेकिन अब जो संकट पैदा हुआ है, वह उससे भी भयंकर है। वह संकट है जिन लोगों के पास रोजगार है, उनका रोजगार चला जाना। बेरोजगारी पहले से ही बहुत है, उसके ऊपर जिनके पास रोजगार है, उनका रोजगार चला जाना बहुत भयंकर मामला है। पिछले दो-तीन दिनों में मैंने इधर-उधर मुंबई और दिल्ली की घटनाएं देखी। दिल्ली में परसों विजय चौक पर किसी व्यक्ति ने आकर सुसाइड किया। उसने अपने ऊपर आग लगाकर जला दिया क्योंकि जिस कंपनी में वह काम करता था, उस कंपनी से उसे निकाल दिया गया था। मुंबई में एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था, जिसकी खबर तीन दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। उसकी आईटी कंपनी ने उसे रिट्रेंच कर दिया। घर आकर उसने अपनी मां से बताया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करता हूं। इस पर उन दोनों ने, माता और बेटे ने, आत्महत्या कर ली। मेरे मन में यह चिन्ता होती है कि अभी तक किसानों की आत्महत्याओं के हजारों किस्से होते हैं, एक प्रकार का एपिडेमिक हो गया महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। दूसरी तरफ अब धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आ रही है कि बेरोजगारी तो पहले से ही है, लेकिन रोजगार के जाने के कारण अगर यह एक ट्रेंड बन गया तो कहीं मास सुसाइड न होने लगे।

जिन लोगों को रिट्रेंच किया जाता है, उसके ऊपर कोई कहे कि नहीं, परिदृश्य उत्साहवर्द्धक है। ठीक है, कल बजट पेश करते हुए मुझे लगा कि कैसे प्रणव जी ने यह लिख दिया कि आज की जो आर्थिक स्थिति है, *[अनुवाद]* इस स्थिति के नायक किसान है। आपने कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने देश की खाद्य-सुरक्षा के लिए कार्य किया और हम उनके जीवन की सुरक्षा प्रदान करने में भी असमर्थ रहे। *[हिन्दी]* फिर उन्होंने बताया कि कितनी प्रोडक्टीविटी हुई है, रिकार्ड पैदावार पैडी, व्हीट की हुई है, यह सही बात है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मानवेन्द्र सिंह, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल कृष्ण आडवाणी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उनके जीवन की भी रक्षा नहीं कर सके। हजारों की संख्या में लोग इस प्रकार से आत्महत्या करें, दुनिया के और किसी देश में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में हुआ है। इस सरकार के पिछले चार सालों में...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : जीवन रक्षा के लिए ही तो 72,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने दिए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : लेकिन वह पैसा किसानों तक नहीं पहुंचा। हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि हम किसान परिवार से ही आते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप यह कहकर उनकी बेइज्जती न करें। उनका अपमान न करें। आप उनका और अपमान कर रहे हैं यह कहकर कि हमने इतने हजार करोड़ रुपए देकर जिन्होंने आत्महत्या की, उससे तुष्टि कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मानवेन्द्र सिंह, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल कृष्ण आडवाणी के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कीमतें बढ़ें और किसानों को फायदा हो, यह अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है, प्रबंधन ऐसा है कि व्यापारी को थोड़ा बहुत फायदा होता है, किसानों को नहीं होता। यह सच्ची बात है, इस तथ्य को पहचानिए। ...*(व्यवधान)* मैं आपके साथ तर्क नहीं कर रहा; ये तथ्य हैं। आपके नेता इनका उत्तर देंगे। आपके नेता अच्छा जवाब देंगे, लेकिन आप जो कुछ कह रहे हैं आप किसानों का अपमान कर रहे हैं यह कहकर कि हमने पैसा दे दिया इसलिए आत्महत्या की बात न करें। जिन्होंने आत्महत्या की, उन सबने बैंकों से पैसा नहीं लिया था, प्राइवेट लिया था, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवारों की स्थिति वैसी की वैसी ही है।

स्वतंत्र भारत के पूरे इतिहास में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, देश की प्रगति के लिए। उसके बाद शिक्षा और फिर स्वास्थ्य का नम्बर आता है। स्वतंत्र भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति के लिए सबसे बड़ी क्रांतिकारी योजना नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट बना और वह बना एनडीए सरकार के समय में। उसके दो हिस्से थे एक हिस्सा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और दूसरा हिस्सा था नार्थ-साउथ, ईस्ट-वैस्ट कॉरिडोर। इनमें से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा बहुत काम अभी भी हुआ, लेकिन नार्थ-साउथ, ईस्ट-वैस्ट कॉरिडोर में प्रगति कार्य नहीं हुआ और उसकी दयनीय हालत हो गई। मेरे पास नेशनल हाइवे अथोरिटी की रिपोर्ट है, जिसमें उस बारे में आंकड़े छपे हैं। यह जो स्कीम लांच की गई, तब उसके बारे में शुरू में यह कहा जाता था कि पैसा कहां से आएगा, कैसे काम होगा, हमने कहा था कि हो जाएगा और करके दिखाएंगे। बाद में सब लोगों ने उसकी तारीफ भी की और खंडूरी जी की भी लोग तारीफ करते थे। लेकिन इतना होने के बाद अब उसमें कोई प्रगति क्यों नहीं हुई, मेरा सरकार पर आरोप है कि एक बड़ा कारण यह है कि बड़ी-बड़ी स्कीम्स से पैसा कमाया जाता है और इस तरह से करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)* करप्शन के खिलाफ, यूपीए की तरफ से कोई बात भी नहीं करता, कोई चर्चा भी नहीं करता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। समय बर्बाद नहीं करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, हाई-वेज की स्कीम में जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर कई महत्वपूर्ण मैगजीन्स ने पूरे-पूरे अंक निकाले हैं। इंडिया टूडे के जनवरी 30, 2009 के अंक की हैडलाइन है *[अनुवाद]* "रोड्स टू नोवहेयर" *[हिन्दी]* यानी मार्ग जो कहीं नहीं ले जाते। सारा काम अटका हुआ है। मैं बहुत सारे कांड और घोटाले बता सकता हूं जो पिछले पांच सालों में हुए हैं, जिनकी तुलना में पहले की सरकारें तो बहुत शुचितापूर्ण और ईमानदार मानी जाएंगी। इस बार तो बहुत भयंकर करप्शन हो गयी और करप्शन को रोकने की कोई बात भी नहीं करता कि करप्शन को रोकने के लिए अमुक उपाय उठाओ, अमुक तरीके अपनाओ।

गांव के विस्तार की बात कही गयी, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई प्रगति दिखाई नहीं देती है। एक कमेटी बनाई गयी। विलेज इलैक्ट्रिफिकेशन कुल 34 प्रतिशत हुआ है। *[अनुवाद]* गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में केवल 6 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण किया गया। 48 प्रतिशत आवासन को पेय जल का कनैक्शन दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है। *[हिन्दी]* जहां तक रोजगार का सवाल है तो आगे क्या होगा तो फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑरगेनाइजेशन का कहना है कि एक्पोर्ट के क्षेत्र में मार्च, 2009 तक एक करोड़ लोग अपने रोजगार गंवा बैठेंगे। यह इंडियन एक्सपोर्ट ऑरगेनाइजेशन का एस्टीमेट है। इसलिए आज जो स्थिति है वह गंभीर है ओर उससे ज्यादा गंभीर बात भविष्य के बारे में चिंता है, वह बहुत चिंतित है।

कल बजट पेश करते हुए फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा कि *[अनुवाद]* "जब समय आएगा जनता उस हाथ को पहचानेगी जिसने यह सम्भव बनाया"। हां, मैं आपको बता रहा हूं कि समय बहुत जल्द आ रहा है और जनता भी उस हाथ को पहचानेगी कि जिसने मूल्य वृद्धि को सम्भव बनाया। जनता उस हाथ को पहचानेगी जिसने हजारों किसानों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। वे उस हाथ को पहचानेंगे जिसने आर्थिक संकट को इतना बदतर बनाया और वे उस हाथ को पहचानेंगे जिसने सत्यम-माइटास जैसे घोटालों को सम्भव बनाया।

[हिन्दी]

माननीय नेता जी बैठे हैं, मैं उनका आदर करता हूं, अध्यक्ष जी यहां पर नहीं हैं, मैं उनके सामने अपनी बात कहता। मैं कहना चाहता हूं कि मैं 40 साल से पार्लियामेंट में हूं, मेरे से एक साल अधिक माननीय प्रणब जी रहे हैं और माननीय सोमनाथ जी एक साल कम रहे हैं, वह शायद 1971 में आये थे। लेकिन हमने संसद में ऐसा कभी नहीं देखा कि संसद में मैम्बर खरीदे-बेचे जाएं और जो बेचने-खरीदने का काम करते हैं वे निरपराधी और जो उसको एक्सपोज करते हैं वे अपराधी।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

उस दिन मुझे वह देख कर निश्चय ही काफी शर्मिन्दगी हुई। मैं इसे सहन नहीं कर सका। *[हिन्दी]* मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कोई कितने समय तक रह सकता है। संसद की गरिमा को इस सरकार ने जिस प्रकार से गिराया है, मैं नहीं समझता कि आने वाली पीढ़ियां इन्हें कभी माफ करेंगी।

हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही आपके सामने आती होगी, अखबार में भी पढ़ सकते हैं। कुछ समय पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे इनके खिलाफ किए गए केस को वापिस लेना चाहते हैं।

[अनुवाद]

न्यायाधीश अल्तमस कबीर और सारियाक जोसेफ वाले उच्चतम न्यायालय की बेंच ने सीबीआई के निदेशक को कहा "तो आप विधि मंत्रालय के कहने पर कार्य कर रहे थे। केन्द्र सरकार का मत था कि आपको मामला वापस लेना चाहिए और आपने वापस लेने के लिए आवेदन दिया। आप जो कह रहे हैं वह असामान्य है, यह वस्तुतः समझ से परे हैं। बेंच ने यही कहा था। *[हिन्दी]* आगे भी उन्होंने रिमार्क दिया कि *[अनुवाद]* मेरे विचार से सरकार को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि जब 'उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की टिप्पणी करे तो उसे समझ में आनी चाहिए। यदि केन्द्र और विधि मंत्रालय का सुझाव ही सीबीआई द्वारा वापस लेने के आवेदन का आधार है, तब भगवान हमें बचाए।' न्यायाधीशों ने यही कहा था। हम यह सब क्यों कर रहे हैं — हम उन संस्थानों को क्यों नष्ट कर रहे हैं जिन्हें लम्बे समय के बाद बनाया गया था? सीबीआई को एक स्वायत्त निकाय माना जाता है। चुनाव आयोग को एक स्वायत्त निकाय माना जाता है। और फिर भी हम उनसे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं मानो जो कुछ भी हम चाहतें वे वही करेंगे। कृपया ऐसा न करें। मुझे पाकिस्तान सरकार की एक नेता से एक अनुभव प्राप्त हुआ जो कभी प्रधानमंत्री थीं। *[हिन्दी]* वे एक बार मेरे पास आईं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमारे यहां लोकतंत्र कितनी सफलता से चल रहा है। यह उस समय की बात है, जब एनडीए की सरकार थी। बात करते-करते मैंने श्रीमती बेनजीर भुट्टो से कहा कि आपके यहां लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अधिकांश समय आपके यहां सैनिक शासन रहा है। हम इकट्ठे अंग्रेजी राज शासन में थे, इसलिए हम दोनों देशों का पोलिटिकल कल्चर एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमती भुट्टो ने कहा कि हमारा पोलिटिकल कल्चर आपके यहां से थोड़ा भिन्न है। एक कारण यह है कि आपकी सेना नॉन पोलिटिकल है, यह सही बात उन्होंने कही। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है और गर्व की बात भी है तथा हमारी सेना के लिए भी यह गर्व की बात है। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने दूसरी बात कही कि आपके संविधान निर्माताओं ने आपके चुनाव आयोग को वास्तव में इंडिपेंडेंट बनाया और किसी सरकार ने चुनाव आयोग की आथोरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं की। मैं मानता हूं कि उनकी दोनों बातों में वजन था। मैं सदन के नेता से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया सीबीआई, सिलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस को अपने इशारे पर चलाने की कोशिश न करें। अगर ऐसा नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के संदर्भ में जो कहा है, वह अक्षरशः सही साबित होगा और फिर तो भगवान ही हमें बचा सकेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि भगवान से रक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश की जनता ने हमेशा संकट की घड़ियों में देश को बचाया है।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का भाषण था। हम इस चर्चा में राष्ट्रपति महोदया को नहीं ले आएं। चूंकि सरकार का अपना आकलन है, और सरकार की जो घोषणाएं हैं, सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है और आने वाले चुनावी मैनीफैस्टो का जो प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट होता है, वह अकसर पांचवे साल में पेश किया जाता है। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया है, मैं इसमें दोष भी नहीं देखता हूं और यही कारण है कि पिछले साल जो अभिभाषण 68 पैराग्राफ और 22 पृष्ठ के हुआ करते थे, इस साल वे 82 पैराग्राफ और 31 पृष्ठ में गये। इसका मतलब है कि इसमें इंक्रीज हुई है, देश प्रगति

[मोहम्मद सलीम]

की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वन-थर्ड डेवलपमेंट पृष्ठ के हिसाब से हो गया।

पिछली बार जो अभिभाषण था, उसके अंतिम पैराग्राफ में हमारे माननीय सदस्यों को यह कहा गया था कि लोकतंत्र में संसद की महिमा है, गरिमा है, अकसर यह कहा जाता है और पूर्व राष्ट्रपति जी भी यह कहते थे और हम सुचारू रूप से काम करें क्योंकि हमारी तरफ पूरा देश देख रहा है। पिछली बार का वह बजट सत्र था, उसका उद्‌घाटन सत्र था और इस बार एक साल बाद फिर हम बजट सत्र में मिल रहे हैं। बीच में बरसात तो हुई लेकिन मानसून सैशन गायब, सर्दी थोड़ी-बहुत हुई लेकिन विंटर सैशन गायब और एक स्पेशल सैशन हुआ था जिसमें खरीद और फरोख्त के बारे में चर्चा हुई, सदन में उस दिन भी यहां बात आई थी। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। जो सात सदस्यी कमेटी थी, हम उसमें एक सदस्य थे और उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से राजनीतिक उद्देश्य से संसदीय समिति को भी जिस सच्चाई में पहुंचना था, वह उसे पहुंचने नहीं दिया गया। ...*(व्यवधान)* हमने अपनी रिपोर्ट भी दाखिल की, नोट ऑफ डिसेंट भी दिया। उसमें भी चिट्ठा खोला और मैं नहीं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस का सीआईडी डिपार्टमेंट क्योंकि जहां सीबीआई को जिस तरह से किया जा रहा है, वहां क्या सीआईडी डिपार्टमेंट सत्य का कुछ उद्‌घाटन कर पाएगा? लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इस खेल के खिलाड़ी थे, वे किस तरह से इसकी कीमत अदा करने के लिए रोजाना दौड़भाग कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन संसदीय लोकतंत्र है, संसद की गरिमा है, संसद की अपनी मर्यादा है, पिछले एक साल इस देश में हम यह पूछेंगे कि क्या संसदीय लोकतंत्र की सरकार चली है? संसद नहीं, संसद के अधिवेशन नहीं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए संसद को नहीं बुलाया गया। संसद में जो बिल लाये गये, उन पर बहस नहीं की गई। संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई, उसे सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, जो बिल किये गये, उसमें इंट्रोड्यूस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले आए।

आज इस देश की बड़ी चुनौती है कि हमारे देश में आजादी के इतने साल बाद और संसदीय लोकतंत्र के इतने हमारे गौरवशाली इतिहास के बाद आज तक चुनौतीपूर्ण माहौल है और चूंकि हम संसद के चुनाव में जा रहे हैं और चुनावी भाषण है, इसलिए चुनाव के हरेक भाषण के बाद चुनाव में वोट देना पड़ेगा, वह भी सिम्बल के साथ बोल दिया गया। लेकिन संसद की महत्ता क्या रहेगी? टैक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और कहीं के ऑर्डर्स ले आएंगे और यहां पर वह लागू होगा। मैं उस बहस पर आऊंगा। संसद के सत्र के जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण देने आ रही हैं, उद्‌घाटन होगा, उसके दो रोज पहले एफडीआई की डाइरेक्ट एंट्री कटिंग एक्रॉस द बोर्ड, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सैक्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला कर लिया और उसके बाद उसे लागू कर दिया गया। जो कानून यहां पैंडिंग है, एलआईसी में एफडीआई का क्या होगा? हम इंवेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। यह केवल एक पक्ष का मामला नहीं है। जनता सांसद को चुनती है, सांसदगण फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं और यहां जो भी आदेश-निर्देश होता है, वह राष्ट्रपति जी के नाम से आदेश किया जाता है। लेकिन हम मंत्रिमंडल से पूछेंगे कि उनकी संसदीय लोकतंत्र के प्रति क्या थोड़ी बहुत भी मान्यता बाकी रह गई है? मैं जिस एफडीआई के बारे में बात कर रहा था, उसके बारे में हमारे पास मिनिस्ट्री का वह इकोनॉमिक कैबिनेट नोट है। 27 अक्टूबर को कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि एफडीआई की एक्रॉस दि बोर्ड मान्यता बढ़ानी पड़ेगी।

विदेशी निवेश को देशी निवेश एक पूंजी से करना पड़ेगा। इसके बाद मंत्रिमंडल का 27 अक्तूबर का नोट 6 नवंबर को कैबिनेट में लाया गया और कहा गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दो। 23 दिसम्बर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पहली बार कंसीडर किए गए और दूसरी बार 3 फरवरी को संसद के आने से पहले किए गए। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर डिफेंस प्रोटेक्शन, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और प्रिंट मीडिया को निदेश दे दिया गया और एक ऐसा रंग पोत दिया गया कि विदेशी पूंजी देशी हो जाएगी। लेकिन यह किस समय होगा, जब ग्लोबल रिसेशन मेल्ट डाउन होगा। जब फाइनेंस कैपिटल पूरे विश्व में हाहाकार मचा रहे हैं उस समय हमारी सरकार किसके लिए काम कर रही है? एक बिल बनाने में, एक योजना बनाने में महीनों लग जाते हैं और 27 अक्तूबर का नोट 3 फरवरी को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पास कर दिया। जब नोट बनता है तब कंसलटेशन होता है इसमें मिनिस्टर ऑफ इंफार्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग ने आब्जेक्शन किया। मेरे पास कैबिनेट नोट है और मैं दावे के साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के एससी सैक्शन से कोट कर सकता हूं।

[अनुवाद]

संबंधित मंत्रालय के परामर्श से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुझाव यह दिया है कि अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना यथानुपात आधार पर करना प्रासंगिक होगा क्योंकि प्रस्तावित प्रणाली निर्धारित स्तर से ज्यादा शेयरों के नियंत्रण की ओर ले जाएगी। आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय प्रस्ताव से यह उल्लेख करते हुए सहमत नहीं है कि जहां यथानुपात गणना बेहतरीन समाधान नहीं हो सकता है, वहीं स्वामित्व के प्रभावकारी नियंत्रण को ध्यान में रखने के प्रस्तावित विकल्प और भी बुरा होगा और यह विवादों की ओर ले जाएगा जिसे आसानी से सुलझाया नहीं जा सकेगा।

[हिन्दी]

इस देश की इकनॉमी संसद नहीं बना रही। गृह मंत्रालय, जो महत्वपूर्ण है, उनको आपत्ति है। कहा गया ठीक है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बात कर लेंगे और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई वहां डीआईपी प्रपोजल के बारे में टेलीकॉम के एडीशनल सैक्रेट्री और आई एंड बी के सैक्रेट्री, दोनों ने आपत्ति की कि यह नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने गणना के विद्यमान यथानुपात प्रणाली की कमजोरियों की पहचान की है। तथापि, स्पष्टता होना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय फर्मों का अधिग्रहण को आसान न कर दिया जाए। वास्तव में, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय फर्मों के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय का होना आवश्यक था।

[हिन्दी]

आपको याद होगा जब टेलीकॉम पॉलिसी और ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के बारे में बात होती थी तब हमेशा यह कहते थे कि हमारी सुरक्षा के बारे में विदेश कंपनी को कैसे कंसीडर ले लेंगे और विदेशी कंपनी को किस तरह से घुसाया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री आई एंड बी मिनिस्ट्री और टेलीकॉम मिनिस्ट्री कहती है कि हमें आपत्ति है। यह संसद में तो आया नहीं जबकि यह संसद का अधिकार था और हमें चर्चा करनी थी। लेकिन हमारा अधिकार ले लिया गया। एमएस आईबीबीआई कहती है–

[अनुवाद]

मीडिया क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील था और हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि प्रस्तावित उदारीकरण के किसी उपाय के माध्यम से विदेशी फर्मों द्वारा प्रबन्धन और नियंत्रण का अधिग्रहण की अनुमति न हो।

[हिन्दी]

फिर भी हो गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि फैसला कहां से होता है? संसदीय लोकतंत्र में संसद में नहीं होता, मंत्रालय में नहीं होता। फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपए लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें लूट मचानी है। जब पूरे विश्व में कहा जा रहा है, हम स्वयं भी कह रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी यह बात है कि ग्लोबल मेल्ट डाउन का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा मैकेनिज्म अभी भी रैगुलेटिड है, मॉनिटरिंग है, उस समय जब पूरे विश्व में यह स्थिति चल रही है तब आप पीछे के दरवाजे से तमाम नियंत्रण को छूट दे रहे हैं। यह खतरनाक मामला है। अगर समय मिलेगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि यह कहां से आ रहा है। महामहिम राष्ट्रपति ने अभिभाषण में यह बात कही है कि आक्रमण कहां से हो रहा है। यह पहले पैरा में है – एक ऐसा वर्ष जिसमें सामुदायिक सद्भावना, सहनशीलता, सहृदयता, न्याय और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के शाश्वत सिद्धांतों की अग्निपरीक्षा है।

जो आक्रमण मुम्बई में हुआ, उसके जरिए देश को अंदर और बाहर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति क्या हो रही है, सद्भावना को तोड़ने के द्वारा हो रही है, साम्प्रदायिक भावना से हो रही है, आतंकी हमले से हो रही है, आर्थिक व्यवस्था को चरमराने की कोशिश की जा रही है और हमारी आर्थिक व्यवस्था को विश्व के सामने नीलाम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब राष्ट्रपति महोदया दूसरे पैरा में यह कहती है कि हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए सुआकलित और बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक सुधार वैश्विक आर्थिक मंदी के अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव से बचने से हमारी मदद कर रहे हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण हों या न हों, लेकिन यह मानना चाहिए कि बीस साल से जब उदारीकरण की नीति हमारे देश में चल रही है, हम वामपंथी अकेले पड़े, लेकिन बार-बार यह कहते गये कि हमारा यह मानिटरिंग सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, दरवाजे खोले देने चाहिए। बेशक हम विश्व से व्यापार करेंगे, वैश्वीकरण भी होगा, लेकिन थोड़ा नैट लगाना चाहिए ताकि मच्छर, मक्खी आदि न आ जाएं। हम खिड़की में नैट लगाने के लिए कह रहे थे और आप दीवार तोड़ रहे हैं। यह आप किसके कहने पर कर रहे हो। अभी हमने देखा पिछले सप्ताह अमरीका से एटोमिक एनर्जी का डैलिगेशन आया था। वह कह रहे हैं कि कानून में ये-ये तब्दीली होनी चाहिए। एटोमिक एक्ट में लॉयबिलिटी एक्ट नहीं आना चाहिए। मैं कोट कर सकता हूं। वहां पर कांग्रेस दल के हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रेसीडैंट बुश को भारत रत्न देना चाहिए। जहां वह जा रहे हैं, वहां जूते पड़ रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि यह कौन सा दृष्टिकोण है, कहां से निर्णय ठीक हो रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिये। अभिभाषण के आखिर में हाथ को वोट देना है, आम आदमी को यह कहने से पहले उस हाथ को अपने दिल में रखिये और यह सोचिये कि हमारी आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, आंतरिक नीति कहां पर आप छोड़कर चले जा रहे हो। हम सैल्फ रिलायंस की बात करते हैं।...*(व्यवधान)* जो वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही है, वह बहुत गंभीर है। हमें अफसोस है कि इस अभिभाषण में उसका आकलन नहीं किया गया। हमारा

[मोहम्मद सलीम]

सरकार के प्रति यह लांछन है कि सरकार स्वच्छता नहीं दिखा रही है। हमारे देश में विश्व की आर्थिक मंदी की वजह से क्या स्थिति पैदा हो रही है, उसका हमारे व्यापार, एक्सपोर्ट, लेबर मार्केट पर, महंगाई के मामले में, हमारे फूड, खुराक के मामले में, गरीबी के मामले में, कुपोषण के मामले में कहां तक इसका प्रभाव होगा, उसके बारे में सरकार या तो आकलन नहीं कर रही है और यदि कर रही है तो वह उसे छिपा रही है। यह हमने बजट भाषण में भी देखा और राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में भी देखा। उसे इसका सामना करना पड़ेगा। पिछले साल अक्टूबर महीने तक सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं थी, जब तक कि लेमैन ब्रदर्स का मामला आया। पूरे विश्व में दो साल से आर्थिक मंदी का मामला चल रहा है। यह डैवलपमैन्टल बैंकिंग सैक्टर से शुरू हुआ, सबप्राइम क्राइसेस हुआ, सिटी ग्रुप का मामला आया, एक के बाद एक बैंकों के मामले आये। सरकार को चूंकि इंडो-यू.एस. न्यूक्लियर डील को पुश करना था, वह उस समय सिर्फ परमाणु ऊर्जा दिखा रही थी, आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं कर रही थी और उसे शेयर नहीं कर रही थी। हमारी पार्टी ने नवम्बर महीने में सबसे पहले यह सजैशन जारी किया कि आर्थिक मंदी से निपटने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। किस तरह से प्लान एक्सपैन्डीचर बढ़ाना पड़ेगा, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इनफ्यूज करना पड़ेगा किस तरह से स्टिमुलस देना पड़ेगा और वह स्टिमुलस इस तरह नहीं होना चाहिए। अभी सरकार ने कहा, मैं 15 तारीख का इंडियन एक्सप्रैस पढ़कर सुनाऊंगा, कहते हैं कि सूरत में जो डायमंड वर्कर्स हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, छंटनी हो रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार का मंत्रालय कह रहा है कि हमारा काम एक्सपोर्टर्स को राहत देना है। उसके कंसीक्युअल जो अनइम्पलायमैन्ट हो रहा है, उसके बारे में हमारी कोई सोच नहीं है। उस समय आपको और ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा, आपको अपने बचाव का तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं कुछ पढ़ रहा हूं—

[अनुवाद]

सरकार स्वीकार करती है कि दिवाली से सूरत हीरा केन्द्र में 2 लाख रोजगार समाप्त हुए। यह "द इंडियन एक्सप्रेस" दिनांक 15 फरवरी, 2009 से है।

[हिन्दी]

मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा।

[अनुवाद]

दिवाली से अधिकांश रत्न और जवाहरात की इकाइयां नहीं खुली है। दो हजार पांच सौ या तीन हजार बड़ी हीरे की इकाइयों में लगभग 4 चार लाख लोग कार्य करते हैं, जिनमें से आधा ने अपने रोजगार खो दिए हैं।

[हिन्दी]

यह सरकार के लेबर डिपार्टमेंट का एक सर्वे हुआ तो मैंने वह सर्वे निकाला। अखबार से नहीं पढ़ूंगा। सरकार के पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार के लेबर डिपार्टमैन्ट की रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

आर्थिक मंदी के असर पर रिपोर्ट-भारत में बेरोजगारी।

[हिन्दी]

जब संसद का सत्र चल रहा है तो संसद के जरिए सच्चाई को देश के सामने लाना चाहिए या नहीं?

[अनुवाद]

11 राज्यों के 20 केन्द्रों में अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 के दौरान रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक नमूना सर्वेक्षण कराया गया था। *[हिन्दी]* यह किसी एक राज्य का मामला नहीं है। *[अनुवाद]* इस सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण क्षेत्र नामतः खनन, वस्त्र, धातु, रत्न और जवाहरात, ओटोमोबाइल, परिवहन और आईटी अर्थात् बीपीओ शामिल किए गए थे। *[हिन्दी]* क्योंकि 60 प्रतिशत जीडीपी का इसी सैक्टर से आता है। यह इतना महत्वपूर्ण है। *[अनुवाद]* इस सर्वेक्षण काफी बड़े सर्वेक्षण में 2582 लोगों के नमूने, शामिल किए गए थे।

[हिन्दी]

लैबर मंत्रालय ने किया है।

[अनुवाद]

अक्तूबर-दिसम्बर, 2008 के दौरान लगभग 5 लाख कामगार रोजगार से बाहर हो गए हैं।

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय यह कह रही है तो इस बारे में संसद को मालूम

होना चाहिए या नहीं? सरकार के बजट भाषण में यह आना चाहिए। जब आप वर्ष 2004-09 के कामों का रिपोर्ट कार्ड सुना रहे हैं। बेशक अच्छे काम हुए हैं क्योंकि हमने आपका साथ दिया था। एनसीएमपी की बात आप कर रहे थे। प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2004 एनडीए की सरकार को हटाकर परिवर्तन के लिए यूपीए सरकार आई थी। हम पिछले चार साल से आपका समर्थन कर रहे थे और यह कह रहे थे कि कृषि में संकट, बेरोजगारी और महंगाई की चुनौती को स्वीकार करो। लेकिन उस समय भी आप उदारीकरण की नीति को बढ़ावा दे रहे थे। आज सरकार कह रही है राष्ट्रीय उद्योगों से हमें डिवीडेन्ड और टैक्स मिल रहा है, लेकिन पिछले दस-पन्द्रह साल से इसी उद्योग को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यूपीए और एनडीए द्वारा। हमने सीना तान कर उसका विरोध किया, जिसके लिए हमें बदनाम किया गया। आज पूरे विश्व में यह कहा जा रहा है, चाहे आइसलैण्ड, ब्रिटेन और अमेरिका हो, वे नेशनलाइजेशन के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमें कहते थे। *[अनुवाद]* व्यवसाय के क्षेत्र में सरकार का कोई काम नहीं है। *[हिन्दी]* आज वे सभी बिजनेस को संभालने के लिए उतर रहे हैं सिर्फ सत्यम को रोकने के लिए नहीं। सरकार की अपनी भूमिका है और हम समझते हैं कि आर्थिक संकट और मजदूरों पर इसके असर को रोकने के लिए सरकार को सच्चाई का सामना करना होगा और देश की जनता के साथ संवाद करना होगा। उस भय और आतंक से निबटने के लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही है।

महोदय, खाद्य के बारे में नौ फरवरी के न्यूज़वीक में लिखा है *[अनुवाद]* भुखमरी मंदी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम हो सकती है। *[हिन्दी]* हमारी परेशानी यह है। वे कह रहे हैं कि इसका ज्यादा असर सब-सहारा स्टेट और साउथ एशिया के देशों पर होगा। हमें गियरअप करना होगा। यह ठीक है कि हमारा प्रोक्योरमेंट सही हुआ है, चार साल मानसून सही निकला है। हमारे किसानों को हम सलाम करते हैं, लेकिन हमारा बफर स्टॉक जितना होना चाहिए उससे 84 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने यह नहीं बताया कि एपीएल के राशन के कोटे में 73 प्रतिशत कटौती क्यों की गई? बावजूद इसके कि आपके पास खाद्यान्न है। हमारे देश में हुए फैमिली सर्वे में यह बताया गया है कि शून्य से पांच साल की उम्र के 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। दो बच्चों में से एक कुपोषण का शिकार होता है। यह तब हुआ था, जब मंदी नहीं आई थी, जब देश प्रगति कर रहा था। हमारी देश की 70 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। शून्य से तीन साल के बच्चों के अंदर सीवियर कुपोषण है। मैं और अन्य एमपी ग्रुप बनाकर गांव-गांव में गए थे, उसमें सभी दल के एमपी शामिल थे। मैं सभी दलों की बात कर रहा हूं, मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह स्थिति हमारे राज्य में भी हो सकती है। झारखण्ड और महाराष्ट्र के ट्राइबल एरियाज़ में सबसे ज्यादा है। बिहार और मध्य प्रदेश भी हम लोग गए थे। हमने वहां यह सब देखा है। जब खाद्य संकट बढ़ेगा और छंटनी होगी तो उसका सीधा असर कुपोषण पर पड़ेगा क्योंकि गरीब तबके के लोग अपनी इन्कम का पचास प्रतिशत खाद्य पर खर्च करते हैं।

हमारे देश में वे 70 प्रतिशत खुराक में देते हैं और वह अगर इनकम ही नहीं होगी तो उसे वह खुराक नहीं मिलेगी। उसके लिए हम कैसे गौरव कर सकते हैं। हम जब नौ परसैंट के लिए गौरव हासिल करते हैं, बेशक हमारी ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट हुई, उस समय हमने यह कहा कि सोशल सैक्टर में बड़ा खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, गांव तथा शहर के विकास के लिए उस समय कहा गया कि आप बिलियनियर्स बन रहे हैं, बाद में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। उदारवाद का यह मतलब है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। लेकिन ऑपरेशन से पहले जब वे फिक्की मीटिंग में एक एवार्ड की घोषणा के लिए गए तो कहते हैं कि यह बहुत बड़ा आर्थिक संकट विश्व में हो रहा है। इससे निबटने के लिए हमारे पूरे देश के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मतलब, जब फायदा हो, डेवलपमेंट हो, जो बिलिनेयर्स हों तो मुट्ठीभर लोगों के हाथ में वह फायदा, प्रोफिट्स, सुपर प्रोफिट्स और जब नुकसान एवं परेशानी हो तो जो भूखा इंसान है, उसे आप कहते हैं कि तुम कमर कसो, तुम्हें हिस्सा लेना पड़ेगा। प्रोफिट्स का प्राइवेटाइजेशन और लॉस का नेशनलाइजेशन, ये उदारीवाद में चलता रहेगा और उससे हमारी जो अपनी आर्थिक स्थिति है वह खोखली हो रही है। मैं यहां आंकड़े देना नहीं चाहता हूं, आप अगर इन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने न्यूज़ वीक का हवाला दे दिया है इसलिए मैं इन्हें पढ़ना नहीं चाहता हूं। हमारे यहां आईएमएफ का जो फोरकास्ट है, हमारा नहीं। आईएमएफ का फोरकास्ट पूरे विश्व के वाणिज्य में, विश्व का जो ग्रोथ रेट है, वह इस साल सन् 2009 में 2.2 प्रतिशत होंगे, जब कि पिछले साल 3.7 प्रतिशत थे और सन् 2007 में पांच प्रतिशत हुए थे। मतलब स्लो डाउन दो साल से हो रहा है। लीडरशिप का मतलब क्या है, *[अनुवाद]* उन्हें दूरदर्शी होना चाहिए। *[हिन्दी]* मैं सन्, 2008-09 के आंकड़े बता रहा हूं। सरकार की जब सन् 2009 में सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगी, वह इसे मानने और बोलने के लिए तैयार नहीं है।

वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ के बारे में फोरकास्ट है, आईएमएफ का लेटेस्ट डाकूमेंट्स *[अनुवाद]* विश्व व्यापार की विकास दर वर्ष 2007 में 7.2 प्रतिशत से घटकर 2008 में 4.6 प्रतिशत हो जाएगी। *[हिन्दी]* सन् 2009 में घट कर 2.1 परसैंट हो जाएगा।

अपराह्न 3.26 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन हुईं*]

इसके साथ हमारा सीधा एक्सपोर्ट का रिलेशन है। हमारा एक्सपोर्ट का 37 प्रतिशत नार्थ अमेरिका और यूरोप में जाता है। दुर्भाग्य से हो या सौभाग्य से हो, ज्यादा इंटीग्रेशन भी हो रहा है। यह कहा गया है कि यूएस की इकोनोमी सन् 2009 में 0.3 परसैंट माइनस ग्रोथ होगी, जब कि सन् 2008 में 1.4 परसैंट थी। यूरोप का ग्रोथ सन् 2009 में 0.7 परसैंट थी, जब कि यह पिछले साल 1.4 परसैंट थी। हम अपना जो 37 प्रतिशत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड बता रहे हैं, अभी ऑलरेडी टैक्सटाइल्स, गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीस आदि में लोग हाहाकार मचा रहे हैं, क्योंकि उनका आर्डर कट हो रहा है। पहले का जो कमिटमेंट है, वह भी नहीं है, भविष्य का आर्डर बुक खाली हो रहा है। उसके फोरकास्ट को देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। फिर भी हम बच जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट का 50 प्रतिशत एशिया में है *[अनुवाद]* एशिया सबसे सक्रिय क्षेत्र है। *[हिन्दी]* लेकिन यूरोप और अमेरिका के साथ इंटीग्रेशन ऐसा है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड आदि जो देश हैं, उसका एक असर उनके ऊपर भी हो रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसेस है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : सलीम जी, आप चेयर को एड्रेस करें, उन्हें नहीं।

मोहम्मद सलीम : मैडम, मैं उन्हें शांत रखने की कोशिश कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* मैं अपनी पार्टी की चिन्ता के बारे में नहीं बल्कि मुझे जो चिन्तित करता है उसके बारे में बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

यह जो स्थिति है, अगर हमारा एशियन मार्केट भी नीचे जा रहा है और सरकार यह कह रही है, आज अश्विनी कुमार जी ने प्रश्न-काल में एक प्रश्न का रिप्लाई दिया, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट बेशक ठीक है। पिछले बीस साल से उदार आर्थिक नीति के जो प्रवक्ता हैं, वे टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जितने कंसेशंस, ड्यूटीस, सब कुछ वे देखते रहते हैं कि किस तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। बेशक हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए लेकिन जब तक हमने अपने 115 करोड़ के बाजार बना पाएंगे तब तक हम डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदया, आज हमें अपने डॉमैस्टिक मार्केट की तरफ देखना पड़ेगा। इसलिए यह स्टीमुलस है, वह निवेशक के लिए नहीं है। अभी सरकार कह रही है कि सैनवेट पर 4 परसेंट कमा लेते हैं। पिछले एक साल से सरकार कह रही है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट घटाएगी, सी.आर.आर. घटाएगी। जो मॉनीटरिंग पालिसीज हैं, सिर्फ उन्हें सरकार चेंज कर रही थी। जो फायनेंश्यल क्राइसिस है, उसे मानने को सरकार तैयार नहीं थी। वह सिर्फ यह कहती थी कि यह लिक्विडिटी क्रंच है, मार्केट में थोड़ा पैसा आ जाएगा, तो उसके बाद मामला हल हो जाएगा। जब ऑर्डर ही नहीं होगा, जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो बाजार कैसे सुधरेगा? क्या यह सिर्फ निवेश से हो जाएगा? इसलिए हम चाहते हैं कि अपवर्ड डाऊन हो। सरकार की ओर से स्टीमुलस पैकेज होना चाहिए था। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बात आनी चाहिए थी। इसके साथ-साथ जो निर्माण का कार्य है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश में डैवलपमेंट में डैफीसिट है। हमारे यहां स्कूल्स हैं, लेकिन बिल्डिंग्स नहीं हैं, गांव हैं, लेकिन सड़क नहीं हैं, लोग हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं है, ब्रिजेज नहीं हैं। रेलवे सभी जगह को कवर्ड नहीं करती है। आज तक हमारे 50 परसेंट स्टेट हाइवेज का एवरेज 2 मील से ऊपर नहीं उठा है। इसलिए अब वक्त है जब स्टील में, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट में और लेबर मार्केट में स्लम्प आ रहा है, तो सरकार को पुश करना चाहिए।

महोदया, सरकार कहती है कि पी.पी.पी.। इस वर्ष के बजट में भी यही बात कही गई है। जब निवेश के लिए इंडस्ट्रियल फंड सरकार के पास नहीं था, प्राइवेट सैक्टर के पास था, तो पी.पी.पी. मॉडल काम कर सकता है, वह पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अब जब लिक्विडिटी क्रंच है, जब व्यापारी खुद कह रहा है कि हमारे पास बिजनैस में लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारा पी.पी.पी. कहां से होगा। घोषणा होगी, लेकिन वह लागू नहीं होगी। वरना वैसे ही भाषण करना पड़ेगा।

महोदया, मैं इस अभिभाषण में से एक-दो उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि जो भी बात भाषण में कही गई है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार 'करेगी,' 'होगा'। सरकार ने चार साल में क्या किया, उसका आकलन देना चाहिए था। मैं भाषण के अंदर से एक-एक कर के छोटे-छोटे उदाहरण दे रहा हूं। आप पैराग्राफ 14 में देखेंगे कि-" शहरी गरीबों की स्वास्थ्य आवश्यकता पर फोकस करने के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन बनाने पर हमारी सरकार विचार कर रही है। जैसे रूरल हैल्थ मिशन है, वैसे ही हमने कहा कि शहरों में भी गरीब है, बस्तीवासी हैं, झोंपड़पट्टी में रहते हैं, ह्यूमन डैवलपमेंट इंडैक्स के अनुसार उनके स्वास्थ्य का आंकड़ा नीचे जा रहा है। अब पांच साल के बाद अगर यू.पी.ए. सरकार कहे कि हमारी सरकार विचार कर रही है, तो "बाबा मरिए दल बटिए" वाली कहावत चरितार्थ

होगी। यह काम अभी होना चाहिए था। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, उन सबके बारे में यही है कि सरकार 'कर रही है।'

महोदया, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में से ही पढ़कर बता रहा हूं- ''यद्यपि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने तथा नियमों को शिथिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।'' यह क्या है, नवजात शिशुओं के बारे में, बच्चों के बारे में, माताओं के स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है कि काम किया जा रहा है। हमें यह कहना चाहिए था कि पांच साल में हमने यह किया। हम पांच साल पहले इस स्थिति में थे और अब पांच साल बाद इस स्थिति में आए हैं। यह हमारा 2004 का आंकड़ा था और अब 2009 का आंकड़ा यह है। जिस प्रकार से बजट भाषण में, हमारा बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। 25 साल में जो मिसिंग हो गया, उसे मैच करने के लिए, उसे फिर से ठीक करने के लिए, उन्हें लाया गया है। उन्होंने एलोकेशन्स के बारे में, सैंक्शन्स के बारे में कहा कि 2004 का बेस यह था और 2009 का बेस यह है। यह बहुत अच्छी बात है। उसी तरह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एचीवमेंट के बारे में भी बताया जाना चाहिए था कि हमारा हैल्थ इंडैक्स यह था। मैं चेलेंज कर रहा हूं, गवर्नमेंट को आना चाहिए और कहना चाहिए कि वर्ष 2004 में एनरोलमेंट की स्थिति यह थी और आज इतनी हुई। अल्पसंख्यकों के बारे में यदि कहना है, तो बताना चाहिए था कि उनकी शिक्षा की वर्ष 2004 में यह स्थिति थी और अब 2009 में यह है। ऐसे तुलना करनी चाहिए थी, तब मालूम पड़ता है कि कितना काम हुआ। अनुसूचित जाति के बारे में अनुसूचित जनजाति के बारे में, इन फिजीकल टर्म्स, इम्पलीमेंटेशन, रीचिंग फिजीकल टारगेट्स बताए जाएं, तो वह काम की बात होगी। मैं इस प्रकार के बहुत उदाहरण दे सकता हूं।

महोदया, विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन 2004 से हम कह रहे थे, एन.सी.पी. भी थी, घोषणा हुई, 2007-08 में, लागू हुआ 2008-09 में और आज हम क्या सुन रहे हैं कि ''अल्पसंख्यक समुदाय के औसतन आठ लाख विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे।'' इसी प्रकार से एस.सी. और एस.टी. व अन्य के बारे में भी है कि 'किए जाएंगे' और 'किए जाएंगे' के मायने हैं आगे काम किए जाएंगे। सरकार कैसे काम करती है, इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सफाई कर्मचारियों के बारे में बजट में कहा गया, घोषणा की गई, सरकार के आंकड़े हैं- *[अनुवाद]* मलिन उपजीविका से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2008-09 के 54 करोड़ रु. के बजटीय आकलन की तुलना में 2.37 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

यह डाक्यूमेंट 16 फरवरी का है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मोहम्मद सलीम, कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : मैडम, मुझे कुछ और भी बातें कहनी थीं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : आपकी पार्टी का समय केवल 40 मिनट है। लेकिन आपने पहले ही 35 मिनट ले चुके हैं। कृपया मुख्य बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : मैडम मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए।

मुझे एक-दो प्वाइंट्स और कहना है। महिला आरक्षण का मामला कब से चल रहा है?

सभापति महोदया : मुझे देखकर महिला आरक्षण मामला याद आ गया।

मोहम्मद सलीम : इसे मैंने प्वाइंट्स में देखा है। आपको मालूम है, मैं पूरा चिट्ठा नहीं बोलूंगा। जो बिल है, वह अभी पड़ा हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके बारे में कहना चाहिए था, एनसीएमपी में यह वादा किया गया था। उससे पहले जब पूर्व में कमेटी बनी, मैडम इंदिरा गांधी के समय में वर्ष 1974 में, तब यह प्रस्ताव आया, उसके बाद वर्ष 1988 में आया, उसके बाद गीता मुखर्जी कमेटी बनी, उसने इसे एग्जामिन किया। अब यह कहा जा रहा है कि यह होने वाला है। प्रधानमंत्री जी जब दो साल पहले लेडी श्रीराम कालेज में गए, तो उन्होंने वहां कहा कि यह आने वाला है। आप अगर देखें, जो राजकुमारी अमृत कौर थीं, 20 मार्च, 1947 को आजादी से पहले जो कमेटी आन माइनेरिटीज थी, कांस्टीट्यूशन की सब कमेटी, उसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। कितने साल और इंतजार करायेंगे? सरकार अगर चाहती है, तो दस मिनट में नौ बिल पास कर देती है और अगर नहीं चाहती है, तो 50-60 साल तक इंतजार कराती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : जब आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, तो आप रोयेंगे।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैं काम की ही बात कर रहा हूं। एक्सपोर्ट की जो स्थिति है, उसके लिए बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा।

आखिरी पैरा यूथ्स के बारे में है। हमें युवाशक्तियों को आगे ले जाना होगा। बेशक, चूंकि इस संकट की स्थिति में भी हम समझते कि हमारे युवाओं का डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है।...*(व्यवधान)* लोग हमसे कहते हैं जब आजादी का मामला होता है, जब एफबीआई आ रहा था, जब उधर चाइना कर रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं एक उदाहरण दूंगा। वर्ष 2007-08 से चाइनीज गवर्नमेंट ने, जो उनके मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग इस्टीट्यूट्स हैं वहां जो ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, यह कहा कि देखिए, आर्थिक मंदी शुरू हो रही है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा काम ज्यादा है बाजार खराब होगा, तुम्हारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। *[अनुवाद]* "यह आपको देख रहा है।" *[हिन्दी]* हम क्या करेंगे, जिला पंचायत में म्युनिसिपलिटी में, ब्लाक में, एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी पोस्ट क्रिएट किया। उनको कहा कि वहां पब नहीं मिलेगा, फाइव स्टार होटल नहीं मिलेगा, उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारे देश के आंकड़े से 18000 रुपए तुमको गांव में तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तुम वहां जाकर दो साल अप्रिंटिसशिप करो। आज हम जो डिलेवरी सिस्टम एप्रूव करते हैं, हमारे गांव में क्या होता है, हमारे आईआईटीज से, आईआईएम से जो लोग हैं, वे जाकर वहां स्कीम से जुड़ते नहीं हैं। अच्छे माइंड के जो लोग होते हैं, वे विदेश में चले जाते हैं या बड़ी कंपनी में जुड़ जाते हैं। जब विदेश में कैंपस रिक्रूट नहीं करेंगे और जब हमारे देश की कंपनियां उन्हें नहीं लेंगी, तो हमारे जो हजारों ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, नए-नए आईआईटी और आईआईएम हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यूथ का मतलब यह होता है कि सरकार उनके लिए साधन जुटाए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह दूसरी सांस्कृतिक क्रांति है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: ...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* इस साल अभी है। *[अनुवाद]* आधुनिकीकरण है। *[हिन्दी]* उन को कहा कि तुम अगर गांव की खेती को, इंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करोगे, करप्शन को रोकोगे, तो तुम को इंसेंटिव मिलेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप को रिसेंट कापी करना पड़ेगा। *[अनुवाद]* यही हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि मुद्दों और चिन्ताओं पर विचारों का आदान-प्रदान हो। तब हमें लोगों को साथ लेना है। *[हिन्दी]* खासकर यंग जेनरेशन को मोटीवेट करना पड़ेगा। सांप्रदायिकता के नाम पर, मंदिर वहीं बनायेंगे कहकर, किसी को पोटा में डालकर हम वह नहीं कर सकते। हमारे पूरे देश की ताकत को इस स्थिति में इकट्ठा करना पड़ेगा। इस सरकार को वोट नहीं, उसके बियांड देखना पड़ेगा, चाहे सरकार जिसकी भी आए। वर्ष 2009 की जो विश्व स्थिति है और हमारे देश की जो स्थिति है, हमारी जो आर्थिक और वित्तीय चुनौती है, उसका सामना किस तरह से करेंगे, हम समझते हैं कि इस अभिभाषण में उस बारे में गौर नहीं किया गया। सरकार तो इलेक्शन हंट कर रही है। जो हमारे देश की वास्तविक चुनौती है, उसे हंट करना चाहिए था। इसी कारण हम नहीं समझते हैं कि आज की स्थिति के लिए अभिभाषण सरकार ने सही किया। हमारा राष्ट्र धर्म यही है, सत्यमेव जयते।

हम अशोक स्तम्भ के नीचे लिखते हैं — सत्यमेव जयते। मुण्डकोपनिषद से किया गया — सत्यमेव जयते नानृतं, सत्यमेव पंथः विदेय न जानो। हमारा राजनीतिक धर्म — अहिंसा परमो धर्म, दर्शन है। आज क्या हो रहा है? एक '*अ*' को खींचकर दूसरे '*अ*' में लगाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यह हो रही है कि अहिंसा के '*अ*' को सत्य के सामने ले जाकर स्थापना की जाए क्योंकि चारों तरफ हिंसा बढ़ रही है। आप चाहे माओवादी बोलें, चाहे आतंकी बोलें, चाहे इनसर्जेंसी बोलें। दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा भी बढ़ रही है। ...*(व्यवधान)* एक सत्यम नहीं, सैंकड़ों ऐसे सत्यम हो सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि सत्यमेव जयते भी रहे और अहिंसा परमो धर्म भी रहे, नेहरूवियन की जो सैल्फ रिलायंस पॉलिसी है, उसमें भी सरकार कायम रहे, वर्ना अगर पूरा-पूरी अमरीकी कदम में चले जाएंगे तो हमारा आर्थिक तो है ही, राजनीतिक भट्टा भी बैठ जाएगा।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदया, हम लोगों को सरकार के साथ जुम्मा-जुम्मा तीन-चार महीने हुए। जिन परिस्थितियों में हम लोग आए, कुछ मुंह पर कालिख ही पुती, कुछ बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। बावजूद इसके जब आ गए हैं तो इतनी जल्दी भागना भी बहुत अशोभनीय लगता है कि इसलिए लोक-लाज में साथ रहना, पार्टीवृत धर्म का निर्वाह करना हमारी संस्कृति, सभ्यता और परम्परा के प्रतिकूल न हो, इसलिए विवशतावश हम लोगों को साथ रहना है। पांच वर्ष की उपलब्धियों का हम उस रूप में बखान करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है, हम उसका समर्थन करने के लिए जरूर खड़े हैं। सबसे पहले हम इस सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि पांच साल तक राज करने की जो कला है, वह आडवाणी जी को कांग्रेस पार्टी से सीखनी चाहिए। यह कहना आसान है कि ताल-तिकड़म और

पैसे के बल पर यह सरकार बनी है और आडवाणी जी इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हैं। लेकिन मैं भी बारहवीं लोक सभा का सदस्य था। क्या वे सारे हथकंडे आडवाणी जी की ओर से उस सरकार को बचाने के लिए नहीं अपनाए गए? अब मैं खुद प्रमाण हूं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आपके दिवंगत संसदीय कार्य मंत्री ने जिस रूप में लोगों को फुसलाने की कोशिश की, वह कोई बड़ा सुनहरा अध्याय नहीं है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम कैमरे के अंदर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, मैं ऐसा समझता हूं कि उस पार्टी को सदाचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन वे सब कुकर्म करने के बावजूद आप सरकार बचा नहीं पाए और वे सब कुकर्म करके दसवीं लोक सभा और इस लोक सभा में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार को बचा लिया। फर्क दोनों में इतना ही है कि आप बचा नहीं पाए और उन्होंने बचा लिया।...*(व्यवधान)* हम इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम एक विश्लेषण कर रहे हैं कि हम राजनीति के अध:पतन के किस स्थान और मुकाम पर पहुंच गए हैं, यह हम सबके लिए एक चिन्ता का विषय है। बार-बार आडवाणी जी ने स्वयं संविधान में बुनियादी परिवर्तन करने के लिए जो जस्टिस वैंकटाचलैया कमेटी बनाई थी, उसने क्या संस्तुति दी। उसने संस्तुति दी कि लोक सभा को पांच साल काम करना चाहिए।

जब लोक सभा को पांच साल काम करना चाहिए, तो बीच में सरकार को अस्थिर करना या उसके बहाने लोक सभा को अस्थिर करना, मैं समझता हूं कि यह कोई जायज राजनीतिक समझ नहीं है और इस समझ में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि एनडीए सरकार के जब अंतर्विरोध सामने आने लगे, तो छ: महीने पहले स्वयं ही उस सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी। उसके एक्सपोजर की अवधि तो अब आ रही थी, इसलिए इस देश में बहुत सदाचारी ढंग से कोई सरकार चलायी, ऐसा दावा करने की आज की स्थिति नहीं है। मैं इस बात के लिए यूपीए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अपना पांच साल के टर्म का उन्होंने जोरदार ढंग से निर्वहन किया और सब तरह के लोगों को अपने साथ मिलाकर एक नयी दिशा पकड़ने की कोशिश की।

मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए जम्मू-कश्मीर की बहन जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिसके बारे में दो-तीन महीने तक यह वातावरण बनाया गया कि वहां पूरी अराजकता की स्थिति है, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो सकते। वहां पाकिस्तान के झंडे लहराये जा रहे हैं, आतंकवादियों का जबरदस्त प्रवेश हो गया है और जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, एक प्रतियोगिता दो-तीन महीने तक उस राज्य में चलती रही। इसके हम सब साक्षी हैं, लेकिन जब चुनाव की घोषणा कर दी गयी तब सारी स्थिति साफ हो गयी और शायद भारत में अकेला जम्मू-कश्मीर ऐसा राज्य है जहां के मतदाता ने 85 फीसदी तक मतदान किया और उन परिस्थितियों में मतदान किया, जब देश के अलगाववादी तत्वों ने उनकी जान पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन उनको ठुकराकर बड़े पैमाने पर वहां मतदान हुआ और एक स्थिर सरकार की स्थापना करने में भारत सरकार ने जबरदस्त प्रयास किया। आज वहां एक स्थिर सरकार है, इसके लिए हम जम्मू-कश्मीर की जनता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं।

तीसरी बात, दुनिया में मंदी का दौर आया। इसके ऊपर इस संसद में भी बहस हुई। मंदी के बहुत सारे कारण भी इस देश में पड़े। यदि अब समाचार-पत्रों को पढ़ा जाये, तो यह स्थिति आ रही है कि दुनिया का जो सबसे आर्थिक रूप से सम्पन्न दूसरे नम्बर का राष्ट्र है--जापान, उसकी आर्थिक तरक्की 17 फीसदी के हिसाब से नीचे जा रही है। जब दुनिया के सबसे समृद्ध और सम्पन्न राष्ट्र संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को अपने आप में सुरक्षित रखने के लिए एक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है और जिस तरह युद्ध काल में, नेता विरोधी दल कह रहे थे कि जब दूसरे से हमारे ऊपर संकट आये, तो हम सभी एक हैं। ऐसा एक संदेश केवल युद्ध में नहीं, जब आर्थिक संकट आये, तो उस समय भी देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि सभी लोग उस मंदी का निपटारा करने के लिए एक हैं। ऐसा वातावरण हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्ष 2009 में संकट आने वाला है, ऐसा वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है। संकट आने वाला नहीं है, संकट आया हुआ है। अपनी आंखों को खोलकर देखने की जरूरत है। एक समय था जब हमारी कृषि शून्य से नीचे जा रही थी। यदि कृषि की तरक्की हमारी चार फीसदी के आस-पास न पहुंची होती, तो मंदी का, हमारी अर्थव्यवस्था का जो अंतर्विरोध है, इसने हमें बहुत नीचे डुबा दिया होता। हम इस देश के किसानों को बधाई देना चाहते हैं। इसको हम सरकार की नीतियां कहें या किसानों का उत्साह कहें, बिना सरकारी नीतियों में परिवर्तन के किसानों के अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं हो सकता था और सरकार ने स्वयं यहां स्वीकार किया था, जब कृषि के ऊपर बहस हो रही थी कि पिछले दस वर्षों में डेढ़ लाख के आस-पास किसानों ने अपनी समस्याओं के चलते आत्महत्या की और इसीलिए इस देश के किसानों को एक सम्बल मिला। जब हमने किसानों के बैंकों के ऋण को माफ करने की घोषणा की, यह कोई मामूली घोषणा नहीं थी। इससे पहले केवल जब वी.पी. सिंह की सरकार थी, 15 हजार करोड़ रुपए किसान का कर्ज माफ हुआ था और उसके बारे भारत के इतिहास में सबसे अधिक

[श्री मोहन सिंह]

किसानों के ऊपर बैंक का कर्जा यूपीए सरकार ने माफ किया है, जिससे किसानों के अंदर एक भरोसा और नये आत्मविश्वास की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। इसी के साथ हम लोग इस बात को भी बार-बार कहते रहे हैं कि किसान को कर्ज लेने की स्थिति न आए, उसके दो आधार हो सकते हैं। एक आधार यह है कि कृषि में लगने वाले उपकरणों पर राजसहायता किसान को सीधे दी जाए। सरकार कहती है कि 94-95 हजार करोड़ रुपए हम किसानों को खाद की राजसहायता के रूप में देंगे। एक गैर सरकारी आंकड़ा है कि यह खाद की राजसहायता बढ़कर एक लाख दस हजार करोड़ रुपए हो जाएगी। यह कोई मामूली राजसहायता नहीं है। इन्हीं सब राजसहायताओं की वजह से हमारा राजकोषीय घाटा कोशिश करने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद के दो फीसदी से कम नहीं हो पा रहा है। साढ़े चार फीसदी या छः फीसदी जो राजकोषीय घाटा है, वह अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी कुछ विवशताएं हैं, जिनके चलते इस राजकोषीय घाटे के बढ़ने का एतराज इतना जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक बड़ा हिस्सा खाद के ऊपर किसान को दी जाने वाली सब्सिडी है। इसके संबंध में हम लोगों ने कई बार यह सुझाव दिया है कि खाद की सब्सिडी किसान को सीधे पहुंचनी चाहिए। पिछले बजट में भारत सरकार ने इस बात का एलान किया था कि प्रयोग के तौर पर देश के हर राज्य के एक जिले में किसान को खाद की सब्सिडी देकर हम इस बात का प्रयास करेंगे कि यह प्रयोग सफल होता है या नहीं। डेढ़ साल हो गए, भारत सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है जो इस सदन के अंदर की हुई उसकी घोषणा थी, उस घोषणा पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में सरकार अपनी संपूर्ण नीति पर विचार करे और किसान के हाथ में यह सब्सिडी सीधे देने के संबंध में एक नयी नीति का परिचालन करे। कृषि उपज के जितने खरीद मूल्य हैं, उनके बारे में स्वामीनाथन कमीशन ने कहा है कि किसी जीन्स को पैदा करने में किसान की जितनी लागत आती है, उस उत्पादित वस्तु पर आने वाली लागत के ऊपर 40 फीसदी मुनाफा जोड़कर हर वर्ष किसान के उत्पाद के भाव को निश्चित किया जाना चाहिए और इस हिसाब से पिछले साल कहा गयी कि धान की खरीद की कीमत 700 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। यह किसान के लिए लाभदायक थी, लेकिन राज्य सरकारों ने कोई सहयोग नहीं किया, कहीं भी खरीद केंद्र नहीं खुले। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान 600 रुपए, 650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना धान बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हुए। आपने जो भाव निश्चित किया था, उसका लाभ किसान तक नहीं पहुंच पाया। कृषि समिति ने, भारत सरकार के विशेषज्ञों ने बार-बार सरकार को सलाह दी कि आने वाले रबी सीजन में गेहूं का खरीद मूल्य 1100 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। सरकार इसके करीब पहुंची, लेकिन कुछ समय पहले इसमें 20 रुपए कमी कर दी गयी। ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ? सरकार के लिए इसकी भरपाई का अभी भी अवसर है। इसी के साथ-साथ हम ऐसा मानते हैं कि इस देश में जो मंदी आ रही है, उसके बारे में हम गंभीरता से सोचें। सभी गैर-सरकारी आंकड़े इस बात के आ रहे हैं। केवल एक्सपोर्ट का सवाल नहीं है, एक्सपोर्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं, उनमें चार लाख या पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि एक वर्ष के भीतर इस देश में एक करोड़ पुराने रोजगार खत्म होंगे और नए रोजगार की कोई संभावना नहीं है। यदि पुराने रोजगार में से एक करोड़ रोजगार खत्म हो गए और नए बेरोजगार एक करोड़ और बढ़ गए तो इन दो करोड़ रोजगार की भरपाई हम कहां से करेंगे? इस देश में नक्सलवाद बढ़ेगी, अशांति पैदा होगी और अराजकता का भाव पैदा होगा। इसलिए इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए, चूंकि हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह अभी तत्काल ऐसी कोई योजना बनाएगी, जिससे इस देश की बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए सरकार सजग हो सके। लेकिन चुनाव से पूर्व ही सभी दलों की एक बैठक भारत सरकार को करनी चाहिए कि जो संभावित बेरोजगारी हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर आने वाली है, इसका मुकाबला करने के लिए हम क्या करें।

दूसरी बात, इस देश में बढ़ती हुई जो गम्भीर समस्या है, वह आतंकवाद है। आतंकवाद की समस्या कोई अकेले भारत की समस्या नहीं है। तमाम बाहर के प्रतिनिधि आते हैं, तो उनका कहना है कि भारत में जो आतंकवाद है, वह बाहर से प्रायोजित है। मुझे खुशी है कि मुम्बई की घटना के बाद भारत सरकार ने जिस तरह की कूटनीतिक पहल की है, उसके सकारात्मक पहलू हमारे समाने आ रहे हैं। दृढ़ होकर उठाए गए राजनैतिक दबाव के कूटनीतिक प्रयास से हमारे आसपास के देशों में आतंकवाद का उन्मूलन हो सकता है, इस बात को इस सरकार के कूटनीतिज्ञों ने सिद्ध किया है।

मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे पड़ोसी देश ने जिससे हम बार-बार इस बात की मांग करते थे कि इस देश में बहुत बड़ा अपराधी छिपा है, जो हमारे देश में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है, हमारे देश का नम्बर एक अपराधी है, उसे भारत को देकर हमें उस पर कार्रवाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारे पड़ौसी देश की सरकार बार-बार कहती थी कि उस शख्स का न तो हमारे देश में ठिकाना है और न हमें इस बात की जानकारी है कि वह कहां है। लेकिन आज पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने अपनी रक्षावाहिनियों से कहा है कि दाऊद नाम का

अपराधी दुनिया में किसी भी कोने में छिपा हो, उसे गिरफ्तार करके लाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत की कूटनीति की मुम्बई की घटना के बाद यह सबसे बड़ी सफलता है। इसके बाद भारत सरकार को अपनी कूटनीतिक पहल इतनी ही जोर से जारी रखनी चाहिए।

सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पड़ौस में कुछ ऐसे लोग हैं, जो रिग्रुप हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की राजधानी को खतरा पैदा हो गया है। उन लोगों की कोशिश है कि न केवल पाकिस्तान की सीमा पर कब्जा कर लिया जाए, बल्कि पाकिस्तान की राजधानी पर भी कब्जा करके दुनिया में पाकिस्तान को फोकल पाइंट बनाकर आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इसके प्रति भारत सरकार को अभी से सावधान होना चाहिए। इसके उन्मूलन के लिए अगर भारत से सहायता मांगी जाए, तो उस पर भारत को गम्भीरता से सोचना चाहिए। किसी भी आतंकवादी पर, यदि हमारा पड़ौसी मुल्क यह आश्वासन हमें देता है कि हम अपने देश में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, उसे हमारे सुपुर्द कर दो, हमारी सरकार को यह कबूल नहीं करना चाहिए। यह कहना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश के किसी आतंकवादी ने हमारे देश में कोई आतंकवादी घटना की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम यहां करेंगे, यह हमारे कार्यक्षेत्र में है और हम किसी भी दूसरे देश की सरकार के हाथ में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दे सकते, यह हमारा काम है और हम इसे करेंगे।

हम भारत सरकार को सावधान करते हुए राष्ट्रपति महोदया द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए अभिभाषण का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही देव साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हैं। कुछ चीजों के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हुए यह विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में उसकी सारी चिंताओं का हम एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदया, देव जी ने जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले पांच वर्षों में यूपीए सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए और उस पर खरा उतरने के लिए इस सरकार ने भरसक प्रयास किया है। सरकार का ध्यान गांवों की ओर अधिक दिया गया है। हमारे देश में इंडिया बनाम ग्रामीण भारत पर काफी बहस होती है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इंडिया गेट के भीतर जो इलाका है, वह इंडिया है और उसके बाहर का जो इलाका है, वह भारत है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि असली भारत गांवों में बसता है।

अपराह्न 4.00 बजे

उसकी तरफ यूपीए सरकार ने अपनी नीति और दिशा को तय किया है और इसमें कुछ काम हुआ है और कुछ बाकी है। इंडिया से मेरा मतलब है, इंडिया गेट से भीतर का हिस्सा और गेट-वे ऑफ इंडिया के भीतर तो मुम्बई है, उसे इंडियन कहा, पार्लियामेंट इंडिया में आ जाता है क्योंकि यह इंडिया गेट के भीतर है। इसलिए बहस भी इंडिया की तरह हो रहा है, भारतीय की तरह बहस हो तो देश का कल्याण हो जाए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था गांव पर निर्भर करती है, खेती और गांव की व्यवस्था पर ही भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। गांव खुशहाल नहीं होगा तो भारत खुशहाल नहीं हो सकता है, इंडिया खुशहाल हो सकता है — मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए मैंने देखा कि कुछ काम उस दिशा में हुआ है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, चाहे इसकी जितनी आलोचना हो, लेकिन 100 दिन का रोजगार उन गरीबों को, जो वंचित समाज है, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा है, उसको 100 दिन का रोजगार देने की पहल की गयी है। यह स्कीम अब हर जिले में लागू होगी। इसे पूरी तरह से लागू होने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन इसके द्वारा कोशिश की गयी है कि गरीब आदमी की क्रय-शक्ति बढ़े, क्योंकि बेरोजगारी के कारण ही गरीबी है। रोजगार के अवसर जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती है। गरीबी का एकमात्र कारण बेरोजगारी है। इसीलिए वर्ष 2007-2008 में 3.4 करोड़ गरीब परिवारों को रोजगार देने की जो कोशिश इसमें की गयी है वह सराहनीय है, जिसमें 55 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे। करीब 39 प्रतिशत इसमें महिलाएं थीं। इस तरह से रोजगार देकर लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया गया। जब परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तभी लोगों का जीवन-स्तर सुधरेगा। इस तरह से एक प्रयास किया गया है।

यूपीए सरकार ने असंगठित मजदूरों के बारे में ठीक दिशा पकड़ी है। माननीय मोहन सिंह जी आज बोल रहे थे। पिछले साल 7 दिसम्बर, 2007 को मैंने इस प्रस्ताव को सदन में रखा था जब 45 मिनट मुझे बोलने का समय मिला था और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी राय रखी थी। असंगठित मजदूरों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा कानून बने, वे उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। पूरे देश में 93 प्रतिशत वर्कफोर्स में से 43 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर, रिक्शा चालक और बीड़ी मजदूर हैं जो रोज कमाकर लाते हैं और रोज ही खाते हैं। जब वे कमाकर लाते हैं तभी उन्हें दो जून की रोटी नसीब होती है। यूपीए सरकार ने संगठित मजदूर के लिए जो अधिनियम पास किया वह एक क्रांतिकारी कदम है। सीएमपी में भी इस बात का आश्वासन दिया गया है, चाहे यह आश्वासन लेट आया है लेकिन सराहनीय है। उन्हें यह कदम पहले

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

उठाना चाहिए था और इसे प्राथमिकता देनी चाहिए थी। मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इसे लास्ट में उठाया गया और सर्वसम्मति से इसी सदन में वह पारित हुआ। इससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। अकेले भूमिहीन मजदूर ही इसमें सबसे ज्यादा होंगे, जिन्हें इससे लाभ होगा। इसी में आम आदमी बीमा भी है जिसे टेलर के रूप में पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था। असल में तो आम आदमी बीमा यही होगा।

तीसरा काम इंदिरा आवास का हुआ है, लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ी है। राज्य सरकारों की लोकल-लेवल पर जो मॉनिटरिंग है, जो विजिलेंस सिस्टम है, वह बहुत पुअर है। अभी भी गरीब लोगों से पैसे लेकर इंदिरा आवास देने की बात हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए।

महोदया, इसकी भी जांच अवश्य होनी चाहिए। इंदिरा आवास योजना बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कमी रह गई है। सिस्टम की वजह से इस कार्यक्रम को सही ढंग से क्रियान्वित करने में विलम्ब हो रहा है और इसमें जटिलता आ गई है।

श्री मोहन सिंह किसानों के बारे में बता रहे थे। किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। देश की आजादी के साठ साल बाद भी डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। किसानों के उत्थान के लिए आपने कई काम किए हैं, जैसे तिगुना ऋण देने की व्यवस्था की है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 900 रुपए क्विंटल तय किया गया है और 25 रुपया राज्य सरकार बोनस भी देती है, लेकिन 900 रुपए प्रति क्विंटल कितने किसानों को मिला है, यह देखने की बात है। मोहन सिंह जी से मैं 100 परसेंट सहमत हूं कि अभी तक जो क्रय केंद्र हर ब्लाक और चौराहे पर खुलने चाहिए थे, वे नहीं खुले हैं किसानों को जो सुविधाएं देनी चाहिए थीं, जैसे बैंक क्रेडिट, इक्विप्मेंट्स आदि सुविधाएं नहीं दी गई हैं। लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण किसानों को कच्चा माल 600 रुपए या 700 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचना पड़ रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि सभी जगह क्रय केंद्र कार्यरूप में नहीं आ पाए हैं। क्रय केंद्र अगर खुले भी हैं, तो वहां कर्मचारी नहीं हैं। जो इक्विप्मेंट्स होने चाहिए, वे नहीं हैं। किसानों की बैंक से समय पर क्रेडिट नहीं मिल पाता है।

इसी प्रकार से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2004 में 630 प्रति क्विंटल था, वह अब बढ़ा कर 1080 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। किसानों के हित में काम जरूर किए गए हैं, लेकिन टार्गेट को एचीव करने की जरूरत है। गारंटी के साथ किसानों को इन चीजों का फायदा मिले, इसके लिए मोनिटरिंग करने की जरूरत है। अगर लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा, तो किसानों के लिए खेती घाटे का व्यवसाय बन जाएगी। आज अगर हमारी कोई उपलब्धि है, तो वह यह है कि हमारा अन्न का भंडार सबसे बड़ा है। किसानों की मेहनत से ही हम फ़ख्र कर सकते हैं। जितना राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, मैं समझता हूं कि उतना ही हमें किसी दूसरे देश में अनाज आयात करने की कम जरूरत पड़ेगी। चाहे मिड डे मील योजना हो, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली हो, अनाज की जरूरत को हम अपने उत्पादन से ही पूर्ण करने में सक्षम होंगे।

मोहन सिंह जी ने सही कहा है कि किसानों को 7 से 8 प्रतिशत दर पर ऋण दिया जाता है, लेकिन नेशनल कमीशन फार एग्रीकल्चर के चेयरमैन स्वामीनाथन जी ने अनुशंसा की थी कि कम से कम चार प्रतिशत दर पर किसानों को ऋण दिया जाना चाहिए। इससे किसानों का खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा और हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

कई दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत विकास हुआ है, जैसे सर्वशिक्षा अभियान के तहत 13 हजार करोड़ रुपए से ऊपर प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्कूलों के दायरे को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन में 7400 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया गया है। ग्रामीण स्वच्छता योजना के लिए 1200 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 1 लाख 20 हजार 70 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया गया है।

भारत निर्माण के लिए 40900 करोड़, 40000 करोड़ से ऊपर लगभग 41000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक अच्छा प्रयास हुआ है लेकिन भारत का निर्माण तभी होगा जब प्रैक्टिकल बेसिस पर मोनीटरिंग की जाए। जो हमारी केन्द्रीय सरकार की गाइडलाइन्स है, समय-समय पर राज्य सरकार से भी एक रेगुलर बेसिस पर मोनीटरिंग करने की जरूरत है कि यह पैसा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जिनके लिए प्रावधान किया गया है, उस वर्ग को मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए मोनीटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत है।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : इसमें तो दिया गया है कि सिर्फ हम ने किया है और किसी ने कुछ नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखिए।

सभापति महोदया : स्वाईं जी, आप बैठिए। आप अपनी टर्न में बोलिएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदया, फूड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड पैट्रोलियम सहित जो सबसिडी का आकलन है, जो 95589 करोड़ रुपये का प्रावधान है, रक्षा प्रावधान को भी बढ़ाया गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज श्रीलंका में हमारे इंडियन मूल के जो तमिल लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कूटनीतिक पहल पर सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। जिस तरह से तमिल सिविलियन्स के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जरूर डिप्लोमैटिक तरीके से श्रीलंका सरकार से वार्ता करके इसका हल निकाला जाना चाहिए क्योंकि पूरे देश भर में एक तरह से इंसिक्योरिटी का भाव हमारी तमिल कम्युनिटी में आ रहा है जो श्रीलंका में हैं। वे आतंकवादी नहीं हैं। जो आतंकवादी हैं, उन पर कार्रवाई करो लेकिन उसके नाम पर पूरी तमिल पोपुलेशन के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, यह हम मांग करना चाहते हैं। हम रक्षा पर इतना बजट दे रहे हैं लेकिन तमिल सिविलियन्स की रक्षा करने का हमारा दायित्व है। हमें डिप्लोमैटिक तरीके से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए। आज रक्षा पर हमने 1,41,703 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जो तमिल भारतीय हैं, वे इंडियन मूल के लोग हैं, उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया था।

अभी मैं भारतीय रेल में कुशल नेतृत्व के बारे में कहना चाहता हूं। अभी स्वाईं साहब कुछ पोलिटिकल बात बता रहे थे। भारतीय रेल में लालू प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय रेलवे ने दुनिया में बेहतरीन रेल यातायात सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। भारतीय रेल ने पिछले साढ़े चार वर्षों में अपनी कार्यकुशलता और उन्नत सेवाओं के माध्यम से लगातार रिकार्ड लाभ 90000 करोड़ से ऊपर लगभग एक लाख हजार करोड़ रुपया अर्जित किया है। रेलवे ने नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे में लाभ को बढ़ाया है। माल यातायात* को ढोने की क्षमता को बढ़ाने के लिए पूर्वी रूट पर कलकत्ता और लुधियाना के बीच और पश्चिमी रूट पर मुम्बई और दादरी के बीच एक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा विशेष प्रयोजन के माध्यम से पहले ही इस परियोजना पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है और इस पर खर्च होने वाली अनुमानित लागत 28,000 करोड़ रुपए है। इससे 2700 किलोमीटर लंबी पटरी का निर्माण होगा। इस तरह से रेल विभाग ने ऐतिहासिक कार्य किया है।

बाढ़ के कारण पश्चिमी कोसी तटबंध टूटने से कुशा में क्षति हुई है जिससे सात जिलों में बीस लाख से ज्यादा आबादी तबाह हो गई, परेशान हो गई। इसके लिए भारत सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि राहत और तटबंध की सुरक्षा के लिए दिए, जिनमें 143 करोड़ रुपए केवल कुशा तटबंध के निर्माण के लिए दिया है। यह तटबंध तो बराबर टूटता रहेगा जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा। चाहे कोसी हो या कमला हो, यह उत्तर भारत के उत्तर बिहार में नदियों का समूह है। इसका पश्चिम बंगाल और सात राज्यों में प्रभाव पड़ता है। नेपाल से आने वाली नदियों के संबंध में भारत-नेपाल वार्ता के कारण डीपीआर बनाने पर सहमति हुई है। वहां जो नई सरकार आई है, वहां के प्रधानमंत्री यहां आए थे उनसे वार्ता हुई थी और डीपीआर तैयार करने पर बात हुई है, लेकिन समय सीमा के अंदर डीपीआर को बनना चाहिए, मैं समझता हूं तभी बाढ़ का स्थायी समाधान होगा। इस मामले में हम चार-पांच साल में इतनी प्रगति नहीं कर पाए। अब स्थायी समाधान के लिए एक या दो साल में डीपीआर बनेगा लेकिन इसे प्रियारिटी सैक्टर में लेना चाहिए।

हमारे देश में अल्पसंख्यक समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक कार्य मंत्रालय बनाकर 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। सच्चर समिति तथा रंगनाथ समिति की रिपोर्ट को भी लागू करना चाहिए, मैं समझता हूं तभी अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक हालत सुधर सकती है। उन्हें भी राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने की कोशिश होनी चाहिए। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने और विरोधी दल के नेता मुंबई के आतंकवादी हमले की चर्चा की है। अलगाववाद, नक्सलवाद, धार्मिक चरमपंथ और आयातित आतंकवाद, ये सब अलग किस्म के हैं। मुंबई

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

में 26 नवंबर को, जो आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद लगातार दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आए। एनडीए के शासनकाल में दो करोड़ बांग्लादेश घुसपैठिए आए। इस पर ससंद में क्वैश्चन हुआ था, इसके जवाब में आया कि पूरे एनडीए शासनकाल में दो करोड़ बांग्लादेश घुसपैठिए आए। तब आप क्या कर रहे थे? तब तो आप गृह मंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? अब आप इसे मेन आधार बना रहे हैं। आप मुंबई के आतंक की बात करते हैं। आतंकवाद की बात पर दो तरह का पैरामीटर नहीं चलेगा। हम सबको सामूहिक रूप से, एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। आतंकवाद और नक्सलवाद में फर्क है। नक्सलवाद आर्थिक विषमता, शोषण दमन और क्षेत्रीय विषमता के कारण है और जो आदिवासियों का इलाका है, जहां विकास नहीं हुआ उनकी अलग मांग है। लेकिन आतंकवादी राष्ट्रविरोधी है इसलिए इस बारे में कठोरता बरतनी चाहिए क्योंकि यह इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है। कुछ लोग आतंकवाद को अपनी परिभाषा से देखते हैं, अपने चश्मे से देखते हैं, इससे बहुत भारी नुकसान होगा। अभी स्वाईं जी बोल रहे थे, नारा दे रहे थे। अब यह पुराने नारे पर आ गए। मैं इसे नारा इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि विपक्ष के नेता ने कहा था कि यदि संसद पर हमला करने वाले अपराधी का नाम अफजल की जगह आनंद होता तो सरकार अब तक उसे फांसी दे चुकी होती। ...*(व्यवधान)* क्या देशभक्ति को बांट नहीं सकते? राष्ट्रीयता को बांटते हैं? देशभक्ति को बांटने का नाम करते हैं? आप जिम्मेदार नेता हैं। आपने स्वयं ही कहा है कि सिक्योरिटी कन्सर्न कभी भी दलगत भावना से नहीं देखना चाहिए। आपने स्वयं कहा है कि पॉलिटिकल भावना से सिक्योरिटी कन्सर्न को नहीं देखना चाहिए।...*(व्यवधान)* क्या इस तरह का बयान देना शोभा देता है।...*(व्यवधान)*

श्री कैलाश जोशी (भोपाल) : उन्होंने क्या गलत कहा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप पुराने नेता हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप मुझे एड्रेस कीजिए। आप अपने समय पर अपनी बात कहें। उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कैलाश जोशी : जो बात वह बोल रहे हैं, वह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप अपनी बात कह देना।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : देवेन्द्र जी, आप मुझे एड्रैस कीजिए।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप पुराने नेता है...*(व्यवधान)*

श्री कैलाश जोशी : इसमें सवाल किसी मजहब का नहीं है, सवाल देश की सुरक्षा का है।

सभापति महोदया : अभी आप उन्हें बोलने दीजिए, जब आपका समय आयेगा, तब आप उन्हें बता देना।

श्री कैलाश जोशी : जो बात वह बोल रहे हैं, वह उचित नहीं है। इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं बोलता।... *(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं यह नहीं बोल रहा था, जोशी जी, आपने बात समझी नहीं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : अब रिकार्ड पर नहीं आयेगा।

देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदया, मैंने साफ-साफ कहा कि वह प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। क्या उन्हें यह शोभा देता है। पिछले दिनों श्री आडवाणी जी ने कहा है कि यदि संसद पर हमला करने वाले अपराधी का नाम, यह बात मैं रिकार्ड पर कहना चाहता हूं, यदि उसका नाम अफजल की जगह आनन्द होता, उन्होंने आज भी अफजल गुरू की चर्चा की है। तो सरकार ने अब तक उसे फांसी दे दी होती। यदि इसी तर्ज पर कोई आज माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री एल.के. आडवाणी साहब से पूछे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर, दयानंद की जगह आरोपियों का नाम आबिदा या शकील होता तो क्या आडवाणी जी और संघ परिवार इसी तरह की प्रतिक्रिया देते। यह मेरा सवाल है। आप इस तरह से मत बांटिये। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संत और सेना के अधिकारी पुरोहित पर अभी तक सिर्फ आरोप लगे हैं। सम्पूर्ण बीजेपी ने कहा है कि केवल आरोप लगे हैं, वे अपराधी नहीं हैं, उन्हें अपराधी नहीं कहा जा सकता है। एटीएस के प्रमुख श्री हेमंत करकरे और एटीएस की पूरी टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : देवेन्द्र जी, प्लीज आप बहके-बहके कमैन्ट्स मत करिये।

श्री देवेंद्र प्रसाद यादव : इस तरह से कथित हिन्दूवाद के बचाव में जिस तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं, जिस तरह से आतंकवाद

विरोधी दस्ते की ईमानदारी और काम की पद्धति पर प्रश्नचिह्न लगाया गया है, क्या इससे शक पैदा नहीं होता है। क्या इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत थी। आपने कहा कि सिक्युरिटी कंसर्न में पोलिटीकल दृष्टिकोण नहीं आना चाहिए, लेकिन आप कैसे पोलिटिकल कंसर्न ला रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है। इतना ही नहीं, सभापति महोदया मैं सिर्फ आपकी अनुमति से एक संदर्भ पढ़ देना चाहता हूं। क्या-क्या खेल ये लोग कर रहे हैं। हमारे पूरे देश में आतंकवाद तभी खत्म होगा जब देश में साम्प्रदायिक सद्भाव मजबूत रहेगा। जब हम सब लोग एकजुट रहेंगे, तभी हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए यह देख लीजिए। मैं मेल टुडे का एक रेफरेंस पढ़ता हूं। यह जांच का विषय है। आप इसे सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, हम इसका विरोध करेंगे। यह अनुचित बात बोल रहे हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर वह गलत बात बोलते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे।

सभापति महोदया : आप बैठियें

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप इसकी जांच कीजिए। मैं केवल कोट कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* आप अपने भाषण में जवाब दीजिएगा।

सभापति महोदया : कृपा करके बैठ जाइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं कोट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

हिन्दुत्व आतंकवाद की जांच से महात्मा गांधी के हत्यारों नाथू राम गोड्से और उसके पथ प्रदर्शक और सह-आरोपी विनायक दामोदर सावरकर के परिवार का पता चला हैं हिमानी सावरकर गोड्से जिसने सावरकर के भतीजे से शादी की है और संघ परिवार की कार्यकर्ता प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो मालेगांव बम धमाके में अपनी कथित संलिप्तता के कारण पुलिस हिरासत में है, के साथ एक मंच आरंभ किया है। *[हिन्दी]* यह मैं सिर्फ पढ़कर सुना देता हूं। मुझे एक लाइन और बोलने की इजाजत दी जाए, आप इसकी जांच करा लीजिए। *[अनुवाद]* हिमानी, जो अभिनव भारत का नेतृत्व करती है, ने प्रज्ञा और मालेगांव मामले में बन्दी बनाए गए अन्य संघ परिवार के कार्यकर्ताओं से मिलना स्वीकार किया है। हिमानी ने कहा "मैं तीन-चार माह पूर्व प्रज्ञा ठाकुर से मिली। हम लोग एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे लेकिन मेरे लिए यह स्पष्ट करना कठिन है कि वह किस प्रकार की महिला हैं।"

[हिन्दी]

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभिनव भारत की संचालिका कह रही हैं, हिमानी अभिनव भारत की संचालिका है। सारे बहुसंख्यक समाज को आप लोग कलंकित कर रहे हैं। टैररिस्ट...*(व्यवधान)* मैंने आपको पढ़कर सुना दिया, यह छपा है, आप इसकी जांच करायें ...*(व्यवधान)* आप लोग पढ़िये कि आतंकवाद कहां से आ रहा है।

सभापति महोदया : यादव जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदया, यह एक किस्म का आतंकवाद हो रहा है। बहुसंख्यक जब आतंकवादी होगा तो देश की कोई फौज उसे नहीं रोक सकती है। इसलिए यह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। बहुसंख्यक ऐसा कभी नहीं चाहता है।...*(व्यवधान)* आप आतंकवादी बना रहे हैं। बहुसंख्यक आतंकवादी नहीं होगा क्योंकि उसका ऐसा कल्चर नहीं है। आप नई संस्कृति उसमें डाल रहे हैं। आतंकवाद पर यदि बहस हो तो उस सम्यक तरीके से विचार किया जाना चाहिए। आतंकवादी किसी धर्म का नहीं होता है। आतंकवाद देश को अस्थिर करना चाहता है। ऐसे लोग राष्ट्रविरोधी हैं और आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है। आपकी पूरी पार्टी खड़ी थी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यादव जी, आपने अपनी बात कह दी है, अब भाषण समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आउटलुक पत्रिका को कोट करना चाहता हूं।

सभापति महोदया : आप इसे यहां मत दिखाइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभी लोग पत्र-पत्रिकाओं को कोट करते हैं। मैं इसमें जो छपा है, उसको कोट करना चाहता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। इसमें साफ लिखा हे, गोवर्द्धन मठ के आदि शंकराचार्य हैं, आश्रम के संस्थापक है।...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : इन्होंने जो कोट किया है, वह प्रोसीडिंग में नहीं आएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : वह पोर्शन निकलवा दिया गया है।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस बात की जांच होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* इस तरह का आतंकवाद इंसानियत के नाम पर धब्बा है।

सभापति महोदया : आप यह कोट मत कीजिए, अपना भाषण दीजिए, यह रिकार्ड नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने इसमें कुछ नहीं कहा है, यह साधू लोगों का कहना है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : देवेन्द्र जी, यह आपकी स्पीच में नहीं आएगा। आप समाप्त कीजिए।

*(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसमें मेरा कुछ नहीं कहना है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाएं। मैं इसकी मांग करता हूं। इस आतंकवादी कार्यवाही में जो भी लिप्त है, चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों, चाहे जो भी लोग हों, उनको किसी भी तरह से बख्शना नहीं चाहिए।...*(व्यवधान)* यह अंकुश दोनों तरफ होना चाहिए।...*(व्यवधान)* किसी को बख्शना नहीं चाहिए।

सभापति महोदया : देवेन्द्र जी, आपका समय समाप्त हो गया है। आपने सभी बातें कह दी हैं।

श्री कृष्णास्वामी जी।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं किसी को बख्शने के लिए नहीं कह रहा हूं। 19 सितम्बर, 2008 को मालेगांव बम्ब ब्लास्ट के मामले में पकड़ी गई।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप प्वाइंटवाइज़ बात मत कीजिए।

*(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की घटना को रोकना होगा। समूल रूप से आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कठोरता से निर्णय लेना चाहिए। आतंकवाद राष्ट्र विरोधी है और जो भी आतंकवाद का साथ देता है, उनको भी विचार करना चाहिए क्योंकि आतंकवाद हमारे देश को अस्थिर करता है, हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और हमारे संविधान पर आघात लगाता है। उस पर किसी को नहीं बख्शना चाहिए। सरकार को कड़ाई से कार्यवाही करनी चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर)** : महोदय, मैं संसद के दोनों सदनों को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के इस अवसर के लिए अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं। अनेक सदस्यों जिन्होंने मेरे से पहले अपना भाषण दिया उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता श्री किशोर चन्द्र देव इस सरकार की अनेक उपलब्धियों का उल्लेख कर रहे थे। मैं एक कदम और इससे आगे जाना चाहता हूं। संप्रग सरकार की उपलब्धियां काफी ज्यादा है और इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है।

मैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जैसी कुछ उपलब्धियों का उल्लेख कर सकता हूं जिसके फलस्वरूप देश के सुदूर भागों में भी लगभग 50,000 गांवों में दूरस्थ ग्रामीण लोगों के घरों में बिजली मुहैया कराने में सक्षम हो पाए हैं। ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना के माध्यम से 25,000 गांवों को जोड़ा गया है जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को लाभ हुआ है। हमारे 98% गांवों में टेलीफोन कनेक्शन है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत हजारों सुदूर गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय स्थापित किए गए हैं एनआरईजीए एक क्रांतिकारी योजना है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण देश में ग्रामीण निर्धनों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और जरूरतमंद ग्रामीण लोग प्रत्येक वर्ष 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग अपने क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के अभाव में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निर्धनता दूर करने में और ग्रामीण निर्धनों की मदद में सहायक रहा है। इस प्रकार लक्ष्यों को पूरा किया गया है और सफलता व्यापक है।

रेलवे ने नए रिकार्ड स्थापित करने की ओर एक कदम उठाया है। रेलवे द्वारा रिकार्ड लाभ अर्जित करने संबंधी उपलब्धियों के लिए श्री लालू प्रसाद यादव प्रशंसा के पात्र हैं। इन सभी वर्षों में अधिशेष राजस्व जारी है। सम्पूर्ण विश्व मुड़कर इस महान सफलता का अवलोकन करता है। तमिलनाडु में रेलवे मंत्रालय द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य के हम साक्षी है। जो कुछ भी किया गया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से नागर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विमानन क्षेत्र में भी नई गतिशीलता देखने में आती है। कई हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया गया है। उड़ान सेवा में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। यहां पर प्रतिस्पर्धा के समान अवसर के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने के कारण हवाई यात्रियों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के अंतर्गत चार लेन वाले राजमार्गों को छह लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। विपक्ष के माननीय नेता ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यकरण की आलोचना की थी। मैं इन आधारहीन आरोपों से इनकार करता हूं। मैं इस सम्माननीय सभा में यह बताना चाहता हूं कि भूतल परिवहन मंत्रालय है जहां सड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में राजमार्ग परियोजनाओं की गति बहुत धीमी थी। प्रतिदिन केवल 1.6 किमी. सड़क बनाई जाती थी। जबकि वर्तमान संप्रग सरकार के कार्यकाल में 4 किमी. प्रतिदिन का मानक है। इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्यों ने माननीय मंत्री श्री टी.आर. बालू की प्रशंसा की है और व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने ऐसा कहा है। जिस गति से कार्य चल रहा है वह प्रशंसनीय है।

इस समय, मैं सम्माननीय सभा के समक्ष एक मांग रखना चाहता हूं। भारी वर्षा और बाढ़ ने तमिलनाडु को काफी प्रभावित किया है। वर्ष 2004 में संप्रग सरकार ने तमिलनाडु में बाढ़ राहत के लिए 1000 करोड़ रु. दिए थे, लेकिन इस बार केन्द्र द्वारा राहत कार्यों जो कि पहले से बड़ी मात्रा में किया जाना है के लिए केवल 200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसे 800 करोड़ रु. और प्रदान कर कम से कम 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए।

मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा नोट की गई बात का स्वागत करता हूं जो उन्होंने श्रीलंकाई संघर्ष का उल्लेख करते हुए कही थी जहां पर तमिलों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां पुनः शांति और सामान्य जनजीवन बहाल करना अनिवार्य है। इसके लिए राजनीतिक वार्ता द्वारा शांति प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए। उन्होंने श्रीलंका में तमिलों की कठिनाइयों के प्रति चिंता व्यक्त की है और इसका स्थायी समाधान खोजे जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह अत्यधिक दुःख की बात है कि निर्दोष तमिल लोग अपनी ही मातृभूमि में विस्थापित है तथा सैन्य संघर्ष समाप्त होना चाहिए। श्रीलंकाई तमिलों की वह मातृभूमि है और वे हमारे ही लोग हैं तथा हमारे भाई-बहन हैं। मैं हमारी राष्ट्रपति महोदया द्वारा जताई गई चिंता की सराहना करता हूं कि सरकार युद्ध को रोकने और शांतिपूर्ण समझौते के लिए प्रयास करेगी। लेकिन अभी तक युद्धविराम जो कि सबसे पहले किया जाना चाहिए, की घोषणा नहीं हुई है। इससे हमें चिंता होती है।

केन्द्र में संप्रग सरकार और तमिलनाडु सरकार — दोनों ने ही अपील की है। लेकिन श्रीलंका सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की गई है। भारत की मुख्य भूमि में रह रहे 6 करोड़ तमिल लोग अत्यधिक क्रोधित और क्षुब्ध हैं। हमारे भाईयों को मारा जा रहा है। हमारी दलील बेकार जा रही हैं और उनकी दशा को अनदेखा किया जा रहा है।

इसकी स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी तमिलों को वैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तमिलों पर निरंतर यत्र-तत्र हमले जारी हैं। उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए भारत में रह रहे 6 करोड़ तमिल अपनी चिन्ता शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत सरकार को हमारी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। श्रीलंकाई तमिलों ने लोकतांत्रिक तरीकों और विधियों से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाना आरंभ किया था। लेकिन उनकी अनसुनी की गई और उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया। श्रीलंकाई तमिलों द्वारा लोकतांत्रिक मंचों के माध्यम से अपने अधिकारों की प्राप्ति का अभियान अब बदल गया है और द्रमुक अथवा तमिलनाडु के लोग इसके पक्ष में नहीं हैं।

श्रीलंका के सैन्य बलों द्वारा आए दिन मासूम नागरिकों पर हमला किया जाता है। बमबारी और गोलीबारी से हजारों तमिल नागरिक मारे गए हैं। हवाई बमबारी का सहारा लिया जाता है। हाल ही में क्लस्टर बमों से भी हमला किया गया है। समुद्रपार द्वीपीय राष्ट्र में हमारे भाइयों को समाप्त किया जा रहा है। इससे हमें बहुत कष्ट होता है। केन्द्र सरकार को हमारी भावनाओं को समुचित ढंग से समझना चाहिए। मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से सभी प्रबुद्ध लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि वहां पर शांति और सामान्य जनजीवन बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

हमने कई बार शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया है। हमारे नेता, डा. कलाईगनार करुणानिधि के नेतृत्व में हमने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध और आंदोलन के लिए कई तरीके अपनाए हैं। हमारे नेता द्वारा 50 किमी. लंबी मानव श्रृंखला सद्भावना शो आयोजित किया गया, जोकि गिनीज रिकार्ड बुक में शामिल किए जाने योग्य है, जिसमें सभी वर्गों के लोगों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और संवर्गों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर व्यापक पैमाने पर भाग लिया। भारी वर्षा के बावजूद लाखों लोग मानव श्रृंखला आंदोलन के लिए एकत्र हुए। हमने अनशन किया। हमने संपूर्ण तमिलनाडु में कई रैलियां निकालीं। जन बैठकों के माध्यम से हमने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। तमिलनाडु विधानसभा में दो बार एकमत से यह संकल्प पारित हुआ जिसमें कि केन्द्र से श्रीलंका के शासकों से बात करने का आग्रह

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

किया गया। हम युद्धविराम चाहते हैं और शांति बहाल करना चाहते हैं और सामान्य जीवन सुनिश्चित करना चाहते हैं। इतने प्रयास करने पर भी युद्धविराम अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी मासूम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। हमारे नेता डा. कलईग्नार करुणानिधि की ओर से उनके द्वारा की गई अंतिम और नवीनतम अपील पर विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी श्रीलंका गए और उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे से बातचीत की और उन पर तुरंत युद्धविराम हेतु दबाव डाला। लेकिन वहां पर अभी भी मासूम तमिलों पर हमले जारी है।

न केवल भारत के तमिलों द्वारा अपितु पूरे विश्व और अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन विशेषकर लंदन में रह रहे तमिलों द्वारा श्रीलंका सरकार से अपील की गई है। केवल 48 घंटे के लिए युद्धविराम की घोषणा की गई, यह केवल एक छलावा मात्र था। वहां से तमिल लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई। उसके बाद पुनः हमले आरंभ हो गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रीलंका सरकार द्वारा युद्धस्थल से बाहर निकलने के इच्छुक तमिलों को वहां से निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हम जानते हैं कि तमिल वहां से निकल नहीं पाए। श्रीलंका सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीलंकाई तमिल भी संघर्ष क्षेत्र से भाग नहीं सके। यह एक कटु सत्य है। श्रीलंका में जातिभेद वाले शासन पर भारत की ओर से दबाव नहीं बनाए जाने के कारण विश्व भर के लगभग 7 करोड़ तमिलों को गहरा सदमा पहुंचा है। इस सदन के लिए तमिलनाडु से हम 40 सदस्य चुने गए हैं और संप्रग सरकार को समर्थन दे रहे हैं। सरकार को सत्तासीन करने में हमारा सहयोग अंतिम नहीं होना चाहिए। हम लोग महसूस करते हैं कि इस सरकार ने हमारी अनदेखी की है। मैं बार-बार दुहराना चाहूंगा कि हमारी मांगों को बिल्कुल भी सुना और माना नहीं गया है।

हमारे नेता डा. कलईग्नार करुणानिधि का सम्मान संपूर्ण विश्व के तमिल करते हैं। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा है। सभी तमिल बड़े निराश हैं, कि डा. कलईग्नार करुणानिधि के अनुरोध को भी सही मंच पर मान्यता नहीं मिली। हमारी आशाओं को निराशाजनक रूप से मिथ्या सिद्ध करते रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि आप इतिहास देखें कि कैसे डीएमके पार्टी श्रीलंकाई तमिलों के अधिकारों और कल्याण के लिए सन् 1958 से ही आवाज उठाती रही है। हमारे स्वर्गीय नेता अरिगनर अन्ना जिन्हें हम आज भी याद करते हैं ने वर्ष 1958 में एक रेली का नेतृतव किया था। वर्ष 1977 में एक बड़ी रैली निकली थी जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। वर्ष 1981 में प्रतिषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हुए हमारे नेता कलईग्नार करुणानिधि ने एक रैली का नेतृत्व किया था और ढाई सौ लोगों के साथ गिरफ्तारियां दी थी। वर्ष 1983 में, श्रीलंकाई तमिलों की सुरक्षा के लिए आवाज बुलंद करने हेतु एक अन्य बड़ी रैली का आयोजन किया गया था जिसमें सात लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। रेल रोको अभियान भी चला। केन्द्र सरकार की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में डीएमके अध्यक्ष कलाईग्नार करुणानिधि और डीएमके के महासचिव प्रो. अन्बाजगन ने वर्ष 1983 में विधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। उसी वर्ष दो करोड़ लोगों का हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा गया था। उसी वर्ष डीएमके के संसद सदस्य दिल्ली में भूख हड़ताल पर गए। वर्ष 1985 में, श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में डीएमके की महापरिषद् ने शांति मार्च निकालने और चेन्नई और तमिलनाडु के सभी जिला मुख्यालयों में गिरफ्तारियां देने का निर्णय लिया। लगभग 40 हजार नेता और कैडर गिरफ्तार हुए। दिनांक 16-5-1985 को हमारे नेता कलाईग्नर करुणानिधि ने कांचीपुरम में आयोजित एक जन सभा में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। वर्ष 1989 में, तमिलाडु के मुख्य मंत्री के रूप में हमारे नेता करुणानिधि ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के साथ इस जटिल श्रीलंकाई तमिल मुद्दे को उठाया। उनके कहने पर, हमारे नेता ने विभिन्न उग्रवादी समूहों को एक साथ होकर, अपना अभियान चलाने के लिए समझाने की कोशिश की थी। वर्ष 1990 में डीएमके को अपनी सरकार बर्खास्तगी के साथ इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसी वर्ष काली पट्टी (ब्लेक फ्लैग) आन्दोलन और संपूर्ण हड़ताल की गई। उसी वर्ष डीएमके ट्रस्ट द्वारा श्रीलंकाई तमिलों की चिकित्सीय राहत सहायता के लिए 25 लाख रुपए दान में दिए गए हैं। वर्ष 2008 में, तमिलनाडु के लोगों के अंशदान के माध्यम से 40 लाख रुपए जुटाए गए और रेड क्रॉस के माध्यम से श्रीलंकाई तमिलों को भेजा गया।

निर्दोष तमिलों पर सशस्त्र हमलों को रोकने में इन सभी मानवीय प्रयासों के असफल रहने के बावजूद एक भावुक युवा मुथुकुमार ने शास्त्री भवन, चेन्नई में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के सामने आत्मदाह किया। ऐसा उन्होंने श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे के उजागर कर उनकी दुर्दशा को संसार के समक्ष लाने के लिए किया। इन्होंने अपने उपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्मदाह किया। यह तमिलनाडु की जनता के मन में होने वाली भावनात्मक उथल-पुथल को ही प्रतिबिम्बित करता है। उन्होंने एक वसीयत और कथन छोड़ा है कि तमिलनाडु के छात्र इस मुद्दे पर अडिग रहे कि श्रीलंकाई तमिल अपनी सरजमीं पर सम्मान के साथ और शांतिपूर्वक रहेंगे। इस घटना के बाद ऐसी कई आत्मदाह की घटनाएं हुई। इसमें एक तमिल जिसने 6 जेनेवा में आत्मदाह किया, पांच लोगों ने आत्मदाह किया, शामिल

है। श्रीलंकाई तमिल मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा है और फिर भी कोई राहत नहीं है। निर्दोष आम नागरिकों के विरुद्ध सरकार ने जो युद्ध छेड़ रखा है, उसे समाप्त नहीं किया गया है।

हम श्रीलंकाई तमिल के मुद्दे को राजीव गांधी की हत्या के पूर्व और उनकी हत्या के बाद सीमांकन करना चाहेंगे। हमारे पूर्व नेता श्री राजीव गांधी की हत्या के पहले हमारा दृष्टिकोण भिन्न रहा होगा। किन्तु अब, उनकी मृत्यु के पश्चात् हम भारत-श्रीलंका समझौते को लागू किए जाने में पुरजोर आस्था रखते हैं। मैं इस महान सभा में अपने इस दृष्टिकोण को दर्ज करना और बार-बार दोहराना चाहूंगा।

मैं यह बताना चाहूंगा कि श्रीलंका में जारी युद्ध महान एलटीटीई और श्रीलंकाई सेना के बीच युद्ध नहीं है। हमें इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। वास्तव में, यह श्रीलंकाई तमिलों और जातीय सिंहली के बीच युद्ध है। तमिल जाति को वहां से योजनाबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। यह महज श्रीलंका की आंतरिक समस्या नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए।

भारत के उत्तर में उग्रवाद और इससे संबंधित समस्याएं हैं यहां पर प्रत्यक्ष तौर पर तनाव देखा जा सकता है। लेकिन दक्षिण में तुलनात्मक रूप से शांति है। यहां उग्रवाद ने अपना उग्र रूप धारण नहीं किया है। केवल इसलिए कि दक्षिण में समस्या नहीं है हम इस ओर ध्यान न दे, ऐसा नही होना चाहिए। श्रीलंका में आंतरिक संघर्ष का असर भारत पर भी पड़ सकता है। हमें इस संबंध में सावधान रहना चाहिए। भारत को इस मामले में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए।

एलटीटीई भारत में अपनी गतिविधियां नहीं चला सकता है। यहां पर यह अभिनिषिद्ध है। भारत-श्रीलंका करार में ऐसा उपबंध है। इन परिस्थितियों में, इस करार की आड़ में श्रीलंकाई सेना को सशस्त्र हमलों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हमें पता चला है कि उन्हें हमारे रक्षा संस्थापनों से हथियार और उपकरण मिलते हैं। यह भी कहा जाता है कि श्रीलंका की सेना को टोह अभियान संबंधी सहायता दी जा रही है। सूचना के आदान-प्रदान के नाम पर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका की सेना को केवल वे हथियार और उपकरण दिए गए हैं जो घातक नहीं हैं। यह नोट किया जाए कि इससे सेना को तमिल जाति का विनाश करने में सहायता मिलती है। मैं भारत सरकार का ध्यान इस पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का विलय करते हुए अलग से तमिल राष्ट्र की स्थापना करने के बजाय पूर्वी प्रांत में, बेतुके ढंग से चुनाव कराए गए और वहां पर एक कठपुतली प्रशासन की स्थापना की गई। पूर्व की ओर से उत्तरी प्रांत में तमिलों के ऊपर सशस्त्र हमला किया जाता है। इससे परिणामतः दूसरा बेतुका चुनाव हो सकता हैं और फिर एक कठपुतली शासन की स्थापना कर तमिलों को निम्न स्तर का नागरिक बना दिया जाएगा। जातिवादी शासन की मंशाओं को समझा जाना चाहिए। तमिलों को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए समस्त प्रयास किए जाने चाहिए।

तमिलों को निम्न स्तर का नागरिक नहीं समझा जाना चाहिए। वे भी राष्ट्र की एक प्रजाति है। वे इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वे उनकी संतानें हैं जिन्होंने प्राचीन काल में इस द्वीपीय राष्ट्र पर शासन किया था। उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए।

पाकिस्तान और चीन कई प्रकार से श्रीलंका की सहायता कर रहे हैं। 1965 और 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान दोनों बार श्रीलंकाई सरकार ने चीन और पाकिस्तान का समर्थन किया था न कि भारत का। केवल यही एक उदाहरण नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि दक्षिण में शांति है, भारत को बिना सोचे समझे श्रीलंका का समर्थन नहीं करना चाहिए। तमिलों का संपूर्ण विनाश कर श्रीलंका भारत के विरुद्ध हो सकता है। क्या गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा। अतः आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा तमिलों को संरक्षण दिया जाए। हमें इसके लिए आगे आना चाहिए।

'फ्रंटलाइन' ने लिखा है कि यह श्रीलंका की सेना की विजय हो सकती है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है तमिलों का दिल जीतना जो वे सरलता से नहीं कर सकते हैं। श्रीलंकाई तमिलों के तमिल राष्ट्र होने की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय प्रांतों में सभी बागान कर्मकार तमिल हैं। उन्हें वहां ब्रिटिश शासन के दौरान बंधुआ-मजदूर के रूप में ले जाया गया था। अब वे वहां समान अधिकारों के बिना दुःखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें श्रीलंका में सभी तमिलों के लिए समान अधिकारों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। श्रीलंकाई तमिलों को वहां पर सम्मानपूर्वक जीवन बिताने के लिए अधिकार प्राप्त होने चाहिए। वहां पर युद्ध समाप्त होना चाहिए और शांति और सामान्य जनजीवन बहाल होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से शांतिपूर्ण समझौता की जाना चाहिए। शक्तियों का हस्तांतरण और स्वयत्तता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केवल तभी तमिल जाति वहां पर शांतिपूर्वक ढंग से रह सकती है जिससे क्षेत्र में शांति सुनिश्चित होगी। द्रमुक की ओर इस बात को पुनः दोहराते हुए मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदया, श्री कृष्णास्वामी पूछ रहे थे कि रडार जैसे हथियार श्रीलंका को क्यों दिए जा रहे हैं। उनकी पार्टी सरकार में है। वह प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? ...*(व्यवधान)* जब वह बोल रहे थे तो मैंने व्यवधान नहीं डाला। अब वह किससे प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : महोदया, हम आपसी बातचीत से मामले को सुलझा सकते हैं। उन्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : उनकी पार्टी सरकार में है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के अभिभाषण पर श्री वी. किशोर चंद एस. देव ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, जिसका समर्थन श्री मधुसूदन मिस्त्री जी ने किया, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। वैसे इस चौदहवीं लोक सभा का...*(व्यवधान)* यह चौदहवीं लोक सभा का आखिरी वर्ष है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : हम बार-बार आयेंगे।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : मेरा कहना है कि चौदहवीं लोक सभा का यह आखिरी वर्ष है और यह सैशन भी आखिरी सैशन है। यूपीए सरकार के पांच साल का भी यह आखिरी वर्ष है। इसलिए स्वाभाविक है कि सरकार की पांच साल की जो उपलब्धियां हैं, उन सारी उपलब्धियों को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में गिनाया है। उसके बाद जब यहां सदन के नेता और नये वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट स्पीच में भी लगभग उन्हीं सारी उपलब्धियों को ही गिनाया गया है। जब इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए श्री मधुसूदन मिस्त्री जी खड़े हुए, तब उन्होंने यह कहा कि विपक्ष पहले दिन से सोच रही थी कि यह सरकार पांच साल नहीं चलेगी और बीच में ही सरकार गिर जायेगी। इसीलिए उन्होंने इस बात की खुशी यहां जतायी कि यूपीए सरकार ने पांच साल पूरे किये। यूपीए सरकार ने अपने पांच साल पूरे किये हैं, जो सरकार की उपलब्धि है, उनको महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी कहा गया और हमारे सदन के नेता ने भी कहा, लेकिन सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन्हें लेकर यदि सरकार इस बात को मानती है कि ये सरकार की सारी सफलताएं हैं, तो मुझे लगता है कि यह जल्दबाजी होगी। पांच साल में इस सरकार ने क्या किया, यह सरकार सफल रही या विफल रही, यह तय करने का समय चुनाव में आने वाला है। जब इन सफलताओं को लेकर यह सरकार जनता के दरबार में जाएगी, वोट मांगने जाएगी, तब देश की जनता यह तय करेगी कि ये सरकार सफल रही या विफल रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैडम, शायद माननीय सदस्य मेरी बात को समझ नहीं पाए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए। आप चेयर को एड्रेस करते हुए बोलिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैडम, सरकार की सफलता या विफलता इस देश की जनता तय करेगी। आने वाले चुनाव में यह तय होगा। क्या होगा, मैं उसके बारे में आज यहां पर कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। उसे अपने ही गिरेहबान में झांकने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच आज देश की जनता सुखी है? क्या सचमुच आज देश में खुशहाली है? क्या सचमुच हमारे देश की सारी सीमाएं सुरक्षित हैं? क्या सचमुच आम आदमी का जीवन इस देश में सुरक्षित है? जो लोग रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका रोजगार सचमुच सुरक्षित है, उनकी नौकरी की सुरक्षा उन्हें है? क्या सचमुच इस देश में जो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनको दो वक्त की रोटी मिलना भी संभव नहीं है, उनके लिए भविष्य में

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनाज की सुरक्षा है? ऐसे कई सवाल है, जिनके बारे में सरकार को अपने गिरेहबान में झांककर देखने की आवश्यकता है क्योंकि इन सारी बातों को पूरा करना, आम आदमी को खुशहाल करना, उसे सभी आवश्यक सुविधाएं देना, सरकार की जिम्मेदारी है, जो सत्ता में हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जिस देश का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 100 करोड़ की आबादी की आप सरकार बने हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। सरकार को इस ओर सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप सचमुच इस जिम्मेदारी को निभाने में सफल हुए हैं या असफल रहे हैं।

महोदया, किसानों को सरकार ने लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज कर्ज माफी के लिए दिया। कर्ज माफी की यह मांग महाराष्ट्र से उठी। यह मांग इसलिए उठी क्योंकि पिछले पांच सालों में लगभग डेढ़ लाख किसानों ने आत्महत्या की और उनमें से सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई हैं और महाराष्ट्र में भी सर्वाधिक आत्महत्या की घटनाएं विदर्भ में हुई हैं। विदर्भ का जो किसान है वह कपास का उत्पादक है, वहां की मुख्य फसल कपास है और विदर्भ की जो स्थिति है, वहां के किसान के लिए आय का खेती के अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं है। वहां पर न कोई उद्योग हैं, न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, न वहां पर कोई बड़ा व्यापार है और खेती के सिवाय विदर्भ के किसानों के पास कोई अन्य चारा नहीं है। जब कोई अकाल आता है, ओले पड़ते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिससे किसानों की पूरी खेती उजड़ जाती है तो उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए कि विदर्भ में खेती के अलावा कोई और सोर्स आफ इनकम नहीं है। वह जब डूब जाती है तो किसानों के पास आत्महत्या करने के और कोई चारा नहीं होता। समर्थन मूल्य की बात यहां पर आई, डी.पी. यादव जी ने इसके लिए अपनी और अपनी सरकार की पीठ थपथपाई कि इनके शासनकाल में समर्थन मूल्य बढ़ा है। हर साल सरकार किसान की उपज का समर्थन मूल्य तय करती है। लेकिन इसकी जांच होना आवश्यक है कि जिस समर्थन मूल्य की घोषणा हमने की है, क्या सचमुच हम किसानों से उसकी उपज उस मूल्य पर खरीदते हैं? क्या वह समर्थन मूल्य सचमुच में उसे मिलता है? आप जाकर देखें, जब सरकारी एजेंसी पैडीं खरीदने निकलती है, तो क्या स्थिति होती है। सरकार घोषणा करती है कि हमने कपास का समर्थन मूल्य 2700 रुपए क्विंटल कर दिया है। आपने दाम तो घोषित कर दिए, लेकिन किसी भी किसान से इस दर पर कपास नहीं खरीदी जाती। जब कपास की फसल आ जाती है तो उसे खरीदने के लिए सेंटर खोले जाते हैं। तब उसका ग्रेडिफिकेशन होता है, ए, बी, सी, डी, जितने ग्रेड चाहें सरकारी एजेंसी बनाती है। किसान जब कपास लेकर सरकारी सेंटर पर जाता है तो उससे कहा जाता है कि आपकी कापस तो डी ग्रेड की है, यदि ए ग्रेड की होती तो अपको 2700 रुपए मिलते, इसके तो 1400 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, जबकि घोषणा 2700 रुपए की होती है। इससे देखा जाए तो किसान को सिर्फ 1400-1500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते। जब सरकार द्वारा 2700 रुपए की घोषणा हुई तो किसान खुश हो गया और उसने सारे खेत में अन्य उपज को छोड़कर कपास पैदावार की। जब वह कपास बेचने गया तो उसने देखा कि उसे तो सिर्फ 1400 रुपए मिले रहे हैं। यह जो 1300 रुपए का फर्क है, यह कहां से दूर होगा, यह सरकार को देखना चाहिए। केवल घोषणा करने से किसान की हालत नहीं सुधरेगी या उसकी आत्महत्या नहीं रुकेगी। आपने 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, बावजूद उसके आज भी विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

सभापति महोदया, केवल एक बार कर्ज माफ कर दिया तो बैंकों के पास जो ऋण उन्हें वसूल करना था, उसका केवल एक सर्टिफिकेट किसानों को दे दिया कि इससे आगे वसूला नहीं जाएगा, आपका कर्ज माफ हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को नया कर्ज कहां से मिलेगा, कौन देगा। उसकी एक फसल तो खत्म हो जाएगी। इस सदन में हमने सवाल किया था, उस वक्त के वित्त मंत्री चिदम्बरम् जी ने कहा था कि कर्ज माफी के बारे में जो फैसला हुआ है, उसके बारे में बैंकों के मन में कई आशंकाएं थीं इसलिए चार-पांच महीने की देरी हो गई, नया लोन मंजूर करने में। लेकिन उस चार महीने में एक सीजन तो खत्म हो गया। बैंकों को चार महीने लगे यह समझने में कि किस प्रकार से कर्ज माफ किया जाए, नया कर्ज किसे देंगे, नई अर्जियां लोन की लें या न लें, इससे किसान का तो एक सीजन चला गया, उसकी एक फसल तो खत्म हो गई। अब आप सोचिए कि किसान अगली बार क्या करेगा। इससे उसकी आत्महत्या नहीं रुकेगी।

जब हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की हर उपज की कीमत उसे मिलनी चाहिए और सरकार को वह उपज खरीदनी चाहिए। लेकिन वास्तव में यह होता नहीं है। आज भी हमारे यहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी मांग है कि केवल कर्ज माफी ही काफी नहीं है, जो रेवेन्यू रिकार्ड है, जिसे हम महाराष्ट्र में 7/12 कहते हैं, उस रेवेन्यू रिकार्ड से ही सारे कर्ज माफ कर देना चाहिए। और उसका रेवेन्यू रिकार्ड क्लियर कर देना चाहिए। इससे उनका 7/12 बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपने क्या किया कि आधे लोगों का तो कर्ज माफ किया और आधे लोगों

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

को वन टाइम सेटेलमेंट की बात कही। सबका कर्ज तो माफ नहीं किया गया है, लेकिन जिन लोगों का कर्ज माफ हुआ है वे दुबारा कर्ज नहीं ले पाते हैं, इसलिए किसान आज भी परेशान है और उसमें वही नाराजगी और गुस्सा है और शायद उससे ज्यादा ही नाराजगी विदर्भ में है। यह आज की स्थिति है।

हमारी सीमाओं की भी यही स्थिति है। आज के प्रश्नकाल के प्रश्न संख्या 28 का जवाब नक्सलवाद के बारे में है। जिसमें कहा गया है कि हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार पूरे देश में खत्म हो चुकी है। नक्सलवाद को लेकर इस प्रश्न के जवाब में जो आंकड़े दिये गये हैं उनका रैफरेंस में यहां पर देना चाहूंगा। प्रश्न संख्या 28 के जवाब में कहा गया है कि वर्ष 2005 में 1608 हादसे आतंकवाद के हुए। वर्ष 2006 में 1509 हादसे हुए, वर्ष 2007 में 1563 हादसे हुए और वर्ष 2008 में 1551 हादसे नक्सलवाद के हुए हैं। अगर आतंकवाद के, जनवरी, 2008 से जनवरी, 2009 तक के आंकड़े लिये जाएं, तो इन पांच महीनों में 851 हादसे हुए हैं। इन 851 हादसों में 253 सिविलियन्स मारे गये हैं, सिक्योरिटी फोर्स के 95 जवान मारे गये हैं इसकी जानकारी सरकार की ओर से दी गयी है। जिन नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी संख्या 659 है और 83 नक्सली मारे गये हैं। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है।

मुम्बई का हमला सबसे बड़ा हमला माना गया और मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पहली बार भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि मुम्बई हमला केवल मुम्बई पर नहीं था वरन् पूरे देश पर हमला था और भारत सरकार ने इसे पहली बार स्वीकार किया है। इसके लिए हमने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। आतंकी हमलों की तरफ अगर हम ध्यान देना छोड़ देंगे तो आतंकी हमले कभी कम होने वाले नहीं हैं। आज भी मुम्बई के आम आदमी के मन में डर है। आज भी शाम को वापिस आने के बाद ही घर वालों को तसल्ली होती है कि अपना मुखिया शाम को घर वापिस आ गया। मुम्बई के पुलिस कमिशनर का एक बयान बीच में आया था कि पहली बार जब मुम्बई कांड की जांच हुई तो कहा गया कि 10 आतंकवादी थे, 9 मारे गये और दसवां कसाब नाम का आतंकवादी पकड़ा गया। दो दिन पहले मुम्बई कमिशनर का बयान आया है कि 16 आतंकवादी आये थे जिसमें से 9 मारे गये, एक पकड़ा गया और 6 का पता नहीं है। यह देश के लिए बड़ा खतरा है। इस खतरे के बारे में सरकार को सजग रहना चाहिए, सरकार को इस बारे में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

देश की सुरक्षा के मामले में जब हमने नेशनल सिक्योरिटी जांच कराने के लिए एक संस्था का गठन किया, तो पूरे सदन ने इस बात का समर्थन किया।

महोदया, आज हमारी सारी सीमाएं असुरक्षित हैं। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला आज हमारे पास है।

सभापति महोदया, देश में बेरोजगारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने बेरोजगारी को कम करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई है। इस योजना के तहत कितने रोजगार मुहैया कराए गए, इस बारे में बताया। सदन में आज भी सरकार की तरफ से इस बारे में बताया गया। इस योजना की आज की स्थिति के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि इसमें जो रोजगार दिया जाता है, वह मजदूरी है। यह ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार है। परसों सदन में क्वेश्चन आवर में शहरी मकानों से संबंधित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि शहरों में रहने वाले गरीब वे लोग हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं। उनकी संख्या चार करोड़ है और वे शहरों में रोजगार के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से आए हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि किसी एक योजना से देश की बेरोजगारी का उन्मूलन नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें एक नीति अपनाने की आवश्यकता है। अभी जो इंटरनेशनल क्राइसिस के कारण विश्व मंदी का दौर आया है, इस कारण तीन लाख से ज्यादा वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं हमारी स्माल-स्केल इंडस्ट्री लगभग समाप्त हो चुकी है। यहां बताया जा रहा था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने सुधार किए हैं और हमारी सरकार ने क्या-क्या सुविधाएं दी हैं। आज ही के प्रश्न के उत्तर में स्माल स्केल इंडस्ट्री के संदर्भ में बताया गया कि क्या सचमुच हमारे ये उद्योग मुश्किल में है और इंटरनेशनल लेवल पर माइक्रो एंड स्माल-स्केल इंटरप्राइजेज को जो परेशानियां सहनी पड़ रही हैं, इस सवाल के उत्तर में जो बताया गया, उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं – *[अनुवाद]* "सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा विकास के दौरान जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा वे पर्याप्त ऋण की उपलब्धता की कमी से संबंधित है।" *[हिन्दी]* हम कह रहे हैं कि हमने काफी धन मुहैया कराया है। लेकिन आज ही एक उत्तर में सरकार यह कहे कि *[अनुवाद]* "पर्याप्त ऋण उपलब्धता की कमी, प्रौद्योगिकी और विपणन बाधाएं, अवसंरचनात्मक खामियां हैं" तो *[हिन्दी]* सरकार आज इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमारे छोटे उद्योगों को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसका मुख्य कारण इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनैक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : इसका मतलब है कि हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं और एक के बाद एक उपलब्धियां यहां गिनाए जा रहे हैं। डी.पी. यादव जी सदन में बोल रहे थे और उन्होंने एनडीए पर आरोप लगाया कि जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे, तब दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आ गए। हम मान लेते हैं कि एनडीए के शासनकाल में दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आ गए। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि इन घुसपैठिए को देश से बाहर निकालने के लिए सरकार ने पांच सालों में क्या काम किया? आज हमारे यहां बेरोजगारी है, कुपोषण है, आज हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश में दो करोड़ बांग्लादेशी हैं, यह आरोप सरकारी पक्ष के एक प्रतिनिधि एनडीए पर लगा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

आज सरकार ने जब जवाब दिया है, सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि *[अनुवाद]* — अवैध बांग्लादेशी प्रवासी राशन कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि के पात्र नहीं हैं। जब भी और जहां भी ऐसे मामलें देखने में आएं अथवा उनका पता लगे, संबंधित प्राधिकारी द्वारा उनको निरस्त करने हेतु कार्रवाई की जाती है। *[हिन्दी]* मतलब सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिये इस देश में हैं लेकिन उनको निकालने की कोई बात नहीं करती है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण में इस बारे में कोई जिक नहीं किया गया।...*(व्यवधान)* एक आखिरी वाक्य कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जब डी.पी. यादव जी बोल रहे थे, तब हमारे जोशी साहब जो हमारे सीनियर नेता हैं, वह उनकी हर बात पर काफी गंभीर थे। जब डी.पी.यादव जी बोल रहे थे, उनकी बात को मैंने सुना है और जब उनको मैं सुन रहा था तब मुझे एक हिन्दी फिल्मी गाना याद आया। मैं उसका जिक्र यहां पर करना चाहूंगा ताकि जोशी जी गंभीर न हो जाएं। मैं वह गाना बता रहा हूं कि 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना।' इसलिए सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर सरकार और विपक्ष का सवाल नहीं है। सौ करोड़ की आबादी में आज आम आदमी जिन मुसीबतों का सामना कर रहा है, वे मुसीबतें दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही हैं और यही सरकार की विफलता है।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदया, यह सभा राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रही हैं। हम इसका समर्थन करते हैं।

लेकिन साथ ही हम चाहेंगे कि इस अभिभाषण में कुछ और मुद्दे अलग से जोड़े जाएं या कुछ मुद्दे इसमें नहीं है। देश में बड़ी असहज स्थिति में संप्रग सरकार सत्ता में आई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बड़ा बहुमत था और तब उन्होंने सरकार बनाई। कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों को मिलाकर भी बहुमत नहीं था और उस समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर उन्होंने वाम दलों का समर्थन मांगा और उन्हें समर्थन दिया गया। मंत्री पद या कोई अन्य चीज मांगे बिना वाम दलों ने समर्थन दिया।

मुद्दा यह है कि हमें आशा थी कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पूरी तरह लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदया ने बिन्दुवार उल्लेख करते हुए यह बताया कि अधिकांश न्यूनतम साझा कार्यक्रम का कार्यान्वियन हुआ है। अगले दिन श्री प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी बजट प्रस्तुति में यही कहा।

यहां मेरे विचार से आत्मावलोकन का समय है क्योंकि आप पांच वर्ष पूरे कर रहे हैं। हम भी संप्रग सरकार की उपलब्धियों का श्रेय लेते हैं क्योंकि साढ़े चार वर्ष तक हम भी सरकार का समर्थन कर रहे थे। लेकिन आप जब कहते हैं कि क्षितिज पर सब कुछ उज्ज्वल है और भारतीयों का जीवन इन्द्रधनुष की तरह दिखाई पड़ रहा है, तब यह हमें उन लोगों की याद दिलाता है जो आज विपक्ष में बैठे हैं, और जब पांच वर्ष पूर्व 'इंडिया शाइनिंग' की बात कर रहे थे।

श्री अनंत गंगाराम गीते : फील गुड फैक्टर।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : हां, शायद वही गलती दुहराई जा रही है। ऐसा मुझे लगता है। अब, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात जो अब प्रत्येक व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक ताकतों, फासीवादी ताकतों से लड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हो देश में एक राजनीतिक गठजोड़ तैयार किया गया था।

यह वाम द्वारा समर्थित संप्रग था। यही वह राजनीतिक गठजोड़ था जिसने एक नई सरकार और न्यूनतम साझा कार्यक्रम और प्रत्येक चीज को तैयार किया। महोदया, यदि आप आज देखें, मेरा हमेशा ऐसा सोचना था — न केवल मेरा बल्कि पूरे देश ने हमेशा ऐसा सोचा — कि कांग्रेस में अपने अतिशय प्रभाव की सोच है और यह सपने की दुनिया में जी रही है।

श्री प्रणब मुखर्जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए प्रथम दो या तीन पैराग्राफ में, संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को समर्पित करते हुए, उपलब्धियों की चर्चा की। अंत में, निष्कर्ष के रूप में संप्रग

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

को भुला दिया गया और उन्होंने कहा कि जनता, आम आदमी उस हाथ को याद रखेगा जिसने इन सबको संभव बनाया। उन्होंने यह नहीं कहा कि हाथ के लिए वोट दें, लेकिन केवल इसे छोड़कर, सब कुछ कह दिया गया।

महोदया, यह मनोदशा देश में कुछ समस्याएं पैदा कर रही है। उदाहरण के लिए उन्होंने सोचा कि वाम और संप्रग की एकता को बनाए रखना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ जाना ज्यादा मत्वपूर्णर्प है। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति बुश को भारत रत्न दिया जाए।...*(व्यवधान)* जिस प्रकार की सोच यहां है, वह अत्यन्त गलत सोच है। उस सोच के साथ कांग्रेस ने शायह यह सोचा कि वाम से छुटकारा मिल जाए और किसी अन्य का समर्थन मिल जाए और उन्हें भुगतान या अन्य प्रकार से तत्काल वह प्राप्त हुआ। आपने संसद को उस शर्मनाक स्थिति में ला खड़ा किया है कि देश की महानतम लोकतांत्रिक संस्था की आज बदनामी हुई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपकी सरकार बच गई है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि लोकतंत्र बचाया गया है कि नहीं, सांविधानिक शासन को बचाया गया है कि नहीं। केवल वाम और संप्रग सरकार की एकता ही समाप्त नहीं हुई है। अब कांग्रेस द्वारा लिए गए इस निर्णय के साथ कि उनका राष्ट्रीय स्तर पर किसी संप्रग साझीदार से गठजोड़ नहीं होगा आपने संप्रग को ही समाप्त कर दिया है। प्रत्येक राज्य में किसी प्रकार का गठजोड़ सामने आएगा। अब अनेक लोग, संप्रग सहभागी गठजोड़ के लिए अन्य जगहों पर साथी तलाश रहे हैं। इसलिए प्रतिक्रियावादी ताकतों, आतंकवाद और साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए जब लोकतांत्रिक और वाम ताकतों की पुरजोर एकता की देश को आवश्यकता थी उस समय कांग्रेस ने जिस प्रकार का राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है, वह, मुझे कहना पड़ता है, वस्तुतः आत्मघाती है।

इस पृष्ठभूमि के साथ मैं अन्य मुद्दे पर आता हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण के साथ-साथ बजट में आम आदमी और आम आदमी को अपने जिस प्रकार का बेहतर जीवन उपलब्ध कराया गया है उसकी बात की गई है। अनेक अच्छे कार्यक्रमों, जिसे आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहते हैं, के लिए धनराशि मुहैया करायी गयी है। हमने भी इन कार्यक्रमों का समर्थन किया था। लेकिन ये तथ्य हमें कहां ले जाते हैं? भारत आज भी एक ऐसा देश है जहां हर रात 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। ऐसा देश जहां सर्वाधिक बड़ी आबादी भूखी है वह भारत है। यह ऐसा तथ्य है जो कई एजेन्सियों द्वारा प्रकट किया गया है। यदि आप भारत को दूसरे पहलू से देखें तो यह एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। पुनः, भारत में सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं।

ये कौन लोग हैं, ये आम आदमी हैं, लाखों भूखे; लाखों बेरोजगार; और लाखों अशिक्षित लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं हैं। मेरे मित्र ने अभी बताया कि लगभग चार करोड़ लोग हैं जो बेघर हैं और केवल शहरी क्षेत्र में इधर उधर भटक रहे हैं। यह हमारे देश में आम आदमी की रूप रेखा है।

आपने क्यों नहीं ऐसे ठोस उपाय किए जिससे आप परिवर्तन ला सकते थे। आपको जनता से जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है उसकी मदद से आप परिवर्तन ला सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। सत्ता में आते ही सरकार ने स्वामीनाथन समिति की नियुक्ति किसानों की दुर्दशा की जांच के लिए की। यह सब निराश किसानों, जो ऋणग्रस्तता के शिकार थे, द्वारा बढ़ती आत्महत्याओं की पृष्ठभूमि में हुआ। यह ज्यादा ऋण देने का प्रश्न नहीं है। यह समाधान नहीं है लेकिन यह केवल समाधान का एक भाग है। परन्तु मुख्य बात यह है कि उसे कृषि करते हुए अपने आपको और अपने परिवार के भरण-पोषण में अपने आपको सक्षम होना चाहिए। तत्पश्चात उसे उसकी फसल के लिए लाभप्रद मूल्य मिले। अन्यथा जैसा कि विदर्भ में हो रहा था, अर्थात् जब कपास का मूल्य कम हुआ तब उनके पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा।

फसल बीमा उपलब्ध कराए जाने के लिए अधिक व्यापक कदम उठाए जाने चाहिए थे और तब आप उन्हें ऋण देते तो संभवतः वे बेहतर स्थिति में होते।

महोदया, मुझे समय की कमी का ध्यान है और मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अब, हम वैश्विक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और इस संदर्भ में कई कदम उठाए गए हैं और कई पैकेजों का प्रस्ताव किया जा रहा है परन्तु वस्तुस्थिति यह है। केरल जैसे राज्य के मामले को ले जहां से मैं आता हूं, वहां पर नारियल जटा, काजू, हथकरघा आदि पारम्परिक उद्योग हैं, सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र में मछुआरे रहते हैं — केरल एक ऐसा राज्य है जो विदेशों को सर्वाधिक मछली उत्पाद निर्यात करता है जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और ये सभी संकट में हैं। केरल नकदी फसलों और पौधरोपण फसलों के लिए भी जाना जाता है। पौधारोपण फसलों की कीमतें घटी हैं और उनकी सहायता करने को कोई नहीं है।। यदि यही स्थिति जारी रही तो वे भी आत्महत्या को मजबूर हो जायेंगे। जो पैकेज उन्हें दिए जा रहे हैं उनसे उन्हें बहुत कम सहायता मिलती है। ये पैकेज उनके लिए बेकार साबित होते हैं क्योंकि उनकी समस्याओं

का समाधान नहीं होता है और उनकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई नहीं की जाती है।

जब हम भारत में आर्थिक मंदी की समस्या से निपटने के लिए विशेष पैकेज की बात करते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 20 लाख औद्योगिक श्रमिक आर्थिक मन्दी के समय में बेरोजगार हो गए हैं और दस लाख और लोग आगे भी निश्चित रूप से बेरोजगार होंगे। यह सामान्य बेरोजगारी नहीं है जिसके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया था बल्कि वर्तमान आर्थिक मन्दी के दौर से है।

श्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश करते हुए कहा था कि आगामी वर्ष में हमें और अधिक कठिन समय झेलना पड़ेगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अधिक सुधार नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमें और अधिक बेरोजगारी, और अधिक तालाबंदी और अधिक छंटनी तथा उत्पादन में और अधिक कमी आदि का सामना करना पड़ेगा। आप क्या कदम उठा रहे हैं? सरकार ने शायद ही कोई ऐसा ठोस कदम उठाया है जो उन लोगों को सुरक्षा कवर प्रदान कर सके जिनसे रोजगार छीना गया है।

महोदया, आप दिल्ली से हैं और आप औद्योगिक कामगारों के दुःखों को जानती हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। एक औद्योगिक कामगार जिससे उसकी नौकरी छिन जाती है, सड़क पर आ जाता है। उसके पास न तो भोजन है, न घर है, न कपड़े हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है। आज देश के लगभग 5 लाख लोगों की यही स्थिति है जिन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। वे सड़क पर आ गए हैं। क्या सरकार ने ऐसा कोई आर्थिक कदम उठाया है जो इस स्थिति में बदलाव ला सके?

ए आई टी यू सी, सी आई टी यू, एच एम एस जैसे अग्रणी मजदूर संघ लाखों लोगों को दिल्ली ला रहे हैं जो मंदी और उसके परिणामी बेरोजगारी से पीड़ित हैं। वे यहां पर संसद के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं ठीक है, उन्हें संसद के निकट नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि हम एक ऐसे स्थान पर बैठना चाहते हैं जो जीवन की वास्तविकताओं से अलग एवं पूरी तरह सीलबंद हो। परंतु पूरा संसार उनके कष्टों को देखेगा जब वे भूखे और अधनंगे होकर, उन्हें जो परेशानी झेलनी पड़ रही उसके खिलाफ नारे लगाते हुए यहां आएंगे। सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। इसलिए, सरकार को इन समस्याओं के बारे में कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि अभिभाषण में इनका उल्लेख नहीं किया गया है।

सभापति महोदया, पूर्व वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम इस बात पर गर्व महसूस करते थे और हमें भी बहुत अच्छा लगता था जब वह कहते थे कि विदेश में काम करने वाले भारतीय अच्छा काम कर रहे हैं। यह अच्छा है कि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। वे केरल से हैं और हम एक अच्छे मित्र हैं। श्री चिदम्बरम विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए इसलिए गर्व महसूस करते थे क्योंकि वे बहुत सारा पैसा घर भेज रहे थे। जब देश में विदेशी मुद्रा का भंडार कम था तब हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसों पर निर्भर थे। यह वह पैसा था जो उन्होंने खून-पसीना बहा कर कमाया था। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण उनमें से कई लाख लोग घर लौट रहे हैं। चूंकि केरल एक ऐसा राज्य है जहां के कई लाख लोग घर वापस आ रहे हैं, हमें इसका दर्द झेलना पड़ रहा है। हमने सरकार से पूछा कि क्या कुछ पुनर्वास उपाय किए जा सकते हैं। हमने कहा कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए। परंतु भारत सरकार ने इसकी अनदेखी कर कहा है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये लोग जरूरत के समय हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत सहायक रहे हैं। हम उन पर निर्भर थे और उनकी सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अब, जब वे तकलीफ में हैं, आप उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सभी समस्याएं हैं जिनका राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी ने कल अपने बजट भाषण में एक मजेदार टिप्पणी की थी। उन्होंने 'समानता के साथ आर्थिक विकास' का संदर्भ दिया। इस अवधारणा के जनक जवाहरलाल नेहरू थे। जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत पुराने पूंजीवादी विकास के रास्ते को नहीं अपनाएगा; भारत सामाजिक न्याय के साथ विकास की राह अपनाएगा। श्री प्रणब मुखर्जी अब कह रहे हैं 'समानता के साथ विकास' की अवधारणा में अमर्त्यसेन द्वारा सुधार किया गया और यह कहा गया कि संकट के समय में विकास को कायम रखना चाहिए।

मैं चकित था; मैं वास्तव में चकित था। मैं अमर्त्यसेन का आदर करता हूं जोकि एक विश्व विख्यात अर्थशास्त्री है और भारत को उन पर गर्व है और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। परंतु हम न्याय के साथ विकास, समानता के साथ विकास चाहते हैं। यह वह नारा है जिससे भारत की आम जनता प्रेरित हुई थी और जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए।

आपके नए मित्र, अमेरिकी, जिसके लिए आप भारत रत्न देने के लिए उतावले हैं — जो दुर्भाग्य से एक कांग्रेसी द्वारा कहा गया

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी की आत्मा भी कांग्रेस के इस नए शिष्य को देखकर अशांत और बेचैन हो रही होगी। जहां कहीं भी राष्ट्रपति बुश जाते हैं उन पर जूते फेंके जाते हैं। उनके अपने लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए। हम ऐसा करने के लिए क्यों व्यग्र हैं? क्या यह चाटुकारिता है? राजा के प्रति अधिक वफादारी प्रदर्शित करने का तरीका है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये कुछ ऐसी बातें हैं, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित नहीं हैं।

मेरा अन्तिम मुद्दा आतंकवाद से संबंधित है। आतंकवाद का उल्लेख इस सदन में हुआ है। हमने इस संबंध में एक नया विधान तैयार किया है। हमारे विपक्ष के नेता खुश थे कि कोई विधान तो अधिनियमित हुआ और वे नाखुश थे कि पोटा को समाप्त कर दिया गया है। मुझे याद है कि आडवाणी जी कह रहे थे कि सरकार सीबीआई आदि का इस्तेमाल कर रही है। शायद उन्होंने इससे कुछ सबक सीखा हो। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया था। उन्होंने ही यह सिद्ध किया कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वे न केवल गृह मंत्री बने बल्कि उप-प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस को इससे सबक लेकर स्वयं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में दोनों ही एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं।

आतंकवाद के संबंध में सरकार की ओर से कुछ चूक हुई है। अब यह समाप्त हो गया है हमने एक नया विधान बनाया है; हम इसका सामना करने के लिए संगठित हैं। मुझे याद है कि मेरे एक अच्छे और सम्माननीय मित्र और मंत्री श्री ए.के. एंटनी ने चार दिन पूर्व मुंबई की घटना के संबंध में केरल में एक भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि हिमालयी रक्षा का महत्व अब पुरानी कहानी बन गई है। आज वह इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। समुद्र की ओर से आने वाले खतरे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें इसके लिए सावधान रहना चाहिए। मुंबई घटना पर चार दिन पूर्व यह मंत्री महोदय का वक्तव्य था। मुंबई की घटना के बाद हमें पता चला कि हमारे पास विभिन्न देशों की विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आसूचना थी कि समुद्र के रास्ते आतंकवादी हमले का तत्काल खतरा है। श्री एंटनी जानते थे और इसका तात्पर्य यह है कि सरकार भी जानती थी। यही कारण था कि उन्होंने कहा था कि तत्काल खतरा समुद्री रास्ते से है। लेकिन सरकार विफल क्यों हो गई? और यह इतनी बुरी तरह विफल क्यों हो गई? इसने हमें शर्मसार किया है। दस लड़के आते हैं और सामूहिक नरसंहार और हरेक जगह आगजनी कर तीन दिन के लिए देश को बन्धक बनाए रखते हैं। यह विफलता थी। अब कानून बन गया है। हम उम्मीद करें कि कानून लागू किया जाएगा। संसद द्वारा पारित इस कानून में आतंकवाद को कई तरह से परिभाषित किया है। नक्सलियों को भी आतंकवादियों में शामिल किया गया है। आज भी गृह मंत्री ने कहा है कि वे दूसरों से थोड़े अलग हैं। अब मैं हिन्दू आतंकवाद पर आता हूं, मेरा तात्पर्य पूरे हिन्दू सम्प्रदाय से नहीं है, आरएसएस के नेतृत्व वाले संघ परिवार के नेतृत्व वाला ब्रिगेड जो राम सेना, आदि नया ब्रिगेड तैयार कर रही है ये सब इस देश में आतंकवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

हम इसकी अनदेखी न करें। सरकार को सजग रहना चाहिए कि ये एजेंसियां अपने कार्य द्वारा ऐसी स्थितियां उत्पन्न न कर पाएं।

वास्तविक अन्तिम मुद्दा यह है कि जब हमने मालेगांव घटना पर चर्चा की, जब हमने आरोप पत्र, जैसा यह है, देखा सबसे खतरनाक बात सामने यह आई कि आरोपियों में से एक लेफ्टिनेन्ट कर्नल पुरोहित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सेना में भी ये लोक सक्रिय है। वे राजनयिकों के बीच सक्रिय हैं; वे सेना में सक्रिय हैं; वे भूतपूर्व सैनिकों के बीच सक्रिय हैं। ये खतरनाक संकेत हैं जिससे उचित तरीके से निपटना होगा। मामले के इन पहलूओं पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में अभिव्यक्ति प्रदान नहीं की गई है। बाद में, जब श्री प्रणब मुखर्जी बोले उन्होंने भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया।

इन शब्दों के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मुझे आशा है कि इन पहलुओं को भी बाद में शामिल किया जाएगा।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : धन्यवाद, मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा पर कुछ बोलना चाहता हूं।

जैसा कि मुझे पहले वक्ताओं ने भी सरकार का उल्लेख किया और सरकार का बार-बार उल्लेख किया जाता है पर यहां मैं पुनः दावे के साथ कहना चाहूंगा कि वास्तव में कुछ नौकरशाह राष्ट्रपति के भाषण का प्रारूप तैयार करते हैं। अतः भाषण का खोखलापन और शब्दाडम्बर निरपवाद रूप से सतह पर ही प्रकट हो जाता है।

यह केवल शब्दाडम्बर है; और न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के संप्रग का दावा खोखला साबित हुआ है क्योंकि वे गत पांच वर्षों का ईमानदार तुलनपत्र प्रस्तुत करने में अक्षम रहे हैं। यदि वे करदाता होते तो अब तक उनकी परिसम्पत्तियां आयकर विभाग द्वारा जब्त कर ली जाती और उन्हें देश को बर्बाद

करने के लिए दण्डित किया जाता। सामाजिक, राजनीतिक और देश के बाहर भी भारत का गत पांच वर्षों में अधोपतन ही हुआ है।

संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति महोदया ने हमारी तेजी से बढ़ती जनसंख्या की समस्या, की चर्चा करना उचित नहीं समझा जबकि यह एक ऐसी समस्या है जिसने वास्तव में इस देश को इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है कि हमारी कोई भी परियोजना, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी नीति जिसकी हम घोषणा करते हैं और जिसे कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं वास्तव में आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि जब तक कार्यान्वयन का समय आता है, तब तक यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है और जिस प्रकार जनसंख्या नियंत्रण से बाहर होती जा रही है अब यह केवल मजाक नहीं रह गया है। परन्तु दुर्भाग्य से इस मुद्दे को महत्व या इसपर जोर देना आवश्यक नहीं समझा गया।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों — हममें से जो लोग दुकानों पर जाते हैं और वास्तव में चीजें खरीदते हैं वे यह महसूस करेंगे — आज भी आसमान को छू रही हैं। यह शर्मनाक है हमारे देश में सड़कों का अच्छा जाल बिछा है; हम हमेशा राजमार्गों पर देखते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और इसका प्रथम प्रमाण मैंने 1977 में देखा जब मैं देश की राजनीतिक एकता से धीरे-धीरे अवगत हो रहा था।

उस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा कोई अन्य निजी मीडिया हाउस नहीं था फिर भी समूचे देश में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सभी ने आपातकाल के और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध वोट किया और इसे सत्ता में नहीं आने दिया। यह अलग बात है कि अन्य भी असफल रहे इसलिए कांग्रेस फिर वापस आई। लेकिन देश का इतिहास बताता है कि 1977 से लोग कांग्रेस को बार-बार खारिज कर रहे हैं।

यह अफसोस की बात है कि इस प्रकार के आधुनिक समाज जहां हम मीडिया के माध्यम से बेहतर संपर्क में हैं, के बावजूद, जहां पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो रही है, वहीं हमारी कंपनियां बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए बाध्य की जाती हैं। जब हम मूल्यों को बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। यहां संसद में हमें पता लगता है कि कंपनियों को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है और सरकार को उसकी भरपाई करनी है। पुन: हम देखते हैं कि मूल्य 147-148 डालर प्रति बैरल से घटकर 45-46 डालर प्रति बैरल हो गए हैं लेकिन हमें बिक्री केन्द्रों के मूल्यों से इसका कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का उपयोग केवल तुच्छ राजनीतिक लाभों के लिए कर रहे हैं। हम मूल्य अधिक रख रहे हैं ताकि जब चुनाव नजदीक आएं तो ये पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 या 4 रु. और कम कर देंगे। ये लोग सोचते हैं कि इन्हें इन उपलब्धियों के लिए सराहना मिलेगी। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि आज भारत का आम आदमी इस देश का अत्यधिक सचेत नागरिक है। उसने यह महसूस कर लिया है कि आपका न्यूनतम साझा कार्यक्रम एक पूर्णत: कुपोषित नीति थी जिसका कोई लाभ नहीं हुआ और यह असफल हो गई है। इस असफलता के कारण आज का आम आदमी शायद आने वाले दिनों में कच्चा आम, खाने के लिए बाध्य होगा।

महोदया, एनडीए सरकार द्वारा आरंभ की गई परियोजनाएं जैसे स्वर्णिम-चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम कारीडोर अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। नई आधुनिक अवसंरचना परियोजनाओं की तो बात छोड़िए, अभी तो चालू परियोजनाओं ने ही पिछले पांच वर्षों में प्रगति नहीं की है। हमने एनआरईजीएस (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) का उद्भव देखा है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उस समय मैंने इस कार्यक्रम के विरोध में बोला था क्योंकि मैंने कहा था कि यह कार्यक्रम परिवारों में फूट डालेगा। प्रत्येक बालिग बेटा पिता से अलग होना चाहता है ताकि वह एक स्वतंत्र परिवार का दावा कर सके और 100 दिन के रोजगार का हक से दावा कर सके। ऐसा ही हुआ भी है। इस प्रक्रिया में हमने भू-धारिताओं को न्यूनतम कर दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों की श्रेणी में और अधिक लोग आ गए हैं। इससे गांवों में आम आदमी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का निर्माण करने में सहायता नहीं मिली है।

भारत निर्माण के नाम पर सभी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को एक समान माना जा रहा है। मैं यहां पर बैठे सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में क्या देखा है; भारत कहां है और निर्माण कहां है। सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स जिन पर लोक सभा और राज्य सभा के एक-एक सदस्य की तस्वीर है और कुछ नहीं, को छोड़कर यह पूरी तरह से असफल है। वास्तव में लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है।

कई माननीय सदस्यों ने आतंकवाद के बारे में चर्चा की है। इस सरकार की आतंकवाद के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने एक मंत्री को बदल दिया है। उन्होंने नए रूप और नए नाम में एक पुराने कानून

[श्री तथागत सत्पथी]

को पुनरुजीवित किया है। वे नए पुलिस बल का गठन करने का दावा कर रहे हैं जो तटीय क्षेत्रों की रक्षा करेगा। लेकिन ये सभी बिना सोचे-विचारे लिए गए निर्णय हैं। आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। इस खतरे को रोकने के लिए नीति की समीक्षा नहीं की जाती है।

इसी प्रकार से, जहां तक माओवादी हिंसा का संबंध है, इस देश के अन्य पूर्वी राज्यों सहित मेरा राज्य उड़ीसा भी इससे ग्रस्त है लेकिन सरकार यहां पर भी आंतरिक आतंकवाद से निपटने के लिए एक सुसंगत नीति लाने में असफल रही है और यह दुःख की बात है कि राष्ट्रपति के संबोधन में इस प्रमुख समस्या से स्पष्ट तौर पर निपटने के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है। वाकी-टाकी अथवा यूवी-40 अथवा यूजी (यूजेडआई) गन देने से माओवादी समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या जो दिन प्रति दिन फैलती ही जा रही है और जिसमें अधिक से अधिक लोगों को लेफ्ट विंग के रैंक पर भर्ती किया जा रहा है, का सामाजिक आर्थिक समाधान खोजा जाना चाहिए। लेकिन उड़ीसा सरकार ने एक साधारण सा अनुरोध किया था कि केन्द्र सरकार की लेफ्ट विंग चरमपंथी प्रभावित सूची में पांच और जिलों को शामिल किया जाए लेकिन केन्द्र सरकार आज तक राज्य सरकार की इस छोटी सी मांग को पूरा करने में अक्षम रही है।

एनडीए सरकार ने छह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की तर्ज पर देश के विभिन्न भागों में अस्पताल बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इनमें से एक भुवनेश्वर में भी बनाया जाना था लेकिन दुर्भाग्यवश पांच वर्ष बीत गए हैं लेकिन इन परियोजनाओं के लिए एक रुपया भी नहीं दिया गया है और न ही इन परियोजनाओं को राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्थान मिला है।

सरकार ने एक नई खनिज नीति बनाई है। सभी खनिज प्रधान राज्यों ने इस नीति का विरोध किया है। उदाहरण के लिए उड़ीसा कोयला और अन्य खनिजों पर रायल्टी बढ़ाने की मांग कर रहा है। आप रायल्टी बढ़ाने में सक्षम नहीं है। आप इस बात को नहीं समझते हैं कि ये संसाधन असीमित नहीं हैं। ये समाप्त होने वाले हैं। कभी न कभी ये समाप्त हो जाएंगे लेकिन इन संबंधित राज्यों को कोई लाभ नहीं मिला है और रायल्टी बढ़ाई नहीं गई है। उड़ीसा जैसे राज्यों का मालभाड़ा-समकारी नीति के कारण काफी नुकसान हुआ है जिसे स्वतंत्रता के पश्चात् तत्काल अपना लिया गया था। मुझे लगता है और मेरा मानना है कि आप पूर्व और उत्तर-पूर्व में राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार और अन्य ऐसे राज्यों में मालभाड़ा-समकारी से क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि हमें शेष देश के विकास के लिए अत्यधिक भुगतान करना पड़ता है लेकिन अब जबकि देश के अन्य भाग विकसित हो चुके हैं, खनिज प्रधान राज्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमें माल-भाड़ा समकारी नीति अपनाए जाने से जो अत्यधिक मात्रा में नुकसान हुआ है उसकी अभी तक भरपाई नहीं की गई है।

महोदया, किसान और खेती करने वाले कर्मकारों की इस सरकार द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई है। किसान कुछेक चीजें चाहता है। किसान चाहता है कि उसे समय पर पानी मिले, अच्छे बीज मिलें और उसे उपयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी की समुचित जानकारी हो। प्रौद्योगिकी तो दूर की बात है, हमारे पास किसानों को प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी देने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छे बीज और समय पर पानी देने के संबंध में भी यह सरकार ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में पूरी तरह से असफल रही है। सरकार खेत और खेती से संबंधित मुद्दों पर कोई कदम उठाने में अक्षम रही है।

गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में चावल का सबसे अधिक खरीद दर्ज किया गया था। मुझे यहां यह उल्लेख करते हुए खुशी है कि कृषि मंत्री ने राज्य की इस उपलब्धि की सराहना की थी।

किन्तु उड़ीसा सरकार के एक छोटे से अनुरोध कि एफ सी आई को अधिकाधिक प्रापण केन्द्र खोलने का निर्देश दिया जाए — पर केन्द्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप, उड़ीसा के किसान व्यथित होकर औने-पौने दामों पर विक्रय करने के लिए बाध्य हैं।

सभापति महोदया : अब आप इसे समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी : महोदया, मैं अपने दल का एकमात्र वक्ता हूं और उड़ीसा राज्य से ही हूं। इसलिए आप मुझे कुछ और समय दें।

महोदया, मेरी शिकायत यह है कि दशकों से उड़ीसा राज्य की अकारण ही लगातार अनदेखी की गई है। उड़ीसा के लोग सज्जन और मृदु भाषी होते हैं किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि हमें कुचल दिया जाएगा; हमें दबा दिया जाएगा और अलग कर दिया जाएगा। समय आ गया है जब सजग उड़िया लोग जो देश की आवश्यकताओं से अवगत हैं, राज्य की आवश्यकताओं के लिये उठ खड़े होंगे। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव, जब पूरे देश और हमारे

राज्य में चुनाव होंगें, में उपयुक्त उत्तर मिल जाएगा।...*(व्यवधान)।* उन्हें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से लाभ मिलता है। सरकार, जो प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र सदस्य और छोटे दलों की ओर देख रही है ताकि जीवित रहने के लिए शक्तिशाली लोगों को अलग-थलग करने के लिए कुली-कबाड़ उठाया जाए, की ओर से प्रदर्शित यह अधैर्य कांग्रेस की दयनीय स्थिति को परिलक्षित करता है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने अपना आधार खो दिया है। इसने विदेशियों की जंजीरों से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया किन्तु आज यह इसी दलदल में फंस गयी है। इसके पास देश की समस्या का उत्तर नहीं है क्योंकि इन्हें देश की समस्या के बारे में पता नहीं है। जो लोग उनके साथ हैं, जो यूपीए के सदस्य है वे इस देश की जनता के प्रति अपराध कर रहे हैं और उन्हें आने वाले दिनों में नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि न सिर्फ उड़ीसा के प्रतिभाशाली लोग बल्कि देश में हर जगह लोग जागेंगे और यह महसूस करेंगे कि यूपीए विशेषकर कांग्रेस, क्या है और वे सरकार को और कांग्रेस को आगमी चुनावों में उपयुक्त उत्तर देंगे।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं। प्रतिपक्ष के नेता सहित कई प्रमुख सदस्यों ने इस चर्चा में पहले ही हिस्सा लिया है।

महोदया, सर्वप्रथम मैं विवेक की मां को दिल से बधायी देना चाहूंगा। इनकी माता गुजरात में रहती हैं। विवेक का असली नाम मुजफ्फर शेख है। उसकी माता के द्वारा उसका विवेक के रूप में पुनः नामकरण किया गया है। ढ़ाई साल का मुजफ्फर शेख गुजरात दंगों के समय गुलबर्ग सोसाइटी से गुम हो गया था और छः वर्ष बाद एक हिन्दू परिवार के घर में पाया गया। छः वर्षों तक विवेक शहर के रखैल क्षेत्र में बीना पत्नी के घर में पलता रहा। बीना ने दावा किया कि दंगे के दौरान कोई व्यक्ति उनके स्वर्गीय पति विक्रम के पास मेघानी नगर में आया था और उनके पास यह बच्चा छोड़ गया। विक्रम इस बच्चे को घर ले आया और यह बच्चा न सिर्फ परिवार के साथ घुलमिल गया बल्कि अन्य बच्चों के लिए प्यारा बन गया। अब, इस बच्चे के प्राकृतिक माता-पिता जिबानुनिशा-माता — ने अपने बच्चे को ढूंढ लिया है और न्यायालय के निर्देश से उन्हें अपने बेटे की देख-भाल करने का अधिकार भी दे दिया गया है।

सायं 6.00 बजे

महोदया, हमें ऐसे समाज की जरूरत है।

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, अब सायं के 6.00 बज गए हैं और हमारे पास धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने हेतु वक्ताओं की लंबी सूची है। यदि सदन सहमत हो तो हम सदन के समय को एक घंटा और बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदया : इस सभा का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री अधीर चौधरी : महोदया, इस सदन का सदस्य होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते मुझे इस परिवार और इस माता पर गर्व है। हमें ऐसे ही समाज की आवश्यकता है। जितना अधिक हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, उतना ही अधिक हम सुरक्षित होंगे और उतना ही अधिक हमें शांति मिलेगी। हमें परस्पर सम्मान, परस्पर गरिमा, सहानुभूति और स्नेह वाले समाज की आवश्यकता है।

मैं मानता हूं कि हमारे प्रतिपक्षी नेता क्षुब्ध हैं क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय-वस्तु स्पष्टतः यह इंगित करती है कि यूपीए सरकार आम लोगों के कल्याण पर अपना ध्यान लगा रही है। इसीलिए, यह सरकार आम आदमी को इतनी पसंद है। 'आम आदमी' शब्द ने विपक्षी दलों के दिलों में घबराहट पैदा कर दी है। इसका कारण स्पष्ट है। इस देश के अधिकाधिक लोग अब यूपीए सरकार द्वारा यथा प्रतिपादित अवधारणा, दृष्टिकोण और उद्देश्य को सुन रहे हैं।

विपक्षी सहयोग को समझाने के लिए मैं मात्र दो या तीन मुद्दों को उद्धृत करूंगा। सर्वप्रथम, यही सरकार है जिसने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कर इस देश के आम लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाया है। अब तक संसार के किसी अन्य भाग में ऐसा कानून नहीं लाया गया है। हमारे विधान में काम के अधिकार को शामिल किया गया है। अब, लोगों के पास रोजगार की दरकार, रोजगार पाने, लेने और रोजगार न होने की स्थिति में उसके एवज में क्षतिपूर्ति पाने की स्वतंत्रता है। इसलिए यह एक युगान्तकारी विधान है जिसकी प्रशंसा जनप्रतिनिधियों द्वारा अवश्य की जानी चाहिए।

दूसरा मुद्दा है असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के 43 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा मिलेगी। आम आदमी के लिये इसका क्या अर्थ है? क्या ये अधिनियम आम आदमी को लाभ नहीं दे रहे हैं? अब कौन-से लोग इन सभी अधिनियमों से लाभान्वित होंगे? क्या इनसे देश के जन-सामान्य को लाभ नहीं पहुंचेगा? यूपीए सरकार की छवि धूमिल करना विपक्षी सदस्यों की घोर कुंठा को दर्शाता है।

[श्री अधीर चौधरी]

इसलिए वे राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में गैर-मुद्दों को उठा रहे हैं। आप इसे नोट कर आश्चर्यचकित होंगे कि वर्ष 2007-08 में करीब 3.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस कार्यक्रम के तहत रोजगार प्रदान किया गया। इन लाभार्थियों में से 55 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के और 49 प्रतिशत महिलाएं थी। अब तक इस कार्यक्रम के तहत 46 लाख से अधिक कार्य किए गए, इनमें से 19 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं। कुछ मिनट पूर्व श्री चन्द्रप्पन ने यूपीए सरकार की भर्त्सना की थी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : इस व्यवधान को कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : कृपया शान्त रहें।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, सदन में एक भी मंत्री नहीं है।...*(व्यवधान)* इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान एक भी मंत्री सदन में नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : अभी मंत्री जी चेयर से पूछकर गये हैं। वह एक मिनट में वापस आ रहे हैं, इसलिए आप बैठ जाइये। सब चीज रिकार्ड में है।

(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदय, सदन में एक भी मंत्री नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी अभी चेयर से पूछकर गये हैं। वे एक मिनट में वापस आ रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठिये। मंत्री जी बहुत सजग हैं और सब चीज रिकार्ड में है।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : मंत्री जी आ गये हैं, इसलिए आप बैठ जाइये। आपको मौका चाहिए क्योंकि आपको काम न करके केवल बोलना है। मंत्री जी पूछकर गये थे। वह एक मिनट में वापस आ रहे हैं। अब वह आ गये हैं, इसलिए आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : क्या एक ही मंत्री है? इतना लम्बा-चौड़ा मंत्रिमंडल है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : वह आगे और बनेगा। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी समय बाहर जाने की जरूरत पड़ती है और मैं भी मनुष्य हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : ठीक है। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : कोई भी टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : कृपया टिका-टिप्पणी न करें।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदया, मैं श्री चन्द्रप्पन को सुझाव दूंगा कि वे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को राज्य में एन आर ई जी कार्यक्रम लागू करने की सलाह दें। मेरे इस प्रकार का सुझाव देने का कारण यह है कि एक सर्वेक्षण से यह सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के निर्धनताग्रस्त क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सैकड़ों लोग एन आर ई जी कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। औसतन केवल 14 से 16 दिनों का कार्य ही इन निर्धन लोगों को उपलब्ध कराया गया है। उन क्षेत्रों में ही वर्षों से भूखमरी से लोगों की मौतें हो रही हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 6.10 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मैं वाम दलों के संसद सदस्यों को सुझाव दूंगा कि उन्हें अपनी-अपनी राज्य सरकारों विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू कराने संबंधी मामला उठाना चाहिए क्योंकि इस अधिनियम से एक प्रकार की सामाजिक क्रांति आई है। यहां वे किसानों के कल्याण की वकालत करते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार अपने शहरीकरण और उद्योगीकरण के नए तर्क से निर्धन कृषकों को निरुत्साहित कर रही है। यह वाम दलों द्वारा पश्चिम बंगाल में दिया जा रहा नया नारा है। यहां तक कि वे अब अपना यह तर्क भी देते हैं कि कृषि अब लाभप्रद नहीं रह गई है। अत: औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की ओर जाना ही बेहतर और शहरीकरण और औद्योगीकरण के नाम पर केवल राज्य के किसान ही प्रशासन और सत्ताधारी दल की मिलीभगत से प्रताड़ना और हिंसा के शिकार हुए हैं।

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, कि नन्दीग्राम पहले ही न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व में एक लोकप्रिय नाम बन चुका है ...*(व्यवधान)* महोदय, नन्दीग्राम में किसानों की हत्या हुई है...* और किसानों के घरों में आग लगा दी गई...*(व्यवधान)* यह पश्चिम बंगाल की वास्तविकता है जहां औद्योगीकरण के नाम पर...* और उसके बाद वे कृषि के कल्याण की वकालत कर रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, हम वाम दलों से अलग नहीं हुए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक राष्ट्रीय दल होने के नाते हमें कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के सदस्यों को भी समय दिया जाएगा और वे इन सभी बातों का उत्तर दे सकते हैं। मैं देखूंगा यदि कोई आपत्तिजनक बात हुई तो मैं उसे हटा दूंगा। मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय भारत-अमेरिका परमाणु समझौता हमारे देश में ज्यादा ऊर्जा पैदा करने के लिए किया गया था। लेकिन केवल वाम दल ही थे जिन्होंने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का विरोध किया और अपनी इच्छा से संप्रग छोड़कर चले गए। हमने उन्हें गठबन्धन छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया है...*(व्यवधान)* जब कभी उन्होंने हमारे साथ गठबन्धन किया हमने वाम दलों को चार कैबिनट मंत्रालय देने की पेशकश की थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी : यदि उन्हें कम से कम वे मंत्रालय मिलते, उदाहरण के लिए यदि उन्हें कृषि मंत्रालय मिलता तो वे हमारे देश के कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में समर्थ हो सकते थे। लेकिन उन्होंने अवसर खो दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी : महोदय, वाम दलों का दृष्टिकोण सदैव बिना जिम्मेदारी उठाए सत्ता का सुख भोगना रहा है।

यहां वाम दलों की खामी प्रकट होती है...*(व्यवधान)* यही उनकी गलती है...*(व्यवधान)* मैं उन वाम मित्रों को एक और कारण से चुनौती देता हूं। चुनाव के बाद जब पन्द्रहवीं लोकसभा का गठन होगा उन्हें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वे हमें समर्थन नहीं देंगे। उन्हें अभी घोषणा करनी होगी कि क्या वे पन्द्रहवीं लोक सभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद हमें समर्थन देंगे या नहीं। मेरे विचार से उनकी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी यदि वे इस सम्माननीय सभा में यह घोषणा करें कि वे हमें समर्थन नहीं देंगे...*(व्यवधान)*

हम पूरे विश्व में आर्थिक मंदी देख रहे हैं। जब सुनामी आई तब हमारे समुद्री तट भी बर्बाद हो गए। हम उस सुनामी के प्रभाव से अपने आपको नहीं बचा पाए। अब इस आर्थिक परिदृश्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आर्थिक सुनामी प्रकट हुई है। इसका व्यापक प्रभाव सम्पूर्ण विश्व में महसूस किया जा रहा है। हम उस व्यापक प्रभाव से नहीं बच सकते हैं। इस आर्थिक सुनामी का केन्द्र कहीं और है...*(व्यवधान)* लेकिन हम उस आर्थिक उथल-पुथल के शिकार हैं। यही सच्चाई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी अर्थवयवस्था अमरीकी अर्थव्यवस्था की सहायता के बिना सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने में समर्थ नहीं हो पाई है। वास्तविकता यही है क्योंकि संयुक्त राज्य

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अधीर चौधरी]

अमरीका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चूंकि संयुक्त राज्य अमरीका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सभी विकासशील देशों को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमरीका से कारोबार करना ही पड़ता है। रूस और चीन में उनके साथी संयुक्त राज्य अमरीका के साथ कारोबार करने के लिए लालायित हैं। सच्चाई यह भी है। जब हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, यह गलत दिखाई देता है। लेकिन केरल में जब वे कनाडा के किसी काम लवलीन से घूस का पैसा लेते हैं तब वे ईमानदार व्यक्ति बन जाते हैं। अतः यहां विरोधाभाष है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अधीर चौधरी : महोदय, हमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के संदर्भ में आत्मविश्लेषण करना चाहिए। भारत की सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है। यह एक ऐसा देश है जहां विश्व के चार प्रमुख धर्मों का उद्भव हुआ। अतः हम विश्व परिदृश्य में अपनी उत्तरदायी भूमिका को ईमानदारी से निभा रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि भारत महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है इसलिए कई पड़ोसी शक्तियां नहीं चाहती कि भारत का आविर्भाव हो। अतः, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को सुझाव देना चाहूंगा कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी आलोचना करना गलत है जब तक कि आप स्वयं उससे बेहतर कार्य निष्पादन न करके दिखाएं।

स्वयं कार्य करने से पूर्व आपको दूसरे व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपका कार्यनिष्पादन क्या रहा है? एनडीए को भी देश को चलाने का अवसर मिला। 'शाइनिंग इंडिया' के नाम पर उन्होंने क्या किया है? 'शाइनिंग इंडिया' के नाम पर भारत को पिछड़ा देश बना दिया अब राजनीतिक और सांप्रदायिक उथल-पुथल के बाद जब संप्रग ने इस देश का शासन संभाला है तो हम देख रहे हैं कि समाज के सभी वर्गों में शांति और खुशहाली है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनकी गलतियों की सजा हम भुगतें परन्तु, आम आदमी उन्हें भली-भांति समझकर उन्हें खारिज कर देगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सर, मेरी बारी कब आएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है, आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं सदन के नेता प्रतिपक्ष माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो प्रभावी विचार व्यक्त किये, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। साथ ही कुछ और मुद्दों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभिभाषण में पृष्ठ संख्या 1 की मद संख्या 3 मं कहा गया है कि यूपीए की सरकार लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। यह कथन सत्य से बहुत परे है। इन चार-पांच वर्षों में, जिस प्रकार से यूपीए सरकार से संबंधित विचारों को न रखने वाली सरकारों को अनेक प्रकार के गलत तरीके अपनाकर के गिराने का काम किया गया है वह निंदनीय है। उसका उदाहरण झारखंड और गोवा है। जो वर्तमान सरकार है वह कैसे बची है और आज इस सरकार की क्या स्थिति है, इन सभी उदाहरणों से यह साफ दिखाई देते हैं। यूपीए की सरकार में प्रजातंत्र को आघात पहुंचाने वाले एक नहीं अनेक कृत्य किये गये हैं। संवैधानिक व्यवस्था है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकारें चुनी जाती हैं उनको स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने देना चाहिए लेकिन केन्द्र की यूपीए सरकार ने अनेक राज्य सरकारों को अस्थिर किया है और केवल अस्थिर ही नहीं किया है बल्कि गिराने का भी काम किया है। इस संबंध में राष्ट्रपति जी से साहसपूर्वक कहलवाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी है, इसके लिए मैं सरकार की निंदा करना चाहता हूं।

इसके बाद पृष्ठ संख्या 3 की मद (8) में किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कर्ज माफी की बहुत चर्चा की गयी है। कहने के लिए सब कहते हैं कि वह 72 हजार करोड़ रुपये का है लेकिन इसी बजट भाषण में 65 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े दर्शाये गये हैं। उसमें भी उन किसानों को उसका लाभ नहीं मिला है जो दो हैक्टेयर से ज्यादा भूमि रखते हैं और जो पैसा जमा करते रहते थे, उनके लिए जो योजना लागू की गयी वह यह है कि यदि बकाया का एकमुश्त 75 प्रतिशत जमा करेंगे तो 25 प्रतिशत का लाभ उन्हें मिलेगा। माननीय मंत्री श्री गुप्ता जी यहां बैठे हैं, सामान्य नियम और परम्परा यह बन गई है कि जो किसान पैसा जमा नहीं कराते

हैं, उनकी 20-25 प्रतिशत धनराशि बैंक मैनेजर को राइट आफ करने का अधिकार है। इस सरकार ने यह घोषणा करके किसानों के साथ अन्याय किया है, उनका मजाक उड़ाया है और उन्हें लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि किसान जिस प्रकार से परेशान हो रहा है और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जो स्थायी हल खोजना चाहिए, उसे खोजने का काम इस सरकार ने नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय राजनाथ सिंह कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने किसानों की समस्याओं को स्थायी समाधान देने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना लागू की थी। उस समय के वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के समय उस योजना का उल्लेख किया था, बाद में चुनाव हुए, सरकार बदल गई और यूपीए की सरकार सत्ता में आई। 8 जुलाई, 2004 को यूपीए सरकार ने पहला बजट प्रस्तुत किया और बजट प्रस्तुत करते समय चिदम्बरम साहब ने अपने बजट भाषण में कहा कि एनडीए की सरकार ने जो राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना लागू की है, इसे देश के 12 राज्यों के 19 जिलों में एक्सपेरिमेंटल तौर पर लागू किया है और यह प्रसंशनीय योजना है तथा इस योजना को हम आगे जारी रखेंगे। इस योजना में आवश्यकता पड़ने पर छोटा-मोटा सुधार करने का कार्य भी करेंगे। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि यह पांचवां साल चल रहा है और इस दिशा में एक रत्ती भर कदम भी नहीं उठाया गया हैं यह किसानों के साथ अन्याय है। अगर सरकार वास्तव में किसानों का हित संरक्षण चाहती है, उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहती है, तो राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना लागू करनी चाहिए। जिस प्रकार से औद्योगिक संस्थान और व्यापारिक संस्थान अपनी सम्पत्ति का नुकसान होने की स्थिति में बीमा कम्पनियों से उसकी भरपाई होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार की सुविधा किसानों को देनी पड़ेगी। अगर हम इस प्रकार की सुविधाएं किसानों को नहीं देंगे, तो इस प्रकार से आत्महत्याएं होनी बंद नहीं होंगी। सरकारी कर्ज को तो सरकार माफ कर भी सकती है, लेकिन साहूकारों से जो कर्ज लिया जाता है, वह माफ नहीं होता है। इस कारण किसान परेशान रहता है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इसके साथ ही साथ किसान को चार प्रतिशत दर पर कृषि ऋण देना चाहिए, लेकिन यह कोशिश भी इस सरकार ने नहीं की है। सात प्रतिशत दर पर किसानों को ऋण देने की व्यवस्था अटल जी की सरकार ने कर दी थी, इन्होंने किसानों के हित में केवल कर्ज माफी के अलावा कुछ नहीं किया। किसानों के हित के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं यह कहने के लिए तत्पर हूं कि यह सरकार किसानों की विरोधी है।

देश में एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ता है। एनडीए सरकार ने अटल जी के नेतृत्व में नदी जोड़ो योजना का निर्णय लिया था, उस योजना के बारे में भी इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। यही कारण है कि एक तरफ बाढ़ से जन हानि तथा धन हानि होती है और दूसरी तरफ सूखे से जन हानि तथा धन हानि होती है। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि अनेक राज्यों में भयंकर पेयजल समस्या है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार समस्या का समाधान करना चाहती है, तो नदी जोड़ो योजना को भी लागू करना चाहिए था। अब तो इस सरकार के हाथ में कुछ नहीं है और सरकार ने कुछ नहीं किया है। अब चुनाव होने वाला है और जनता फैसला करेगी।

अब मैं पृष्ठ संख्या 7, मद संख्या 16 पर आता हूं।... *(व्यवधान)* शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ करना चाहिए था, वह नहीं किया है। हम सब को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और हमें इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो देश में शत प्रतिशत साक्षरता होनी चाहिए। आजादी के बाद से केवल 65 प्रतिशत साक्षरता है और वह भी अक्षर ज्ञान की परिभाषा वाली साक्षरता है। महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत और भी कम है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 45 में लिखा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को उपलब्ध कराने का काम सरकार द्वारा करना चाहिए। अटल जी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके इस प्रकार की व्यवस्था लागू की और सर्व शिक्षा अभियान योजना लागू की परंतु सर्व शिक्षा अभियान योजना में भी इन्होंने ढिलाई बरती और जिस तेज गति से सर्वशिक्षा अभियान पर अमल करना चाहिए, वह नहीं किया गया है। वह सब करने की आवश्यकता है। फिर मैं अभिभाषण के पृष्ठ 8-9 और मद संख्या 19,20,21 के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के जहां-जहां बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, वहां विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी। फिर 15-सूत्री कार्यक्रम होगा। मैं अल्पसंख्यकों का विरोधी नहीं हूं। हमारी जहां-जहां जिन राज्यों में सरकारें हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है और अन्य सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : गुजरात की बात मत करो। ...(*व्यवधान*)

श्री थावरचन्द गेहलोत : वहां लागू हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार में एससी एसटी के हितों के खिलाफ काम किये जा रहे हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधानों को भी इनकी सरकार के समय में पहले समाप्त करने का काम किया गया था। अभी भी राज्य सभा में एक बिल पास हुआ है जो लोक सभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, वह भी एससीएसटी वर्ग के लोगों के आरक्षण के खिलाफ है और यह काम एससीएसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ जाएगा और मैं कहना चाहूंगा कि तुम इस वर्ग के लोगों के हित संरक्षण को किये बिना सरकार में नही रह सकते, रहने का अधिकार भी नहीं है। देश का दुर्भाग्य है, देश का प्रधान मंत्री यह कहता है कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है जबकि भारत का संविधान कहता है कि कोई जाति, धर्म के आधार पर बजट के पैसे का आबंटन नहीं होगा।...(*व्यवधान*) फिर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्य योजना, बजट में विशेष प्रावधान, यह भी संविधान की भावना के खिलाफ है।...(*व्यवधान*) अल्पसंख्यक आप भी हैं, उसमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं और उन सब लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं।...(*व्यवधान*)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: ये बातें प्रधान मंत्री जी ने नहीं कहीं है। ...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आप बैठिए। यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(*व्यवधान*)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : अच्छा होता देश के प्रधान मंत्री अगर यह कहते कि इस देश के बजट पर पहला हक उन गरीब लोगों और उन शोषित लोगों का है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन-यापन करते हैं या उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का है जो मध्यम श्रेणी और गरीब परिवार के लोग हैं, यह कहने की बजाय यह कहना कि इस पर मुसलमानों का पहला हक होगा या ये-ये सुविधाएं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को दी जाएंगी। हमारे संविधान में धर्म आधारित आरक्षण या अन्य प्रकार की भेदभावपूर्ण नीतियां लागू करने का प्रावधान नहीं हैं। इस प्रकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है, यह निन्दनीय है और देश के एससीएसटी और पिछड़े और गरीब वर्ग के लोग इस सरकार को कभी भी माफ नहीं करेंगे। साहस होता तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन सब बातों का उल्लेख करवाते तो हम मानते कि इस सरकार ने जो कुछ कहा है, सत्य कहा है। मैं यह कह सकता हूं एक नहीं, अनेक जगह पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया, वह सत्य से बहुत दूर है। रेल मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, फिर वित्त मंत्री जी ने सामान्य बजट प्रस्तुत किया। समाचार पत्रों में आया कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसके आंकड़े कुछ कहते हैं, रेल मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसके आंकड़े कुछ कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है, वह सत्यता से परे हैं। मैं इस अवसर पर पृष्ठ संख्या मद 32 के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। न्यायालय के बारे में उसमें कहा गया है और यह भी कहा गया हैं कि न्यायालय की दृष्टि से उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। मेरा ऐसा कहना है कि आज देश में लाखों प्रकरण भिन्न-भिन्न स्तर के न्यायालयों में लम्बित हैं। अभी चार पांच दिन पहले कुछ समाचार पत्रों में आया था कि वर्तमान जजों की संख्या और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अगर मामलों की तेज गति से सुनवाई करें या वर्तमान में जिस आधार पर प्रकरण का निपटारा हो रहा है, उसी आधार पर मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकालें तो 40-42 साल पेंडिंग प्रकरण ही निपटाने में लग जाएंगे। भारत के संविधान में लिखा है — शीघ्र न्याय, सुलभ न्याय और सस्ता न्याय। लेकिन यह कहां मिल रहा है? सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नही उठाया और कदम उठाने की कोशिश भी नहीं की। गरीब, शोषित और पीड़ित लोग न्याय के लिए चक्कर लगाते- लगाते परेशान हो जाते हैं। पहली और दूसरी पीढ़ी खत्म हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को भी न्याय नहीं मिलता है। ये पाप के भागीदार हैं और गरीब लोगों की बद्दुआएं उनको लेकर डूबने वाली हैं। ...(*व्यवधान*)

महोदय, मैं पृष्ठ संख्या 14 मद 34 और 35 के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में संघीय ढांचा है। राज्य और केंद्र दोनों संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हैं। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यह सरकार वहां उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं, वहां नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के माध्यम से हमें जो बिजली उपलब्ध होती थी, उसमें से 350 मेगावाट बिजली की कटौती कर दी गई। यह कटौती जानबूझकर कर दी गई। यह कटौती इसलिए कर दी गई क्योंकि अगर वहां बिजली नहीं मिलेगी तो जनता नाराज़ होगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। इसके साथ बिजली कारखाने चलाने के लिए कोयला चाहिए और केन्द्र सरकार कोयले का आबंटन करती है, लेकिन वह भी नहीं दिया जा रहा है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कोशिश यह की जा रही है कि प्रदेश में अंधेरा हो जाए, जनता नाराज़ हो जाए लेकिन प्रदेश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। और यूपीए सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। इन्हें यह सबक सिखाया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ कुठाराघात करना या राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करना उचित नहीं है। इन्हें इससे सबक लेने की आवश्यकता है और सबक लेना चाहिए।

महोदय, पृष्ठ 19 मद 50 में भारतीय संस्कृति की दुहाई दी गई है। सारे देश में अलगाववाद, आतंकवाद और नक्सलवाद चलाने वाली संस्थाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग, संरक्षण और समर्थन दिया जाता है।... *व्यवधान)* इस देश का सांस्कृतिक मानबिंदु है। इस देश की संस्कृति, एकता और अखंडता को कमजोर करने वाली ताकतों को सरकार संरक्षण देती रही है। आज सारे देश को इस बात से खतरा हो गया है क्योंकि कोर्ट फैसला देती है कि श्राइन बोर्ड को अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन दे दी जाए लेकिन ये नहीं मानते हैं। कोर्ट फैसला देती है कि अफजल खान को फांसी दी जाए लेकिन ये नहीं देते हैं। कोर्ट स्टे का ऑर्डर देता है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाए लेकिन ये नहीं मानते हैं और षडयंत्र करके तोड़ने का काम करते हैं। ये सब भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश है। ये सब मानबिंदु भारत की आने वाली पीढ़ी, संस्कृति और मान बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। इस सरकार के बड़े वादे किए और कहा वादे पर अमल करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति से अभिभाषण में कहलवा दिया कि अधिकांश वादे पूरे कर दिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं के आरक्षण का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)* आज तक कुछ नहीं कर सके और कर भी नहीं पाओगे। ...*(व्यवधान)* हमारी सरकार आएगी और हम उसे करके दिखाएंगे। ...*(व्यवधान)* आप तो नहीं करने वाले क्योंकि आपकी सरकार आने वाली भी नहीं है। मैं एक और बिन्दु की तरफ ध्यान दिलाकर अपनी बात समाप्त करता हूं। इस देश में जब-जब कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आती है तो महंगाई बढ़ती है। 1977 में श्री मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तब भाव बहुत कम हो गये थे। जब वह सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई, फिर महंगाई बढ़ने लगी। उसके बाद अटल जी की सरकार आई, महंगाई कम हुई, उस पर नियंत्रण पाया गया। उसके बाद यूपीए की सरकार आई, जिसने हिन्दुस्तान का और शायद दुनिया के देशों का रिकार्ड तोड़ दिया। मुद्रास्फीति की दर 12 प्रतिशत से अधिक हो गई। अटल जी की सरकार के टाइम ढाई प्रतिशत, पौने तीन प्रतिशत और तीन प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर थी, अभी यह शायद चार दशमलव एक है। इन्होंने राष्ट्रपति जी से इसकी बड़ी तारीफ करवा दी। पांच साल तक तुमने गरीबों की जेबों पर डाका डाला। कहा था कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, परंतु कांग्रेस का हाथ गरीबों के गले पर था, गरीबों की जेब पर था और अनेक लोग दो जून की रोटी खाने के अभाव में मौत के शिकार हो गये। यह पाप भी इस सरकार ने किया है।

आज बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया, परंतु जो औद्योगिक इकाईयां थी, उनमें से बहुत सारी रुग्णता की ओर बढ़ रही हैं। जिनकी नौकरियां थीं, जो परमानैन्ट थे, ऐसे लाखों लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी इसका प्रमुख कारण है। आर्थिक मंदी तो अभी छः महीने या साल भर से आई है। आप अपनी सरकार के पिछले चार सालों को देख लो। उन चार सालों में बहुत सारी औद्योगिक इकाईयां रुग्ण हुई हैं, परमानैन्ट मजदूर और कर्मचारी बैरोजगार हुए है, लेकिन आपने उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। एक नहीं अनेकों ऐसी बातें हैं। मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा।

एम्स हिन्दुस्तान का जाना-माना अस्पताल है। हिन्दुस्तान के हर कोने से लोग इलाज के लिए यहां आते हैं। एनडीए की सरकार ने तय किया था कि इसी पैटर्न पर राज्यों में मिनी एम्स की स्थापना की जाए। श्रीमती सुषमा स्वराज उस समय स्वास्थ्य मंत्री थीं। आठ-दस राज्यों में मिनी एम्स की स्वीकृति दी गई थी और बजट प्रावधान भी किया था, भूमि पूजन भी किया था और काम भी चालू हो गया था, परंतु उस सरकार के जाने के बाद यूपीए सरकार आई और इस सरकार ने उन सब योजनाओं पर एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया है। सरकार के प्रति नाराजगी हो सकती है, पार्टी के प्रति नाराजगी हो सकती है, परंतु उस सरकार ने देश के हित में निर्णय लिये थे, आम जनता के हित में निर्णय लिये थे। देश के सब लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए निर्णय लिया था। लेकिन उस निर्णय पर भी इन्होंने अमल नहीं किया है। यह घोर निंदनीय है। आपने जो ये सब गड़बड़ियां की हैं, इसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। देश की जनता के सामने ये सब बातें आई हैं। देश की जनता आपसे बदला लेगी, बदला लेगी और आप सड़क पर आओगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एल. गणेशन (तिरुचिरापल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही मैं राष्ट्रपति महोदया को भी उनके लोकसभा और राज्य सभा को किए गए संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

[श्री एल. गणेशन]

महोदय, राष्ट्रपति का संबोधन, सरकार का ही संबोधन है। अतः, यदि हम राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।

महोदय, उन्होंने सप्रंग सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा दिया है। देश में चहुंमुखी विकास हुआ है – कृषि और उद्योग में प्रगति हुई है और भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ है। साथ ही, इस सरकार द्वारा इन पांच वर्षों के दौरान शोषितों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और ऐसे लोगों जो आर्थिक, शैक्षिक तथा हर तरह से पिछड़े हुए हैं, के उत्थान के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।

इस सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु भी ठोस कदम उठाए हैं। समाज में आधा भाग महिलाओं का है। काफी लंबे समय से, भारत में कई पौराणिक परंपराओं के कारण महिलाओं को दबाया जाता रहा था।

महिलाओं को कभी भी पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिले। मुझे इस बात पर गर्व है कि इस संबंध में भारत में कभी जो आंदोलन हुआ जिसे द्रविडियन आंदोलन कहा जाता है और जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने की शुरूआत की, मैं भी उस आंदोलन से जुड़ा था। इसी कारण, हम संसद में हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य निकाय भी हो सकता है लेकिन मैं गर्व कर सकता हूं। इसीलिए, आज भी हम संसद में है।

क्या हमने संसद में महिलाओं को सीटों में आरक्षण दिया है? आप कब से इसकी मांग कर रहे हैं? आप कब से यह लड़ाई लड़ रहे हैं? आप कब से इसके लिए चिल्ला रहे हैं? क्या आपको इससे कुछ मिला? लेकिन तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में डा. कलईग्नार, जो पांचवीं बार मुख्यमंत्री बने है, ने सीटों में आरक्षण दिया है। महोदय, स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और कुछ अन्य निकायों में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं...*(व्यवधान)* यदि ऐसा है तो मुझे आपका भी धन्यवाद करना चाहिए। हम सहयोगी हैं। हम सभी मित्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं कहता हूं...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री एल. गणेशन : आजकल, तमिलनाडु के स्थानीय प्रशासन मंत्री द्वारा समस्त तमिलनाडु में स्वयं सहायता सुविधाएं प्रदान की गई हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री एल. गणेशन : कोई गांव ऐसा नहीं है जहां स्वयं सहायता समूह न हों। यदि आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप यह तब कर सकते हैं जब आप बोलने के लिए खड़े हों।...*(व्यवधान)* कृपया बीच में न बोलें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री गणेशन का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री एल. गणेशन : भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये हमारी उपलब्धियां हैं। राज्य में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सड़क, बिजली और पेयजल सुविधा न हो। मैं नहीं जानता कि कोई राज्य ऐसा है जहां ये सारी सुविधाएं हो। हो सकता है लेकिन मैं तमिलनाडु का संदर्भ देना चाहूंगा और इसी को उदाहरणस्वरूप लेना चाहूंगा। यहां कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सड़क नहीं है। प्रत्येक गांव में स्कूल है। प्रत्येक गांव में पेजयल सुविधा है। ये सभी उपलब्धियां हैं। आप सभी जानते हैं कि वहां केवल एक पार्टी की सरकार नहीं है। एक पार्टी की सरकार में भी मनमुटाव, कलह और अंदरूनी झगड़े आदि होंगे। यह गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार में सराहनीय कौशल वाली कई पार्टियां है जो हमारे सौम्य प्रधानमंत्री के प्रबंधन और संप्रग अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी के नेतृत्व के अधीन हैं और तमिलनाडु में डा. कलइग्नार के नेतृत्व वाली और उनके मार्गनिर्देशन में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलाएंस है, जो कि इस गठबंधन सरकार का ही एक हिस्सा है।

अतः, मैं कहता हूं, कि गठबंधन सरकार की इन उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए और मैं तहेदिल से इनकी प्रशंसा करता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यदि यह एक पार्टी की सरकार है, तब ठीक है, यह अलग बात है। किन्तु यह एक गठबंधन सरकार है। इसलिए, इस यूपीए सरकार की उपलब्धियों पर बधाई दी जानी चाहिए ओर इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वास्तव में, मैं इन उपलब्धियों की दिल से प्रशंसा करता हूं।

मैं एक मुद्दे पर आ रहा हूं। जहां तक गठबंधन का संबंध है, करुणानिधि एक मित्र, एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक है। ठीक है। किन्तु हां, एक मामले में कटुता है; मतभेद है; वह श्रीलंकाई जातीय समस्या से संबंधित है। यदि इस समस्या का समाधान तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा कुशलतापूर्वक, कूटनीतिक तरीके से नहीं किया गया होता तो तमिलनाडु में दंगे एवं खून-खराबा हो जाता। बहुत खून खराबा हो सकता था। वर्ष 1965 में क्या हुआ? वही बातें हो सकती थी. ..*(व्यवधान)*

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी) : वे सत्ता का सुख प्राप्त कर रहे हैं। आप सत्ता में हैं।...*(व्यवधान)* आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो असंसदीय है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ भी असंसदीय नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री एल. गणेशन : उन्हें बोलने दीजिए। वास्तविकता यह है कि डा. कलाइग्नर ने तमिलनाडु विधान सभा में तीन संकल्प पारित किए हैं जिनमें तत्काल युद्ध रोकने की मांग की गयी है। आपने क्या किया है? मैं जानता हूं कि वर्ष 1983 में क्या हुआ था। आप भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि वर्ष 1983 में आप वहां नहीं थे। आप जानते नहीं कि डीएमके ने क्या किया। वर्ष 1985 में, मैंने ही भूख हड़ताल की अगुवाई की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

श्री एल. गणेशन : मैं जानता हूं और क्या?...*(व्यवधान)* इसलिए श्री रविचन्द्रन और डा. कृष्णन की जानकारी के लिए यदि आपके पास अवसर हो तो आप कृपया इस बारे में बोलें। यदि आपके पास बोलने के लिए जानकारी हो, यदि आपके पास अभिव्यक्ति हो और यदि आपको कोई भाषा आती हो तो आप बोले। मैं आपका समर्थन करता हूं। यदि कुछ न हो तो शोर मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

इसलिए, मैं श्रीलंकाई समस्या का संदर्भ दे रहा हूं। यह समस्या वर्ष 1956 से विद्यमान है जब श्रीलंका में सिंहली राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। डा. कृष्णन, आप जानते हैं कि वर्ष 1946 में राज्य कौंसिल, जो उस वक्त श्रीलंका की प्रतिनिधि निकाय थी, में एक संकल्प पारित किया गया कि स्वतंत्र श्रीलंका में तमिल और सिंहली दोनों ही भाषाएं राजभाषा होंगी? श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता मिली। वर्ष 1956 में सिंहली राजभाषा अधिनियम पारित हुआ... *(व्यवधान)* यदि वह उस समय पैदा नहीं हुए तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं...*(व्यवधान)*

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि फादर सेल्वा नायकम, तमिल संघर्ष के जनक, ने आन्दोलन किया था। वे हमारे गांधीजी से बहुत प्रभावित थे और इसलिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। तब, साल-दर-साल अत्याचार हुए। वर्ष 1977 में, व्यापक नरसंहार हुआ और 1983 में बड़े दंगे हुए और आन्दोलन जारी रहा। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा है। दुःख और मानसिक कलेश, अश्रुपूर्ण आंखों और दुःखी दिल से, मैं इस सम्माननीय सभा की ओर से पूरे राष्ट्र से अपील करता हूं कि वहां जूझ रहे तमिलों की रक्षा की जाए। वे सिंहली की तरह प्रवासी नहीं है; वे वहां के मूल निवासी हैं, वे उस भूमि के हैं। हम उन्हें तमिल में 'पूरवा कुडीगल' नाम से संबोधित किया करते थे। वे उस भूमि के मूल निवासी है और अब उनका नरसंहार किया जा रहा है, एक ही समय में उन पर जल-थल और वायु, तीनों तरफ से हमला किया जा रहा है। सरकार अपने ही नागरिकों को मार रही है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। यदि जो कुछ हुआ है, यह जर्मनी में नाजी हिटलर के समय हुआ था जब हिटलर द्वारा यहूदी का इसी प्रकार संहार किया जा रहा था...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि भारत सरकार ने क्या किया। ...*(व्यवधान)* आप कृपया बैठ जाइए। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गणेशन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

श्री एल. गणेशन : इसलिए मैं मुद्दे पर आता हूं। क्या आपका समय समाप्त हो गया? क्या आपको समय नहीं दिया गया है? क्या आपने अपने समय का उपयोग कर अपने विचार यहां रख दिये हैं? आप बाधा क्यों डालते हैं? यह क्या है?...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एल. गणेशन : मैं जानता हूं कि आप बात नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* फिर भी मैं इस विषय पर इस संसार के किसी भी व्यक्ति से वाद-विवाद करने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री एल. गणेशन : इसलिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहूंगा कि कृपया विरोधियों को अवसर न दें कि वे स्थिति का लाभ उठाए और आपके अर्थात्, यूपीए सरकार, विरुद्ध इसका प्रयोग करें। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। यह एक भावनात्मक मुद्दा है जिसे आपको समझना चाहिए। इसलिए, मैं आपसे अपील करता हूं। विधान सभा में डा. कर्लाइग्नार द्वारा तीन संकल्प पारित किए जाने के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपने इस मुद्दे को हल्के ढंग से संदर्भित किया है।...*(व्यवधान)*

महोदय, यही मैं कह रहा हूं। मैं इसे जानता हूं कि आप इस मुद्दे को इस प्रभावी तरीके से नहीं रख सकते। आप समझ सकते हैं किन्तु बोल नहीं सकते।...*(व्यवधान)*। आप इसे रोकें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एल. गणेशन : इसलिए, मैं ईमानदारी पूर्वक आप सभी से अपील करता हूं कि आज कृपया अपने मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक डा. कलाइग्नर की सलाह माने तथा तत्काल युद्ध विराम की घोषणा कराने का प्रयास करें।...*(व्यवधान)* आपसी बातचीत से शांतिपूर्ण समाधान की बात करना ठीक है। लेकिन क्या हम उस समय बातचीत कर सकते हैं जब उन्होंने युद्ध छेड़ रखा हो? यदि बात-चीत आरम्भ की जानी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री एल. गणेशन : महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट और दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री एल. गणेशन : इसलिए मैं आपसे युद्ध विराम की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं और यह सुनिश्चित करने का कि यह किया जाए...*(व्यवधान)* मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जब युद्ध विराम लागू हो तब इस मामले में शान्तिपूर्ण बातचीत का सहारा लिया जाए।...*(व्यवधान)* इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन, आपके नेता ने अध्यक्षपीठ से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपको कुछ समय दिया जाए। अतः एक विशेष मामले के रूप में मैं आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिए पांच मिनट का समय देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर किशोरचन्द देव जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पांच साल पहले एक ऐसी सरकार बनी, जो एक संयुक्त गठबंधन की सरकार थी। यूपीए गठबंधन के नाम से वह सरकार बनी, जिसमें वामपंथी पार्टियों का भी समर्थन एवं सहयोग प्राप्त था। यह जो सहयोग की सरकार बनी, निश्चित रूप से मैडम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, सभी दलों के नेताओं के नेतृत्व में और खास तौर पर आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जो निश्चित रूप से इस देश में, मैं समझता हूं कि आम लोग यह समझते हैं कि जितनी भी सरकारें बनीं और प्रधान मंत्री बनें, उनमें से एक ऐसे व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री बनें, जिन्होंने देश को विश्व के मापक में बहुत ही ऊंचा सम्मान, प्रतिष्ठा और भारत सामरिक एवं कूटनीतिक रूप से दुनिया में पांच साल के अंदर अपना स्थान प्राप्त किया, यह सबसे बड़ी सफलता मनमोहन सिंह जी की, इस देश के प्रधानमंत्री जी की पांच साल के अंदर रही।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने विपक्ष के लोग जो बोलते हैं, उन्हें एक बात सोचनी चाहिए कि आलोचना हम जरूर करें, लेकिन अपने अतीत और वर्तमान को भी यान में रखें। आलोचना करना गुनाह नहीं है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। आप की ही सरकार बिहार में है, बीजेपी-जेडी(यू) गठबंधन की सरकार है। आपको पता होगा कि देश की सबसे बड़ी त्रासदी कुछ दिन पहले हुई, आज तक उतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई। यह सरकार का प्रायोजित घटनाक्रम है, सरकार और मंत्रिमंडल की लापरवाही के कारण 40 लाख लोग बेघर हो गए। पांच हजार लोगों से ज्यादा निर्दोष और गरीब लोग मारे गए, बीस

लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए, आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी। लाखों पशु पानी में बह गए। सरकार ने कोई सुध नहीं ली, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बैठा था, उसी जिले के मंत्री थे, फिर भी यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि इस सरकार ने देश के आम लोगों को क्षति की तो मैं उन्हें इतना जरूर कहूंगा कि एक नमूना बिहार है और दूसरा गुजरात है।

सायं 7.00 बजे

यदि इन दोनों राज्यों का मूल्यांकन कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि इस सदन में विपक्ष में बैठने वाले लोगों की क्या हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस सरकार ने आम आदमी के बारे में जो बातें कही हैं, वे सही हैं। समय कम है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां आतंकवाद और नक्सलवाद के बारे में कुछ उठाई गईं। इन सब बातों को लेकर विपक्ष ने काफी कुछ कहा है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की स्पीच खत्म होने तक क्या हाउस को एक-दो मिनट के लिए बढ़ा दें?

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें सुबह आश्वासन दिया था कि महत्वपूर्ण मुद्दे दिन के अंत में लिए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई 'शून्यकाल' नहीं।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा) : सुबह अध्यक्षपीठ की ओर से आश्वासन दिया गया था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदन की अनुमति से, माननीय सदस्य, श्री राजेश रंजन की स्पीच खत्म होने तक सदन की कार्यवाही को बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री राजेश रंजन, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

आप एक-दो मिनट में अपनी स्पीच खत्म कर दें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातों को कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। आतंकवाद और नक्सलवाद के मुद्दे को सदन में विकास से अलग हटकर बार-बार उठाया जाता है। मेरा भी इन दो मुद्दों पर विशेष रूप से फोकस है। मैं पूछना चाहता हूं कि नक्सलवाद ने किन परिस्थितियों में जन्म लिया? नक्सलवाद है, यह गलत है। इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। नक्सलवाद जिस तरीके से गांव में, कस्बे में और देश की आन्तरिक सुरक्षा को तोड़ रहा है, इसे गलत ही कहा जाएगा। लेकिन नक्सलवाद जिस असमानता के कारण बढ़ा, जिस गरीबी के कारण, जिस भूख के कारण, जिस बेरोजगारी के कारण और जिन-जिन सवालों के कारण नक्सलवादी मूवमेंट खड़ा हुआ, उसके बारे में आज तक जितनी भी सरकारें बनीं, किसी ने नहीं बताया। क्या नक्सलवादी मूवमेंट को खत्म करने के लिए या नक्सलवाद जैसी परिस्थिति इस देश में पैदा न हो, नक्सलवादी पैदा न हों उसके लिए क्या किसी सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है, जिससे समाज में ऐसी असमानता के कारण, भूख के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा न हो और एक ऐसा समाज बनाने के लिए वे लोग बाध्य न हों। क्या आज तक इस बात पर किसी ने बहस नहीं की।

श्रीमती करुणा शुक्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहती हूं कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सलवा-जुडूम नामक अभियान चलाया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैडम, आप कृपया बैठिए। बीच में उन्हें इंटरप्ट मत कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था बन गई जिसे हम कभी टैररिस्ट और कभी नक्सलवाद कहकर, उसे अपराधी के रूप में खड़ा कर देते हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने रोजी और रोटी देने तथा भूख को खत्म करने के लिए गांवों में मजदूरों के लिए काम किया है और आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो असमानता की बड़ी खाई थी, जो शोषण हो रहा था, उसे कम किया है। जब तक समाज में आम लोगों के बीच में शोषण की खाई नहीं पटेगी, तब तक नक्सलवाद जैसी व्यवस्था को खत्म करने में काफी दिक्कतें आएंगी। यू.पी.ए. की सरकार ने लोगों को रोजगार के रूप में प्राथमिकता देकर और आर्थिक सम्पन्नता को लाकर, असमानता को कम करने का काम किया है।

महोदय, आतंकवाद के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद जैसी व्यवस्था की कोई आज शुरूआत नहीं हुई है। मैं अपने विपक्ष के बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

आतंकवाद चाहे वह सामाजिक सेंटीमेंट, धार्मिक सेंटीमेंट, सोश्या सेंटीमेंट, जिओ सेंटीमेंट, नैशनल सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट या किस कारण आतंकवाद की जड़ें काफी गहराई तक जमती चली जा रही हैं? मैं अपने विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आतंकवाद को ये रीयल में खत्म करना चाहता हैं, तो इन्हें अपने विचारों, अपने चरित्र, अपनी नीयत और अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा। मुंह में राम, बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोड़म-थोड़ी, यह नहीं चलेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता। मालेगांव की घटना के बारे में, प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में कई तरह की बातें आ चुकी हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात का सुझाव देना चाहता हूं कि देश के सभी जन-प्रतिनिधियों को भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर राजनीति करने के लिए निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हम ऐसी राजनीति न करें जिससे कि समाज, व्यक्ति या किसी की भावना को ठेस पहुंचे और एक अलग समाज बने।...*(व्यवधान)*

मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मेरा आग्रह है कि यू.पी.ए. की सरकार चाहे जिस भी रूप में देखें, चाहे न्यूक्लियर डील के रूप में, चाहे आम आदमी के काम और रोजगार के रूप में और चाहे यू.पी.ए. की सरकार मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम जी और सोनिया जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने अच्छा काम किया है। चाहे हमारे लालू यादव जी हों, जिन्होंने रेलवे में जो हालात थे, जिन परिस्थितियों में देश और विश्व के मापदण्ड में उन्होंने रेलवे को लाने का काम किया, आज निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि आज जो गरीब रथ की शुरूआत हुई, आप देखेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब कन्क्लूड कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। गरीब रथ की शुरूआत करने की यू.पी.ए. की सोच थी, गरीब लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं, आज वे ए.सी. में सफर कर रहे हैं। क्या यह सबसे बड़ी उपलब्धि यू.पी.ए. सरकार की नहीं है? क्या यू.पी.ए. सरकार ने इस देश की कूटनीति के रूप में आज जो विश्व के 1-1 देश के राष्ट्रपति और सभी देशों की सरकार आज भारत के समर्थन में खड़े हैं, क्या यह सबसे बड़ी उपलब्धि यू. पी.ए. की सरकार की नहीं है? क्या भारत का यू.पी.ए. की सरकार की नीति और विचारों से सिर ऊंचा नहीं हुआ? उस यू.पी.ए. सरकार का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। लेकिन में आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ चीजें हमारे विपक्ष के साथियों को समझनी होगी। जैसे श्रीराम सेना है, आप लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। पब के कल्चर के लिए कहीं मारपीट करना, कहीं ईसाइयों के चर्च को जलाना, कहीं अल्पसंख्यकों को जलाना, क्या यह उचित है? बजरंग दल क्या है, इससे क्या समाज नहीं बंटेगा? बजरंग दल की जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की प्रवृत्ति है, वह कभी न कभी देश के अल्पसख्यकों पर, चाहे वे ईसाई हों, चाहे वे मुसलमान हों, चाहे वे सिख हों...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अब बैठ जाइए। मैंने आपको 15 मिनट से ज्यादा का समय दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं यू.पी.ए. सरकार से आग्रह करूंगा कि ये कभी वेलेंटाइन डे पर, कभी पब के कल्चर पर, कभी देश तोड़ने के सवाल पर, कभी अपनी राजनीति के सवाल पर, चाहे बजरंग दल, श्रीराम सेना हो, कई सेनाओं की इस देश में उत्पत्ति हुई है, ऐसी सेनाओं को, ऐसे दलों को यू.पी.ए. सरकार को बैन लगाकर उन्हें समाप्त करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि ऐसी सेना न बने।

दूसरा, मेरा एक लाइन का अन्तिम आग्रह है कि हमें बहुत उम्मीद थी कि जब यह बजट आएगा तो बिहार के लिए कुछ विशेष पैकेज आप देंगे। मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैं आग्रह करूंगा कि जब राज बंटा था तो सभी लोगों की यह चाहत थी कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जायेगा। यू.पी.ए. सरकार से मेरा आग्रह है, बिहार को रेलवे के मामले में बहुत कुछ मिला, आपने पैसा भी बहुत दिया, लेकिन आज जो कोसी की त्रासदी आई है, इसके लिए आप हमारी आवाज को सुनें।...*(व्यवधान)* मैं अन्तिम बात कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

मैंने आपको सिर्फ पांच मिनट बोलने के लिए कहा था।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मेरा आपसे आग्रह है, मैं बस कन्क्लूड करने के लिए ही एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कोसी की इतना बड़ी त्रासदी आई, यह सब के लिए एक मानवीय त्रासदी है। इसके लिए विशेष पैकेज और खास तौर पर बिहार में जो हालात हैं, परिस्थिति है, उसके लिए विशेष पैकेज दिया जाये। यूपीए सरकार के जब बजट भाषण की शुरूआत हो, उसमें आप उसे निश्चित रूप से लाएं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बजट पर जब बहस होगी, उस वक्त आप अपनी बात कहिएगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मेरा यह आग्रह है, मैं पुनः एक बार अंत में वी. किशोर चंद्र एस. देव जी ने जो प्रस्ताव किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : महोदय, मुझे एक अनुरोध करना है।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : इसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किया है, आपका नाम तो कहीं नहीं है इसमें,...*(व्यवधान)* आप यूपीए सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वायालार रवि : महोदय, 'शून्य-काल' के मद कल लिए जा सकते हैं। अब मैं आपसे सभा को स्थगित करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.11 बजे

तत्पश्चात, लोकसभा बुधवार, 18 फरवरी, 2009/29, माघ 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री हंसराज गं. अहीर डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	21
2.	श्री रामदास आठवले	22
3.	श्री मधु गौड यास्खी श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	23
4.	श्री किन्जरपु येरननायडु श्री एस.के. खारवेनथन	24
5.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	25
6.	श्री मोहन सिंह	26
7.	श्री अजय चक्रवर्ती डा. के. धनराजू	27
8.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	28
9.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री गुरुदास दासगुप्त	29
10.	डा. चिन्ता मोहन श्री रामजीलाल सुमन	30
11.	श्री उदय सिंह श्रीमती जयप्रदा	31
12.	श्री के.एस. राव श्री अब्दुल्लाकुट्टी	32
13.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	33
14.	श्री पी.सी. थामस	34
15.	श्री अबु अयीश मंडल श्री एम. अप्पादुरई	35
16.	श्री सुग्रीव सिंह	36
17.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	37
18.	श्री सुरेश अंगडि	38
19.	श्री बसुदेव आचार्य	39
20.	डा. के.एस. मनोज	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	68
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	108, 118
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	107, 128
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	115

1	2	3
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	100, 135
6.	अजय कुमार, श्री एस.	79
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	108, 142
8.	आठवले, श्री रामदास	61, 101, 125, 141
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	55, 93
10.	बर्मन, श्री हितेन	73, 78, 83
11.	बर्मन, श्री रनेन	82
12.	भगोरा, श्री महावीर	81
13.	बोस, श्री सुब्रत	73, 75, 116
14.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	79
15.	चक्रवर्ती, श्री अजय	62, 105, 127
16.	चिन्ता मोहन, डा.	108, 129
17.	चौधरी, श्री पंकज	70, 107
18.	चौधरी, श्री अधीर	66, 96, 119, 133
19.	देवरा, श्री मिलिन्द	107
20.	धनराजू, डा.के.	109, 130
21.	दूबे, श्री रमेश	139
22.	धोत्रे, श्री संजय	63, 100
23.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	89
24.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	104
25.	गांधी, श्रीमती मेनका	76, 116
26.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	100
27.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	91, 122
28.	जटिया, डा. सत्यनारायण	59, 100

1	2	3
29.	जयाप्रदा, श्रीमती	114
30.	जिन्दल, श्री नवीन	77, 114
31.	करुणाकरन, श्री पी.	69
32.	कस्वां, श्री राम सिंह	85, 101
33.	खैरे, श्री चंद्रकांत	101
34.	खारवेनथन, श्री एस.के.	77, 94, 123, 140
35.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	54, 92, 100, 115, 140
36.	कृष्ण, श्री विजय	87, 121, 137, 146
37.	महरिया, श्री सुभाष	56, 79, 102
38.	महतो, श्री टेक लाल	73
39.	मंडल, श्री अबु अयीश	67, 68, 99
40.	निखिल कुमार, श्री	84, 96, 114, 120
41.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	77
42.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	103
43.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	56
44.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	106, 128, 142
45.	पाटिल, श्री डी.बी.	74
46.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	58
47.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	100, 128
48.	राजगोपाल, श्री एल.	57, 111, 128
49.	राणा, श्री काशीराम	88
50.	राव, श्री के.एस.	95, 138
51.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	138
52.	रावले, श्री मोहन	90
53.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	80

1	2	3
54.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	77
55.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	100
56	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	53, 115
57.	रिजीजू, श्री कीरेन	103
58.	साय, श्री नन्द कुमार	113, 128, 142
59.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	78
60.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	107, 128
61.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	60, 98, 134, 147
62.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	100
63.	सिंह, श्री गणेश	100
64.	सिंह, श्री मोहन	62
65.	सिंह, श्री राकेश	65
66.	सिंह, श्री सुग्रीव	113, 128, 142
67.	सिंह, श्री सूरज	71, 129
68.	सिंह, श्री उदय	72, 97, 124, 143
69.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	64
70.	सुमन, श्री रामजीलाल	71, 108
71.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	126
72.	थामस, श्री पी.सी.	112
73.	तुम्मर, श्री वी.के.	56, 88
74.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	78, 117, 132, 136, 145
75.	वल्लभनेनी, श्री बालाशोवरी	86, 110, 131, 144
76.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	107, 128
77.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	102

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	33, 24, 30, 34, 37, 40
पृथ्वी विज्ञान	:	38
गृह	:	21, 25, 27, 28, 31
मानव संसाधन विकास	:	22, 26, 29, 32
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	35, 39
खान	:	36
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	33

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	55, 57, 59, 67, 68, 71, 86, 91, 95, 105, 112, 122, 124, 129, 139, 142, 147
पृथ्वी विज्ञान	:	94, 99
गृह	:	58, 61, 62, 64, 74, 77, 81, 84, 87, 90, 92, 96, 100, 103, 109, 114, 115, 117, 120, 121, 123, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 136, 137, 141, 145, 146
मानव संसाधन विकास		53, 56, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 88, 93, 98, 101, 102, 104, 107, 110, 111, 116, 119, 126, 131, 135, 140, 143, 144
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	54, 89, 108, 113, 118, 134, 138
खान	:	106
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	60, 79, 97

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/37/4/2009 (एन०)
230

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।